

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2021 सत्र

**शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021**

### तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला रायगढ़ अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि मुआवजा

1. (\*क्र. 609) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 03 वर्षों में जिला-रायगढ़ अंतर्गत किन-किन स्थानों पर सड़क निर्माण हेतु कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? (ख) क्या अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किसानों को प्रदान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक प्रदान किया जायेगा ? (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर-खरसिया-रायगढ़ में किस दर पर मुआवजा दिया गया है ? क्या मुआवजा वितरण में अधिनिमित्यता की शिकायत प्राप्त हुयी है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) विगत 03 वर्षों में जिला रायगढ़ के अनुविभाग रायगढ़ एवं अनुविभाग खरसिया में † संलग्न प्रपत्र “अ”, प्रपत्र “ब” में वर्णित ग्रामों के किसानों की निजी भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा किया गया है. (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वितरण एवं लंबित मुआवजा की जानकारी उपरोक्त † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” में वर्णित है. अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्राप्त करने हेतु संबंधित किसानों को सूचित किया गया है. संयुक्त खाता होने से सभी किसानों के एकसाथ उपस्थित नहीं होने के कारण मुआवजा भुगतान लंबित है, किसानों के उपस्थित होने पर मुआवजा प्रदान कर दिया जायेगा. (ग) मुआवजा का निर्धारित प्रचलित गाईड लाईन दर पर किया गया है. मुआवजा वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है. फलस्वरूप कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है.

बर्तन क्रय में अनियमितता पर राशि की कटौती

2. (\*क्र. 738) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि विगत वित्तीय वर्ष में राजनांदगांव व अन्य जिलों में बर्तन खरीदी में निर्धारित मापदण्ड अनुरूप बर्तन नहीं पाये जाने पर राशि की कटौती की गई है ? यदि हाँ, तो किस आधार पर कितनी राशि की कटौती की गई है, कितना भुगतान किया जाना था और कटौती उपरांत कितना भुगतान कब किया गया ? (ख) भण्डार क्रय नियम के किस उप-नियम में निर्धारित मापदण्ड की सामग्री न दिये जाने पर कटौती के क्या नियम हैं ? यदि नहीं, तो वह कटौती किस आधार पर की गई है ? तथा फर्म को ब्लैक लिस्ट कर उसकी अमानती राशि क्यों जब्त नहीं की गई ? इस हेतु दोषी कौन है व क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ. जिला राजनांदगांव में बर्तन खरीदी में निर्धारित मापदण्ड अनुरूप बर्तन नहीं पाये जाने पर विकासखण्ड राजनांदगांव में प्रदाय की गई बर्तन की राशि में कटौती की गई है. प्रदाय सामग्री के वजन में कमी तथा सामग्री की संख्या में कमी के कारण राशि कटौती की गई है. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) सी.एस.आई.डी.सी. के स्टील बर्तन हेतु टी.एस.सी. 13-08-2020 सेवशन के स.क्र. 04 अंतर्गत स्टील के बर्तन का वजन 10 प्रतिशत कम या ज्यादा जो भी वजन लागू होता है मान्य होगा. उक्त अनुक्रम में विकासखण्ड राजनांदगांव में प्रदाय किये गये किचन डिवाइस के भौतिक सत्यापन, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त आधार पर कुल वजन में कमी प्रतिशत में से 10 प्रतिशत कम वजन को घटाने के बाद शेष कम वजन के अंतर की राशि रु. 93452.69 तथा सामग्री आदेशित मात्रा से कम मात्रा में पाये जाने के कारण अंतर की राशि रु. 83239.50 इस प्रकार कुल राशि रु. 176692/- की कटौती कर शेष राशि का भुगतान किया गया है. (परिशिष्ट संलग्न) संबंधित फर्म से राशि काटने की कार्यवाही कर कटौती की गई राशि रु. 176692/- शासन के पक्ष में चालान क्र. 490, दिनांक 29-11-2021 को जमा कर दी गई है. बर्तन सामग्री प्रदायकर्ता फर्म मेसर्स मनीधारी सेल्स कॉर्पोरेशन रायपुर से राशि कटौती कर लिये जाने के कारण फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया न ही अमानती राशि रु. 356151/- जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के पास सुरक्षित है. फर्म मेसर्स मनीधारी सेल्स कॉर्पोरेशन रायपुर को राशि कटौती कर भुगतान की गई है. इस हेतु कोई दोषी नहीं पाया गया है.

उपार्जित धान का भौतिक सत्यापन

3. (\*क्र. 730) **श्री विद्यारतन मसीन** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि वर्ष 2019-20 व 2020-21 में उपार्जित किये गये धान का भौतिक सत्यापन हो गया है ? यदि हां, तो कब पूर्ण हुआ है ? किन-किन जिलों में कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि की धान सुखत व खराब हुई ? इस हेतु सहकारी समितियों से कितनी राशि वसूली के निर्देश जारी किये गये थे ? समितिवार जानकारी देवें ? (ख) क्या समितियों द्वारा राशि जमा की गई है या अन्य कोई व्यवस्था खराब व सुखत धान की राशि के लिए की गई है ? यदि हां, तो क्या ? धान सुखत व खराब होने के लिए दोषी कौन है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2019-20 में उपार्जित किये गये धान का लेखा मिलान दिनांक 07-12-2020 को पूर्ण हो चुका है, जिसके अनुसार धान खराब नहीं हुआ है. वर्ष 2020-21 में दिनांक 08-12-2021 की स्थिति में 02 समितियों का लेखा मिलान अपूर्ण है शेष समितियों का लेखा मिलान पूर्ण हो चुका है. किसी भी समिति में धान खराब नहीं हुआ है. वर्षवार एवं जिलेवार कमी की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. इस अवधि हेतु राशि वसूली के निर्देश जारी नहीं किए गए थे. खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन में कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में धान उपार्जन केन्द्रों में धान की सूखत के लिए खाद्य विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं. वर्तमान में जिन समितियों से राशि की वसूली किया जाना है, उसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ख) समितियों द्वारा राशि जमा नहीं की गयी है. खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन में कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में धान उपार्जन केन्द्रों में प्रतिवेदित धान की सूखत के लिए हुई हानि की एकमुश्त प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु खाद्य विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं. दोषी व्यक्तियों की जानकारी संपूर्ण लेखा मिलान पश्चात् वास्तविक कमी की मात्रा उपरांत ज्ञात हो सकेगा.

कोरिया जिले में मूल पदस्थापना से अन्यत्र संलग्न शिक्षक

4. (\*क्र. 199) **डॉ. विनय जायसवाल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरिया जिले में कौन-कौन से ऐसे स्कूल हैं जिनके शिक्षकों को मूल पदस्थापना से अन्यत्र संलग्न किया गया है ? मूल पदस्थापना से शिक्षकों को अन्यत्र संलग्न करने के कारण कौन-कौन से स्कूल एकल शिक्षक या शिक्षक विहीन हो गए हैं ? ऐसे स्कूल का नाम एवं उन स्कूलों की दर्ज संख्या क्या है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-53 हेतु ग्रामीणों से अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

5. (\*क्र. 650) **डॉ. रमन सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 के अंतर्गत सड़क निर्माण योजना में ग्राम टेडेसरा, देवादा एवं अन्य संबद्ध ग्राम के ग्रामीणों से अधिग्रहित जमीन का संशोधित दर पर मुआवजा भुगतान हेतु पुनर्परीक्षण एवं पुनर्गणना की कार्यवाही की जा रही है ? (ख) यदि हां, तो संशोधित दर पर मुआवजा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी नहीं. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

ग्राम सेंदरी के खसरा क्रमांक 2231 की शासकीय भूमि का नामांतरण

6. (\*क्र. 726) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व की शासकीय निस्तारी भूमि को अन्य जगह के निवासी को पट्टा पर दिया जा सकता है ? यदि हां, तो कितनी भूमि और किन शर्तों पर दिये जाने का प्रावधान है ? (ख) क्या बेलतरा विधान सभा के ग्राम सेंदरी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 2231 रकबा 7.30 एकड़ भूमि को पट्टे पर दिया गया है ? यदि हां, तो व्यक्ति का नाम, पता और कब किन शर्तों पर दिया गया है जानकारी देवें ? (ग) क्या प्रश्नांक भूमि का वसीयत के माध्यम से नामांतरण आदेश पारित किया गया है ? यदि हां तो आदेश पारित करने का अधिकार, संबंधित अधिकारी कौन हैं ? (घ) प्रश्नांक भूमि पर वर्तमान में किसका कब्जा है और कब से है ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां, राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड-4 क्रमांक 03 के कण्डिका, 01,02,03,04 तथा 05 में प्रावधान है. जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) बेलतरा विधानसभा के ग्राम सेंदरी की शासकीय भूमि खसरा नं. 2231 रकबा 7.30 एकड़ भूमि को पट्टे पर नहीं दिया गया है, प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 2231 रकबा 7.30 एकड़ भूमि अधिकार अभिलेख एवं निस्तार पत्रक में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर के रा.मा.क्र. 3 अ-1 वर्ष 1969-70 के आदेश दिनांक 25-03-1972 के अनुसार भूमिस्वामी मुंशी पिता फुल्ले सा. बिलासपुर के हक में दर्ज है. (ग) जी हां, नामांतरण आदेश पारित करने का अधिकार छ.ग.भू.रा. सहिता 1959 की धारा 110 के तहत तहसीलदार में निहित है. खसरा नंबर 2231 रकबा 7.30 एकड़ के संबंध में आदेश तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा रा.प्र.क्र. 202003075000002/ अ-6/2019-20 में दिनांक 19-08-2021 को पारित किया गया है. आदेश की छायाप्रति प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है. (घ) प्रश्नांक भूमि पर वर्तमान में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार मौके पर पूनाराम पटेल पिता राम पटेल, चमारीन पिता बिरजू, सुकार बाई पिता सुनाराम, राजकुमार पिता सुनाराम, लालाराम पिता सुनाराम, शिवकुमार पिता सुनाराम, अनिल पिता सुनाराम, शिवशंकर पिता सुनाराम, सुनील पिता सुनाराम, रज्जू पिता पुनाराम, राजा पिता पुनाराम, मनोज पिता पुनाराम के द्वारा लगभग 40-40 डिसमील भूमि पर लगभग 40 वर्षों से काबिज है एवं भूमि के कुछ हिस्सों में कृषि कार्य किया जा रहा है.

### सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्कूल भवनों की स्थिति

7. (\*क्र. 173) **डॉ. लक्ष्मी ध्रुव** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल डिसनेटल के लायक हैं ? उक्त स्कूल के लिए नये स्कूल निर्माण की स्वीकृति कब तक दी जायेगी ? (ख) जो स्कूल शिक्षक विहीन है उन स्कूलों में कब तक शिक्षकों की पूर्ति की जायेगी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र में 82 शास. प्राथमिक एवं 20 पूर्व माध्यमिक स्कूल मुख्य भवन डिसनेटल के लायक हैं. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है. अतः रोषांक का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

### बिलासपुर शहर में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्वीकृत/रिवत पद

8. (\*क्र. 156) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिस मीडियम स्कूलों में कुल स्वीकृत पदों में कितने पद रिक्त हैं ? इन पदों को कब तक भरा जाएगा, स्कूलवार स्थापना संबंधी जानकारी उपलब्ध कराये ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बिलासपुर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिस मीडियम स्कूलों में कुल स्वीकृत 340 पदों में 103 पद रिक्त है. इन पदों को भरे जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. स्कूलवार स्थापना संबंधी जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

### कोरिया जिले के शासकीय प्राथमिक स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों का युवितयुवत करण

9. (\*क्र. 431) **श्री गुलाब कमरो** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिले में कितने प्रा.शा. एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन हैं ? (ख) कोरिया जिले में प्रा.शा. में अतिशेष शिक्षक कौन-कौन से स्कूलों में दर्ज संख्या के अनुपात से हैं ? (ग) अतिशेष शिक्षकों का युवितयुवतकरण शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षकीय शालाओं में कब-कब किया जायेगी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. (ग) निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला जांजगीर-चाम्पा में अवैध प्लानिंग व बेजा-कब्जा के दर्ज प्रकरण

10. (\*क्र. 713) **श्री नारायण चंदेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में अवैध प्लानिंग व शासकीय जमीनों में बेजा-कब्जा के कितने प्रकरण वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में दर्ज किये गये हैं व इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? (ख) उक्त जिले में शासकीय भूमि पर किन-किन उद्योगपतियों, निजी संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा बेजा-कब्जा किया गया है ? वे इस भूमि पर कब से काबिज हैं ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में अवैध प्लानिंग व शासकीय जमीनों में बेजा-कब्जा की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष ( 1 )	अवैध प्लानिंग के प्रकरण ( 2 )	शासकीय जमीनों में बेजा कब्जा के प्रकरण ( 3 )
2019-20	01	378
2020-21	06	180
<b>योग</b>	<b>07</b>	<b>558</b>

अवैध प्लानिंग एवं शासकीय जमीनों में बेजा-कब्जा के प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है. (ख) जांजगीर-चांपा जिले अंतर्गत तहसील जांजगीर के ग्राम बनारी स्थित शासकीय भूमि पर श्याम एगो उद्योग एवं वेयर हाउसिंग बनारी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है. शासकीय भूमि पर कुल 558 व्यक्तियों द्वारा बेजा-कब्जा किया गया है. सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

पैक्स के कर्मचारियों का वेतन भुगतान

11. (\*क्र. 698) **श्रीमती ममता चन्द्राकर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कबीरधाम की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में कितने कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान करना शेष है ? (ख) क्या कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु राशि का आहरण किया जा चुका है ? इसके लिये निधियों के क्या स्रोत है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला कबीरधाम की 22 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में 120 कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान करना शेष है. (ख) जी नहीं. समिति अपने सदस्यों को वितरित ऋणों पर ब्याज मार्जिन, धान कमीशन, खाद, बीज एवं खाद्यान्न वितरण के कमीशन से प्राप्त राशि, आदि स्रोत से कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है.

परसा कोल ब्लॉक अधिग्रहण में फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

12. (\*क्र. 716) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन को परसा कोल ब्लॉक (सरगुजा) भूमि अधिग्रहण प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभा प्रस्ताव के फर्जी होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब, शिकायत का ब्यौरा दें ? (ख) क्या यह सही है, कि “क” की शिकायत विगत 3 वर्षों से विभिन्न स्तर पर प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो विस्तार से जानकारी दें ? (ग) कंडिका “क” एवं “ख” की शिकायतों पर क्या जांच की गई, किस स्तर पर, किनके द्वारा, कब, जांच का ब्यौरा/निष्कर्ष सहित विस्तृत रूप से बतावें ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उदयपुर के कार्यालय में प्रश्नाधीन शिकायत प्राप्त हुई है. ग्राम हरिहरपुर, ग्राम पंचायत साल्ही के ग्रामवासियों के द्वारा वर्ष 2018 (आवेदन में दिनांक अंकित नहीं) में प्रस्तुत किया गया है. इसके अतिरिक्त उक्त ग्रामवासियों के द्वारा दिनांक 21-08-2018 को कलेक्टर सरगुजा के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है. श्री जयनन्दन सिंह पोर्ते एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को आवेदन प्रस्तुत किया गया है. उक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-229/4336, दिनांक 29-12-2018 के द्वारा जांच प्रतिवेदन चाहा गया है. शिकायतों का मुख्य बिन्दु ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव तैयार किया जाना है. (ख) जानकारी प्रश्नांश “क” के उत्तर में समाहित है. (ग) अनुविभागीय दण्डाधिकारी उदयपुर द्वारा शिकायतों की जांच की गई एवं कलेक्टर को दिनांक 31-12-2018 को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया.

आदिवासी कमार बालक आश्रम झरियाबाहरा, घुरा व गरियाबंद को केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत जारी राशि

13. (\*क्र. 486) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी कमार बालक आश्रम झरियाबाहरा, घुरा व गरियाबंद को वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत कितनी-कितनी राशि जारी की गई ? (ख) कंडिका “क” की राशि से कौन-कौन से उपकरण एवं अन्य सामग्री खरीदी की जानी थी ? कितना खरीदा गया ? सप्लाइ कर्ता कंपनी का नाम एवं दर सहित बतावें ? (ग) कंडिका “ख” के कार्य में अनियमितता की शिकायतें मिली हैं, हां, तो कब और उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 में आदिवासी बालक आश्रम, झरियाबाहरा हेतु राशि रुपये 20.00 लाख जारी की गई, आदिवासी आश्रम घुरा एवं गरियाबंद हेतु राशि जारी नहीं की गई है, एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में आदिवासी आश्रम झरियाबाहरा, घुरा एवं गरियाबंद हेतु राशि स्वीकृत नहीं की गई है. (ख) कण्डिका “क” की राशि से कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु उपकरण एवं सामग्री क्रय की जानी थी. जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ग) जी हां, दिनांक 16-07-2021 एवं दिनांक 31-07-2021 को प्राप्त हुई है, जिस पर जांच हेतु कलेक्टर, जिला-गरियाबंद द्वारा जिला स्तरीय जांच दल गठित किया गया है, जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

प्रदेश में समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित पोटा केबिन

14. (\*क्र. 320) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में समग्र शिक्षा अंतर्गत वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में कितने पोटा केबिन संचालित हैं ? एवं कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं और कितनी-कितनी सीट स्वीकृत हैं ? स्वीकृत सीटों में कितने भरे हुये हैं और कितने रिक्त हैं ? वर्षवार अलग-अलग बतायें ? (ख) उक्त वर्षों में प्रत्येक सीट के अनुसार व्यय के लिये कितनी केन्द्रांश व राज्यांश राशि प्राप्त हुई है और कितनी राशि व्यय की गयी तथा कितनी राशि शेष है, और राशि का क्या उपयोग किया गया ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” में †† संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” में †† संलग्न है.

जिला जांजगीर-चांपा में भारी वर्षा व बाढ़ से क्षति के प्रकरणों पर कार्यवाही

15. (\*क्र. 746) **श्री रामकुमार यादव** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2019-20 से दिनांक 24-11-2021 तक भारी वर्षा व बाढ़ से फसल एवं मकान क्षति के कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं ? उक्त प्रकरणों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? क्या क्षति संबंधी ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है, हां तो कहां-कहां ? (ख) राजस्व विभाग द्वारा क्षति के आंकलन हेतु चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्रामों में सर्वे किया गया ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ग) नुकसान की क्षति पूर्ति के कितने प्रकरण बनाये गये ? विकासखण्डवार गांव व हितग्राहियों की संख्या, मुआवजा राशि मुगतान व लंबित प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध करावें ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला जांजगीर-चांपा में भारी वर्षा एवं बाढ़ से फसल एवं मकान क्षति के कुल 18830 प्रकरण प्राप्त हुए हैं. उक्त प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की गई है. कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (ख) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा सर्वे कराये गये ग्रामों का विकासखण्डवार जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. (ग) विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :-

विकासखण्ड का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या	राशि (रुपये में)
डमरा	126	1413	1413	47,32,300.00
मालखरौदा	91	3433	3433	85,45,723.00
<b>योग</b>	<b>217</b>	<b>4846</b>	<b>4846</b>	<b>1,32,78,023.00</b>

कोई प्रकरण लंबित नहीं है.

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं मात्रा में कमी पर कार्यवाही

16. (\*क्र. 134) **श्री घनेन्द्र साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 में किस-किस जिले में कितनी-कितनी संख्या में धान खरीदी केन्द्र संचालित थे एवं किस-किस जिले में कितनी-कितनी मात्रा में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गयी है ? (ख) प्रश्नांक “क” के उत्तर में वर्णित समर्थन मूल्य में खरीदी गई धान में से किस-किस जिले में कितनी-कितनी मात्रा में धान की कमी होना पाया गया है ? धान में हुई कमी के लिए दोषी लोगों पर क्या एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) दिनांक 08-12-2021 की स्थिति पर समिति लेखा मिलान अनुसार खरीदी केंद्रों में धान में कमी की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. संपूर्ण लेखा मिलान पश्चात् धान में हुई कमी के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

जांजगीर-चांपा में अवैध प्लांटिंग पर कार्यवाही

17. (\*क्र. 523) **श्रीमती इन्दू बजारे** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में कहां-कहां पर अवैध प्लांटिंग की शिकायत वर्ष 2020-21 में प्राप्त हुई है ? उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जिला जांजगीर-चांपा में तहसील जांजगीर में कुल 06 एवं तहसील चांपा में कुल 22 अवैध प्लांटिंग की शिकायत वर्ष 2020-21 में प्राप्त हुई है. तहसीलवार जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है. प्राप्त शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई है.

जिला बालोद में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेशित बच्चों

18. (\*क्र. 78) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान शिक्षा सत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बालोद जिले के किन-किन निजी विद्यालयों में दुर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित कितने-कितने सीट के विरुद्ध कितने छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया है ? विकासखण्डवार शालाओं के नाम सहित जानकारी दें ? (ख) क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में जिले के किसी निजी विद्यालय की शिकायत हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अन्तर्गत केवल दुर्बल आय वर्ग हेतु पृथक से सीट आरक्षित नहीं होती है. विकासखण्डवार प्रवेश की जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. (ख) दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में जिले के किसी भी निजी विद्यालय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण

19. (\*क्र. 443) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के तहसील, मालखरौदा एवं बम्हनीडीह में नामांतरण, फौती एवं बटवारा के कितने प्रकरण लंबित हैं ? (ख) नामांतरण, फौती एवं बटवारा के निराकरण की समय अवधि क्या है ? (ग) उक्त प्रकरणों का निराकरण नहीं होने की क्या लोगों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के तहसील, मालखरौदा एवं बम्हनीडीह में नामांतरण, फौती एवं बटवारा के लंबित प्रकरण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	मद	तहसील मालखरौदा (कुल लंबित प्रकरण)	तहसील बम्हनीडीह (कुल लंबित प्रकरण)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1.	विवादित नामांतरण	21	10

( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
2.	अविवादित नामांतरण	66	38
3.	फौती प्रकरण	14	76
4.	विवादित बंटवारा	29	58
5.	अविवादित बंटवारा	00	00
<b>कुल योग</b>		<b>130</b>	<b>182</b>

(ख) नामांतरण, फौती एवं बंटवारा के निराकरण की समय अवधि 03 माह है. (ग) जी नहीं.

### धान खरीदी में सूखत के कारण समितियों से राशि वसूली

20. (\*क्र. 691) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक वर्षवार धान खरीदी केन्द्रों पर सूखत एवं अन्य कारणों से धान की मात्रा में आई कमी की मात्रा तथा उसका मूल्य बतावें ? (ख) धान की कमी उपरोक्त मात्राओं के कारण प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं से विपणन संघ द्वारा कितनी-कितनी राशियां वसूली योग्य निकाली गईं और प्रासंगिक व्यय, सुरक्षा एवं रख-रखाव, कमीशन आदि की कितनी-कितनी राशियों से समितियां वंचित हुईं ? (ग) उपरोक्त वर्षों में धान खरीदी की प्रारंभिक मात्राएं खाता मिलान पश्चात् अंतिम मात्राएं तथा भारत सरकार के समक्ष दावा पत्रक में दर्शित मात्राएं कितनी-कितनी हैं ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :** (क) खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक वर्षवार धान खरीदी केन्द्रों पर कमी की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा मे.टन में, राशि करोड़ में)

वर्ष ( 1 )	कमी की मात्रा ( 2 )	कमी राशि (समर्थन मूल्य, प्रासंगिक एवं रख-रखाव व्यय सहित) ( 3 )
2018-19	3066.74	5.40
2019-20	43794.64	80.20
2020-21	176416.00	333.04

(ख) धान की कमी के कारण प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं से विपणन संघ द्वारा वसूली योग्य राशि की मदवार जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)

वर्ष ( 1 )	कमी की वसूल योग्य राशि (समर्थन मूल्य, प्रासंगिक एवं रख-रखाव व्यय सहित) ( 2 )	कुल की गयी वसूली (समर्थन मूल्य, प्रासंगिक एवं रख-रखाव व्यय सहित) ( 3 )
2018-19	5.40	2.17
2019-20	80.20	28.00
2020-21	333.04	वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

(ग) उक्त वर्षों में धान खरीदी की प्रारंभिक मात्राएं, खाता मिलान पश्चात् अंतिम मात्रा तथा भारत सरकार के समक्ष दावा पत्रक में दर्शित मात्रा

की जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा मेटन में)

वर्ष ( 1 )	धान खरीदी की प्रारंभिक मात्रा ( 2 )	खाता मिलान पश्चात् अंतिम मात्रा (विपणन संघ को प्राप्त मात्रा) ( 3 )	दावा पत्रक में दर्शित अंतिम मात्रा ( 4 )
2018-19	8038030.53	8034963.79	8034963.79
2019-20	8394563.06	8350768.42	भारत सरकार के समक्ष दावा पत्रक प्रस्तुत नहीं किया गया है.
2020-21	9202392.24	9025976.24	

दुर्ग संभाग अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा, दावा-आपत्ति के लंबित प्रकरण

21. (\*क्र. 455) श्री अरूण चौरा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्ग संभाग अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा, दावा-आपत्ति के कुल कितने आवेदन वर्ष 2019-20 से 30 नवम्बर, 2021 तक प्राप्त हुई है ? कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया ? कितने लंबित हैं ? जिलेवार जानकारी देवे ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : दुर्ग संभाग अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 30 नवंबर, 2021 तक नामांतरण, बंटवारा के प्राप्त आवेदनों की संख्या, निराकृत प्रकरणों की संख्या लंबित प्रकरणों की संख्या की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

जिला ( 1 )	मद ( 2 )	प्राप्त आवेदनों की संख्या ( 3 )	निराकृत प्रकरणों की संख्या ( 4 )	लंबित प्रकरणों की संख्या ( 5 )
दुर्ग	नामांतरण	25584	22256	3328
	बंटवारा	2855	2082	773
बेमेतरा	नामांतरण	6344	5262	1082
	बंटवारा	3110	2405	705
बालोद	नामांतरण	8323	7535	788
	बंटवारा	3836	3117	719
राजनांदगांव	नामांतरण	25515	24620	895
	बंटवारा	5668	4959	709
कबीरधाम	नामांतरण	14964	13969	995
	बंटवारा	3660	3302	358
योग		99859	89507	10352

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में डायवर्सन के लंबित प्रकरण

22. (\*क्र. 465) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 में डायवर्सन के कितने प्रकरण लंबित हैं तथा इन्हें कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021 में 38 प्रकरण लंबित हैं. लंबित प्रकरणों का निराकरण नियमानुसार समय-सीमा पर पूर्ण कर लिया जावेगा.

प्रदेश में नामांतरण, बटवारा एवं पंचायतों को प्राप्त अधिकार की वस्तु स्थिति

23. (\*क्र. 753) श्री **मुनेश्वर शोभाराम बघेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छ.ग. शासन में मू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत नामांतरण, बटवारा की कार्यवाही आनलाईन प्रारंभ की गई है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार नामांतरण, बटवारा आनलाईन करने से क्या आफलाईन की विकल्प पूरी तरह बन्द कर दिया गया है ? (ग) क्या आनलाईन प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पंचायत राज अधिनियम 1995 के तहत पंचायतों को प्राप्त अविवादित नामांतरण, बटवारा का अधिकार समाप्त कर दिया गया है ? (घ) प्रश्नांश “ग” यदि नहीं तो, प्रदेश में विगत अक्टूबर, 2019 से पंचायतों द्वारा किये गये नामांतरण, बटवारा एवं न्यायालय द्वारा की गई नामांतरण, बटवारा की जानकारी प्रदान करें ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां. (ख) अविवादित नामांतरण/बटवारा की कार्यवाही ऑनलाईन करने के निर्देश दिये गये हैं परंतु ऑफलाईन नामांतरण बटवारा की प्रक्रिया पूरी तरह बंद नहीं किया गया है. ई-नामांतरण (पंजीयन ऑफिस से प्राप्त) के अलावा अन्य प्रकार के नामांतरण, बटवारा के प्रकरण ऑफलाईन प्राप्त कर ई-पंजी/ई-कोर्ट में दर्ज कर कार्यवाही की जाती है. (ग) ग्राम पंचायतों को प्राप्त अविवादित नामांतरण, बटवारा का अधिकार समाप्त नहीं किया गया है. (घ) विगत अक्टूबर, 2019 से ग्राम पंचायतों एवं न्यायालय द्वारा की गई नामांतरण, बटवारा की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक ( 1 )	विवरण ( 2 )	नामांतरण ( 3 )	बटवारा ( 4 )
1.	ग्राम पंचायत	65485	10967
2.	राजस्व न्यायालय	247270	32330

प्रदेश में स्कूल संचालन बंद करने के प्राप्त आवेदन

24. (\*क्र. 582) डॉ. **रेणु अजीत जोशी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदेश के कितने स्कूलों का संचालन बंद करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं ? जानकारी दें ? (ख) इन स्कूलों का संचालन बंद होने से रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या कोई पहल की जा रही है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ? (ग) बंद हुए स्कूलों के विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) इन स्कूलों का संचालन बंद करने का निर्णय अशासकीय शिक्षण संस्था की समिति द्वारा लिया जाता है, विभाग का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) बंद हुए स्कूलों के विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा विद्यार्थियों को निकटस्थ शासकीय शालाओं में दाखिले की व्यवस्था दी गई है.

बिलासपुर संभाग के अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों को वेतन भुगतान

25. (\*क्र. 9) श्री **सौरभ सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर संभाग में कितने अनुदान प्राप्त स्कूल संचालित हैं ? (ख) उपरोक्त स्कूलों में कितने शिक्षकों का वेतन भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ? (ग) दिनांक 15-11-2021 की स्थिति में कितने शिक्षकों का कितना भुगतान कब से किस-किस कारण से लंबित है ? लंबित भुगतान शिक्षकों को कब तक प्राप्त होगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उपरोक्त स्कूलों में सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है. (ग) †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं.

-----

## नियम 46 ( 2 ) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

### मध्याह्न भोजन के स्थान पर सूखा राशन/राशि का वितरण

1. (क्र. 10) श्री सौरभ सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले में दिनांक 01-05-2021 से दिनांक 15-06-2021 तक किस-किस विकासखण्ड में मध्याह्न भोजन के स्थान पर कितना सूखा राशन या उसके एवज में कितनी राशि कितनी छात्राओं या उनके पालकों के खाते में स्थानांतरित की गई है ? (ख) प्रति छात्र जानकारी बतायें ? इसी अवधि में मध्याह्न भोजन के एवज में प्रति विकासखण्ड कितने छात्रों या उनके पालकों को कितना चावल/खाद्य सामग्री दिया गया है ? (ग) इस संबंध में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री ( डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ) : (क) किसी में नहीं है. (ख) भारत सरकार के निर्देशानुसार इस अवधि में केवल कुकिंग कास्ट ही दी जानी है. इस अवधि में खाद्यान्न नहीं दिया जाना है. (ग) जी नहीं. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

### पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास शंकर नगर रायपुर को मॉडल छात्रावास बनाने का प्रस्ताव

2. (क्र. 29) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावासों में कुछ को मॉडल छात्रावास के रूप में बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास शंकर नगर रायपुर को मॉडल छात्रावास के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन या प्रक्रियाधीन है ? हां तो कब तक ?

आदिम जाति विकास मंत्री ( डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ) : जी हां, यह सत्य है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर संचालित विभागीय छात्रावास/आश्रमों में से कुछ छात्रावास/आश्रमों को मॉडल छात्रावास के रूप में बनाया जा रहा है. जी नहीं, वर्तमान में पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास शंकर नगर, रायपुर को मॉडल छात्रावास के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन/प्रक्रियाधीन नहीं है, अतः समय-सीमा बताये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

### रायपुर जिला पंजीयन कार्यालय (पंजीयन एवं मुद्रांक) में रजिस्ट्री के प्राप्त आवेदन

3. (क्र. 30) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर पंजीयन कार्यालय (पंजीयन एवं मुद्रांक) में कैलेण्डर वर्ष 1-1-2021 से 15-11-2021 तक रजिस्ट्री के कितने आवेदन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदन में कितने आवेदन का निराकरण हो गया है ? कितने शेष हैं ? (ख) क्या पंजीयक (पंजीयन एवं मुद्रांक) कार्यालय में बिना पक्षकार के रजिस्ट्री की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) रजिस्ट्री में अनियमितता या गलत रजिस्ट्री करने की या रजिस्ट्री रोकने की कितनी शिकायत/आवेदन प्राप्त हुए हैं ? प्राप्त आवेदन/शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री ( श्री जयसिंह अग्रवाल ) : (क) जिला रायपुर पंजीयन कार्यालय (पंजीयन एवं मुद्रांक) के अंतर्गत 05 उप पंजीयक कार्यालय क्रमशः रायपुर /नवा रायपुर/आरंग/अभनपुर/तिल्दा-नेवरा में दिनांक 01-01-2021 से 15-11-2021 तक रजिस्ट्री के प्राप्त आवेदन निम्नानुसार हैं:-

प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	शेष आवेदन
50645	50612	33

(ख) जी नहीं. (ग) पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज में कूटरचना की 01 शिकायत प्राप्त हुई है. उक्त शिकायत विक्रेता द्वारा दस्तावेज में कूटरचना एवं पडर्यंत्रपूर्वक छेड़छाड़ के संबंध में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई है. शिकायत के आधार पर संबंधित दस्तावेज लेखक का लाईसेंस निलंबित किया गया है तथा थाना प्रभारी सिविल लाईन रायपुर को प्रकरण में आवश्यक जांच कर जांच प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया गया है.

संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के जर्जर/ अति जर्जर शालाओं की मरम्मत एवं नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति

4. (क. 79) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने शासकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल जर्जर, अति जर्जर या भवन विहीन है? (ख) विगत 03 वर्षों में कपिडका “क” के किन-किन जर्जर, अति जर्जर शालाओं के मरम्मत एवं भवनविहीन शालाओं के लिए नवीन भवन की स्वीकृति प्रदान की गई है? स्वीकृति राशि सहित वर्षवार जानकारी दें।

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

विवरण (1)	प्राथमिक (2)	पूर्व माध्यमिक (3)	हाईस्कूल (4)	हायर सेकेण्डरी (5)
जर्जर भवन	44	18	1	3
अतिजर्जर भवन	13	1	0	1
भवन विहीन	0	0	0	0

(ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 49 एवं क्र. 153 हेतु भू-अर्जन मुआवजा

5. (क. 98) **श्री प्रकाश शंकाजीत नायक** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 49 (पुराना 200) रायगढ़ से बिलासपुर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 153 (पुराना 216) रायगढ़-सारंगढ़-सरायपाली मार्ग सड़क निर्माण में रायगढ़ अनुविभाग के भू-अर्जन अधिकारी द्वारा भू-प्रभावितों के लिए किस-किस बैंक में खाता खोलकर मुआवजा प्रदान किया गया है ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 49 (पुराना 200) रायगढ़ से बिलासपुर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 153 (पुराना 216) रायगढ़-सारंगढ़-सरायपाली मार्ग सड़क निर्माण में रायगढ़ अनुविभाग के भू-अर्जन अधिकारी द्वारा भू-प्रभावितों को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर के संयुक्त खाता से प्रदाय किया गया है।

रायगढ़ जिले में छात्रावासों हेतु क्रय सामग्री

6. (क. 99) **श्री प्रकाश शंकाजीत नायक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2020-21 में छात्रावासों के लिए क्या-क्या सामग्री, किस-किस दर से किस फर्म से खरीदी की गई है? क्या कोरोना काल में भी छात्रावासों के लिए सामग्री की खरीदी की गई? यदि हां, तो विवरण दें? (ख) उपरोक्त सामग्री क्रय में छ.म. शासन के क्रय भण्डार नियम का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। जी नहीं, लॉकडाउन अवधि को छोड़कर छात्रावास संचालन की प्रत्याशा में उक्त †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित सामग्रियों का क्रय किया गया है। (ख) जी हां, भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है।

रायपुर जिले के बजट में शामिल मिडिल एवं हाई स्कूल का उन्नयन

7. (क्र. 135) श्री धनेन्द्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में रायपुर जिले में किस-किस ग्राम के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल उन्नयन करने एवं हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन करने बजट में प्रावधानित किया गया है, एवं किस-किस स्कूलों को प्रारंभ करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ? बजट में स्वीकृत इन स्कूलों की प्रशासकीय स्वीकृति कब दी जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम): जानकारी †संलग्न परिशिष्ट पर है निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं है.

बिलासपुर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में सीमांकन, नामांतरण के प्राप्त आवेदन

8. (क्र. 157) श्री शैलेश पाण्डे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 30 नवम्बर, 2021 तक बिलासपुर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र में कितने आवेदन सीमांकन, नामांतरण के प्राप्त हुए, कितने निराकृत और कितने शेष है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : अनुविभाग बिलासपुर के अंतर्गत 01 जनवरी, 2019 से 30 नवम्बर 2021 तक सीमांकन, नामांतरण के दर्ज, निराकृत एवं शेष प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

मद	दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण
सीमांकन	1733	1647	86
विवादित नामांतरण	8401	5689	2712
अविवादित नामांतरण	9237	5952	3285

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा का वितरण

9. (क्र. 237) श्री राजमन बेजाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 और 2020-21 में चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा दिया गया है ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवे ? (ख) प्रश्नांश “क” के संदर्भ में कितने हितग्राहियों को घास मद के कारण उनका वन अधिकार पट्टा निरस्त कर दिया गया है ? क्या घास मद को मद परिवर्तन कर वन अधिकार पट्टा प्रदान करने हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ? क्या घास मद को परिवर्तन कर वन अधिकार पट्टा दिये जाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दावाकर्ताओं को वर्ष 2019-20 में 153 व्यवितगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं. वर्ष 2020-21 में सामुदायिक वन अधिकार के 12 वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं. वर्षवार, विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” की संदर्भित अवधि में घास मद के कारण किसी भी हितग्राही का वन अधिकार पत्र निरस्त नहीं हुआ है. वन अधिकार अधिनियम में घास मद को मद परिवर्तन कर वन अधिकार पट्टा प्रदान करने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है. घास मद को परिवर्तन कर वन अधिकार पत्र दिये जाने के संबंध में वन अधिकार अधिनियम, 2006 में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण मद परिवर्तन कर वन अधिकार पत्र दिए जाने की प्रक्रिया प्रस्तावित करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं हेतु राज्य स्तर पर क्रय सामग्री

10. ( क्र. 284) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में शैक्षणिक संस्थाओं हेतु राज्य स्तर से क्रय सामग्री का नाम, दर राशि व प्रदायकर्ता का नाम बतावें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला कोण्डागांव में आपदा प्रबंधन मद के तहत स्वीकृत राशि

11. ( क्र. 285) **श्री संतराम नेताम** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोण्डागांव में आपदा प्रबंधन के तहत वर्ष 2020-21 से 31 अक्टूबर, 2021 की स्थिति में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) स्वीकृत राशि से कहां-कहां पर कौन-कौन से कार्य, कितनी लागत से कराये गये ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला कोण्डागांव को आपदा प्रबंधन के तहत स्वीकृत की गई राशि का विवरण विकासखण्डवार † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. (ख) स्वीकृत राशि में से कोई कार्य नहीं कराये गये है. अपितु राहत अनुदान के रूप में हितग्राहियों को भुगतान किया गया है. अतः जानकारी निरंक है.

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को सहायता

12. ( क्र. 318) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 31 अक्टूबर 2021 की स्थिति में कितने लघु/सीमांत/दीर्घ/भूमिहीन किसान हैं? (ख) राज्य राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना कब से लागू हैं? इस योजनांतर्गत कितने भूमिहीन कृषकों से को, कितनी राशि की सहायता दी गयी है? यदि सहायता नहीं दी गयी है तो कब से दी जायेगी, और इसके लिये क्या नियम-प्रक्रिया है? इस योजना की वित्तीय पोषण व्यवस्था क्या तय की गयी है ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) दसवीं कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार राज्य में लघु जोतधारकों की संख्या 8,79,477 है, सीमांतजोतधारकों की संख्या 24,34,321 है तथा अन्य (अर्द्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े) किसानों की संख्या 6,96,974 है. भूमिहीन किसानों के संबंध में जानकारी निरंक है. (ख) राज्य में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना दिनांक 01-09-2021 से प्रारंभ किया गया है. योजनांतर्गत आवेदन प्राप्त कर सत्यापन कार्य प्रक्रियाधीन होने के कारण अब तक कोई सहायता राशि नहीं दी गई है, पंजीयन का कार्य दिनांक 01-09-2021 से प्रारंभ किया गया है, अंतिम सत्यापित सूची पंजीयन प्रारंभ दिनांक से 4 माह के भीतर तैयार की जायेगी, तदोपरांत सहायता राशि दी जायेगी, इसके लिए नियम-प्रक्रिया पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 200.10 करोड़ का बजट प्रावधान है.

रायपुर जिले की शालाओं में फर्नीचर/विज्ञान सामग्री का वितरण

13. ( क्र. 333) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के स्कूलों में शिक्षा विभाग अंतर्गत फर्नीचर, विज्ञान सामग्री, इत्यादि का वितरण किस प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाता है? (ख) क्या इस प्रक्रिया में टेंडर का प्रयोग किया जाता है ? अगर हां तो वर्ष 2020-21 की सामग्री का टेंडर किस फर्म या कंपनी को दिया गया था ? क्या शासकीय नियमों के अनुरूप वितरण किया गया है? (ग) सामग्री के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो उक्त फर्म या कंपनी पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) फर्नीचर एवं विज्ञान सामग्री आवश्यकता/मांग के अनुसार वितरण किया जाता है. (ख) फर्नीचर क्रय छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) द्वारा दर अनुबंध के आधार पर पंजीकृत फर्म से किया गया तथा विज्ञान सामग्री का क्रय सीमित निविदा आमंत्रित कर किया गया. वर्ष 2020-21 में सीमित निविदा के तहत विज्ञान सामग्री का निविदा न्यूनतम दर के आधार पर मेसर्स सत्य साई इन्टरप्राइजेस बिलासपुर (छ.ग.) को दिया गया. जी हां, शासकीय नियमों व निर्देशों के अनुरूप वितरण किया गया. (ग) जी नहीं, सामग्री के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

तहसील धरसीवा, तिल्दा, खरोरा में अवैध प्लाटिंग की शिकायतों पर कार्यवाही

14. (क्र. 334) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2019-20 एवं 20-21 में तहसील धरसीवा, खरोरा एवं तिल्दा में अवैध प्लाटिंग की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? (ख) क्या इन अवैध प्लाटिंग की जांच की गई ? यदि हां तो कहां-कहां अवैध प्लाटिंग करना पाया गया है ? अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल)** : (क) जिला रायपुर के अनुविभाग रायपुर के अंतर्गत तहसील रायपुर, तिल्दा एवं खरोरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में कुल 04 अवैध प्लाटिंग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा वर्ष 2020-21 में अवैध प्लाटिंग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (ख) जी हां. परिशिष्ट में † संलग्न है.

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र की शालाओं में अध्यापन व्यवस्था

15. (क्र. 444) **श्री केशव प्रसाद चन्द्रा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के विकासखण्ड बम्हनीडीह, जैजैपुर एवं मालखरौदा में कितने प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला में दो शिक्षक हैं ? (ख) उक्त शाला में से किन-किन शाला के शिक्षक को शैक्षिक समन्वयक बनाया गया है ? (ग) शैक्षिक समन्वयक बनाये जाने पर शाला में अध्यापन का कार्य किन शिक्षक के द्वारा कराया जा रहा है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम)** : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र-“अ” में दर्शित है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र-“ब” में दर्शित है. (ग) शैक्षिक समन्वयक बनाये जाने पर शाला में अध्यापन का कार्य शाला में पदस्थ अन्य शिक्षकों के द्वारा कराया जाता है.

केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा खाद्य एवं बीज परिवहन का भुगतान

16. (क्र. 456) **श्री अरूण चोरा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा खाद्य एवं बीज परिवहन हेतु टेण्डर वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कौन-कौन से ट्रांसपोर्टर को प्रदान किया गया ? कौन-कौन से ट्रांसपोर्टर को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? जिलेवार जानकारी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम)** : प्रदेश में 05 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा 19 जिले एवं अपेक्स बैंक द्वारा 01 जिला, इस प्रकार कुल 20 जिले में खाद्य परिवहन हेतु टेण्डर आहूत कर ट्रांसपोर्टर को परिवहन कार्य प्रदान किया गया है. टेण्डर वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में जिलेवार भुगतान की गई राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों में बीज का भण्डारण सीधे छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम द्वारा किया जाता है. अतः बीज परिवहन हेतु प्रदेश के किसी भी सहकारी बैंक द्वारा टेण्डर आहूत कर ट्रांसपोर्टर अधिकृत नहीं किया गया है.

गरियाबंद जिला अंतर्गत खेलगढ़िया योजना के तहत प्राप्त एवं व्यय राशि

17. (क्र. 487) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले में खेलगढ़िया योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में राज्य शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई है ? उक्त प्राप्त राशि के विरुद्ध कितनी राशि व्यय की गई तथा क्या-क्या सामग्री क्रय की गई ? (ख) कंडिका “क” के तहत क्रय की गई सामग्रियों हेतु क्या छ.ग. शासन भण्डार तथा क्रय नियमों का पालन किया गया है ? (ग) कंडिका “ख” के तहत नहीं तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध 24-11-2021 तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम)** : (क) गरियाबंद जिले में खेलगढ़िया योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 1,28,05,000.00 (रु एक करोड़ अट्ठाईस लाख पांच हजार मात्र) की राशि प्राप्त हुई. प्राप्त राशि के विरुद्ध रु. 1,25,82,270.00 (रु एक करोड़ पच्चीस लाख बियासी हजार दो सौ सत्तर मात्र) व्यय किया गया. क्रय सामग्री की सूची †† संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) जी हां. (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल

18. ( क्र. 500) श्री किस्मत लाल नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल संचालित हैं ? उन स्कूलों में कितने शिक्षकों को अन्य स्कूलों से प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : छत्तीसगढ़ में कुल 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं. उन स्कूलों में 858 शिक्षकों को अन्य स्कूलों से प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है.

प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु साईकल वितरण

19. ( क्र. 524) श्रीमती इन्दू बंगारे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2019 से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये और स्कूली बालिका को विद्यालय पहुंचाने के लिए कितनी बालिकाओं को साईकल प्रदत्त की गयी है ? इनमें से कितनी बालिकाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्ग की हैं ? वर्गवार, जिलेवार जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : † सलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में सीमेंट उद्योगों को आबंटित भूमि

20. (क्र. 541) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में स्थापित, अल्ट्राटेक सीमेंट, न्यू विस्टा लिमिटेड, न्यूवोको सीमेंट व अंबुजा सीमेंट स्वामित्व की कुल कितनी-कितनी भूमि किस-किस ग्राम में कितने-कितने रकबा में है ? खसरा नंबर सहित रकबावार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” के तहत कुल कितनी भूमि संबंधित उद्योगों को शासन द्वारा अधिग्रहित कर दी गई है एवं कितनी-कितनी भूमि संबंधित उद्योगों द्वारा निजी रूप से खरीदी गई ? उद्योगवार जानकारी दें ? (ग) क्या प्रश्नांश “ख” के तहत उद्योगों द्वारा निजी रूप से खरीदी गई जमीनों का भुगतान किसानों को कर दिया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के तहसील तिल्दा-नेवरा में केवल अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट है, जो की ग्राम बहेसर, कुंदरू, नकटीखपरी, टण्डवा एवं तुलसी की सीमा में स्थापित है. खसरा नंबर एवं रकबा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” पर है.

क्र.	सीमेंट संयंत्र का नाम	कुल खसरा नंबर	ग्राम की संख्या	कुल रकबा (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लि., ग्राम-रावन, तह.-सिमगा	3322	16	1202.867
2.	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लि., ग्राम-हिरमी, तह.-सिमगा	2205	12	1122.540
3.	मे. न्यू. विस्टा लि., ग्राम-रिसदा, तह.-बलौदाबाजार	1835	10	567.776
4.	मे. न्यूवोको विस्टास कार्पो. लि., ग्राम-सोनाडीह तह. बलौदाबाजार	1841	10	660.933
5.	मे. अंबुजा सीमेंट लि. ग्राम-रवान, तह.- बलौदाबाजार	2358	12	701.767

ग्रामवार, खसरा नंबर सहित रकबावार भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में है.

(ख) प्रश्नांश “क” के तहत कुल 203.845 भूमि संबंधित उद्योगों को शासन द्वारा अधिग्रहित कर दी गई है एवं 4255.883 भूमि संबंधित उद्योगों द्वारा निजी रूप से खरीदी गई है. उद्योगवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र .	सीमेंट संयंत्र का नाम	निजी भूमि (हे.)	शासन द्वारा अधिग्रहित कर प्रदाय की गई भूमि
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 5 )
1.	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लि. ग्राम-रावन, तह. - सिमगा	1202.867	11.425
2.	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लि. ग्राम-हिरमी, तह.-सिमगा	1122.540	निरंक
3.	मे. न्यू. विस्टा लि. ग्राम-रिसदा, तह.-बलौदाबाजार	567.776	36.317
4.	मे. न्यूयोको विस्टास कार्पो. लि. ग्राम-सोनाडीह तह. बलौदाबाजार	660.933	निरंक
5.	मे. अंबुजा सीमेंट लि. ग्राम-रवान, तह.- बलौदाबाजार	701.767	156.103

(ग) प्रश्नांश “ख” के तहत उद्योगों द्वारा निजी रूप से खरीदी गई जमीनों का पूर्ण भुगतान पंजीकृत बैनामा निष्पादित कर किसानों को उप पंजीयक के समक्ष दिया गया है.

#### बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के तहसीलों में अवैध प्लानिंग के दर्ज प्रकरण

21. (क्र. 542) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2019-20 से नवम्बर, 2021 तक बलौदा बाजार-भाटापारा जिले की किस-किस तहसील में अवैध प्लानिंग किए जाने के कितने-कितने प्रकरण दर्ज किए गये हैं ? तथा की गई कार्यवाही का विवरण दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत निवेश क्षेत्र/तहसील में अवैध प्लानिंग के तहसीलवार दर्ज प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

जिले का नाम ( 1 )	निवेश क्षेत्र/तहसील का नाम ( 2 )	अवैध प्लानिंग के दर्ज प्रकरणों की संख्या ( 3 )
बलौदाबाजार-भाटापारा	1. बलौदाबाजार	82
	2. भाटापारा	52
	3. सिमगा	13 (3 प्रकरण हथबंद निवेश के अंतर्गत)
	4. कसडोल	24
	5. पलारी	33
	6. लवन	17
	7. भटगांव	02
	8. बिलाईगढ़	06
<b>योग</b>		<b>229</b>

उपरोक्त दर्ज प्रकरणों में तहसील बलौदाबाजार-11, तहसील भाटापारा-18 तथा तहसील सिमगा-07 अवैध प्लानिंगकर्ता के विरुद्ध मार्ग विच्छेदन की कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

जिला रायगढ़ में पावरग्रीड/गोवा तमनार विद्युत लाईन से प्रभावितों को मुआवजा

22. (क्र. 610) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत पावर ग्रीड विद्युत लाईन/गोवा तमनार विद्युत लाईन विस्तार में प्रभावित निजी भूमि एवं पेड़-पौधों का किस दर पर मुआवजा दिया जा रहा है ? मुआवजा के कितने प्रकरण लंबित है, कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ? (ख) विद्युत लाईन से प्रभावित मुआवजा में वृद्धि किये जाने हेतु शासन क्या-क्या पहल कर रही है ? (ग) मुआवजा वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 7-सात-1/2014, दिनांक 01-06-2016 के अनुसार टावर में प्रभावित भूमि का क्षतिपूर्ति राशि बाजार मूल्य का 85 प्रतिशत तथा तार में प्रभावित भूमि का बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत राशि भुगतान किया जाता है. प्रभावित भूमि में स्थित वृक्ष फलवार जैसे - आम, महुआ, इमली, प्रति वृक्ष 6000/- रुपये, जामुन, कटहल प्रति वृक्ष 2000/- रु. काजू, बादाम, प्रति वृक्ष 500/- रु. अमरूद, संतरा, नींबू, चीकू प्रति वृक्ष 500/- अन्य फलदार वृक्ष 500/-रु. बांस प्रति भीरा 1500/- रु. एवं इमारती व मिश्रित प्रजाति के खड़े वृक्षों का मुआवजा गाईड लाइन दर अनुसार दिया जा रहा है. जिला रायगढ़ में कुल 60 प्रकरणों में मुआवजा वितरण शेष है. संबंधित विभाग द्वारा शेष राशि जमा करने के उपरांत भूमिस्वामियों के खाता संबंधी विवादों के निराकरण पश्चात् उनके उपस्थित होने पर भुगतान कर दिया जाएगा. (ख) विद्युत लाईन से प्रभावित मुआवजा में वृद्धि किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है. अतः किसी प्रकार की कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है. (ग) जी नहीं.

जिला जशपुर में शाला छोड़ चुके छात्र/छात्राओं को पुनः जोड़ने हेतु संचालित योजना/कार्यक्रम

23. (क्र. 628) श्री विनय कुमार भगत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा से वंचित/छोड़ चुके छात्र/छात्राओं की जानकारी का संधारण किया जाता है ? यदि हां, तो विगत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 2021-22 में जशपुर जिले में छात्र/छात्राओं की संख्या कितनी है ? उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यक्रम/योजना संचालित है ? (ख) प्रश्नांश "क" के जशपुर जिले में उक्त अवधि में स्कूली शिक्षा से वंचित हुए/रहे कितने छात्र/छात्राओं को शिक्षा से पुनः जोड़ा गया ? (ग) प्रश्नांश "क" के कार्यक्रम/योजना हेतु कितनी राशि प्रावधानित की गई थी ? कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां . शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक जशपुर जिले में छात्र/छात्राओं की संख्या नीचे सारिणी में दर्शित अनुसार है :-

क्रमांक (1)	शैक्षणिक वर्ष (2)	छात्र (3)	छात्राएं (4)
1.	2020-21	67	44
2.	2021-22	231	126

विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा से वंचित/छोड़ चुके छात्र/छात्राओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने हेतु गैर-आवासीय / आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जाता है. (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार जानकारी नीचे सारिणी में दर्शित अनुसार है :-

क्रमांक (1)	शैक्षणिक वर्ष (2)	छात्र (3)	छात्राएं (4)
1.	2020-21	39	27
2.	2021-22	निरक	निरक

(ग) प्रश्नांश "क" अनुसार प्रावधानित राशि एवं व्यय राशि की जानकारी वर्षवार नीचे सारिणी में दर्शित अनुसार है :-

क्रमांक (1)	शैक्षणिक वर्ष (2)	प्रावधानित राशि (3)	व्यय राशि (4)
1.	2020-21	1.67 लाख	0.5635 लाख
2.	2021-22	11.10 लाख	0.00

पिथौरा एवं बसना वि.ख. के प्रा. शाला में शिक्षकों की व्यवस्था

24. (क्र. 640) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिथौरा एवं बसना वि.ख. में कितने प्रा. शाला एक शिक्षकीय है? (ख) शिक्षकों की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाई की जा रही है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) विकासखण्ड पिथौरा में 53 प्राथ. शाला एवं बसना में 54 प्राथमिक शाला एक शिक्षकीय है. (ख) विकासखण्ड पिथौरा में 02 एवं बसना में 01 सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक शिक्षक के पद स्थापना आदेश जारी किये जा चुके हैं एवं सीधी भर्ती नियुक्ति हेतु पद स्थापना कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

बसना एवं पिथौरा वि.ख. में संचालित पोस्ट मैट्रिक एवं प्री. मैट्रिक छात्रावास

25. (क्र. 641) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के बसना एवं पिथौरा वि.ख. में कितने बालक एवं बालिका पोस्ट मैट्रिक एवं प्री. मैट्रिक छात्रावास संचालित है ? (ख) कितने छात्रावासों का स्वयं का भवन है तथा कितने भवन विहीन है कृपया बतायें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क)जानकारी निम्नानुसार है :-

संचालित संस्था का प्रकार	विकास खंड बसना		विकास खंड पिथौरा		योग
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	- -	01	01	01	03
प्री मैट्रिक छात्रावास	10	08	08	05	31
<b>योग</b>	<b>10</b>	<b>09</b>	<b>09</b>	<b>06</b>	<b>34</b>

(ख) 25 छात्रावासों का स्वयं का भवन है तथा 09 छात्रावास भवन विहीन है.

मुंगेली जिला सहित स्वामी आत्मानंद स्कूल भवन का निर्माण

26. (क्र. 677) श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूल भवन का निर्माण पुराने भवन को तोड़कर किया गया है अथवा नया निर्माण किया गया है ? उक्त निर्माण हेतु क्या निविदा जारी की गई है ? यदि हां, तो निर्माण एजेन्सी कौन है यदि नहीं तो किसके द्वारा किया है ? (ख) उक्त शाला भवन के निर्माण हेतु किस मद से राशि स्वीकृत की गई है मदवार बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की शालाओं का संचालन

27. (क्र. 688) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम से सरकार द्वारा कितनी स्कूलें संचालित हैं? नवंबर 2021 तक इस पर कितनी राशि किस किस मद से, किस किस मद पर खर्च की गई है? स्कूलवार जानकारी दें? (ख) कंडिका “क” की स्कूलों के लिए क्या केन्द्र पोषित योजनाओं के धन का उपयोग किया गया है? यदि हां, तो किन किन योजनाओं से कितनी धनराशि प्रश्नावधि में खर्च की गई है और क्यों? (ग) कंडिका “क” की स्कूलों का संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है? कितने पद स्वीकृत किए गए हैं व कितने पदों पर भर्ती हुई है? श्रेणीवार जानकारी दें? क्या इसमें आरक्षण नियमों का पालन हुआ है. पदवार जानकारी दें? इनके वेतन व मानदेय किस मद से आहरित किया जा रहा है? अथवा केन्द्रीय योजनाओं से जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के 548 स्कूल संचालित हैं. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ, ब एवं स में दर्शित है. (ख) जी हां. केन्द्र पोषित योजना से 28 करोड़ 81 लाख रुपये का उपयोग फर्नीचर, भवन निर्माण/मरम्मत, अधोसंरचना, लैब सामान, पुस्तक, खेल सामग्री आदि हेतु खर्च किया गया है. (ग) 1. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का संचालन कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक विद्यालय हेतु पृथक-पृथक समिति द्वारा किया जा रहा है. इन स्कूलों में 7339 पद स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से 3495 पदों को सविदा से भरा गया है. इसमें अनारक्षित वर्ग से 2552 अ.पि.वर्ग से 344 अ.जा. वर्ग 120 से तथा अ.ज.जा. वर्ग से 489 से सविदा पर नियुक्ति की गई है. जी हां. जिसमें व्याख्याता, शिक्षक संवर्ग, सहायक शिक्षक संवर्ग एवं मृत्यु के पदों पर सविदा भर्ती के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है. इनके वेतन व मानदेय स्थापना एवं अनुदान से आहरित किया जा रहा है. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. 2. डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक विद्यालयों का संचालन डी.ए.व्ही. प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है. इन स्कूलों में प्रति विद्यालय 52 पद के मान से कुल 3744 पद स्वीकृत है. रियायती समझौते के अनुसार इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति डी.ए.व्ही. प्रबंधन द्वारा की जाती है. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है. 59 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन डी.ए. व्ही. प्रबंधन द्वारा एवं बस्तर संभाग के 13 विद्यालयों में शासकीय अनुदान द्वारा दिया जाता है. 3. शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का संचालन शासन द्वारा किया जा रहा है. इन स्कूलों में 762 पद स्वीकृत है. जिसमें से इसमें अनारक्षित वर्ग से 74 अ.पि.वर्ग से 20 अ.जा. वर्ग 12 से तथा अ.ज.जा. वर्ग से 20 से कुल 126 पदों पर नियमित नियुक्ति की गई है. जी हां. इनके वेतन व मानदेय शासन के वेतन एवं स्थापना मद से आहरित किया जाता है. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

कोरबा जिले में भूमि अर्जन का प्रस्ताव

28. (क्र. 689) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोरबा जिले में हरदीबाजार-तरदा मार्ग पर 13 गांवों के भूमि पर भूमि अर्जन का प्रस्ताव ई.ई.पी.डब्ल्यू.डी. ने प्रस्तुत किया था? यदि हां तो कब, किस कार्य हेतु कौन-कौन से गांवों की कितने खसरा व रकबा के लिये भूमि अर्जन प्रस्ताव दिया था? क्या इस प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर ने इन गांवों में कोई प्रतिबंध लगाया था, यदि हां तो कब और क्या-क्या? (ख) क्या कलेक्टर के प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद 13 गांवों में भूमि की खरीदी बिक्री नामान्तरण, बटवारे, पंजीयन, रजिस्ट्री होने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कितने गांव में, कितने प्रकारों में, शिकायत पर क्या क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या कलेक्टर कोरबा ने भी इस गंभीर अनियमितता को लेकर शासन स्तर पर कोई पत्राचार किया है, यदि हां तो कब और इस पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है.

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां. कार्य एवं ग्रामवार कुल खसरा संख्या एवं रकबा का विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर संलग्न है. इस प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर ने पत्र दिनांक 08-10-2020 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला पंजीयक कार्यालय कोरबा को लेख किया है एवं पत्र दिनांक 12-12-2020 द्वारा निजि भूमि की खरीदी-बिक्री पर रोक हेतु आदेश जारी किया है. (ख) जी नहीं. (ग) जी नहीं. कलेक्टर कोरबा द्वारा इस राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से कोई पत्राचार नहीं किया गया है.

समितियों द्वारा उपार्जित धान तथा संग्रहण केन्द्रों में शेष धान

29. (क्र. 692) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ विपणन वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मात्राएं तथा किसानों को भुगतान की गई राशियां कितनी-कितनी हैं? (ख) खरीदी केन्द्रों तथा संग्रहण केन्द्रों में उक्त वर्षों में दिनांक 20-11-2021 की स्थिति में शेष धान, कमी की मात्राएं कितनी-कितनी हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	खरीफ विपणन वर्ष	उपार्जित धान की मात्रा (लाख मे.टन में)	किसानों को भुगतान की गई राशि (करोड़ में)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1.	2018-19	80.38	14115.61
2.	2019-20	83.94	15285.46
3.	2020-21	92.02	17240.59

(ख) खरीदी केन्द्रों तथा संग्रहण केन्द्रों में दिनांक 20-11-2021 की स्थिति में शेष धान, कमी की मात्रा की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	केन्द्र	शेषधान की मात्रा	सूखत/कमी
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
2018-19	उपार्जन केन्द्र	0	3067.00
	संग्रहण केन्द्र	0	61256.84
2019-20	उपार्जन केन्द्र	0	43794.64
	संग्रहण केन्द्र	71000	संपूर्ण धान के निराकरण पश्चात् कमी की जानकारी प्राप्त हो सकेगी.
2020-21	उपार्जन केन्द्र	0	समितियों में कमी की मात्रा 176595 मे.टन है. (तीन समितियों का लेखा मिलान अपूर्ण है लेखा मिलान पश्चात् वास्तविक कमी की जानकारी ज्ञात हो सकेगी)
	संग्रहण केन्द्र	223518	संपूर्ण धान के निराकरण पश्चात् कमी की जानकारी प्राप्त हो सकेगी.

#### प्रदेश के सहकारी समितियों को कमीशन राशि का भुगतान

30. (क्र. 694) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी सहकारी समितियाँ (प्राथमिक सहकारी समिति) समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा शासन की विभिन्न योजना के अंतर्गत उपभोक्ता सामग्री (राशन आदि) वितरण का कार्य करती है ? (ख) इन समितियों को धान उपार्जन व उपभोक्ता सामग्री वितरण पर शासन द्वारा किस-किस दर कमीशन (सेवा शुल्क) प्रदान किया जाता है ? (ग) क्या इन समितियों को 2019-20 व 2020-21 में धान उपार्जन का कमीशन व उक्त अवधि का उपभोक्ता सामग्री प्रदान करने का कमीशन दे दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब-कब कितना-कितना भुगतान किया गया है ? (घ) यदि नहीं, तो लंबित होने के क्या कारण हैं तथा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) से (घ)- जानकारी एकत्रित की जा रही है.

स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती

31. (क्र. 695) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर 2018 के पश्चात् स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियमित शिक्षक व कितने अन्य कर्मचारी (क्लर्क, चपरासी व अन्य) की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है उक्त नियुक्तियां किस-किस वर्ग में कितनी-कितनी है? (ख) क्या शिक्षा विभाग के लिये 14580 पदों की भर्ती हेतु मार्च 2019 में विज्ञापन जारी किया गया था? यदि हां, तो किस-किस वर्ग के कितने-कितने पद विज्ञापित थे तथा इस विज्ञापन के आधार पर कितने लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) दिसम्बर 2018 के पश्चात् स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक और सहायक ग्रेड-03 के कुल-7192 एवं अनुकम्पा नियुक्ति से सहायक शिक्षक, सहायक ग्रेड -03 और मृत्यु के कुल- 2493 नियुक्ति आदेश जारी किया गया है. उक्त नियुक्ति आदेश सीधी भर्ती में अनारक्षित-3996, अनुसूचित जाति- 1000, अनुसूचित जनजाति - 1113 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग - 1083 है. अनुकम्पा नियुक्ति में अनारक्षित -359, अनुसूचित जाति- 473 अनुसूचित जनजाति - 954 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग - 707 हेतु जारी किये गये.(ख) जी हां. व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के लिये अनारक्षित - 5713, अनुसूचित जाति- 1548, अनुसूचित जनजाति - 5292 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग - 2027, कुल - 14580 पद विज्ञापित किये गये थे . इस विज्ञापन के आधार पर कुल -7188 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किया गया है.

राजनांदगांव में राजीव गांधी शिक्षा मिशन में खरीदी एवं व्यय की जांच

32. (क्र. 702) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि राजीव गांधी शिक्षा मिशन राजनांदगांव में खरीदी एवं व्यय के संबंध में कलेक्टर के आदेशानुसार जांच कराई गयी है ? (ख) यदि हां तो जांच कमेटी में कौन अधिकारी शामिल थे ? (ग) किस-किस विकासखण्ड की जांच पूर्ण हुई है एवं क्या अनियमितता पाई गयी है ? जांच पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारियों व दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी नहीं . राजीव गांधी शिक्षा मिशन राजनांदगांव में कलेक्टर राजनांदगांव के आदेशानुसार जांच नहीं कराई गई है.अपितु लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश पर जिला शिक्षाधिकारी राजनांदगांव द्वारा जांच कराई गयी है. (ख) जांच कमेटी में निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी शामिल थे :-

1. श्री एस. के. पाण्डे, सहायक जिला परियोजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन राजनांदगांव.
2. श्री एन.आर.कुरें, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. बालक सुईखदान जिला राजनांदगांव.
3. श्री जी.डी. वैष्णव, सहायक ग्रेड-02 शा.उ.मा.वि. बोरी, जिला राजनांदगांव.
4. श्री बंशी अम्बादे, सहायक ग्रेड-02 शा.उ.मा.वि. सांकरा, जिला राजनांदगांव.

(ग) जांच में जिला मिशन कार्यालय में वित्तीय अभिलेख अपूर्ण पाये गये तथा क्रय नियमों के पालन में अनियमितता पाई गई. विकासखण्ड मानपुर में अभिलेख अपूर्ण पाये गये. इस आधार पर श्री भूपेश कुमार साहू, जिला मिशन समन्वय राजनांदगांव को निलंबित किया गया एवं कु. जाहिदा खान, विकासखण्ड स्रोत समन्वयक मानपुर को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया .

राजनांदगांव जिले में प्राकृतिक आपदा से हुई मौतें

33. (क्र. 706) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कितने लोगों की मौतें नदी, तालाब, कुआं में डूबने एवं आगजनी तथा प्राकृतिक आपदा से हुई है ? वर्षवार, प्रकरणवार जानकारी प्रदाय करें ? (ख) प्रश्नांक “क” वर्णित कितने लोगों को शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है? कितने लोगों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है? मुआवजा राशि भुगतान नहीं करने का क्या कारण है ? प्रकरणवार, वर्षवार जानकारी प्रदाय करें ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले में प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों की प्रकरणवार तथा वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. (ख) सभी 267 प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है. मुआवजा राशि भुगतान हेतु कोई व्यक्ति शेष नहीं है अतः प्रकरणवार, वर्षवार जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है.

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में शासकीय विकास कार्यों हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

34. (क्र. 707) **श्रीमती छन्नी चन्द साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 से 2018-19 में शासकीय विकास कार्यों के लिए (सड़क, पुल-पुलिया, भवन) निर्माण हेतु कितने कृषकों की लगानी भूमि शासन द्वारा अधिग्रहण की गई ? वर्षवार, जानकारी बतावें ? (ख) क्या इन कृषकों को मुआवजा राशि प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं तो कितने प्रकरण लंबित है और कब तक भुगतान किया जायेगा?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिले की खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 से 2018-19 में शासकीय विकास कार्यों के लिए (सड़क, पुल-पुलिया, भवन) निर्माण हेतु 43 कृषकों की लगानी भूमि निम्नानुसार शासन द्वारा अधिग्रहित की गई है:-

वर्ष (1)	प्रभावित/अधिग्रहित कृषकों की संख्या (2)
2015-16	12
2016-17	08
2018-19	23
<b>योग</b>	<b>43</b>

(ख) प्रश्नांश “क” अनुसार कुल 43 कृषकों में से 39 कृषकों को मुआवजा राशि प्रदान कर दी गई है. कुल 04 कृषकों को मुआवजा भुगतान लंबित है. प्रभावित/अधिग्रहित 01 खाते में सहखातेदारों की संख्या अधिक होने तथा एक साथ पंजीयन हेतु उपस्थित नहीं हो पाने के कारण मुआवजा भुगतान लंबित है. उपस्थित होने पर तत्काल भुगतान की जावेगी. शेष 03 कृषकों के संबंध में अनिवार्य मू-अर्जन के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से मुआवजा भुगतान लंबित है. अनिवार्य मू-अर्जन अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण होने उपरांत मुआवजा भुगतान किया जावेगा.

बस्तर संभागान्तर्गत विकासखण्डों में वनाधिकार पट्टा के प्राप्त आवेदन

35. (क्र. 708) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत वर्ष 2019-20 से 24-11-2021 तक वनाधिकार पट्टा प्रदाय करने से संबंधित कितने प्रकरण/आवेदन पंजीकृत किये गये व इनमें से कितने वनाधिकार पट्टा प्रदत्त किये गये व कितने निरस्त किये गये ? कृपया वर्षवार जानकारी दें ? (ख) क्या प्रदाय किये गये वनाधिकार पट्टा व निरस्त किये गये प्रकरणों के पुनर्विचार संबंधी कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ? यदि पुनर्विचार की गई है, तो बाद की संख्यात्मक स्थिति बतावें?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की वर्षवार वांछित जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में प्रदाय किए गए वन अधिकार पत्र एवं निरस्त किए गए प्रकरणों/दावों के पुनर्विचार संबंधी जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

बस्तर संभागांतर्गत राजीव गांधी आश्रय योजनांतर्गत प्रदत्त आवासीय पट्टे

36. (क्र. 709) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी आश्रय योजना के लिए किये गये सर्वे उपरान्त कितने हितग्राही पात्र व कितने अपात्र पाये गये ? वर्ष 2018-19 से 24 -11-2021 तक वर्षवार व निकायवार जानकारी दें ? (ख) पात्र पाये गये कितने हितग्राहियों को पट्टा प्रदत्त कर दिये गये है व कितने शेष हैं? क्या इस हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित है ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 24-11-2021 तक सर्वे अनुसार जिलेवार पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की निकायवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	निकाय का नाम (3)	पात्र हितग्राहियों संख्या (4)	अपात्र हितग्राहियों की संख्या (5)
1.	कोण्डागांव	कोण्डागांव	260	471
2.	बस्तर	बस्तर	449	7813
3.	सुकमा	सुकमा	16	326
		कोण्डा	00	00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	बीजापुर	बीजापुर	149	591
		भैरमगढ़	108	79
		भोपालपट्टनम	03	02
5.	नारायणपुर	नारायणपुर	259	105
6.	उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	66	2179
		चारामा	90	816
		नरहरपुर	55	659
		भानुप्रतापपुर	03	518
		अंतागढ़	04	341
		पंखाजूर	06	957
7.	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	247	71
		गीदम	348	72
		बड़े बचे ली	139	81
		किरंदुल	96	15

(ख) पात्र पाये गये हितग्राहियों को प्रदत्त पट्टा तथा वितरण हेतु शेष प्रकरणों की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जिले का नाम	पट्टा प्रदाय हितग्राहियों की संख्या	पट्टा वितरण हेतु शेष हितग्राहियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोण्डागांव	260	निरंक
2.	बस्तर	165	284
3.	सुकमा	16	निरंक
4.	बीजापुर	150	110
5.	नारायणपुर	46	213
6.	उत्तर बस्तर कांकेर	31	193
7.	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	484	346

पट्टा वितरण हेतु समय-सीमा निर्धारित नहीं है.

#### सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकल वितरण

x|. (· | w) श्री नारायण चंदेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चाम्पा जिला एवं शैक्षणिक जिला सवती में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में दिनांक 24-11-2021 तक सरस्वती सायकल योजना के तहत कितनी छात्राओं को सायकल का वितरण किया गया है ? (ख) उक्त जिले में सायकल क्रय हेतु कितनी राशि विभाग को कब-कब प्राप्त हुई है ? कितनी राशि से कितनी सायकल का क्रय कब-कब किया गया है कितनी राशि शेष है ? (ग) किस कम्पनी की सायकल का वितरण किया गया है ? किस फर्म/एजेसी द्वारा सायकल क्रय व सप्लाई की गई है ? सायकल की अनुमानित लागत क्या है ? (घ) क्या उक्त वित्तीय वर्ष में सायकल का वितरण निर्धारित समय पर नहीं किये जाने एवं गुणवत्ता विहीन सायकल का वितरण किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस हेतु कौन दोषी है ? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी दें.

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जांजगीर-चाम्पा जिला एवं शैक्षणिक जिला सवती में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में दिनांक 24-11-2021 तक सरस्वती सायकल योजना के तहत कुल - 11243 सायकलों का वितरण किया गया है. (ख) उक्त जिले में सायकल क्रय हेतु 3,93,08,270 रुपये राशि प्राप्त हुई. 3,93,07,790.8 रु. राशि से 11,243 सायकलों का क्रय, दिनांक 12-02-2021 सवती में तथा दिनांक 06-02-2021 जांजगीर-चाम्पा में किया गया. 265 रु. राशि जांजगीर जिले में शेष है. (ग) जिला सवती में नीलम सायकल सेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन रायपुर तथा जिला जांजगीर-चाम्पा में कोहिनूर सायकल मेक्स इन्टरप्राइजेस रायपुर द्वारा सायकल सप्लाई की गई. सायकल की अनुमानित लागत रु. 3496.20 (रुपये तीन हजार चार सौ छियानबे रुपये बीस पैसे मात्र) है. (घ) जी नहीं. अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश के स्कूलों में पूरी क्षमता के साथ अध्ययन/अध्यापन प्रारंभ करने का निर्णय

38. (क्र. 717) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन स्तर से यह निर्णय लिया गया है, कि सभी स्कूलों का नियमित रूप से, पूरा छात्र संख्या/क्षमता के साथ खोला जावे ? यदि हां तो कब, क्या इसके लिए पालकों से विश्वास प्राप्त किया गया ? हां तो किस स्तर पर, ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के स्कूल खोलने के परिप्रेक्ष्य में क्या विशेष दिशा-निर्देश जारी किया गया है, हां तो क्या, कब, और नहीं तो क्यों ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ. शासन आदेश दिनांक 26-11-2021 के द्वारा पूर्ण उपस्थिति के साथ नियमित रूप से कक्षाएँ संचालित करने का निर्णय लिया गया है. छ. ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पालकों से विश्वास प्राप्त करने के संबंध में क्रमशः आदेश दिनांक 26-07-2021 एवं 01-09-2021 जारी किया गया है, जिसमें कक्षाएँ प्रारंभ करने के संबंध में उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत तथा स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा प्राप्त की जाए, एवं शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित वार्ड पार्षद एवं स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा प्राप्त की जाए. आदेश प्रति परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) जी हाँ. उत्तर “क” के अनुसार परिशिष्ट पर † संलग्न है. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश में पण्डो व कोरवा जनजाति के लोगों की संख्या

39. (क्र. 722) श्री धरमलाल कौशिक (श्री डमरुधर पूजारी) : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पण्डो व कोरवा जनजाति के लोग किन-किन जिलों में निवासरत है व इनकी अनुमानित जनसंख्या क्या है ? जिलेवार जानकारी देवे ? (ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2020 व 2021 में दिनांक 24-11-2021 तक पण्डो व कोरवा जनजाति के सदस्यों की बीमारी/कुपोषण से मृत्यु हुई है ? यदि हां तो किस-किस व्यक्ति की किन कारणों से मृत्यु हुई है ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवे ? इन व्यक्तियों के परिजनों को कितना मुआवजा दिया गया है जानकारी देवे ? (ग) क्या इनकी मृत्यु पर कोई जांच समिति बनायी गयी है ? यदि हां तो कब बनायी गयी है व जांच समिति में कौन-कौन सदस्य थे, जांच समिति के द्वारा क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में पण्डो विकास अभिकरण को कितनी-कितनी राशि कितने कार्यों हेतु दी गई है, इसमें कितनी राशि कितने कार्यों में व्यय की गई है व कितनी शेष थी, इसमें कितनी राशि केन्द्रांश व कितना राज्यांश है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

(1) पण्डो जनजाति

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	पण्डो जनजाति की अनुमानित जनसंख्या (3)
1	सरगुजा	3952
2	सूरजपुर	15938
3	बलरामपुर	11924
<b>योग</b>		<b>31814</b>

(2) कोरवा जनजाति

प्रदेश में “कोरवा” जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, कोरबा एवं रायगढ़ जिलों में निवासरत है. भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजाति की सूची के अनुक्रमांक 27 में कोरवा, कोडाकू, जनजाति अधिसूचित है. जनगणना 2011 के अनुसार इनकी सम्मिलित रूप से कुल जनसंख्या 129429 है. “कोरवा” जनजाति की पृथक से जिलेवार जनसंख्या उपलब्ध नहीं है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में पण्डो एवं कोरवा जनजाति के सदस्यों की विभिन्न बीमारियों से मृत्यु हुई है. वर्षवार, जिलेवार व मुआवजा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ”

पर है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” पर है. (घ) जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्य संख्या	व्यय राशि	शेष कार्य संख्या	शेष राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2019-20	05	50.00	04	37.50	01	12.50
2.	2020-21	07	35.00	05	27.03	02	7.97
3.	2021-22	12	50.00	01	10.00	11	40.00

पण्डो विकास अभिकरण हेतु राशि राज्य आयोजना मद अंतर्गत प्रदाय की जाती है, अतः इसमें केन्द्रांश सम्मिलित नहीं है.

#### मध्यान्ह भोजन हेतु सुखा राशन का वितरण

40. (क्र. 723) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पत्र क्र. 53 दिनांक 26-06-2021 के माध्यम से सुखा राशन में भारी भ्रष्टाचार व विधानसभा में इस विषय से सम्बंधित अलग-अलग जानकारी देने पत्र प्रेषित किया गया था ? यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है, कौन दोषी पाया गया है तथा दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ख) मध्यान्ह भोजन हेतु केन्द्र सरकार से अप्रैल 2020 से दिनांक 24-11-2021 तक कितनी राशि प्राप्त हुई है इसमें कितनी राशि किस-किस संस्था को सुखा राशन प्रदाय हेतु कब-कब दी गई है ? (ग) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन की राशि छात्रा-छात्राओं के खाते में सीधे स्थानांतरित करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या निर्देश कब दिये गए हैं ? निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें ? क्या राज्य शासन द्वारा निर्देशों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. भूमवश कुछ जिलों की आदेश की तिथि में अंतर था जो सद्भाविक त्रुटि थी. कोई दोषी नहीं है, इसलिये कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है. (ख) मध्यान्ह भोजन हेतु केन्द्र सरकार से अप्रैल 2020 से दिनांक 24-11-2021 तक राशि रु. 4,85,71,71,000/- प्राप्त हुई है. इसमें से राशि रु. 25,35,74,436/- संस्था को वितरित की गई है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ग) जी हां. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शास्त्री भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-2/2021 DESK MDM दिनांक 15-06-2021 द्वारा मध्यान्ह भोजन की राशि छात्र-छात्राओं के खाते में सीधे स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये गये हैं. (पत्र की प्रति प्रपत्र “ब” † संलग्न है) जी हां.

#### सविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अंतर्गत राशि का आबंटन एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन

41. (क्र. 734) **श्री डमरुधर पुजारी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अंतर्गत राशि के आबंटन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन के समय में राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना है ? यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र शासन से कब निर्देश प्राप्त हुए तथा राज्य शासन द्वारा कब गठन किया गया व कौन-कौन अधिकारी/प्रतिनिधि इन समितियों में शामिल है ? (ख) क्या यह सही है कि अप्रैल, 2020 के पश्चात् केन्द्र शासन को अनुच्छेद 275(1) मद के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ? यदि हां तो जिला एवं राज्य स्तर पर गठित समितियों से केन्द्र शासन के निर्देश 23 अप्रैल, 2020 के अनुसार अनुमोदन कितने कार्यों व कितने राशि का लिया गया है तथा इसके एवज में केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई है, कितनी आबंटित की गई है, कितनी व्यय हुई व कितनी शेष है ? जिलेवार/एजेसीवार जानकारी दें. (ग) यदि केन्द्र शासन के निर्देशानुसार समिति का गठन नहीं किया गया व प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया है तो किन नियमों के अनुरूप भेजा गया ? समिति गठन नहीं किये जाने हेतु दोषी कौन है व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. केन्द्र शासन के ज्ञापन दिनांक 23-04-2020 के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुए तथा राज्य शासन के आदेश दिनांक 23-09-2021 के द्वारा “जिला योजना एवं निगरानी समिति” का गठन किया गया है एवं शासन आदेश दिनांक 03-09-2015 द्वारा तत्संबंधी राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति पूर्व से ही गठित है, अतः पुनः उक्त समिति के गठन की आवश्यकता नहीं होने से गठन नहीं किया गया है, गठित समितियों में सम्मिलित अधिकारियों/प्रतिनिधियों की जानकारी † † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) जी हां. दिनांक 04-09-2021 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है. केन्द्र शासन के निर्देश 23 अप्रैल, 2020 में समितियों के गठन संबंधी निर्देशानुसार दिनांक 18-08-2021 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की आयोजित बैठक में 127 कार्यों के लिए राशि रुपये

115098.46 लाख का अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा प्रेषित प्रस्ताव के एवज में केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त नहीं हुई है. फलस्वरूप राशि का आबंटन, व्यय एवं शेष राशि की जानकारी निरंक है. (ग) प्रश्नांश “क” के उत्तर अनुसार गठित राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की अनुशांसा से ही प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा गया. प्रश्नांश “ख” के उत्तर अनुसार समितियों का गठन कर लिया गया है. समितियों का गठन किया जा चुका है अतः दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय जशपुर में भर्ती में अनियमितता पर कार्यवाही

42. (क. 739) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय, जिला जशपुर में भर्ती में अनियमितता व अन्य अनियमितता को लेकर विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध जन प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई थी ? यदि हां तो किन-किन जन प्रतिनिधियों द्वारा क्या-क्या शिकायत की गई थी और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं, कौन दोषी पाया गया व उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी नहीं. माननीय यू.डी.मिंज, संसदीय सचिव द्वारा शासन को शिकायत की गई थी. संसदीय सचिव महोदय द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सविदा भर्ती में अनियमितता की जांच एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री एस.एन.पण्डा को हटाने की शिकायत की गई थी. इस आधार पर जांच की गई जिसमें चयन सूची का अनुमोदन न होना, पात्र-अपात्र की सूची प्रकाशन में अनियमितता, साक्षात्कार में निर्धारित मापदण्ड का पालन न किया जाना, दावापत्र हेतु केवल तीन दिवस का अल्प समय दिया जाना तथा अंतिम सूची में अनियमितता पाई गई. इस आधार पर पूर्व में जारी विज्ञापन को निरस्त कर नये सिरे से विज्ञापन जारी कर सविदा नियुक्ति के आदेश कलेक्टर को दिये गये तथा जिला शिक्षा अधिकारी श्री एस.एन. पण्डा को शासन द्वारा निलंबित किया गया साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को सूचित करने का कार्य करने वाले श्री रूपेश पाणिग्रही शिक्षक एल.बी. को कलेक्टर द्वारा निलंबित किया गया.

शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति

43. (क. 742) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि शिक्षा विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में 10 प्रतिशत की बाध्यता को शिथिल करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह आदेश की कार्यवाही केवल कोविड-19 से मृत्यु हुए परिवार के लिए शिथिलता प्रदान हेतु की गई है या जितने भी प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति के लिए लंबित थे उन सभी के लिए लागू की गई है ? (ख) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय धमतरी में 31-03-2021 तक अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित थे ? 01 अप्रैल, 2021 से 30-10-2021 तक अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण विभाग को प्राप्त हुए ? (ग) प्रश्नांक “ख” के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण में कितने लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई ? कितने लंबित हैं और कितने आवेदन को अपात्र किया गया है ? अपात्र करने के कारण सहित जानकारी दें ? अनुकंपा प्राप्त करने वाले के संख्या की जानकारी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. आदेश सभी लंबित प्रकरणों पर लागू है. (ख) दिनांक 31-03-2021 तक 41 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित थे. दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 30-10-2021 तक 54 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण प्राप्त हुए हैं. (ग) प्रश्नांश “ख” के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

स. क्र.	कुल प्राप्त प्रकरण	अनुकंपा प्राप्त करने वालों की संख्या	लंबित प्रकरण	अपात्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	95	52	34	09

(आपसु संलग्न है.)

तहसील कार्यालय धमतरी अंतर्गत भूअभिलेखों की आनलाईन प्रविष्टि

44. (क्र. 743) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तहसील कार्यालय धमतरी के अंतर्गत समस्त भूअभिलेखों की आनलाईन प्रविष्टि कर ली गई है यदि नहीं, तो किन-किन क्षेत्रों की आनलाईन प्रविष्टि शेष है ? 31-10-2021 की स्थिति में बंटवारा नामांतरण, नाम त्रुटि सुधार, खसरा नं. त्रुटि सुधार एवं प्रमाणीकरण, बटांकन के कितने प्रकरण लंबित है ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : तहसील धमतरी के कुल 129 में से 126 ग्रामों की भू-अभिलेखों की आनलाईन प्रविष्टि हो चुकी है. राजस्व ग्राम बागोडार का आश्रित पारा जोगीडीह असर्वेक्षित है एवं तीन ग्राम कलारबाहरा, आडेकोन्हा एवं पहरियाकोना वन ग्राम से घोषित राजस्व ग्राम है. राजस्व सर्वेक्षण जारी होने के कारण इन वन ग्रामों के भू-अभिलेखों की आनलाईन प्रविष्टि नहीं हो पाई है. दिनांक 31-10-2021की स्थिति में लंबित प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है -

स. क्र.	प्रकरण का मद	लंबित प्रकरणों की संख्या
1.	बंटवारा	78
2.	नामांतरण (प्रमाणीकरण)	303
3.	नाम त्रुटि सुधार	70
4.	खसरा नं. त्रुटि सुधार	105
5.	बटांकन	30
	<b>योग</b>	<b>586</b>

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में शाला भवनों की स्वीकृति

45. (क्र. 747) **श्री रामकुमार यादव** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या कितनी है ? उनमें कितने स्कूल अति जर्जर, भवन विहीन व अहाता विहीन है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) विगत 3 वर्षों से 24-11-2021 तक कितने जर्जर, भवन विहीन शालाओं हेतु मरम्मत का कार्य या नवीन भवन व अहाता निर्माण की स्वीकृति हुई है ? कितनी शालाओं की स्वीकृति शेष है ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जशपुर आरा-सकरडेगा सड़क मार्ग का निर्माण एवं प्रभावितों को मुआवजा वितरण

46. (क्र. 750) **श्री विनय कुमार भगत** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जशपुर-आरा-सकरडेगा सड़क मार्ग का निर्माण हेतु कुल कितनी भूमि कितने लोगों की अधिग्रहित की गई है ? (ख) क्या प्रश्नांश "क" हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा का अवार्ड पारित कर दिया गया है ? यदि हाँ तो कितना एवं कितने लोगों को मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है एवं कितने को नहीं तथा क्यों ? शेष प्रभावितों को मुआवजा का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ? (ग) मुआवजा लंबित रहने हेतु कौन दोषी है समय पर मुआवजा का भुगतान नहीं किए जाने हेतु संबंधित पर क्या कार्यवाही की गई ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जशपुर-आरा-सकरडेगा मार्ग हेतु कुल रकबा 16.266 हेक्टेयर भूमि कुल 185 कृषकों की भूमि के अधिग्रहण की गई है. (ख) अवार्ड पारित नहीं किया गया है. (ग) भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के वाचक श्री अशोक कुमार भगत, सहायक ग्रेड-3, को प्रकरण समय-सीमा से संबंधित पीटासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 30-10-2021 के कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है.

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### भोरमदेव शक्कर कारखाने द्वारा एथेनाल उत्पादन के लिए किया गया अनुबंध

1. (क्र. 14) श्री सौरभ सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भोरमदेव शक्कर कारखाने में कितनी लागत से किस-किस कंपनी के साथ एथेनाल उत्पादन के लिये कब-कब अनुबंध किन-किन शर्तों के साथ किया गया है ? इस शक्कर मिल से कितना उत्पादन प्रतिवर्ष होगा और उत्पादन कब से चालू होगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : भोरमदेव शक्कर कारखाना परिसर में लगभग राशि रुपये 125.00 करोड़ की लागत से एन.के.जे. बॉयोप्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, नेहरू नगर, मिलाई, जिला-दुर्ग के साथ एथेनाल उत्पादन के लिये दिनांक 29-12-2020 को अनुबंध किया गया है, अनुबंध की प्रमुख शर्तें † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. शक्कर मिल द्वारा एथेनाल उत्पादन नहीं किया जावेगा, परन्तु अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा लगाये जा रहे एथेनाल प्लांट की प्रतिवर्ष अनुमानित एथेनाल उत्पादन क्षमता लगभग 22000 किलो लीटर है. उत्पादन अनुबंध दिनांक से 720 दिवस के अंतर्गत प्रारंभ किया जाना अनुबंधित है.

### सेवा सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण

2. (क्र. 20) श्री सौरभ सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 15-11-2021 तक बिलासपुर संभाग के अंतर्गत किस-किस जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है ? एवं इस कार्य हेतु किस-किस एजेंसी को किस-किस समय से कितना कितना भुगतान किया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 15-11-2021 तक बिलासपुर संभाग के किसी भी जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया है. अतएव एजेंसी को भुगतान किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

### राजधानी रायपुर में मध्याह्न भोजन का संचालन

3. (क्र. 39) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि राजधानी रायपुर में मध्याह्न भोजन योजना संचालन करने वाली स्वयं सेवी संस्था पहल का अनुबंध सत्र मार्च, 2022 तक है ? यदि हां, तो अप्रैल, 2022 से योजना संचालन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ख) क्या प्रश्नांश “क” में उल्लेखित तिथि के बाद व्यवस्था संचालन हेतु कार्य एजेंसी तय करने हेतु निविदा आमंत्रित कर ली गई है ? यदि हां, तो कब यदि, नहीं तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ. अभी पर्याप्त समय शेष है अतः कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है. (ख) जी नहीं. अभी पर्याप्त समय शेष रहने के कारण.

### प्रदेश में भूमि डायवर्सन के लंबित प्रकरण

4. (क्र. 40) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 30-01-2021 से दिनांक 15-11-2021 तक प्रदेश में भूमि डायवर्सन के कितने-कितने प्रकरण, किन-किन जिलों में लंबित हैं ? (ख) लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कार्य योजना है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) दिनांक 30-01-2021 से दिनांक 15-11-2021 तक प्रदेश में भूमि डायवर्सन के लंबित प्रकरणों की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	लंबित प्रकरणों की संख्या (3)
1.	रायपुर	537

(1)	(2)	(3)
2.	महासमुंद	177
3.	बलौदाबाजार-माटापारा	278
4.	गरियाबंद	40
5.	धमतरी	28
6.	दुर्ग	1025
7.	राजनांदगांव	99
8.	कबीरधाम	56
9.	बेमेतरा	178
10.	बालोद	156
11.	बिलासपुर	414
12.	कोरबा	07
13.	रायगढ़	241
14.	मुंगेली	106
15.	गौरेला-पेण्डुरा-मरवाही	04
16.	जांजगीर-चांपा	38
17.	कोण्डागांव	27
18.	कांकेर	29
19.	बस्तर	65
20.	सुकमा	21
21.	बीजापुर	36
22.	नारायणपुर	06
23.	दन्तेवाड़ा	12
24.	सूरजपुर	92
25.	सरगुजा	131
26.	बलरामपुर-रामानुजगंज	29
27.	जशपुर	76
28.	कोरिया	115

(ख) लंबित प्रकरणों को छ. ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के तहत बने नियम तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 में 30 कार्य दिवस में निराकरण करने की कार्ययोजना है।

#### सहायक शिक्षक/शिक्षक/प्रधान पाठक के स्वीकृत/रिक्त पद

5. (क्र. 88) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं प्रधानपाठक के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संख्या कितनी-कितनी है ? जिलेवार जानकारी दें। (ख) कपड़का “क” के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्ययोजना है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार पदों की पूर्ति की जाती है।

#### जिला बालोद में शालाओं का उन्नयन

6. (क्र. 89) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिला अंतर्गत कौन-कौन से शासकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाएँ उन्नयन की पात्रता रखते हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) बालोद जिला अंतर्गत विगत 03 वर्षों में विभाग को शालाओं के उन्नयन हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा किन-किन शालाओं का उन्नयन किया गया ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें।

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. वर्ष 2019-20 में विकासखण्ड बालोद के शासकीय हाई स्कूल हरठेमा का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किया गया.

रायगढ़ जिले में धान खरीदी

7. (क्र. 108) **श्री प्रकाश शंकराजीत नायक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2020-21 में खरीदे गई धान में से कुल कितने विंटल धान खराब पायी गयी ? खरीदी केंद्रवार जानकारी देवें. (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार, विभाग द्वारा कुल कितने विंटल धान का निराकरण किया गया ? (ग) खराब धान भेजने वाले कुल कितने समिति प्रबंधकों पर कार्यवाही की गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2020-21 में धान खराब नहीं हुआ है अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार धान खराब नहीं होने से प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ग) रायगढ़ जिले में धान खराब नहीं होने से समिति प्रबंधकों का कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

रायगढ़ जिले में नामांकन, सीमांकन व बंटवारा के लंबित प्रकरण

8. (क्र. 109) **श्री प्रकाश शंकराजीत नायक** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में नामांकन, सीमांकन व बंटवारा के कितने प्रकरण 23-11-2021 तक की स्थिति में लंबित हैं ? (ख) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जावेगा ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले में नामांतरण, सीमांकन व बंटवारा के प्रकरण 23-11-2021 तक की स्थिति में लंबित है, जो निम्नानुसार है:-

तहसील का नाम	नामांतरण	सीमांकन	बंटवारा
रायगढ़	713	239	76
पुसौर	103	121	79
खरसिया	220	9	88
सारंगढ़	301	39	106
बरमकेला	10	6	14
घरघोड़ा	257	53	39
तमनार	186	7	56
लैलूंगा	79	30	50
धरमजयगढ़	333	90	61
<b>योग</b>	<b>2202</b>	<b>594</b>	<b>569</b>

(ख) लंबित प्रकरणों का निराकरण 6 माह के भीतर कर लिया जावेगा.

रायपुर जिले के ग्राम उरला में स्थित शंकर पार्वती मंदिर के जमीन की बिक्री की शिकायत पर कार्यवाही

9. (क्र. 144) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि, रायपुर जिले के ग्राम उरला स्थित शंकर पार्वती मंदिर के भूमि स्वामी हक की जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम पर दर्ज कराये जाने एवं उनके द्वारा बिक्री किये जाने या शासन से मुआवजा प्राप्त किये जाने की हेरा फेरी किये जाने की शिकायत राजस्व मंत्री, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी से की गई है ? यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? नहीं तो कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : रायपुर जिले की तहसील अभनपुर के ग्राम उरला स्थित भूमि खसरा नंबर 848/1, 843/3 भूमि जिसे 9/8/1943 को शंकर पार्वती मंदिर को दान में दी गई भूमि के संबंध में प्राप्त शिकायत की विधिवत जांच की जा रही है. कुंदन बघेल पिता श्यामलाल बघेल को मुआवजा राशि का भुगतान रोक दिया गया है. जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

बिलासपुर जिले अन्तर्गत विवादित भूमि के दर्ज प्रकरण

10. (क्र. 167) श्री शैलेश पाण्डे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 30 नवम्बर, 2021 के बीच विवादित भूमि के कितने मामले बिलासपुर जिले अंतर्गत दर्ज हुए और उनके निराकरण हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 30 नवम्बर, 2021 के बीच बिलासपुर जिले में विवादित भूमि के कुल 19901 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 14299 प्रकरणों का निराकरण किया गया है.

राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि

11. (क्र. 193) श्री चक्रधर सिंह सिदार : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिले के लैलूगा एवं तमनार विकासखण्ड में वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत कुल कितनी राशि किस-किस मद में कब-कब आबंटित की गयी है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : प्रपत्र “अ” एवं “ब” पर † संलग्न है.

कोरिया जिले में मूल पदस्थापना से अन्यत्र कार्यरत शिक्षक

12. (क्र. 204) डॉ. विनय जायसवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरिया जिले में कौन-कौन से शिक्षक मूल पदस्थापना से अन्यत्र कार्य कर रहे हैं उनका मूल पदस्थापना, वर्तमान में कार्यरत संस्था/कार्यालय, वर्तमान में मूल पदस्थापना वाली संस्था में कार्यरत शिक्षकों की संख्या बतावे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

कोरिया जिला अंतर्गत आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत कार्यों की स्थिति

13. (क्र. 205) डॉ. विनय जायसवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरिया जिला अंतर्गत 2019 से 24-11-21 तक आपदा प्रबंधन मद (राज्य आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण निधि एवं राज्य आपदा मोचन निधि) से कितने-कितने लागत के किन-किन निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है ? उन निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रश्नाधीन अवधि में कोरिया जिले को आपदा प्रबंधन मद (राज्य आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण निधि एवं राज्य आपदा मोचन निधि) से निर्माण कार्य हेतु कोई राशि आबंटित नहीं की गई है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

रायपुर के बैजनाथपारा स्थित ब्लाक नंबर 98 प्लॉट नं. 1/2 व 1/3 भूमि की लीज

14. (क्र. 223) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर के बैजनाथपारा लकड़गंज मौलाना अब्दुल रउफ़ वार्ड, शहीद स्मारक भवन के सामने, जी ई रोड स्थित ब्लॉक नंबर 98 प्लॉट नंबर 1/2 रकबा 8925 वर्गफुट और प्लॉट नंबर 1/3 रकबा 18750 वर्गफुट शासकीय नजूल भूमि को किसे और कब लीज पर दिया गया था ? उक्त लीज होल्डर के नाम से बैनामा कब बनाया गया ? (ख) क्या उक्त बैनामों में इस भूमि के मूल लीज होल्डर के दस्तखत थे ? (ग) क्या शासन के संज्ञान में यह विषय आया है कि उपरोक्त दो भूमि के बैनामों में 2 अलग-अलग व्यक्तियों के दस्तखत हैं जिससे यह जाहिर होता है कि उक्त बैनामों को कूटरचित था ? क्या यह पाया गया है कि उक्त बैनामों में दाहिने हाथ के लेखक के हस्ताक्षर हैं जबकि मूल लीज होल्डर बाएं हाथ के लेखक हैं ? (घ) क्या मई 2019 में गृहमंत्री ने रायपुर कलेक्टर को इस मामले की त्वरित जांच के आदेश दिए थे ? जांच का नतीजा क्या निकला और इस मामले में दोषी व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) वर्तमान नजूल संधारण खसरा के ब्लाक नंबर 98 प्लाट नंबर 1/2 रकबा 8925 वर्गफीट भूमि फरिश्ता इन्टरप्राइजेस रायपुर के नाम पर दर्ज है, जिसकी अवधि 31 मार्च, 2022 तक है तथा प्लाट नंबर 1/3 रकबा 18750 वर्गफीट रायपुर ट्रान्सपोर्ट मोटर कंपनी लिमिटेड रायपुर के नाम पर दर्ज है, जिसके पट्टे की अवधि 31 मार्च, 2008 तक उल्लेखित है। नजूल संधारण खसरा वर्ष 1945-46 में लकड़गंज ब्लाक नंबर 98 प्लाट नंबर 1 रकबा 59960 वर्गफीट भूमि मि. सैय्यद वकील अहमद सी.बी.ई. वकील वल्द सैय्यद सादिक अली मुसलमान के नाम पर दर्ज है, जिसे पर पट्टा अवधि 31-03-1950 उल्लेखित है प्लाट नंबर 1 का टुकड़ा (1/2) रकबा 8925 वर्गफीट भूमि का पंजीयन विलेख दिनांक 19-03-1955 में विक्रय करने वाले का नाम सैय्यद वकील अहमद रिजवी एडवोकेट तथा खरीददार का नाम दन्तेश्वरी ट्रान्सपोर्ट कंपनी मौदहापारा रायपुर पार्टनर्स वली मोहम्मद वल्द नूर मोहम्मद खीजा मुसलमान, नवलशंकर दुबे वल्द जय शंकर दुबे का नाम उल्लेखित है, जो कि वर्ष 2006-07 के नजूल संधारण खसरा तक दर्ज रहा है तथा 2007-08 में फरिश्ता इन्टरप्राइजेस रायपुर के नाम पर दर्ज हुआ है। इसी प्रकार प्लाट नंबर 1 का टुकड़ा (1/3) रकबा 18750 वर्गफीट के पंजीयन विलेख दिनांक 19-01-1955 अनुसार विक्रेता सैय्यद वकील अहमद रिजवी तथा क्रेता फर्म रायपुर, ट्रान्सपोर्ट मोटर कंपनी लिमिटेड रायपुर मौदहापारा तहसील व जिला रायपुर उल्लेखित है, जो वर्तमान में फर्म रायपुर ट्रान्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड रायपुर नैनजिंग डायरेक्टर मोहनलाल व्यास के नाम पर दर्ज है। (ख) उक्त बैनामा क्रमशः दिनांक 19-03-1955 एवं 19-01-1955 निष्पादित हुआ है, जिसमें विक्रेता का नाम अंकित है तथा हस्ताक्षर अस्पष्ट है। (ग) शिकायतकर्ता सैय्यद इकबाल अहमद रिजवी के द्वारा इस बावत शिकायत की गई है कि उपरोक्त दो बैनामों में दो अलग-अलग व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, जो कूटरचित है। (घ) जी हॉ. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज 30 वर्षों से अधिक पुराना होने के कारण जिला स्तर पर जांच योग्य नहीं होने की सूचना दिनांक 9-11-2021 द्वारा शिकायतकर्ता एवं शासन को दी गई है।

केशकाल विधान सभा क्षेत्र के अहाता विहीन छात्रावास/आश्रमों में अहाता का निर्माण

15. (क्र. 274) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने छात्रावास/आश्रम अहाता विहीन है ? (ख) अहाता विहीन छात्रावास/आश्रम का अहाता निर्माण कार्य कब स्वीकृत किया जायेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) केशकाल विधान क्षेत्र अंतर्गत 18 छात्रावास एवं 06 आश्रम अहाता विहीन है। (ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला कोन्डागांव में शिक्षा विभाग को जिला खनिज न्यास मद से प्रदत्त राशि

16. (क्र. 275) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोन्डागांव में जिला खनिज न्यास मद से शिक्षा विभाग को 01 अप्रैल, 2020 से 31 अक्टूबर, 2021 तक कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) उपरोक्त राशि से क्या-क्या कार्य किस-किस एजेंसी द्वारा कितनी-कितनी लागत से कराये गये हैं ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला कोण्डागांव में जिला खनिज न्यास मद से शिक्षा विभाग को 01 अप्रैल, 2020 से 31 अक्टूबर, 2021 तक 1 करोड़ 66 लाख 04 हजार 80 रुपये प्राप्त हुई। (ख) जानकारी निम्नानुसार है :-

स. क्र.	एजेंसी का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि
1.	-	ट्यूटर के मानदेय भुगतान	11770000.00
2.	डेकोरा स्टील इन्डस्ट्रीज, रायपुर	कार्यालय फर्नीचर एवं विद्यार्थी फर्नीचर क्रय	4252183.00
3.	अगरचंद सोहनलाल वल्लोथ मर्चेन्ट, रायपुर	पी. व्ही. सी. एवं कारपेट	297441.00
4.	सरगम म्यूजिक, रायपुर	वाद्ययंत्र क्रय	37365.00
5.	एस. पी. डिस्ट्रिब्यूटर, रायपुर	क्रीडा सामग्री क्रय	71500.00
6.	आदर्श साइस्टिफिक एण्ड स्पोर्ट्स, रायपुर	लैब उपकरण क्रय	89600.00
7.	चौहान जनरल स्टोर्स, रायपुर	क्रीडा सामग्री क्रय	85991.00
<b>योग</b>			<b>16604080.00</b>

वन मंडल मुंगेली में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पट्टा का वितरण

17. (क्र. 303) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन मंडल मुंगेली के क्षेत्र में लोरमी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पट्टा वितरित किए गए कितने प्रकरण लंबित है तथा क्यों ? (ख) लंबित/शेष प्रकरणों में हितग्राहियों को कब तक पट्टा वितरण किया जाएगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वन मंडल मुंगेली के क्षेत्र में लोरमी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत 1865 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 97 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं. लंबित प्रकरणों की संख्या निरंक है. (ख) कोई भी प्रकरण निराकरण हेतु लंबित/शेष नहीं है.

प्रदेश में महतारी दुलार योजना के तहत व्यय राशि

18. (क्र. 323) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में महतारी दुलारी योजना कब से संचालित है ? तथा इसकी वित्तीय पोषण व्यवस्था कैसे की जा रही है ? 31 अक्टूबर, 2021 की स्थिति में कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? (ख) दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 की स्थिति में कितने बच्चों लाभान्वित हुये हैं ? और उनको क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है ? जिलावार बतावें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में महतारी दुलार योजना दिनांक 22 मई 2021 से संचालित है. इसकी वित्तीय पोषण व्यवस्था “मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण” से की जा रही है. 31 अक्टूबर, 2021 की स्थिति में राशि रु. 19,000/- (अक्षरी उन्नीस हजार रु. मात्र) व्यय की जा चुकी है. (ख) दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 की स्थिति में 15 बच्चों छात्रवृत्ति से लाभान्वित हुए हैं एवं 512 बच्चे “स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल” में प्रवेशित कराये गये हैं. परिशिष्ट में † संलग्न है.

प्रदेश में शिक्षक भर्ती की स्थिति

19. (क्र. 324) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 14,580 पदों पर व्याख्याता/शिक्षक/सहायक शिक्षक की भर्ती अंतर्गत 31 अक्टूबर, 2021 की स्थिति में कौन-कौन से पदों पर कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति आदेश जारी की जा चुकी है और कितने, किन-किन पद की नियुक्तियां शेष है ? और इसके क्या-क्या कारण हैं कब तक कर दी जायेगी ? (ख) उक्त भर्ती अंतर्गत क्या-क्या अनियमितता, किनके द्वारा पायी गयी है, और दोषी के ऊपर क्या कार्यवाही अब तक की गयी है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) सहायक शिक्षक सीधी भर्ती में जिला राजनांदगांव से अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है. इसकी जांच की कार्यवाही प्रचलन में है.

खरोरा तहसील अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट हेतु अधिग्रहित भूमि

20. (क्र. 339) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा** : क्या जिला राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर के खरोरा तहसील क्षेत्रांतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट के माईनिंग हेतु क्षेत्र के किन-किन अनुसूचित जन जाति के कृषकों की भूमि तथा कितनी शासकीय भूमि खरीदी या अधिग्रहित की गयी है ? (ख) उक्त भूमि के विक्रय की अनुमति या शासकीय भूमि का अधिग्रहण किन शर्तों के साथ कलेक्टर द्वारा प्रदान किया गया है ? (ग) क्या शर्तों के उल्लंघन की शिकायत शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किनकी-किनकी तथा शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) तहसील खरोरा जिला रायपुर छ. ग. में स्थित भूमि जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा चूना पत्थर खनन हेतु छ. ग. शासन की ई आवशन के माध्यम से स्वीकृत खनि पट्टा क्षेत्रांतर्गत 108.335 हे. लीज में स्वीकृत किया गया है. उक्त स्वीकृत खनिपट्टा एरिया में किसी अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषक की भूमि स्थित नहीं है और न ही शासन से पट्टे से प्राप्त सिलिंग भूधारी कृषकों की भूमि है. (ख) स्वीकृत खनि पट्टा एरिया में अनुचित जनजाति वर्ग के कृषक की भूमि नहीं होने से विक्रय की अनुमति देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है. स्वीकृत खनि पट्टा एरिया में स्थित शासकीय भूमि की मांग नियमानुसार शासन से भूमि तबादला के माध्यम से जिला कार्यालय रायपुर में आवेदन किया गया है. (ग) जी नहीं. प्रश्न उत्पन्न नहीं होता.

रायपुर जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों में सामग्री क्रय हेतु स्वीकृत राशि

21. (क्र. 340) **श्रीमती अनिता योनेन्द्र शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में सामग्री क्रय हेतु कितनी राशि स्वीकृति की गई है ? (ख) उक्त छात्रावास/आश्रमों में कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी सामग्री किस-किस फर्म/संस्था से क्रय की गई ? संबंधित सप्लायकर्ता फर्म को कुल कितना-कितना भुगतान किया गया ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) रायपुर जिले में संचालित छात्रावास/आश्रम के लिये वर्ष 2019-20 में राशि रु. 83.23 लाख एवं वर्ष 2020-21 में राशि रु. 83.99 लाख सामग्री क्रय हेतु स्वीकृत की गई है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिलौनी में निर्माणाधीन शाला भवन की पूर्णतावधि

22. (क्र. 370) **श्रीमती इन्दू बजारे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिलौनी में अधूरे निर्माणाधीन हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का निर्माण कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं है.

स्कूल शिक्षा विभाग में एम.आई.एस. प्रशासक के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद

23. (क्र. 432) **श्री विनय कुमार भगत** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ताराकित प्रश्न संख्या-1 (क्र.-51) दिनांक 08 मार्च, 2021 में चर्चा के दौरान क्या मान. मंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि राजपत्र में प्रावधानित अनुसार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स को एम.आई.एस. प्रशासक पद पर पदोन्नति शीघ्र कर, उक्त कार्य में संलग्न शिक्षकों को मुक्त कर, उनके मूल कार्य में संलग्न कर दिया जावेगा ? (ख) यदि हाँ तो विगत प्रश्न दिनांक से दिनांक 22 नवम्बर 2021 की स्थिति में कितने रिक्त पदों पर एम.आई.एस. प्रशासक के पदों पर पदोन्नति कर दी गई एवं कितने पद वर्तमान में रिक्त है ? यदि नहीं की गई है तो क्यों कब तक की जावेगी एवं विलंब हेतु कौन दोषी है एवं संबंधित पर क्या कार्यवाही की गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ. (ख) कोई पदोन्नति नहीं की गई है. वर्तमान में 25 पद रिक्त है. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. पदोन्नति एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

वि. ख. जैजैपुर, मालखरौदा एवं मालखरौदा के स्कूलों में पदस्थ शिक्षक

24. (क्र. 449) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड जैजैपुर, मालखरौदा एवं बम्हनीडीह के प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के कितने शिक्षकों को मूल शाला से अन्यत्र व्यवस्था में पदस्थ किया गया है, स्कूलवार बतायें ? (ख) अध्यापन व्यवस्था में पदस्थ किये शिक्षकों में से कितने शिक्षकों को उनके मूल शाला में वापस किया गया है, शेष शिक्षकों को उनके मूल शाला में कब तक वापस किया जायेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) विकासखण्ड जैजैपुर, मालखरौदा एवं बम्हनीडीह के प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के मूल शाला से अन्यत्र व्यवस्था में पदस्थ शिक्षकों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) अध्यापन व्यवस्था में पदस्थ किए गए शिक्षकों को उनके मूल शाला में वापस नहीं किया गया है. निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं है.

विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में बेमौसम बारिश से फसल क्षति का मुआवजा

25. (क्र. 450) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 13 नवम्बर, 2021 एवं दिनांक 14 नवम्बर, 2021 को बेमौसम बारिश से हुए धान फसल क्षति का राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कितना प्रतिशत क्षति आंकलन किया गया है ? (ख) फसल क्षति हुये किसानों को 6/4 के तहत प्रकरण बनाने का शासन की क्या योजना है, किसानों को फसल क्षति का मुआवजा

कब तक प्राप्त होगा ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जांजगीर चांपा जिले के विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में बेमौसम बारिश से 351 कृषकों के 33 प्रतिशत से अधिक धान फसल क्षति होने का आकलन किया गया है. (ख) प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति 33 प्रतिशत से अधिक होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत अनुदान सहायता देने का प्रावधान है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में संचालित देहली पब्लिक स्कूल

26. (क्र. 461) **श्री अरूण चोरा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कुल कितने स्थानों में देहली पब्लिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है ? क्या उक्त स्कूल को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ? (ख) यदि हां, तो वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितनी राशि अनुदान में दी गई है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) 13 स्थानों पर. जी नहीं. (ख) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम की शालाएँ

27. (क्र. 462) **श्री अरूण चोरा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम की वर्ष 2020-21 में कितनी शाला प्रारंभ की गई ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) दुर्ग जिले में इन शालाओं की कितनी संख्या है ? नाम स्थान सहित जानकारी दें ? क्या शिक्षकों व प्राचार्यों की नियुक्ति की गई है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. शिक्षकों व प्राचार्य की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

राज्य में अर्न्तसंभागीय खेल प्रतियोगिता आयोजन

28. (क्र. 492) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-2022 में राज्य में अर्न्तसंभागीय खेल प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित की गई है ? (ख) कंडिका “क” के प्रतियोगिता के लिए गरियाबंद जिले के कितने बच्चों का चयन किया गया था ? चयनित बच्चों का ब्यौरा दें ? (ग) क्या ये सही है कि कंडिका “ख” के बच्चे अर्न्तसंभागीय खेल प्रतियोगिता में शामिल होने से वंचित रह गए ? हां तो क्यों ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? नहीं तो क्यों ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) कंडिका “ख” के एक खिलाड़ी सरल क्रमांक 09 की छात्रा कु. ओमेश्वरी की तबीयत खराब होने के कारण बालोद में आयोजित अर्न्तसंभागीय खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकी. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

गरियाबंद जिले को आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत राशि

29. (क्र. 493) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले को विगत 03 वर्ष में आपदा प्रबंधन के तहत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि तथा राज्य आपदा मोचन निधि मद से कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) कंडिका “क” के तहत प्राप्त राशि के विरुद्ध अनुमोदित कार्य योजना में से कितने कार्य स्वीकृत किये गए ? (ग) कंडिका “ख” के तहत स्वीकृत कार्यों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ? शेष राशि बतावें ? कितने कार्य पूर्ण किये गए ? शेष कार्यों की प्रगति क्या है ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) गरियाबंद जिले को विगत 03 वर्ष में आपदा प्रबंधन के तहत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से कोई राशि आबंटित नहीं की गई है. राज्य आपदा मोचन निधि से कुल 15,06,08,500.00 रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ है. (ख) उक्त राशि से कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है. अपितु राहत अनुदान के रूप में हितग्राहियों को भुगतान किया गया है. (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

दंतेवाड़ा में संचालित आश्रम शालाएँ

30. (क्र. 514) **श्रीमती देवती कर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दंतेवाड़ा जिले में कितनी आश्रम शालाएँ संचालित हैं ? इनमें से कितनी केवल बालकों के लिए व कितनी बालिकाओं के लिए हैं ? कितनी दोनों के लिए संयुक्त हैं ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : दंतेवाड़ा जिले में कुल 70 आश्रम शालाएँ संचालित हैं, इनमें से 50 आश्रम बालकों के लिए एवं 20 आश्रम बालिकाओं के लिए संचालित हैं. जिले में बालक एवं बालिकाओं के लिए संयुक्त आश्रम संचालित नहीं हैं.

दंतेवाड़ा जिले में आपदा के तहत स्वीकृति राशि

31. (क्र. 515) **श्रीमती देवती कर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दंतेवाड़ा जिले में वर्ष 2019, 2020 तथा 2021 में किन-किन आपदाओं के लिए किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई/दी गई ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रश्नाधीन अवधि में दंतेवाड़ा जिले को विभिन्न आपदाओं के लिये स्वीकृत की गई/दी गई राशि का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है.

राजनांदगांव जिला अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु अधिग्रहित भूमि

32. (क्र. 520) **श्री मुनेश्वर शोभाराम बघेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत पटेवा, ईरईकला, ईरईखुर्द, रंगकटेरा एवं आस-पास के ग्रामों में नवीन उद्योग स्थापना हेतु भू-अर्जन के तहत कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है ? (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार अर्जित भूमि की मदवार, कृषकवार, रकबा एवं मुआवजा राशि की जानकारी प्रदान करें ? (ग) प्रश्नांक “क” अनुसार अर्जित भूमि वर्तमान में किस नाम से/मद में दर्ज हैं एवं किस उद्योग की स्थापना हेतु प्रस्तावित हैं ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत ग्राम पटेवा, ईरईकला, ईरईखुर्द, रंगकटेरा एवं आस-पास के ग्राम बिजेतला में नवीन उद्योग स्थापना हेतु कुल 213.197 हे. शासकीय भूमि उद्योग विभाग के नाम पर अंतरित हुई है एवं भू-अर्जन के तहत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 अंतर्गत 84.759 हे. निजी भूमि का अर्जन हुआ है. विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में है. (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार ग्राम बिजेतला एवं पटेवा की निजी भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु कुल 392 कृषकों की 84.759 हे. भूमि, मुआवजा राशि रु. 23,28,50,289/- का भुगतान कर अर्जित/क्रय किया गया है. विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में है. (ग) प्रश्नांक “क” अनुसार अर्जित भूमि उद्योग विभाग (छ. ग. शासन) के नाम पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु दर्ज है.

जांजगीर-चांपा जिला में मूल पदस्थापना शाला से अन्यत्र कार्यरत शिक्षक

33. (क्र. 527) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिला में कितने शिक्षक-शिक्षिका अपने मूल पदस्थापना शाला से अन्यत्र स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? संलग्नीकरण का कारण सहित ब्लॉकवार जानकारी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

प्रदेश में निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति

34. (क्र. 528) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्थायी रूप से निवास कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग की ऐसी कितनी जातियाँ हैं जिसका नाम राज्य एवं केन्द्र सरकार की संबंधित सूची दोनों में है. (ख) प्रदेश के उपरोक्त वर्ग की ऐसी कितनी जातियाँ हैं जिसका नाम राज्य सरकार की सूची में तो शामिल है, परन्तु केन्द्र सरकार की सूची में शामिल नहीं है ? जिसके कारण उन्हें केन्द्र का सेवाओं में आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है ? (ग) केन्द्र सरकार की सूची में छूट गये उपरोक्त वर्गों के जातियों का नाम शामिल कराने हेतु राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है ? तथा यह कब तक जुड़ जायेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में स्थायी रूप से निवास कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग की 230, अनुसूचित जाति वर्ग की 108 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग की 149 ऐसी जातियां हैं जिसका नाम राज्य एवं केन्द्र सरकार की संबंधित सूची दोनों में है. (ख) प्रदेश के केवल अन्य पिछड़ा वर्ग की ऐसी 203 जातियां/उपजाति हैं, जिसका नाम राज्य सरकार की सूची में तो शामिल है परन्तु केन्द्र सरकार की सूची में शामिल नहीं है. जिसके कारण उन्हें केन्द्र का सेवाओं में आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. (ग) प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित समस्त जातियों को केन्द्रीय सूची में समावेशन करने हेतु प्रस्ताव विभाग के पत्र दिनांक 17-05-2017 द्वारा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजा गया है. साथ ही समय-समय पर विभाग के पत्र दिनांक 24-07-2019 एवं पत्र दिनांक 05-09-2019 द्वारा भारत सरकार को स्मरण भी कराया गया है. केन्द्रीय सूची में जोड़ने की कार्यवाही भारत सरकार से संबंधित है.

#### बलौदा बाजार-माटापारा जिले में कार्यरत अतिथि शिक्षक

35. (क्र. 547) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलौदा बाजार-माटापारा जिला अंतर्गत कुल कितने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ? इन अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण हेतु शासन की क्या योजना है ? क्या अतिथि शिक्षकों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बलौदाबाजार-माटापारा जिले में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है, अपितु 56 शिक्षक मानदेय पर रखे गये थे, इनमें से वर्तमान में 49 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा 07 अतिथि शिक्षकों द्वारा त्यागपत्र दिया है. अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण का प्रावधान नहीं है. अतिथि शिक्षकों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है.

#### बलौदाबाजार-माटापारा जिले में राजस्व के दर्ज प्रकरणों का निराकरण

36. (क्र. 548) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 में बलौदा बाजार-माटापारा जिले में बंदोबस्त त्रुटि सुधार, नामांतरण फौती, नकल एवं सीमांकन हेतु किस-किस तहसील में कितने-कितने प्रकरण दर्ज हुए एवं निराकरण किये गए तथा वर्तमान में लंबित प्रकरण की तहसीलवार अलग-अलग जानकारी दें ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 में बलौदाबाजार-माटापारा जिले में बंदोबस्त त्रुटि सुधार, नामांतरण फौती, नकल एवं सीमांकन हेतु दर्ज प्रकरण एवं निराकरण तथा वर्तमान में लंबित प्रकरण की तहसीलवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

#### अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाएँ

37. (क्र. 605) **श्री अनूप नाम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कितनी शालाएँ एकल शिक्षकीय व शिक्षकविहीन हैं ? शालावार/खण्डवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार शिक्षक विहीन शालाओं में छात्र/छात्राओं के अध्यापन हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? उक्त शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति कब तक की जावेगी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में एकल शिक्षकीय व शिक्षकविहीन शालाओं की शालावार/खण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विधान सभा क्षेत्र	विकासखण्ड	एकल शिक्षकीय शाला				शिक्षक विहीन शाला			
			हायर सेकेण्डरी	हाईस्कूल	मा. शा.	प्रा. शा.	हायर सेकेण्डरी	हाईस्कूल	मा. शा.	प्रा. शा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	अंतागढ़	अंतागढ़	0	1	4	60	0	0	1	1
		कोयली बेड़ा	0	1	45	142	0	0	4	3
		<b>योग</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

(ख) एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कलेक्टर द्वारा डी. एम. एफ. मद से तथा हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में अध्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. शिक्षकों की भर्ती पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन है. निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं है.

जिला कांकेर में आपदा प्रबंधन के तहत आबंटित राशि

38. (क्र. 606) श्री अनूप नाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आपदा प्रबंधन मद से जिला कांकेर को 01 जनवरी, 2019 से 31 नवम्बर, 2021 तक कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई है ? कृपया वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें. (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार उक्त अवधि में जिला में प्राप्त राशि से कुल कितनी व कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये ? कृपया विकासखण्डवार, कार्यवार लागत सहित जानकारी दें ? (ग) स्वीकृत कार्यों की निर्माण एजेंसी कौन-कौन है ? स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य पूर्ण/अपूर्ण है तथा कितनी राशि एजेंसी को भुगतान की गई है ? कृपया विकासखण्डवार, कार्यवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) आपदा प्रबंधन मद से जिला कांकेर को प्रश्नाधीन अवधि में आबंटित की गई राशि का वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	प्राप्त आबंटन
1.	1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक	4,55,50,000.00
2.	1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक	7,53,87,000.00
3.	1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक	5,22,63,000.00
<b>योग</b>		<b>17,32,00,000.00</b>

(ख) उक्त अवधि में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है. अपितु राहत अनुदान के रूप में हितग्राहियों को भुगतान किया गया है. अतः विकासखण्डवार, कार्यवार, लागत सहित जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है. (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

जिला महासमुंद अंतर्गत सरहदी नक्शा सुधार संबंधी

39. (क्र. 613) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा महासमुंद के द्वारा दिनांक 12-10-2019 को बागबहरा तहसील के ग्राम नवागांव कला एवं लालपुर का चांदा पत्थर कायम उपरांत सीमांकन करा कर सरहदी नक्शा सुधार करने बाबत संचालक भू-अभिलेख रायपुर को पत्र लिखा गया था ? (ख) यदि हाँ तो कब-कब क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरहदी नक्शा सुधार का कार्य हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक होगा एवं विलम्ब के लिए कौन-कौन दोषी है एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नांश “क” के संबंध में कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा महामसुन्द ने अपने पत्र क्रमांक 139 दिनांक 12-01-2017 द्वारा संचालक भू-अभिलेख, नवा रायपुर से पत्राचार किया गया था. (ख) संचालक, भू-अभिलेख द्वारा ग्राम नवागांव कला एवं लालपुर के सरहदी सीमा चिन्ह (चांदा)को चिन्हांकित करने हेतु आधुनिक तकनीकी से सर्वेक्षण करते हुए चांदा बिंदुओं का अभिप्रायण करने तथा चांदा बिंदुओं का Latitude - Longitude भी उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 12-06-2017 को आई.आई.टी. रुड़की को पत्र प्रेषित किया गया था. जिसके तारतम्य में आई.आई.टी. रुड़की द्वारा उक्त दोनों ग्रामों का सर्वे कर नक्शा जिला महासमुंद को उपलब्ध कराया गया था एवं चांदा बिंदुओं की स्थापना हेतु Latitude & Longitude की जानकारी जिले के दो गई थी. कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा, महासमुंद के आदेश दिनांक 29-01-2018 को ग्राम नवागांव कला एवं लालपुर सरहदी चांदा स्थापित किये जाने बाबत 10 सदस्य दल का गठन किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार बागबहरा, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, 04 राजस्व निरीक्षक, 03 पटवारी एवं 01 चैनमेन का आदेशित किया गया. दल द्वारा सर्वे पश्चात् दिनांक 24-04-2018 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि सरहदी चांदा को मानकों के अनुरूप स्थापित किया गया है. सरहदी नक्शा सुधार कार्य नहीं हुआ है. जिसके हेतु ग्राम लालपुर का पटवारी चालू नक्शा शीट अत्याधिक जीर्ण-शीर्ण होने एवं जिला कार्यालय महासमुंद में मिसल शीट उपलब्ध न होने के कारण ग्राम लालपुर का जी.पी.एस./ड्रोन सर्वे कर नया नक्शा निर्माण किया जाना है, जिसका निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. कार्यवाही प्रचलित होने के कारण कोई दोषी नहीं है.

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भवन विहीन एवं जर्जर स्कूल/आश्रम शाला

40. (क्र. 614) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवम्बर 2021 तक स्थिति में कितने नवीन भवन/प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री भवन विहीन है, कितने भवन जर्जर हैं ? संस्थावार विकासखण्डवार जानकारी देवे ? (ख) जर्जर भवन एवं भवन विहीन स्कूलों हेतु भवन की स्वीकृति कब-कब प्रदान की जावेगी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

बसना एवं पिथौरा वि. ख. में नवीन शाला भवनों की स्वीकृति

41. (क्र. 643) **श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के बसना एवं पिथौरा वि. ख. में कितने प्रा. शाला एवं पूर्व माध्य. शाला भवन जर्जर स्थिति में है ? (ख) उपरोक्त शालाओं हेतु कब तक नया भवन स्वीकृत किया जायेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) महासमुंद जिले के विकासखण्ड बसना एवं पिथौरा में 46 शास. प्राथमिक शाला एवं 05 पूर्व माध्यमिक शाला भवन जर्जर स्थिति में है. (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

आपदा प्रबंधन मद में स्वीकृत कार्य एवं जारी आबंटन

42. (क्र. 678) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2019 से दिनांक 24-11-2021 तक आपदा प्रबंधन मद में किन-किन कार्य की स्वीकृति कर कितनी राशि का आबंटन जारी किया गया ? जिलेवार बतावे ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रश्नाधीन अवधि में आपदा प्रबंधन मद से कार्य करने हेतु किसी भी जिले को राशि आबंटित नहीं की गई है. अतः जिलेवार जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है.

पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति

43. (क्र. 679) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से दिनांक 24-11-2021 तक पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद से प्रदेश में कुल कितनी राशि के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है ? उक्त स्वीकृति में किन-किन कार्यों को शामिल किया गया है ? (ख) उपरोक्त मद में मुंगेली जिला को कुल कितनी राशि का आबंटन किन किन कार्य हेतु जारी किया गया है, कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं, ग्राम वार जानकारी देवे ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) वर्ष 2019 से दिनांक 24-11-2021 तक पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद से प्रदेश में कुल 21136.92 लाख (रुपये दो सौ ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख ब्यान्बे हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है, उक्त में शामिल कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	वर्ष (2)	स्वीकृत राशि (3)	कार्य का विवरण (4)
1.	2019-20	2353.14 लाख	प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंच मार्ग, सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, हैण्डपम्प खनन एवं स्थापना, नाला, तटबंध निर्माण, सामुदायिक भवन एवं गार्डन, नगर पालिका कोरबा में सभागृह निर्माण कार्य हेतु.
2.	2020-21	18783.78 लाख	प्रदेश में नवगठित 27 तहसील हेतु कार्यालय भवन का निर्माण, नवगठित 05 नवीन अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (रा.) भवन का निर्माण, सड़क, पुल-पुलिया, 40 उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूल का जीर्णोद्धार एवं एक दानी स्कूल,

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	2021-22 (24-11-2021 तक)	निरंक	बस्तर वनमण्डल के अंतर्गत वन मार्गों का मुरमीकरण, विधानसभा क्षेत्र पाटन अंतर्गत तालाबों का सौंदर्यीकरण, ओपन जिम निर्माण, तहसील कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण हेतु, राजीव भवन का निर्माण, सी.सी.रोड निर्माण, राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास हेतु, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव हेतु नवीन कार्यालय भवन निर्माण. निरंक

(ख) मुंगेली जिले को कुल 390.48 लाख (रुपये तीन करोड़ नब्बे लाख अड़तालीस हजार मात्र) का आबंटन सी. सी. रोड, नवीन तहसील एवं आत्मानंद इंग्लिश स्कूल मुंगेली हेतु जारी किया गया है, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्रामवार पूर्ण कार्यों की जानकारी	ग्रामवार अपूर्ण कार्यों की जानकारी
1.	सी.सी.रोड	मुंगेली	विचारपुर, फागूपारा, केसतरा	डौकीदाह, दामापुर, कमलपुर
2.	सी. सी. रोड	लोरमी	मनकी, चिल्फी, चखला, चन्नीटोला-मोहनपुर, खैराखुर्द-भसकरा, बिजराकछार	-
3.	आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल दाऊपारा मुंगेली		दाऊपारा मुंगेली	-
4.	नवीन तहसील भवन गीधा मुंगेली		-	गीधा मुंगेली
5.	नवीन तहसील भवन लालपुर थाना		-	लालपुर थाना

#### नवीन प्री तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की स्वीकृति

44. (क्र. 696) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जाति, जनजाति विद्यार्थियों हेतु प्रदेश में दिसंबर 2018 से लेकर अब तक कितने प्री मैट्रिक तथा कितने पोस्ट मैट्रिक छात्रावास कितने-कितने सीटर किस-किस विकासखंड में किस-किस वर्ग के कितने-कितने स्वीकृत किए गए हैं ? (ख) वर्ष 2018 के पूर्व कितने छात्रावास संचालित हो रहे थे और उसमें कितने विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) वर्ष 2018 के पूर्व विभाग अंतर्गत कुल 2025 छात्रावास संचालित हो रहे थे और उसमें 1,06,890 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है.

#### शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत विद्यार्थियों का प्रवेश तथा भुगतान

45 (क्र. 697) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत प्रदेश के किस-किस जिले में कितने-कितने विद्यार्थियों को शाला में प्रवेश दिया गया है इस हेतु शासन द्वारा विद्यालयों को प्रति विद्यार्थी को किस-किस दर पर भुगतान किया जाता है ? (ख) इस योजना के अंतर्गत 2018-19 से लेकर दि.

24-11-2021 तक कितना भुगतान करना शेष है ? भुगतान लंबित होने के क्या कारण है ? (ग) बलौदाबाजार -भाटापारा जिले में किस-किस विद्यालय का कितना-कितना राशि भुगतान होना शेष है तथा कब तक का दिया जायेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शाये अनुसार है. आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चे के लिए शासन द्वारा निम्नानुसार दर से प्रति छात्र प्रतिवर्ष भुगतान किया जाता है :-

1. प्राथमिक शालाओं के छात्रों के लिए राशि रु. 7000/-अधिकतम
2. अपर प्राथमिक शाला के छात्रों के लिए राशि रु. 11,400/- अधिकतम
3. प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक हेतु राशि रु. 250.00/-
4. पूर्व माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक हेतु राशि रु. 450.00/-
5. गणवेश हेतु राशि रु. 540.52/-

(ख) वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2019-20 तक कोई भुगतान शेष नहीं है. वर्ष 2020-21 के भुगतान हेतु डाटा की जानकारी पोर्टल में दर्ज किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. वर्ष 2021-2022 के दिनांक 24-11-2021 तक प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने एवं भारत सरकार से अपेक्षित राशि प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हुआ है. (ग) प्रश्नांक की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

#### जिला कबीरधाम के बालिका आश्रम/छात्रावास में सुरक्षा व्यवस्था

46. (क्र. 700) **श्रीमती ममता चन्द्राकर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कबीरधाम के अंतर्गत संचालित बालिका आश्रम/छात्रावासों में कितने आश्रम/छात्रावासों में सुरक्षा हेतु महिला गार्ड की व्यवस्था करायी गई है ? (ख) वर्ष 2021-22 में आश्रम/छात्रावासों में अपराध के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला कबीरधाम के अंतर्गत संचालित 07 बालिका आश्रमों एवं 12 बालिका छात्रावासों में सुरक्षा हेतु महिला गार्ड की व्यवस्था की गई है. (ख) वर्ष 2021-22 में आश्रम/छात्रावासों में अपराध के कोई प्रकरण दर्ज नहीं है.

#### शासकीय शालाओं में अतिशेष शिक्षकों का समायोजन

47. (क्र. 701) **श्रीमती ममता चन्द्राकर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कबीरधाम में संचालित शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में कितने शिक्षक अतिशेष हैं ? (ख) अतिशेष शिक्षकों को अन्य आवश्यकता वाले शालाओं में कब तक समायोजित किया जावेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला कबीरधाम में संचालित शासकीय हाईस्कूल में 01 एवं हायर सेकेण्डरी शाला में 03 शिक्षक अतिशेष हैं. (ख) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

#### राजनांदगांव जिले में छात्रावासों को राशि का प्रदाय

48. (क्र. 703) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 24-11-21 तक राजनांदगांव जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों को कितनी राशि प्रदान की गयी एवं उक्त राशि का उपयोग किन कार्यों में किया गया ? वर्षवार, छात्रावासवार, राशिवार, कार्यवार एजेंसी का किये गये भुगतान की जानकारी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : छात्रावासों में अनुरक्षण/भवन निर्माण कार्य की वर्षवार, छात्रावासवार, राशिवार एजेंसी को किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” पर दर्शित है. सामग्री का क्रय छात्रावासवार नहीं किया जाता है, छात्रावासों के लिये क्रय की गई सामग्रियों की वर्षवार, एजेंसी का नाम सहित भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे “ब” पर दर्शित है.

#### कोविड-19 मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि का प्रदाय

49. (क्र. 704) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन द्वारा कोविड-19 मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान करने का प्रावधान है ? यदि हां तो उक्त प्रावधान अनुरूप राजनांदगांव जिले में कितने

परिवारों को इससे लाभान्वित किया गया है ? कितने परिवार इससे वंचित है, लाभान्वितों की विकासखण्डवार जानकारी देवे ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जी हां. राजनांदगांव जिले में 480 परिवारों को लाभान्वित किया गया है. कोई भी परिवार इससे वंचित नहीं है. लाभान्वितों की विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है.

जिला राजनांदगांव में शालाओं हेतु सामग्री क्रय

50. (क्र. 705) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष 2020-21 से 24-11-21 तक शिक्षा विभाग राजनांदगांव को जिला खनिज न्यास एवं अन्य मदों से राशि स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो उक्त समयवधि में स्वीकृत मदों में किन-किन शालाओं हेतु कौन-कौन सी सामग्रियां किस एजेंसी से क्रय की गयी है ? कितने बच्चे लाभान्वित हुए ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी हां. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

बस्तर संभागान्तर्गत स्कूली छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय

51. (क्र. 710) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर संभागान्तर्गत 31 मार्च, 2021 की स्थिति में कितनी स्कूली छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र वितरण किया गया ? शेष प्रकरणों की संख्या वर्गवार व विकासखण्डवार जानकारी बतावे ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : बस्तर संभागान्तर्गत 31 मार्च, 2021 की स्थिति में कुल 56730 स्कूली छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र वितरण किया गया है. शेष प्रकरणों की वर्गवार व विकासखण्डवार जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है.

अल्पसंख्यक वर्ग हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनायें

52. (क्र. 711) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विकास के लिए छ. ग. राज्य सरकार के द्वारा कौन-कौन सी योजनायें व कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ? इन योजनाओं /कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2020-21 व 2021-22 में प्राप्त बटन एवं व्यय की जिलेवार (बस्तर संभाग के परिपेक्ष्य में) जानकारी देवे ? (ख) बस्तर संभागान्तर्गत विकासखण्डों में कितने मदरसे पंजीकृत हैं ? इनमें से कितने संचालित स्थिति में व कितने बंद स्थिति में हैं ? बंद मदरसों को प्रारंभ करने के लिए विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) छ. ग. राज्य अंतर्गत संचालित मदरसों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विकास हेतु छ. ग. राज्य शासन द्वारा निम्नांकित योजनायें व कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं :-

1. अल्पसंख्यक कब्रिस्तान के लिए आहाता निर्माण.
2. स्व. हाजी हसन अली सम्मान पुरस्कार.
3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को अंशपूजी (धनवेष्टन).
4. छ. ग. राज्य अल्पसंख्यक आयोग.
5. छ. ग. राज्य वक्फ बोर्ड.
6. छ. ग. उर्दू अकादमी.
7. वक्फ न्यायाधीकरण.
8. सर्वेक्षण आयुक्त.
9. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम.
10. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता एवं प्रमाण पत्र.

बस्तर संभाग के परिपेक्ष्य में वर्ष 2020-21 व 2021-22 बटन व व्यय की जिलेवार जानकारी निरंक है. (ख) बस्तर संभाग अंतर्गत विकासखण्डों में 34 मदरसे पंजीकृत हैं. इसमें से 22 संचालित हैं एवं 12 बंद की स्थिति में हैं. राज्य शासन द्वारा बंद मदरसों के विगत 4 वर्षों के लंबित केन्द्रीय

योजना अंतर्गत अनुदान जारी किये जाने हेतु केन्द्र शासन से पत्र व्यवहार किया जा रहा है, अनुदान प्राप्त होना अपेक्षित है. (ग) छ. ग. राज्य अंतर्गत संचालित मदरसों में निजी संस्थाओं द्वारा आधुनिक शिक्षा अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राज्य शासन की शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 01 से 08 तक की समस्त पाठ्य पुस्तकें, शाला गणवेश तथा मध्याह्न भोजन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है.

### जीर्ण-शीर्ण, खण्डर व जर्जर स्कूल भवनों का सुधार/मरम्मत कार्य

53. (क्र. 714) श्री नारायण चंदेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चाम्पा जिला एवं शैक्षणिक जिला सवती में कितने प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है ? (ख) उक्त जिले में कितने ऐसे स्कूल भवन है जो खण्डहर, जर्जर व जीर्ण-शीर्ण हो गये है ? इसमें से कितने ऐसे स्कूल है जिन्होंने मरम्मत व सुधार कार्य व नवीन भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये है ? (ग) उक्त जिले के खण्डहर, जर्जर व जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों का सुधार व मरम्मत कार्य तथा नवीन भवन निर्माण किये जाने हेतु शासन की क्या कार्य योजना है ? (घ) कब तक उक्त स्कूल भवनों का सुधार व मरम्मत कार्य तथा नवीन भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ग) शाला भवनों में अतिआवश्यक मरम्मत कार्य प्राथमिकता के क्रम में प्रतिवर्ष कराया जाता है. बजट उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता के क्रम में नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी. (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

### जिला जांजगीर-चाम्पा में शालाओं हेतु सामग्री क्रय एवं अन्य कार्य हेतु आबटित राशि

54. (क्र. 715) श्री नारायण चंदेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में स्कूल शिक्षा विभाग को वर्ष 2020-21 2021-22 में 22 नवम्बर, 2021 तक डी.एम.एफ. मद व शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस सामग्री/कार्य के लिये प्रदाय की गयी है ? (ख) प्रश्न “क” से संदर्भित प्राप्त राशि से क्या-क्या सामग्री व कार्य किस एजेंसी/फर्म के द्वारा कितनी-कितनी लागत से कार्य किए गए व कराए गये है ? (ग) क्या बाजार मूल्य से अधिक राशि से सामग्री का क्रय किये जाने व गुणवत्ता विहीन सामग्री क्रय व कार्य किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस हेतु कौन दोषी है ? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) प्रश्न “क” के अवधि में प्रदाय की गई राशि से गुणवत्ता विहीन सामग्री क्रय व कार्य किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

### ग्राम सेमरसल हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का निर्माण

55. (क्र. 719) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील लोरमी, जिला मुंगेली के अंतर्गत ग्राम सेमरसल में हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है ? यदि हां तो कब से, विगत 03 वर्ष में प्रवेश दर्ज संख्या क्या रही ? (ख) क्या कंडिका “क” का स्कूल के लिए स्वयं का भवन है ? हां तो कब से नहीं तो क्यों ? वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था का ब्यौरा दें ? (ग) क्या, ये सही है कि कंडिका “क” के पुराने भवन को RES विभाग द्वारा, नए भवन बनाये जाने के लिए तोड़वा दिया है और निर्माण (नए स्कूल भवन) अब तक लंबित है, क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हॉं दिनांक 26-10-87 से. विगत 03 वर्षों में हाई/हायर सेकेण्डरी कक्षाओं में प्रवेश दर्ज संख्या निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वर्ष	प्रवेश दर्ज संख्या
1.	2019-20	539
2.	2020-21	551
3.	2021-22	555

(ख) जी नहीं. शाला का मूल भवन नहीं है. हाईस्कूल के 04 अतिरिक्त कक्षों में शाला संचालन की व्यवस्था है. (ग) जी नहीं. 03 अनुपयोगी कक्षों को ग्राम पंचायत/शाला प्रबंधन समिति के द्वारा तोड़ा गया है. शाला में 03 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2018-19 में प्रदान की गई है जो निर्माणाधीन है.

#### मू-राजस्व के प्रकरणों पर सुनवाई

56. (क्र. 720) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मू राजस्व सहित धारा 113 के तहत त्रुटि सुधार के राजस्व प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार किसका है, किस किस स्तर के अधिकारी इस धारा के तहत प्रकरणों की सुनवाई कर सकते हैं ? (ख) क्या जिला कोण्डागांव, तहसील केशकाल में इस धारा के तहत राजस्व प्रकरण क्र./8/अ-6 (अ) 2017-18 के अधिकार से बाहर जाकर निचले स्तर के अधिकार द्वारा सुनवाई की कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो कब और इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या कंडिका “ख” से संबंधित प्रकरण में निचले स्तर के अधिकारी ने अधिकार से बाहर जाकर सुनवाई की है, तो उस सुनवाई की वैधानिक स्थिति क्या है और उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल)** : (क) मू-राजस्व सहित धारा 113 के तहत त्रुटि सुधार के राजस्व प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार उपखण्ड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व))को है. इस धारा के तहत अधिकार अभिलेख में हुई लेखन संबंधी त्रुटियों का सुधार किया जाता है. (ख) जिला कोण्डागांव तहसील केशकाल में इस धारा के तहत राजस्व प्रकरण क्र/क/अ-6 (अ) 2017-18 के अधिकार से बाहर जाकर निचले स्तर के अधिकारी द्वारा सुनवाई की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (ग) कंडिका “ख” से संबंधित प्रकरण न्यायालय तहसीलदार केशकाल का रा.प्र.क्र./8/अ-6 (अ) 2017-18 पारित आदेश दिनांक 23-10-2018 में तत्कालीन तहसीलदार श्री राकेश कुमार साहू, द्वारा सुनवाई किया जाकर आदेश पारित किया गया है.

#### अरपा मैसाज़ार सिंचाई परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण की जांच

57. (क्र. 725) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अरपा मैसाज़ार सिंचाई परियोजना में भूमि अधिग्रहण हेतु कलेक्टर बिलासपुर द्वारा 13-09-2021 को जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी को 7 दिनों में अभिमत प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? क्या कमियां व अनियमितता पायी गयी है ? उसमें दोषी कौन है व दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) क्या यह सही है कि माननीय राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में जांच हेतु विधान सभा में घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो किसके द्वारा कब-कब जांच की गई तथा जांच में क्या अनियमितताएं पायी गयी ? कौन दोषी पाया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) योजना अंतर्गत कितनी लम्बी नहर बननी थी ? कितनी बनी है व कितनी शेष है ? कितने का मुआवजा व मजदूरी भुगतान किया जाना था ? कितने का भुगतान किया गया है व कितनी राशि का भुगतान शेष है तथा क्यों, शेष का भुगतान कब तक किया जाएगा ?

**राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल)** : (क) जी नहीं. (ख) जी हाँ. प्रकरण के जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा एवं कलेक्टर बिलासपुर द्वारा दिनांक 21-07-2021 को गठित जांच दल द्वारा प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया तत्कालीन पटवारी की कर्तव्य पर लापरवाही पाये जाने के कारण निलंबित किया गया है. जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ग) अरपा मैसाज़ार बैराज परियोजना के अंतर्गत कुल 376.27 कि. मी. लंबी नहर (मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरक नहर एवं माईनर नहर) प्रस्तावित है. तथा नवम्बर 2021 तक 304.90 किलोमीटर नहर बन चुका है. शेष 71.37 किलोमीटर भूमि पर प्रस्तावित नहर को जून 2022 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा के अंतर्गत कुल 119 प्रकरणों में रुपये 3,02,99,82,448.00 का अवाई पारित किया गया है जिसके विरुद्ध मुआवजा राशि रुपये 2,53,32,93,048.00 का भुगतान किया जा चुका है. तथा मुआवजा राशि रुपये 49,66,89,400.00 का भुगतान किया जाना शेष है. बिल्हा अनुविभाग के अंतर्गत कुल 27 प्रकरणों में मुआवजा राशि रुपये 90,78,09,629.00 का अवाई पारित किया गया है जिसके विरुद्ध राशि रुपये 83,99,60,266.00 का भुगतान किया जा चुका है तथा राशि रुपये 6,78,49,363.00 का भुगतान किया जाना शेष है. शेष राशि का भुगतान मू-स्वामी के न्यायालयीन विवाद, फौती नामांतरण एवं सभी खातेदारों की उपस्थिति एक साथ नहीं होने के कारण लंबित है. कृषकों की उपस्थिति होने के उपरांत मुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा.

#### शिक्षा कर्मियों का सविलियन

58. (क्र. 728) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुलाई, 2018 से दिनांक 24-11-2021 तक पंचायत/नगरीय निकाय के कुल कितने शिक्षा कर्मियों का सविलियन किया गया है ? वर्गवार, जिलेवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार सविलियन हुए शिक्षकों को कितनी लंबित राशि (वेतन, एरियर आदि) का भुगतान करना था ? कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ? कितनी राशि का भुगतान लंबित है ? वर्गवार, जिलेवार जानकारी दें ? (ग) यदि राशि लंबित है, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जुलाई, 2018 से दिनांक 24-11-2021 तक पंचायत/नगरीय निकाय के 1,45,317 शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया गया है. वर्षवार, जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. (ग) बजट की अनुपलब्धता होने के कारण भुगतान हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

#### धान सड़ने व खराब होने की शिकायतों की जांच

59. (क्र. 729) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सरगुजा, सूरजपुर व बलरामपुर, बिलासपुर व मुंगेली जिले में समितियों में धान खराब होने व सड़ने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो, किसके द्वारा कब-कब क्या शिकायत की गई है व उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) क्या यह सही है कि संबंधित जिलों के कलेक्टर या विभाग द्वारा इस हेतु जांच समिति बनाई गई है ? यदि हां, तो किन-किन केन्द्रों की जांच हेतु किन-किन अधिकारियों को लेकर जांच समिति बनाई गई है और समिति के द्वारा कब व क्या रिपोर्ट दी गई है व दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है ? कितनी राशि का कितना धान खराब होने या अन्य क्या अनियमितता पाई गई है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी नहीं. अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) उक्त जिलों में धान खराब नहीं हुआ है. अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

#### पाठ्य पुस्तक निगम में अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही

60. (क्र. 732) **श्री विद्यारतन मसीन** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विगत 01 वर्ष में जन प्रतिनिधियों द्वारा पाठ्य पुस्तक निगम में अनियमितता संबंधी शिकायत की गई है ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा कब-कब क्या-क्या शिकायतें की गई है ? उस पर क्या कार्यवाही की गई है व कौन दोषी पाया गया है तथा दोषी पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : वर्तमान में निर्वाचित पद पर कार्यरत् किसी जनप्रतिनिधि द्वारा शिकायत नहीं की गई है. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

#### राज्य आपदा फंड हेतु स्वीकृत राशि

61. (क्र. 733) **श्री विद्यारतन मसीन** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य आपदा फंड से 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 24-11-2021 तक कितने कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि दी गई है, इसमें से कितनी राशि का भुगतान किया गया है, कितनी भुगतान हेतु शेष है, कितने कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण नहीं हुए है व क्यों ? कितने कार्यों में शिकायतें प्राप्त हुई है व उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? विभागवार, जिलेवार व वर्षवार जानकारी दें.

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रश्नाधीन अवधि में आपदा प्रबंधन मद से कार्य करने हेतु किसी भी जिले को राशि आबंटित नहीं की गई है. अतः विभागवार, जिलेवार तथा वर्षवार जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है.

#### आदिम जाति कल्याण विभाग में बच्चों के बाल काटने के कार्य हेतु प्रदत्त अग्रिम राशि

62. (क्र. 736) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मार्च, 2020 से मई, 2021 तक बच्चों के बाल काटने के लिए अग्रिम दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कितना -कितना अग्रिम किस-किस को दिया गया है व कब समायोजन किया गया है ? क्या इस संबंध में शिकायत भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या व उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी हां, केवल सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, दंतेवाड़ा द्वारा श्री बिरेन्द्र सेन, न्यू बजरंग हेयर आर्ट, गीदम को बच्चों के बाल काटिंग हेतु मार्च 2020 से मई 2021 तक जिला खनिज न्यास निधि/एन.एम.डी.सी की

अन्य राशि से राशि रुपये 15,00,000/- (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) का अग्रिम दिया गया है, जिसका समायोजन अब तक नहीं किया गया है. अन्य जिलों द्वारा इस कार्य के लिए किसी को अग्रिम नहीं दिया गया है. जी नहीं, इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

### छात्र/छात्राओं को अण्डा वितरण

63. (क्र. 737) श्री डमरूधर पुजारी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अक्टूबर, 2021 की स्थिति में कितने छात्रों को अण्डा व कितने छात्रों को अण्डा के स्थान पर अन्य भोज्य सामग्री दी जा रही है ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) प्रदेश के कितने स्कूल में शाला विकास समिति/स्कूल संचालक समिति के द्वारा अण्डा वितरण पर आपत्ति की गई ? जिलेवार जानकारी दें.

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रदेश के मात्र रायगढ़ जिला अंतर्गत कुल 09 स्कूल में शाला विकास समिति/स्कूल संचालक समिति के द्वारा अण्डा वितरण पर आपत्ति की गई है.

### बैगा व पण्डो जनजाति के व्यक्तियों/बच्चों की बीमारी/मृत्यु

64. (क्र. 740) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष में बैगा व पण्डो जनजाति के व्यक्तियों/बच्चों की बीमारी या कुपोषण से मृत्यु हुई है ? यदि हाँ तो किन-किन की, किन कारणों से हुई है ? (ख) इनके विकास के लिए सरकार द्वारा परियोजना/अभिकरण का गठन किया गया है ? यदि हाँ तो किसका गठन किया गया है व कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु विगत 03 वर्षों में दी गई है तथा उसका व्यय किन-किन कार्यों में किया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” पर है. (ख) जी हाँ, “बैगा” एवं “पण्डो” जनजातियों के विकास के लिये गठित अभिकरण/प्रकोष्ठ निम्नानुसार है :-

क्र.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति का नाम	अभिकरण/प्रकोष्ठ का नाम
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1.	बैगा	बैगा विकास अभिकरण, बिलासपुर
2.		बैगा विकास अभिकरण, कबीरधाम
3.		बैगा विकास प्रकोष्ठ, राजनांदगांव
4.		बैगा विकास प्रकोष्ठ, मुंगेली
5.		बैगा विकास प्रकोष्ठ, बैकुंठपुर (कोरिया)
6.	पण्डो	पण्डो विकास अभिकरण, सूरजपुर

उपरोक्तानुसार अभिकरण/प्रकोष्ठ हेतु विगत 03 वर्षों में योजनावार स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि एवं व्यय की वर्ष 2018-19 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” , वर्ष 2019-20 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” एवं वर्ष 2020-21 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “द” पर है.

### बिलासपुर जिले में राजस्व प्रकरणों का निराकरण

65. (क्र. 741) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 तक सीमांकन, नामांतरण, बटांकन, फावती के कितने आवेदन विभाग को प्राप्त हुए ? आवेदन के विरुद्ध कितने आवेदन का निराकरण हुआ और कितने शेष है ? शेष आवेदन का निराकरण कब तक होगा ? तहसीलवार जानकारी देने का कष्ट करें.

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : बिलासपुर जिले में जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 तक सीमांकन, नामांतरण बटांकन, फौती के दर्ज निराकरण एवं शेष की तहसीलवार जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है. शेष लंबित प्रकरणों को कार्ययोजना बनाकर एवं विशेष शिविर आयोजित कर समय-सीमा के भीतर निराकरण कर लिया जावेगा.

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर द्वारा समितियों से ली गई ब्याज की राशि

66. (क्र. 744) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर (छ. ग.) द्वारा वर्ष 2017-2018 में विभिन्न समितियों को दिये गये ऋण पर ब्याज की राशि की गणना 31-03-2018 को ब्याज की राशि शेष बताकर समितियों से अतिरिक्त ब्याज की राशि की गई थी ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि ली गई थी ? रायपुर संभाग के जिले के बैंकवार जानकारी दें ? (ख) क्या समितियों के द्वारा वर्ष 2017-18 की गणना पश्चात् ऋण पर अधिक ब्याज लिये जाना पाया गया है ? यदि हां, तो क्या समितियों को अधिक ली गई ब्याज की राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के द्वारा वापस कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक वापस कर दी जावेगी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर से सम्बद्ध, धमतरी जिले की 02 समितियों के प्रश्नाधीन प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, बैंक से सम्बद्ध शेष समितियों से अधिक ब्याज की राशि नहीं ली गई है. अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

रायपुर से धमतरी रेल लाईन हेतु जमीन अधिग्रहण

67. (क्र. 745) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायपुर केन्द्री, अभनपुर से होते हुए कुरुद धमतरी छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन बनाने के कार्य हेतु जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया ? (ख) यदि नहीं, तो किन-किन तहसीलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबित है, लंबित होने के कारण एवं अब तक अधिग्रहण नहीं होने के लिए दोषी कौन है एवं उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी नहीं. (ख) तहसील अभनपुर, गोबरा-नवापारा, धमतरी एवं कुरुद में अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. समय-सीमा में होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) निर्धारित समय-सीमा में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी.

जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित संयंत्रों हेतु अधिग्रहित भूमि

68. (क्र. 748) **श्री रामकुमार यादव** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित संयंत्रों हेतु किन-किन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों की भूमि तथा कितनी शासकीय भूमि अधिग्रहित की गई है ? (ख) उक्त भूमि के विक्रय की अनुमति या शासकीय भूमि का अधिग्रहण किन शर्तों के साथ कलेक्टर द्वारा प्रदान किया गया है ? क्या शर्तों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किनकी-किनकी एवं शासन में उन पर क्या कार्यवाही की है ? (ग) क्या उक्त भूमि के मुआवजा का प्रकरण कितना शेष है ? यदि हां, तो कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

**राजस्व मंत्री** (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित संयंत्रों हेतु अनुसूचित जाति के कुल 339 कृषकों का रकबा 310.71 एकड़ एवं अनुसूचित जनजाति के कुल 480 कृषकों का रकबा 754.05 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया है. शासकीय भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है. अनुसूचित जाति के कृषकों की ग्रामवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों की ग्रामवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” पर है. (ख) उक्त औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि का अर्जन अनिवार्य भू-अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित 1984) के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है. शर्तों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (ग) उक्त भूमि के संबंध में 20 कृषकों का मुआवजा भुगतान शेष है. उक्त संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वाद के निराकरण के उपरांत मुआवजा भुगतान किया जावेगा. मुआवजा भुगतान हेतु शेष कृषकों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” पर है.

खैरागढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिस मीडियम स्कूल की स्थापना संबंधी

69. (क्र. 749) **डॉ. रमन सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन विकासखण्डों में एक भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल नहीं खोला गया है ? (ख) प्रश्नांक “क” के संदर्भ में विकासखंड मुख्यालय खैरागढ़ जिला राजनांदगांव एवं जिले के अन्य शेष विकासखंडों में कब तक उक्त संस्था प्रारंभ कर दी जावेगी ? (ग) स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के किन-किन स्कूलों में सीबीएससी की मान्यता प्रदान की गई ? जिलेवार विवरण दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) विकासखण्ड ओरछा जिला नारायणपुर एवं विकासखण्ड खैरागढ़ जिला राजनांदगांव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल संचालित नहीं है. (ख) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की जिलेवार जानकारी :-

क्र. (1)	जिला (2)	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम का नाम (3)
1.	कोरबा	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम पंप हाउस, कोरबा
2.	कोरबा	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम हरदीबाजार, कोरबा
3.	कोरबा	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम पाली, कोरबा
4.	सूरजपुर	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम प्रतापपुर, सूरजपुर

जशपुर विधानसभा क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के प्राकृतिक आपदा से मृत्यु पर मुआवजा भुगतान

70. (क्र. 751) **श्री विनय कुमार मगत** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2021 से दिनांक 22 नवंबर, 2021 तक जिला जशपुर विधान सभा क्षेत्र में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के प्राकृतिक आपदा, रोग ग्रस्त होने एवं अन्य कारणों से कितने लोगों की मृत्यु हुई ? विकासखण्डवार बतावें ? (ख) प्रश्नांश “क” के मृतकों को मुआवजा/सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितने को दिया गया एवं कितने को नहीं तथा क्यों ? शेष को कब तक प्रदान कर दिया जावेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	विशेष रूप से कमजोर जनजाति का नाम (3)	मृतक व्यक्तियों की, कारण सहित जानकारी			योग (7)
			प्राकृतिक आपदा (4)	रोगग्रस्त होने (5)	अन्य कारणों से (6)	
1.	बगीचा	पहाड़ी कोरवा	5	58	51	114
2.	मनोरा	पहाड़ी कोरवा	1	0	2	3
<b>योग</b>			<b>6</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>117</b>

(ख) पी.वी.टी.जी. के लिए पृथक से कोई प्रावधान नहीं है, शासकीय योजनाओं के अंतर्गत पात्रानुसार सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है. शासन के योजनांतर्गत पात्र 40 प्रकरणों में नियमानुसार सहायता राशि प्रदान किया गया है तथा शेष 77 प्रकरणों में योजनांतर्गत पात्रता नहीं होने के कारण सहायता राशि स्वीकृत नहीं की गई है.

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन/जर्जर शाला भवनों हेतु भवन की स्वीकृति

71. (क्र. 754) **श्री चंदन कश्यप** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हॉयर सेकेंड्री स्कूलों की संख्या कितनी है तथा अति जर्जर एवं भवन विहीन स्कूल कितने हैं ? (ख) वर्ष 2019-20 से माह नवंबर, 2021 तक कितने जर्जर एवं भवन विहीन स्कूलों का मरम्मत या नवीन भवन की स्वीकृति हुई है, तथा कितने स्वीकृति हेतु शेष है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख)जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित छात्रावास/आश्रम हेतु सामग्री क्रय

72. (क्र. 755) श्री चंदन कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में जिला बस्तर, कोण्डामांव, नारायणपुर के अंतर्गत नैट्रिक, प्री-नैट्रिक एवं स्नातकोत्तर स्तर के आवासीय छात्रावास/आश्रम कहां-कहां पर शासकीय भवनों में संचालित हो रहे हैं ? भवन विहीन एवं किराये पर छात्रावास/आश्रम कहां-कहां पर संचालित हैं ? (ख) प्रश्न “क” अनुसार छात्रावासों/आश्रमों के लिए वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 15 नवंबर, 2021 तक की अवधि में क्या-क्या सामग्रियाँ खरीदी गई हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई भी छात्रावास/आश्रम किराये के भवन में संचालित नहीं हो रही है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” पर दर्शित है.

-----

शीतकालीन सत्र

शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021

परिशिष्ट



## तारकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

### परिशिष्ट "एक"

[ तारकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 609) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

### प्रपत्र "अ"

### जिला रायगढ़ में सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान

अनुविभाग रायगढ़

क्र.	प्रकरण क्रमांक	ग्राम का नाम	कुल अर्जित रकम (हे.से.)	कुल कृषक संख्या	कुल मुआवजा राशि	भुगतान प्राप्त कृषकों की संख्या	कुल वितरित मुआवजा राशि	भुगतान हेतु शेष कृषकों की संख्या	वितरण हेतु शेष मुआवजा राशि	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15 /अ-82/2018-19	चारगाढा		7	3477837	7	3477837	0	0	पूर्ण भुगतान
2	18 /अ-82/2018-19	धनागर	1.902	18	66692091	16	59279816	2	7412275	
3	19 /अ-82/2018-19	हरदीझरिया	0.266	10	4483893	9	4083899	1	399094	
4	23 /अ-82/2018-19	देवरी	0.975	2	6142747	1	1279495	1	4862252	
5	16 /अ-82/2018-19	काशीचुआ	2.156	17	24637717	15	25529045	2	1108672	
6	17 /अ-82/2018-19	वनहर	0.208	2	1061977	2	1061977	0	0	पूर्ण भुगतान
7	20 /अ-82/2018-19	रामपुर छोटे	0.305	4	2843113	2	2070217	2	772896	
8	21 /अ-82/2018-19	वघनपुर	0.206	5	2444133	5	2444133	0	0	पूर्ण भुगतान
9	24 /अ-82/2018-19	डोगीतराई	0.096	2	1416324	2	1416324	0	0	पूर्ण भुगतान
10	25 /अ-82/2018-19	गेजामुडा	0.149	4	1415151	4	1415151	0	0	पूर्ण भुगतान
11	26 /अ-82/2018-19	वडे भण्डार	1.338	14	25218111	9	20664200	5	4555011	
12	22 /अ-82/2018-19	जोरापाली	0.559	7	38432495	6	37273350	1	1160445	
13	27 /अ-82/2018-19	अमलीमौना	0.914	7	57982741	6	53504945	1	4477796	
<b>योग</b>			<b>9.074</b>	<b>99</b>	<b>236248330</b>	<b>84</b>	<b>211500389</b>	<b>15</b>	<b>24747041</b>	

प्रपत्र "ब"

जिला रायगढ़ में सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान

अनुविभाग खरशिया

क्र.	प्रकरण क्रमांक	ग्राम का नाम	कुल अर्जित रकमा (हे. में)	कुल कृषक संख्या	कुल मुआवजा राशि	गुगताम प्राप्त कृषकों की संख्या	कुल वितरित मुआवजा राशि	गुगताम हेतु शेष कृषकों की संख्या	वितरण हेतु शेष मुआवजा राशि	रिमानिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01/अ-82/2018-19	वरगढ	0.090	2	3513772	2	3513772	0	0	
2	02/अ-82/2018-19	पलगाढा	0.026	2	767491	2	767491	0	0	
3	03/अ-82/2018-19	वरगढ	0.744	4	6729454	4	6729454	0	0	
4	04/अ-82/2018-19	पातशपाड़ी	0.113	1	1163468	1	1163468	0	0	
5	05/अ-82/2018-19	योराल्दा	0.242	1	4171828	1	4171828	0	0	
6	06/अ-82/2018-19	जामझोर	0.555	6	2930885	5	2717965	1	212920	
7	07/अ-82/2018-19	चोढा	0.121	4	14207788	4	14207788	0	0	
8	08/अ-82/2018-19	रानीसागर	0.072	2	3580670	2	3580670	0	0	
9	09/अ-82/2018-19	चपले	1.060	29	72832311	29	72832311	0	0	
10	10/अ-82/2018-19	कनपुरा	0.733	6	6212542	5	5889771	1	322771	
11	11/अ-82/2018-19	रक्सापाली	1.174	10	13700668	9	13109422	1	591246	
12	12/अ-82/2018-19	लोढाझर	1.178	17	20496176	13	14370244	4	6125932	
13	13/अ-82/2018-19	नावापरा	0.585	10	5300314	10	5300314	0	0	
14	14/अ-82/2018-19	किरीतमाल	0.523	7	4810660	7	4810660	0	0	
15	01/अ-82/2019-20	नावागांव	0.334	1	2050332	1	2050332	0	0	
16	202107042900072/ अ-82/2020-21	रक्सापाली	0.640	3	5582248	0	0	3	5582248	
कुल योग			8.190	105	168050607	95	155215490	10	12835117	

## वित्तीय वर्ष 2021-22 में खरीदी गई बर्तन की जानकारी

जिला का नाम	कय/देयक की राशि रुपये में	मापदण्ड अनुसार नहीं पाये जाने पर कटौती की गई राशि रुपये में	भुगतान की गई राशि	भुगतान की तिथि	राशि में कटौती का आधार
राजनादगाव	38625	0	38625	08-07-2021	विकासखंड राजनादगाव में प्रदाय सामग्री में निर्धारित मापदण्ड अनुसार सामग्री के वजन में कमी के कारण राशि 93452.69 तथा प्रदाय सामग्री के मात्रा में कमी के कारण राशि 83239.50 इस प्रकार कुल राशि 176692 कटौती की गई ।
	454533	0	454533	08-07-2021	
	1637702	0	1637702	08-07-2021	
	405834	0	405834	08-07-2021	
	2190040	0	2190040	08-07-2021	
	1225338	0	1225338	23-10-2021	
	2088223	0	2088223	23-10-2021	
	2103067	0	2103067	23-10-2021	
	86223	0	86223	23-10-2021	
	2456920	0	2456920	23-10-2021	
	2238691	0	2238691	23-10-2021	
	1093907	0	1093907	27-11-2021	
	2088223	176692	1911531	27-11-2021	
<b>योग</b>	<b>18107326</b>	<b>176692</b>	<b>17930634</b>		

## परिशिष्ट "तीन"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 730) के भाग (क) की जानकारी ]

## धान कमी की जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी

(मात्रा मे.टन में )

खरीफ विपणन वर्ष 2019-20			खरीफ विपणन वर्ष 2020-21		
क्र.	जिला का नाम	कमी की मात्रा	क्र.	जिले का नाम	कमी की मात्रा
1	बस्तर	0.56	1	बस्तर	440.25
2	बीजापुर	192.92	2	बीजापुर	642.33
3	दन्तेवाड़ा	4.23	3	दन्तेवाड़ा	0.00
4	कांकेर	813.56	4	कांकेर	6038.24
5	कौडागांव	0.30	5	कौडागांव	1293.55
6	नारायणपुर	0.47	6	नारायणपुर	340.40
7	सुकमा	456.91	7	सुकमा	166.07
8	बिलासपुर	330.17	8	बिलासपुर	8904.36
9	जाजगीर चाम्पा	0.38	9	गौरैला पेन्ड्रा मरवाही	710.63
10	कोरबा	0.00	10	जाजगीर चाम्पा	4385.97
11	मुंगेली	6205.21	11	कोरबा	0.00
12	रायगढ़	2055.32	12	मुंगेली	12372.78
13	बालोद	134.63	13	रायगढ़	0.00
14	बेमेतरा	2786.90	14	बालोद	9040.86
15	दुर्ग	0.00	15	बेमेतरा	17759.86
16	कवर्धा	2742.07	16	दुर्ग	3025.74
17	राजनांदगांव	3018.02	17	कवर्धा	24762.99
18	बलौदाबाजार	9298.21	18	राजनांदगांव	22815.04
19	धमतरी	7.20	19	बलौदाबाजार	12709.79
20	गरियाबंद	4979.96	20	धमतरी	5271.32
21	महासमुंद	10033.47	21	गरियाबंद	7277.90
22	रायपुर	21.92	22	महासमुंद	23509.62
23	बलरामपुर	500.77	23	रायपुर	7594.80
24	जशपुर	0.00	24	बलरामपुर	1942.85
25	कोरिया	0.00	25	जशपुर	0.00
26	सरगुजा	0.00	26	कोरिया	1321.55
27	सुरजपूर	211.46	27	सरगुजा	900.89
			28	सुरजपूर	3188.25
योग		43794.64	योग		176416.03

## परिशिष्ट "चार"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 199) की जानकारी ]

स क्र	विकासखण्ड	शाला का नाम	शाला में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या	शाला में कार्यरत शिक्षकों की संख्या (संलग्न शिक्षक को छोड़कर)	एकल शिक्षकीय / शिक्षक विहीन शालाओं की जानकारी
1	2	3	4	5	6
1	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. भैसामुडा	82	3	निरंक
2	बैकुण्ठपुर	मा शा. डकईपारा	49	2	निरंक
3	बैकुण्ठपुर	मा शा बा पटना	51	2	निरंक
4	बैकुण्ठपुर	प्रा शा शकरपुर	28	1	एकल शिक्षकीय
5	बैकुण्ठपुर	प्रा शा क चित्ताझर पोडी	43	4	निरंक
6	बैकुण्ठपुर	मा शा जामपानी	93	2	निरंक
7	बैकुण्ठपुर	प्रा शा पण्डोपारा	34	3	निरंक
8	बैकुण्ठपुर	मा शा क चरचा कॉलरी	169	10	निरंक
9	बैकुण्ठपुर	मा शा बडगाव	86	3	निरंक
10	बैकुण्ठपुर	मा शा तुम्बीबारी	40	2	निरंक
11	बैकुण्ठपुर	मा शा. कटकोना	60	3	निरंक
12	बैकुण्ठपुर	मा शा पुलिस लाईन	50	4	निरंक
13	बैकुण्ठपुर	मा शा क बुडार	143	4	निरंक
14	बैकुण्ठपुर	प्रा शा महुआपारा मुरमा	63	2	निरंक
15	बैकुण्ठपुर	मा शा रामपुर	14	3	निरंक
16	बैकुण्ठपुर	मा शा सलको मनेन्द्रगढ	24	3	निरंक
17	बैकुण्ठपुर	हा से क चरचा	170	9	निरंक
18	बैकुण्ठपुर	प्रा शा चित्ताझर पोडी	48	3	निरंक
19	बैकुण्ठपुर	कन्या आश्रम पहाडपारा	41	2	निरंक
20	बैकुण्ठपुर	मा शा. उमझर	60	3	निरंक
21	बैकुण्ठपुर	हा से जमगहना	386	15	निरंक

22	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. बरदिया	82	4	निरंक
23	बैकुण्ठपुर	शा0मा0शा0 बांसपारा	11	4	निरंक
24	बैकुण्ठपुर	शा0मा0शा0बा0 पटना	51	2	निरंक
25	बैकुण्ठपुर	शा0उ0मा0वि0 खरवत	311	12	निरंक
26	बैकुण्ठपुर	मा0शा0 कोरचाडांड	17	4	निरंक
27	बैकुण्ठपुर	हाई स्कूल झरनापारा	74	7	निरंक
28	खडगवां	शा0मा0शा0 पीपरबहरा	53	3	निरंक
29	खडगवां	शा0मा0शा0 तामडाड	78	4	निरंक
30	खडगवां	शा0प्रा0शा0 लोटाबहरा	43	2	निरंक
31	खडगवां	शा0प्रा0शा0 पोंडीडीह	48	2	निरंक
32	खडगवां	शा0प्रा0शा0 किन्दामुड़ी	22	1	एकल शिक्षकीय
33	खडगवां	शा0प्रा0शा0 पटमा	85	2	निरंक
34	खडगवां	शा0मा0शा0 दुबछोला	153	4	निरंक
35	खडगवां	शा0उ0मा0वि0 पोंडी बचरा	640	14	निरंक
36	खडगवां	शा0प्रा0शा0 सोंस	36	2	निरंक
37	खडगवां	शा0प्रा0शा0 किन्नीपारा	59	2	निरंक
38	खडगवां	शा0क0आश्रम खडगवां	50	3	निरंक
39	खडगवां	शा0मा0शा0 करवां	52	2	निरंक
40	खडगवां	शा0उ0मा0वि0 देवाडांड	462	13	निरंक
41	खडगवां	शा0प्रा0शा0 जनकपुर	58	1	एकल शिक्षकीय
42	खडगवां	शा0उ0मा0वि0 हल्दीबाड़ी कोरिया	516	15	निरंक
43	सोनहत	मा0शा0 भैसवार	38	1	एकल शिक्षकीय
44	सोनहत	मा0शा0 देवतीडांड	15	1	एकल शिक्षकीय
45	सोनहत	मा0शा0 तुरीपानी	0	2	निरंक
46	सोनहत	प्रा0शा0 तुरीपानी	24	1	एकल शिक्षकीय
47	सोनहत	प्रा0शा0 हर्राडीह	10	1	एकल शिक्षकीय
48	सोनहत	मा0शा0 सलगवांकला	54	1	एकल शिक्षकीय
49	सोनहत	आश्रम शाला घुघरा	52	2	निरंक
50	सोनहत	मा0शा0 अकलासरई	78	2	निरंक
51	सोनहत	मा0शा0 सुकतरा	10	1	एकल शिक्षकीय
52	सोनहत	मा0शा0 बोडार	39	1	एकल शिक्षकीय
53	सोनहत	मा0शा0 नटवाही	49	2	निरंक
54	सोनहत	प्रा0शा0 खैरवारीपारा	18	1	एकल शिक्षकीय
55	सोनहत	प्रा0 शाला उधैनी	24	1	एकल शिक्षकीय
56	सोनहत	प्रा0शा0 किशोरी	46	1	एकल शिक्षकीय

57	सोनहत	मा०शा० तंजरा	47	1	एकल शिक्षकीय
58	सोनहत	प्रा०शा० अमरा	25	1	एकल शिक्षकीय
59	सोनहत	आश्रम शाला लब्जी	38	1	एकल शिक्षकीय
60	सोनहत	मा०शा० पोड़ी	61	3	निरंक
61	सोनहत	प्रा०शा० केवराबहरा	20	1	एकल शिक्षकीय
62	सोनहत	प्रा०शा० सुकतरा	32	1	एकल शिक्षकीय
63	सोनहत	मा०शा० रावतसरई	40	1	एकल शिक्षकीय
64	सोनहत	प्रा०शा० सलगवांखुर्द	13	1	एकल शिक्षकीय
65	सोनहत	प्रा०शा० मझगवां	23	1	एकल शिक्षकीय
66	सोनहत	प्रा०शा० जोगिया	22	2	निरंक
67	सोनहत	प्रा०शा० सोनहत	37	2	निरंक
68	सोनहत	मा०शा० बेलिया	23	1	एकल शिक्षकीय
69	सोनहत	मा०शा० घुघरा	102	4	निरंक
70	सोनहत	प्रा०शा० काचरडाड	11	1	एकल शिक्षकीय
71	सोनहत	प्रा०शा० उसनापारा	15	1	एकल शिक्षकीय
72	सोनहत	प्रा०शा० मधला	44	1	एकल शिक्षकीय
73	सोनहत	मा०शा० मझारटोला	24	2	निरंक
74	सोनहत	मा०शा० पत्थरगवां	29	3	निरंक
75	सोनहत	प्रा०शा० गिधेर	14	1	एकल शिक्षकीय
76	सोनहत	प्रा० शाला पण्डोपारा (किशोरी)	16	1	एकल शिक्षकीय
77	सोनहत	मा०शा० किशोरी	38	1	एकल शिक्षकीय
78	सोनहत	प्रा०शा० बांधपारा	44	1	एकल शिक्षकीय
79	मनेन्द्रगढ़	शा०उ०मा०वि०कोथारी	101	7	निरंक
80	मनेन्द्रगढ़	माध्यमिक शाला गुरचहवा	33	3	निरंक
81	मनेन्द्रगढ़	माध्यमिक शाला खोगापानी	114	4	निरंक
82	मनेन्द्रगढ़	माध्यमिक शाला कछौड	48	1	एकल शिक्षकीय
83	मनेन्द्रगढ़	माध्यमिक शाला भलौर	76	2	निरंक
84	मनेन्द्रगढ़	माध्यमिक शाला सलका	25	3	निरंक
85	मनेन्द्रगढ़	माध्यमिक शाला परसगढी	36	3	निरंक
86	मनेन्द्रगढ़	माध्यमिक शाला पूटाडाड	40	3	निरंक
87	मनेन्द्रगढ़	माध्यमिक शाला कपरिया	26	2	निरंक
88	मनेन्द्रगढ़	प्राथमिक शाला पुरानीबस्ती	9	2	निरंक
89	मनेन्द्रगढ़	प्राथमिक शाला मुड़धोवा	10	2	निरंक

90	मनेन्द्रगढ़	प्राथमिक शाला वनग्रामपारा	42	2	निरंक
91	मनेन्द्रगढ़	प्राथमिक शाला नारायणपुर	57	3	निरंक
92	मनेन्द्रगढ़	प्राथमिक शाला चनवारीडाड (कछौड़)	10	1	एकल शिक्षकीय
93	मनेन्द्रगढ़	प्राथमिक शाला बिरौरीडाड	60	1	एकल शिक्षकीय
94	मनेन्द्रगढ़	प्राथमिक शाला पिपरिया	60	4	निरंक
95	मनेन्द्रगढ़	प्राथमिक शाला परसगढी	55	1	एकल शिक्षकीय
96	मनेन्द्रगढ़	प्राथमिक शाला सुईबहरा	55	1	एकल शिक्षकीय
97	मनेन्द्रगढ़	प्राथमिक शाला खोगापानी	56	1	एकल शिक्षकीय
98	मनेन्द्रगढ़	माध्यमिक शाला बंजी	100	1	एकल शिक्षकीय
99	मनेन्द्रगढ़	प्राथमिक शाला मेण्डडोल	60	3	निरंक
100	भरतपुर	मा.शा. मसर्रा	28	2	निरंक
101	भरतपुर	मा0शा0 केसौडा	28	2	निरंक
102	भरतपुर	प्रा0शा0 वाहीडोल	32	3	निरंक
103	भरतपुर	मा.शा. सेमरिहा	71	3	निरंक
104	भरतपुर	प्रा0शा0उदकी	50	3	निरंक
105	भरतपुर	प्रा0शा0 हरई	35	3	निरंक
106	भरतपुर	मा0शा0 देवगढ	121	3	निरंक
107	भरतपुर	शा उ मा वि भरतपुर	690	32	निरंक
108	भरतपुर	प्रा0शा0 जमथान	83	3	निरंक
109	भरतपुर	प्रा0शा0 बहीडोल	32	3	निरंक
110	भरतपुर	क आ कोटाडोल	67	3	निरंक
111	भरतपुर	शा.उ मा.वि कोटाडोल	497	9	निरंक
112	भरतपुर	प्रा0शा0 ढापतुमाडी	25	1	एकल शिक्षकीय
113	भरतपुर	प्रा0शा0 बघर्राटोला	15	2	निरंक
114	भरतपुर	क0अ0जनकपुर	100	4	निरंक
115	भरतपुर	प्रा0शा माथमौर	35	2	निरंक
116	भरतपुर	शा0उ0मा0वि0कोटाडोल	497	9	निरंक
117	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. रटगा	58	2	निरंक
118	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. पिपरा	38	1	एकल शिक्षकीय
119	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. महोरा	60	3	निरंक
120	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. अभ्यासशाला बैकुण्ठपुर	0	2	निरंक
121	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. पोटेडांड	72	3	निरंक
122	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. गिरजापुर	78	3	निरंक
123	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. आमापारा	81	3	निरंक
124	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. सलका	113	4	निरंक
125	बैकुण्ठपुर	मा.शा. सागरपुर	40	4	निरंक

126	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा.बा. कसरा	55	2	निरंक
127	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा.क. बुडार	168	3	निरंक
128	बैकुण्ठपुर	मा.शा. नगर	103	1	एकल शिक्षकीय
129	खडगवां	शा0मा0शा0 खडगवां	144	5	निरंक
130	खडगवां	शा0प्रा0शा0 गिद्वमुडी	63	2	निरंक
131	खडगवां	शा0प्रा0शा0 सकड़ा	84	2	निरंक
132	मनेन्द्रगढ़	माध्यमिक शाला बुंदेली	110	3	निरंक
133	मनेन्द्रगढ़	माध्यमिक शाला बिहारपुर	40	3	निरंक
134	मनेन्द्रगढ़	प्राथमिक शाला चनवारीडाड	129	4	निरंक

परिशिष्ट “पांच”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 726) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी ]

प्रपत्र “अ”

खण्ड चार - क्रमांक 3

राजस्व पुस्तक परिपत्र

663

## राजस्व पुस्तक परिपत्र

खण्ड चार — क्रमांक 3

विषय — कृषि भूमि का वंटन

(भाग - 1) (अदला बदली)

अधिसूचना क्रमांक 16-1-84-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 22-2-1984 के द्वारा पूर्व परिपत्रों को निरस्त करते हुए पुनरीक्षित परिपत्र जारी किया है। कृषि प्रयोजनों के लिये शासकीय भूमि का वंटन एवं बीहड़ भूमि का वंटन अब नवीन परिपत्र के अनुसार किया जाएगा।

कंडिका 1. छत्तीसगढ़ में कृषि योग्य भूमि के वंटन के लिए पूर्व में प्रसारित आदेशों को निरस्त करते हुए निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं —

इन निर्देशों में —

- (क) “आदिवासी जाति” से तात्पर्य किसी ऐसी जाति से है जिसे छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1956 की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के संबंध में आदिवासी जाति घोषित किया गया है।
- (ख) “अनुसूचित जाति” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग छ: में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों में से किसी अनुसूचित जाति का हो।
- (ग) “स्वतंत्रता संग्राम-सैनिक” की परिभाषा वही होगी जो शासन (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर दी गई हो।
- स्पष्टीकरण — केवल ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक ही भूमि वंटन के पात्र होंगे जो “भूमिहीन” की परिभाषा में आते हैं तथा जिनकी मासिक आय रुपये 250 से अधिक न हो।
- (घ) “खेती करना” से तात्पर्य भूमि जोतने और किसानी तौर से उस पर फसल उगाने से है। बागवानी करना भी इसमें शामिल रहेगा और खेती करना तथा खेती अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जावेगा।

स्पष्टीकरण — फसल उगाने में असिंचित एवं साधारण घास उगाना शामिल नहीं है।

<sup>1</sup>[(घ-1) “पिछड़ा वर्ग” से तात्पर्य ऐसी जाति से है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) में निहित निर्देशों की पूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया हो।]

<sup>2</sup>[(ड) “भूमिहीन व्यक्ति” से तात्पर्य ऐसे वास्तविक कृषक व कृषक मजदूर से है जो इस राज्य में कम से कम बारह वर्ष से निवासी हो तथा जिसके स्वयं के पास अथवा उसके कुटुम्ब के सदस्य के साथ संयुक्त रूप से, कोई भूमि न हो।

स्पष्टीकरण — इस कंडिका के प्रयोजन के लिए भूमिहीन व्यक्ति के कुटुम्ब में वह स्वयं,

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 16/20/95/सात-2-ए भोपाल दिनांक 23-10-99 द्वारा जोड़ा गया।

2. अधिसूचना क्रमांक एफ 4-6-2000/सात-2-ए दिनांक 1-6-2000 द्वारा प्रतिस्थापित 1-6-2000 से प्रभावशील।

उसकी पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्रियाँ, माता व पिता तथा सगे और सौतेले भाई सम्मिलित माने जावेंगे ॥

(च) [ \* \* \* ]

(छ) [ \* \* \* ]

(ज) “कृषि स्नातक” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो तथा जिसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो।

(झ) “आवंटन अधिकारियों” से तात्पर्य उस राजस्व अधिकारी से है जिसे निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए राज्य शासन या आयुक्त या कलेक्टर द्वारा इस संबंध में समय-समय पर नियुक्त किया जाये।

(राज्य शासन ने तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार तथा ऐसे नायब तहसीलदारों को, जिनको छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन तहसीलदारों की शक्तियाँ प्राप्त हैं, आवंटन अधिकारी नियुक्त किया है।)

(ञ) “वास्तविक कृषक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आजीविका कृषि पर निर्भर हो।

(ट) “वास्तविक निवासी” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका परिवार राज्य में कम से कम 12 वर्ष से लगातार रहता आया हो।

(ठ) “अपील समिति” से तात्पर्य छत्तीसगढ़ लोक अभिकरणों के माध्यम से वीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1980 की धारा 8 के अधीन गठित समिति से है।

कंडिका 2. वंटन के लिए पात्रता — [इस परिपत्र में दी गई हिदायतों के अनुसार भूमि केवल उन्हीं व्यक्तियों को आवंटित की जाएगी जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी हों परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को वंटन की पात्रता नहीं होगी जिसने सरकार से पट्टे पर प्राप्त भूमि किसी अन्य को अंतरित कर दी हो ॥

कंडिका 3. वंटन के लिए प्राथमिकता क्रम — राजस्व विभाग के अंतर्गत शासकीय भूमि उसी गाँव के अथवा समीपवर्ती ग्राम के कोटवार को यदि नियमानुसार भूमि देना शेष हो तो उसके लिए निर्धारित भूमि सुरक्षित की जाकर शेष भूमि उस गाँव के “भूमिहीन” व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों की सहकारी संस्थाओं को बिना प्रीमियम के निम्नलिखित प्राथमिकता के क्रम से वंटित की जावेगी —

(क) निम्नलिखित वर्गों के भूमि हीन व्यक्तियों को —

(1) <sup>2</sup>[आदिवासी जाति तथा अनुसूचित जाति, तथा पिछड़ा वर्ग,]

(2) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक जो उसी तहसील के निवासी हों जिसमें कि उन्हें भूमि आवंटित की जाएगी,

(3) कृषिक श्रमिक,

(4) अन्य ग्रामीण भूमिहीन,

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 4-6-2000/सात 2-ए भोपाल, दिनांक 1-6-2000 द्वारा संशोधित।

- (5) वे रोजगार कृषि स्नातक जो कि उसी तहसील के निवासी हों, जिसमें कि उन्हें भूमि आवंटित की जाएगी और जिनके परिवार के पास 6 हैक्टर से अधिक भूमि न हो,
- (ख) निम्नलिखित, वर्गों के भूमिहीन व्यक्तियों की सहकारी संस्थाओं को —
- (1) आदिवासी जाति,
  - (2) अनुसूचित जाति,
  - <sup>1</sup>[(2-अ) पिछड़ा वर्ग,]
  - (3) कृषक श्रमिक, तथा
  - (4) अन्य ग्रामीण भूमिहीन ।

परन्तु यदि वंटन की जाने वाली भूमि किसी गैर-आबाद ग्राम में स्थित हो, तो उसका वंटन पड़ोसी ग्राम के भूमिहीन व्यक्तियों या उनकी सहकारी संस्थाओं को ऊपर उल्लिखित क्रम के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को यदि पहले कोई भूमि बिना प्रीमियम लिए दी गई हो और उन्होंने उस भूमि को बेच दिया हो तो उन्हें कोई भूमि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी :

परन्तु यह और कि शासन विशेष परिस्थिति में इस परिपत्र में बताई गई श्रेणियों में व्यक्तियों के अलावा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को विज्ञप्ति प्रसारित कर कृषि कार्य के लिये किसी भी सीमा तक भूमि वंटन किये जाने के विशेष आदेश जारी कर सकेगा ।

(कृपया अनुसूची-1 अवलोकन करें जो प्ररूपों के अंत में दी गई है ।) \*

कंडिका 4. वंटन से शेष भूमि का निराकरण —

- (क) यदि किसी विशेष गाँव की भूमि का वंटन कंडिका 3 में दिये गये भूमिहीन व्यक्तियों तथा सहकारी संस्थाओं को करने के पश्चात् वंटन करने के लिये और ऐसी भूमि उपलब्ध हो, तो पड़ोस के गाँव के लोगों को निर्धारित प्राथमिकता के क्रमानुसार उसका वंटन किया जा सकेगा ।
- (ख) यदि कंडिका 3 तथा 4 (क) में उल्लिखित भूमिहीन व्यक्तियों या भूमिहीन व्यक्तियों की कोई सहकारी संस्था द्वारा भूमि की माँग न हो, तो भूमि का वंटन शासन अथवा कमिश्नर द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निश्चित किये गये भूमि के बाजार मूल्य का भुगतान करने पर अन्य व्यक्तियों को जो भूमिहीन हों या ऐसे व्यक्तियों को किसी सहकारी संस्था को किया जायेगा ।
- (ग) तत्पश्चात् ही शेष भूमि का उसी ग्राम के अन्य व्यक्तियों को बाजार मूल्य लेकर वंटन किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण — (1) जब भूमि वंटन के लिये उस या उसके पड़ोस के ग्राम में इतनी कम मात्रा में उपलब्ध हो कि एक ही श्रेणी के आवेदनकर्ताओं की संख्या के अनुसार प्रत्येक को 1/2 हैक्टर भूमि भी वंटित न की जा सके तो उस दशा में वंटन ऐसे पत्रों को लाट डालकर निर्णय लेकर किया जायेगा ।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 16/20/95/सात-2-ए भोपाल दिनांक 23-10-99 द्वारा संशोधित ।

- (5) वे रोजगार कृषि स्नातक जो कि उसी तहसील के निवासी हों, जिसमें कि उन्हें भूमि आवंटित की जाएगी और जिनके परिवार के पास 6 हैक्टर से अधिक भूमि न हो,
- (ख) निम्नलिखित, वर्गों के भूमिहीन व्यक्तियों की सहकारी संस्थाओं को —
- (1) आदिवासी जाति,
  - (2) अनुसूचित जाति,
  - <sup>1</sup>[(2-अ) पिछड़ा वर्ग,]
  - (3) कृषक श्रमिक, तथा
  - (4) अन्य ग्रामीण भूमिहीन।

परन्तु यदि वंटन की जाने वाली भूमि किसी गैर-आबाद ग्राम में स्थित हो, तो उसका वंटन पड़ोसी ग्राम के भूमिहीन व्यक्तियों या उनकी सहकारी संस्थाओं को ऊपर उल्लिखित क्रम के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को यदि पहले कोई भूमि बिना प्रीमियम लिए दी गई हो और उन्होंने उस भूमि को बेच दिया हो तो उन्हें कोई भूमि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी :

परन्तु यह और कि शासन विशेष परिस्थिति में इस परिपत्र में बताई गई श्रेणियों में व्यक्तियों के अलावा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को विज्ञप्ति प्रसारित कर कृषि कार्य के लिये किसी भी सीमा तक भूमि वंटन किये जाने के विशेष आदेश जारी कर सकेगा।

(कृपया अनुसूची-1 अवलोकन करें जो प्ररूपों के अंत में दी गई है।) ”

कंडिका 4. वंटन से शेष भूमि का निराकरण —

- (क) यदि किसी विशेष गाँव की भूमि का वंटन कंडिका 3 में दिये गये भूमिहीन व्यक्तियों तथा सहकारी संस्थाओं को करने के पश्चात् वंटन करने के लिये और ऐसी भूमि उपलब्ध हो, तो पड़ोस के गाँव के लोगों को निर्धारित प्राथमिकता के क्रमानुसार उसका वंटन किया जा सकेगा।
- (ख) यदि कंडिका 3 तथा 4 (क) में उल्लिखित भूमिहीन व्यक्तियों या भूमिहीन व्यक्तियों की कोई सहकारी संस्था द्वारा भूमि की माँग न हो, तो भूमि का वंटन शासन अथवा कमिश्नर द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निश्चित किये गये भूमि के बाजार मूल्य का भुगतान करने पर अन्य व्यक्तियों को जो भूमिहीन हों या ऐसे व्यक्तियों को किसी सहकारी संस्था को किया जायेगा।
- (ग) तत्पश्चात् ही शेष भूमि का उसी ग्राम के अन्य व्यक्तियों को बाजार मूल्य लेकर वंटन किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण — (1) जब भूमि वंटन के लिये उस या उसके पड़ोस के ग्राम में इतनी कम मात्रा में उपलब्ध हो कि एक ही श्रेणी के आवेदनकर्ताओं की संख्या के अनुसार प्रत्येक को 1/2 हैक्टर भूमि भी वंटित न की जा सके तो उस दशा में वंटन ऐसे पत्रों को लाट डालकर निर्णय लेकर किया जायेगा।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 16/20/95/सात-2-ए भोपाल दिनांक 23-10-99 द्वारा संशोधित।

## प्रपत्र "ब"

न्यायालय नायब तहसीलदार बिलासपुर (छ.ग.)  
राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र (रेवेन्यु आर्डर शीट)

पक्षकार - जेतूराम चौहान विरुद्ध छ.ग.शासन  
प्रकरण क्रमांक - 202003075000002

मौजा- सेंदरी  
अ-6/2020-21

1.	2	3
	<p>प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण का अनालोकन किया।</p> <p>आवेदक जेतूराम चौहान पिता स्व गंधाराम चौहान निवासी ग्राम रगतला तहसील बिलासपुर ने भू राजस्व संहिता 1958 की प्राय 109, 110 के तहत गौजा सेंदरी प्लॉट नंबर 46, खसरा नंबर 2231 रकबा 7.38 एकड़ जो कि वर्तमान में स्व मुंशी पिता स्व फुलेश के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है का वसीयत अपने नाम पर होने एवं कतीयत के अन्वय पर वाद भूमि को राजस्व अभिलेखों में अपने नाम पर दर्ज करने निवेदन किया है अपने आवेदन के समर्थन में कतीयत कर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति वर्तमान खसरा बी-1 की प्रति एवं कतीयत की प्रति प्रस्तुत किया। वसीयतकर्ता मुंशी पिता स्व फुलेश की मृत्यु दिनांक 15/05/1985 को होना बताया गया है। प्रस्तुत वसीयत का निष्पादन की तारीख 03/03/1982 उल्लेखित है।</p> <p>ईशतहार प्रकाशन कराया गया जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। हल्का पटवारी ने लेख किया कि ग्राम सेंदरी पटवारी हल्का नंबर 40 निश्चित खसरा नंबर 2231 रकबा 7.38 एकड़ मुंशी पिता फुलेश के नाम पर शासन से प्राप्त भूमिस्वामी हक में दर्ज होना बताया साथ ही पद्यतमा एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर वाद भूमि के संबंध में एक अन्य प्रकरण प्रमाण सापत्तकरण हेतु पञ्चित होना तथा वाद भूमि पर पटेल परिवार का कब्जा होना बताया गया। वाद भूमि के संबंध में आवेदिका दुआशा बाई मराठी द्वारा दिनांक 07/11/2020 को मुंशी पिता फुलेश को अपना पिता बताते हुये एवं स्वयं को उनकी एकमात्र सतान बताकर फौती नामांतरण दर्ज किये जाने आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदिका ने अपने समर्थन में शपथपत्र आनलाईन मृत्युप्रमाण पत्र की प्रति जिसमें मुंशी पिता फुलेश की मृत्यु 30/05/1985 को होना उल्लेखित है, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति जिसमें मात्र उनके नाम तथा जन्मतिथि अंकित है, बी-1 नक्शा खसरा की छायाप्रति प्रस्तुत किया। अधिकार अभिलेख की प्रति प्रस्तुत किया जिसमें खसरा नंबर 2231 रकबा 7.30 एकड़ मुंशी वल्द फुलेश के नाम पर दर्ज है।</p> <p>हल्का पटवारी ग्राम सेंदरी को द्वारा दिनांक 03/05/2021 को प्रतिवेदन में बिन्दु क्रमांक एक - में प्रतिवेदित किया जा है कि वाद भूमि शासन से प्राप्त भूमिस्वामी हक की भूमि है। बिन्दु क्रमांक 10 - में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि से रगतला (सेंदरी) कोनी नुरजमार्ग गुजरती है। पूर्व में हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 04/12/2020 को अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है जो कि - बिन्दु क्रमांक एक - आवेदित भूमि मिसल में घांस भूमि एवं निस्तार पत्रक में ईंधन एवं धारे को सुरक्षित रखने की मद की भूमि में दर्ज थी। जिसे रा.म.क्र. 3 अ 1 वर्ष 1989 70 के आदेशानुसार भूमिस्वामी हक में धारित होने से आदेश दिनांक 25.3.1972 को वृधक किया गया है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी के बिलासपुर के हस्ताक्षर हैं।</p> <p>बिन्दु क्रमांक दो - आवेदित भूमि मिसल के मूल रकबे में अधिक नहीं है।</p>	

बिन्दु क्रमांक तीन - मुंसिरवामी मुंशी पिता फुलेश के संबंध में ग्राम सैदरी में पूछताछ कर पंचनामा तैयार किया गया। पंचनामा में हस्तक्षेपित ग्रामवासियों के अनुसार मुंशी पितृ फुलेश ग्राम सैदरी के निवासी नहीं है न ही आवेदित भूमि पर उनका कब्जा रहा है। ग्रामवासी भूमिस्वामी मुंशी को नहीं जानते न ही उनके किसी वारिस के बारे में जानकारी होना बताया गया। -उपरोक्तानुसार इत्का पटवारी के द्वारा प्रतिवेदित किया।


आवेदक जेटूराम चौहान एवं आवेदिका स्व दुआशा बाई मरावी द्वारा एक ही वाद भूमि के संबंध में क्रमशः वरीयत एवं फत के आधार पर क्रमशः दिनांक 02/03/2020 एवं 07/11/2020 को नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है अतः आवेदक जेटूराम चौहान के प्रकरण में स्व दुआशा बाई मरावी के प्रकरण को मज कर सुनवाई प्रारंभ किया गया एवं स्व दुआशा बाई मरावी तथा जेटूराम चौहान को नोटिस जारी कर आहूत किया गया जेटूराम चौहान द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र पेश कर शीघ्र निराकरण करने का निवेदन करने पर जजमण्ड को प्रकरण में विलंब होने के कारण अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत करने कहा गया।

नोटिस तामिली उपरांत जेटूराम चौहान ने बताया कि उनके साक्षियों द्वारा पूर्व में ही शपथपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही दुआशा बाई के नोटिस के संबंध में ग्राम कोटवार कोनी के द्वारा यह लेख कर नोटिस वापस किया गया कि दुआशा बाई मरावी की मृत हो चुकी है। दुआशा बाई दो बहनें थीं। स्व दुआशा बाई का स्व दुआशा बाई तथा स्व दुआशा बाई के पांच पुत्र एवं एक पुत्री क्रमशः भोलाराम, भास्कर, महेश स्व दिनेश, मनहरण एवं जमुनाबाई थीं। दुआशा बाई के मृत होने के कारण उनके वारिसों को नोटिस जारी किया गया जिसके संबंध में ग्राम कोटवार कोनी द्वारा नोटिस के पृष्ठ भाग में लेख कर बताया गया कि गायत्री पिता स्व दिनेश एवं भोलाराम पिता स्व समारु अन्यत्र निवास करते हैं एवं गवाह स्वरूप दीपेन्द्र मरावी एवं देवेन्द्र मरावी का हस्ताक्षर लिया गया। देवेन्द्र मरावी गायत्री के भाई एवं भोलाराम के भतीजे तथा स्व दिनेश के पुत्र हैं। दीपेन्द्र पिता महेश मरावी को महेश मरावी के नोटिस को तामिल कराया जाना एवं राधिका मरावी पिता मनहरण मरावी को मनहरण मरावी के नोटिस को तामिल कराया जाना ग्राम कोटवार कोनी द्वारा लेख कर तामिली की प्रति न्यायालय में जमा किया गया। भास्कर मरावी पिता स्वर्गीय समारु मरावी द्वारा नोटिस लेने में इंकार किया गया। दुआशा बाई के कोई भी वारिस नोटिस तामिली परचात भी पेशी तिथि को उपस्थित नहीं हुए। आवेदक जेटूराम चौहान द्वारा आवेदन पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण लंब समय से लंबित है। दुआशा बाई मरावी द्वारा प्रकरण को बिना आधार के विलंब किया जा रहा है।

अपने पक्ष समर्थन में जेटूराम चौहान ने लिखित लार्ज प्रस्तुत किया कि दुआशा बाई मरावी द्वारा झूठा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि वह मुंशी पिता फुलेश की एकमात्र पुत्री है। जबकि सत्य यह है कि मुंशी पिता फुलेश निस्तान पौर हुए थे। उन्होंने मेरे सेवा कार्य से प्रसन्न होकर वाद भूमि को मेरे नाम पर दिनांक 03/03/1982 को दो गवाहों श्री अशिराम भारद्वाज पिता स्व मनहर भारद्वाज साकिन सैदरी एवं श्री हरीशचंद्र सोनी पिता स्व भाउराम सोनी साकिन सैदरी हालमुकाम जरहाभाठा बिलासपुर के समक्ष वरीयत निरूपित किया। स्व दुआशा बाई मरावी का मायके ग्राम गतौरी में है जहां के सरपंच, उपसरपंच एवं ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त लिखित पंचनामा आवेदक जेटूराम चौहान के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें यह दर्शित है कि दुआशा बाई मरावी की एक स्त्री बहन ईतवाराबाई भी थी तथा दुआशा बाई मरावी के पिता का नाम रामकामेण है। ग्राम कोटवार कोनी द्वारा नोटिस तामिली के समय दुआशा बाई मरावी के मृत होने का लेख करने के साथ दुआशा बाई मरावी के नोटिस के पृष्ठ भाग पर वशयुक्त भी बनाया गया जिसमें स्व दुआशा बाई मरावी का बहन स्व ईतवाराबाई का नाम उल्लेखित है। दुआशा बाई मरावी द्वारा मुंशी

पिता फुलेश को अपने पिता होने संबंधी किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। दुआशा बाई मरावी ने मुंशी पिता फुलेश का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उनका गोंड जाति का होना उल्लेखित है जबकि वे श्रीवारा थे तथा किसी भी राजस्व अभिलेख में उनका गोंड होना उल्लेखित नहीं है। इन परिस्थितियों में दुआशा बाई मरावी को द्वारा वाद भूमि के संबंध में प्रस्तुत दावा निराधार एवं आवेदक को परेशान करने तथा उसके प्रकरण में विलंब करने वाला प्रतीत होता है। साथ ही राजस्व न्यायालय को गुमराह किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे (आवेदक को) वाद भूमि के संबंध में न्याय प्राप्त होने में बेजा विलंब हो रहा है जिसके कारण आवेदक को बेवजह आर्थिक, मानसिक, भौतिक क्षति हो रही है। अतः अनावेदिका के आवेदन को खारिज करते हुये आवेदक के नाम पर यथाशीघ्र वसीयत नामा के आधार पर नामांतरण कर राजस्व अभिलेख दुरुस्त कराने का कष्ट करें।

प्रकरण में आवेदक जेटूराम चौहान द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र, वसीयतपत्र, वसीयतकर्ता के मृत्यु प्रमाणपत्र वाद भूमि के दस्तावेज ईशतहार को प्रति एवं वादभूमि के संबंध में दुआशा बाई मरावी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं अन्य दस्तावेज के अवलोकन से यह तथ्य सामने आत है कि वर्तमान भूमिस्वामी स्व. मुंशी पिता फुलेश निस्तान थे। दुआशा बाई ने ऐसा कोई दस्तावेज अथवा गवाह प्रस्तुत नहीं किया है जिससे मुंशी पिता फुलेश उनके पिता साबित होता हो। आवेदक जेटूराम चौहान द्वारा ग्राम गतौरी के सरपंच, उपसरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षरित पंचनामा प्रस्तुत करने तथा अपने तर्कों में कोटवार के नोटिस तामिली में उल्लेखित दुआशाबाई मरावी के बहन ईतवाराबाई के वर्णन होने से यह स्पष्ट होता है कि दुआशा बाई की एक बहन भी थी जबकि उन्होंने आवेदन में स्वयं को अपने पिता का एकमात्र वारिस बताया है। साथ ही उपरोक्त दस्तावेजों से यह भी प्रमाणित होता है कि दुआशा बाई एवं ईतवाराबाई के पिता जो कि ग्राम गतौरी में निवास करते थे उनका नाम रामकलेश था इससे अवेदिका के पिता का नाम एवं निवास दोनों भू-स्वामी से भिन्न होना प्रमाणित होता है। इस प्रकार वाद भूमि का क्षेत्रीय गेडन 46 खसरा नंबर 2231 रकबा 738 एकड़ तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.) के संबंध में दुआशा बाई द्वारा प्रस्तुत दावा पूर्णतः निराधार प्रतीत होता है। आवेदक जेटूराम चौहान द्वारा अपने वसीयत में उल्लेखित दो साक्षियों के द्वारा शपथपत्र देकर वसीयत के सत्य होने की पुष्टि की गई है। इन परिस्थितियों में वाद भूमि का स्वात्वाधिकारी जेटूराम चौहान पिता स्व. गेंदराम चौहान भाकिन रमतला तहसील व जिला बिलासपुर छ.ग. है। अतः आवेदक जेटूराम चौहान के वसीयत के आधार पर छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत वसीयतकर्ता के नाम से वाद भूमि को आवेदक एवं वसीयत प्राप्तकर्ता जेटूराम चौहान पिता स्व. गेंदराम चौहान के नाम पर नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। अतिरिक्त में किसी भी प्रकार के वाद अथवा दावा हेतु उभयपक्ष जिम्मेदार होंगे। प्रकरण नर्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर करें।

  
नायब महसूलदार  
जिला बिलासपुर

## परिशिष्ट "छः"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 156) की जानकारी ]

बिलासपुर जिले के स्वामी आत्मानंद इंग्लिस मीडियम स्कूलों की स्थापना संबंधी जानकारी

क्र	स्वामी आ.उ.अं.मा.विद्यालय का नाम	कुल पदों की संख्या		
		स्वी	कार्य	रिक्त
1	2	3	4	5
1	स्वामी आ उ अं मा विद्यालय मंगला	44	40	4
2	स्वामी आ उ अं मा विद्यालय लाला लाजपतसय	39	31	8
3	स्वामी आ उ अं मा विद्यालय शेख गफ्फार तारबाहर	39	37	2
4	स्वामी आ उ अं मा विद्यालय लिंगियाडीह	46	28	18
5	स्वामी आ उ अं मा विद्यालय डी.के.पी कोटा	43	24	19
6	स्वामी आ उ अं मा विद्यालय जे.एम.पी तखतपुर	43	19	24
7	स्वामी आ उ अं मा विद्यालय चकरभाटा	43	28	15
8	स्वामी आ उ अं मा विद्यालय मस्तूरी	43	30	13
	योग	340	237	103

## परिशिष्ट "सात"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 431) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

सं. क्र.	विकासखण्ड का नाम	कुल प्राथमिक शालाओं की संख्या	एकल शिक्षकीय प्राथमिक शालाओं की संख्या	शिक्षक विहीन प्राथमिक शालाओं की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
<b>ई संवर्ग</b>					
1	बैकुण्ठपुर	133	11	0	एकल शिक्षक/शिक्षक विहीन शालाओं में अध्यापन व्यवस्था के तहत अन्य शालाओं के शिक्षकों को अध्यापन कार्य हेतु कर्तव्यस्थ किया गया है।
2	खडगवा	51	1	1	
3	मनेन्द्रगढ	31	3	0	
4	सोनहत	107	23	2	
5	भरतपुर	4	0	0	
योग -		326	38	3	-
<b>टी संवर्ग</b>					
1	बैकुण्ठपुर	130	13	0	एकल शिक्षक/शिक्षक विहीन शालाओं में अध्यापन व्यवस्था के तहत अन्य शालाओं के शिक्षकों को अध्यापन कार्य हेतु कर्तव्यस्थ किया गया है।
2	खडगवा	136	11	0	
3	मनेन्द्रगढ	142	20	4	
4	सोनहत	20	4	1	
5	भरतपुर	200	21	1	
योग -		628	69	6	-
<b>ई/टी कुल योग :-</b>		<b>954</b>	<b>107</b>	<b>9</b>	-

## प्रपत्र "ब"

स.क्र	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक शाला का नाम	शाला में कुल दर्ज संख्या	शाला में कुल कार्यरत शिक्षक संख्या	अतिशेष शिक्षक संख्या
1	2	3	4	5	6
ई संवर्ग					
1	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. मण्डलपारा	60	3	1
2	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. जूनापारा बिशुनपुर	37	3	1
3	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. टैगनी	60	3	1
4	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. खांडा	27	3	1
5	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. गदबदी	52	3	1
6	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. खरवत	52	3	1
7	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. सागरपुर	45	3	1
8	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. खुरसिया	45	4	2
9	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. कन्या चित्ताझरपोंड़ी	41	5	3
10	बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. शिवपुर	37	3	1
11	खडगवां	प्रा० शा० अखराडांड	78	4	1
12	खडगवां	प्रा० शा० बोडेमुडा	88	4	1
13	खडगवां	प्रा० शा० तामडांड	88	4	1
14	खडगवां	प्रा० शा० आमाडांड	88	4	1
15	खडगवां	प्रा० शा० छुरी	30	2	1
16	खडगवां	प्रा० शा० पोंडी	109	4	1
17	खडगवां	प्रा० शा० जिल्दा	94	4	1
18	खडगवां	क० प्रा० शा० चिरिमिरी कॉलरी	47	5	3
19	खडगवां	क० प्रा० शा० चिरिमिरी कॉलरी	47	5	3
20	खडगवां	क० प्रा० शा० चिरिमिरी कॉलरी	47	5	3
21	खडगवां	प्रा० शा० मगोरा	25	3	1
22	खडगवां	प्रा० शा० साजापहाड	78	4	1
23	खडगवां	प्रा० शा० गेल्हाफानी कॉलरी	40	3	1
24	खडगवां	प्रा० शा० डोमनहील	81	5	2
25	खडगवां	प्रा० शा० डोमनहील	81	5	2
26	खडगवां	प्रा० शा० गोदरीपारा	65	5	2
27	खडगवां	प्रा० शा० गोदरीपारा	65	5	2
28	मनेन्द्रगढ़	प्रा०शा०बा. मनेन्द्रगढ़	57	3	1
29	मनेन्द्रगढ़	प्रा.शा. आमाखेरवा	36	3	1

20	मनेन्द्रगढ़	प्रा शा कटौतिया	85	6	3
31	मनेन्द्रगढ़	प्रा.शा भल्लौर	39	3	1
32	मनेन्द्रगढ़	प्रा शा बी सीम	30	3	1
योग :-			1854	122	47
स.क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक शाला का नाम	शाला में कुल दर्ज संख्या	शाला में कुल कार्यरत शिक्षक संख्या	अतिरिक्त शिक्षक संख्या
1	2	3	4	5	6
<b>टी संवर्ग</b>					
1	बैकुण्ठपुर	आदिवासी कन्या आश्रम शाला बुझार	28	3	1
2	बैकुण्ठपुर	आदिवासी कन्या आश्रम शाला सोरगा	33	3	1
3	बैकुण्ठपुर	प्रा0शा0 भैरामुड़ा	77	3	1
4	बैकुण्ठपुर	प्रा0शा0 नवाडीह	51	3	1
5	बैकुण्ठपुर	प्रा0शा0 पण्डोपारा चरचा	38	3	1
6	बैकुण्ठपुर	प्रा0शा0 मेको	22	3	1
7	खडगवा	शा0प्रा0शा0 पोंडीडीह	48	3	1
8	खडगवा	शा0प्रा0शा0 मुकमुकी	38	3	1
9	खडगवा	शा0प्रा0शा0 भण्डारदेई	50	3	1
10	खडगवा	शा0प्रा0शा0 टिकरापारा छुरी	23	3	1
11	खडगवा	शा0प्रा0शा0 लोटाबहरा	43	3	1
12	खडगवा	शा0प्रा0शा0 बांधपारा जिल्दा	54	3	1
13	खडगवा	शा0प्रा0शा0 केनापारा (तोलगा)	31	3	1
14	खडगवा	शा0प्रा0शा0 सावला	59	3	1
15	खडगवा	शा0प्रा0शा0 चीफहाउस	50	3	1
16	खडगवा	शा0प्रा0शा0 पण्डोपारा सोंस	36	3	1
17	खडगवा	शा0प्रा0शा0 पोण्ड्रीहील	107	8	4
18	खडगवा	शा0प्रा0शा0 सड़क दफाई	26	3	1
19	खडगवा	शा0प्रा0शा0 हरबोरापारा	49	3	1
20	मनेन्द्रगढ़	प्रा0शा0 डोमनापारा	82	4	1
21	मनेन्द्रगढ़	प्रा0शा0 कलमडांड	44	3	1
22	मनेन्द्रगढ़	प्रा0शा0 डंगौरा	52	3	1
23	मनेन्द्रगढ़	प्रा0शा0 शकरगढ़	79	4	1
24	मनेन्द्रगढ़	प्रा0शा0 भौता	54	3	1
25	मनेन्द्रगढ़	प्रा0शा0 नारायणपुर	57	3	1
26	मनेन्द्रगढ़	प्रा0शा0 वनग्रामपारा	42	3	1
27	मनेन्द्रगढ़	प्रा0शा0 बालक खोंगापानी	56	3	1
28	मनेन्द्रगढ़	प्रा0शा0 पुरानीबस्ती	9	3	1
29	मनेन्द्रगढ़	प्रा0शा0 रापाखेडा	82	4	1
30	मनेन्द्रगढ़	प्रा शा वार्ड नं 10 मोहारपारा	56	3	1
31	मनेन्द्रगढ़	प्रा0शा0 परसगढी	55	3	1
32	मनेन्द्रगढ़	प्रा0शा0 मेण्डाडोल	60	4	2

33	मनन्दगढ	प्रा०शा० सेमरा	42	3	1
34	मनन्दगढ	प्रा०शा० लाई	45	3	1
35	मनेन्द्रगढ	प्रा०शा० डोंगरीपारा	37	3	1
36	भरतपुर	प्रा०शा० कन्नौज	44	3	1
37	भरतपुर	प्रा०शा० कुवांरी	46	5	1
38	भरतपुर	प्रा०शा० हथवारी	112	5	1
39	भरतपुर	प्रा०शा० बैगापारा जनकपुर	50	3	1
40	भरतपुर	प्रा०शा० हरई	37	3	1
41	भरतपुर	प्रा०शा० नौदिया	103	5	1
	योग :-		2107	136	45

## परिशिष्ट "आठ"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 486) के भाग (ख) की जानकारी ]

क्र.	क्रय किये जाने वाली उपकरण एवं अन्य सामग्री का नाम	क्रय किये गये उपकरण एवं अन्य सामग्रियों का नाम	संख्या	दर	कुल राशि (रुपये में)	सप्लायकर्ता कंपनी का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	25 नग कम्प्यूटर	कम्प्यूटर सेट	25	33898.31	847457.75	मेसर्स यूनिक सेल्स एवं सर्विस, तकिया रोड अंबिकापुर
2	एसेसरीस,	लैपटाप	01	40508.47	40508.47	
3	इंस्टालेशन सहित	प्रिंटर	01	18220.34	18220.34	
4		इलेक्ट्रीक स्टाफ	-	38135.59	38135.59	
5	प्रोजेक्टर	प्रोजेक्टर	01	25423.73	25423.73	
6		प्रोजेक्टर बैली	01	11779.66	11779.66	
7		होम थियेटर	01	4237.29	4237.29	
8	स्टूडेंट फर्निचर	स्टडी चेयर	25	2076.27	51906.75	
9		ऑफिस चेयर	25	2923.73	73093.25	
10		स्टूडेंट चेयर / कम्प्यूटर चेयर	25	1483.05	37076.25	
11		अलमिरा	04	8389.83	33559.32	
12		ऑफिस टेबल	01	10593.22	10593.22	
13		कम्प्यूटर टेबल	01	3262.71	3262.71	
14		रिवाल्विंग चेयर	01	7033.90	7033.90	
15	एयर कंडिशनर	एयर कंडिशनर	02	37711.86	75423.72	
16				जी.एस.टी	114994.08	
17				एस.जी.एस.टी	114994.08	
				कुलयोग	<b>1507700.11</b>	
18	कम्प्यूटर कक्ष की	वाल पुट्टी	-	41525.42	41525.42	
19	साज-सज्जा	वाल पेंट	-	41525.42	41525.42	
20		कार्टर स्थापना	-	127118.64	127118.64	
21		कारपेट	-	50000.00	50000.00	
22		फाल्स सिलिंग	-	157033.90	157033.90	
23				सी.जी.एस.टी	37548.30	
24				एस.जी.एस.टी	37548.30	
				कुल योग	<b>492299.98</b>	
				महायोग	<b>2000000.09</b>	

## परिशिष्ट "नौ"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 320) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

## प्रारम्भिक स्तर -

क्र.	सत्र	संचालित पोर्टा कैबिन आवासीय विद्यालय की संख्या	अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या (भरे हुए सीट की संख्या)			स्वीकृत सीट की संख्या	रिक्त सीट की संख्या
			छात्र	छात्रा	योग		
1	2018-19	60	17810	11072	28882	30000	1118
2	2019-20	60	17823	11067	28890	30000	1110
3	2020-21	60	16285	9825	26110	30000	3890
4	2021-22	60	16345	11190	27535	30000	2465

## माध्यमिक स्तर -

क्र.	सत्र	संचालित पोर्टा कैबिन छात्रावास की संख्या	अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या (भरे हुए सीट की संख्या)			स्वीकृत सीट की संख्या	रिक्त सीट की संख्या
			छात्र	छात्रा	योग		
1	2018-19	57	2457	1339	3796	5450	1654
2	2019-20	57	2550	1518	4068	5450	1382
3	2020-21	57	2071	1234	3305	5450	2145
4	2021-22	58	2972	1676	4648	5450	802

## प्रपत्र "ब"

## प्रारम्भिक स्तर -

(राशि रुपये में)

क्र.	सत्र	प्रतिसीट प्रतिवर्ष प्राप्त राशि			प्रतिसीट व्यय राशि	शेष राशि	राशि का उपयोग
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग			
1	2018-19	18566.82	12377.88	30944.71	30910.72	33.99	प्राप्त राशि का उपयोग पोर्टा कैबिन आवासीय विद्यालय के संचालन में प्राप्त मदवार छात्र-छात्राओं के भोजन आवासीय व्यवस्था, स्टाफपड, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार, स्टेशनरी सामग्री एवं दैनिक उपयोग की सामग्री, विद्युत व्यय, परम्पत एवं रखरखाव, शौचालय एवं भवन की सफाई आदि में किया गया।
2	2019-20	14549.84	9699.90	24249.74	24228.87	20.87	प्राप्त राशि का उपयोग पोर्टा कैबिन आवासीय विद्यालय के संचालन में प्राप्त मदवार छात्र-छात्राओं के स्टाफपड एवं विद्युत व्यय में किया गया।
3	2020-21	1371.13	914.09	2285.22	2272.67	12.55	प्राप्त राशि का उपयोग पोर्टा कैबिन आवासीय विद्यालय के संचालन में प्राप्त मदवार छात्र-छात्राओं के भोजन आवासीय व्यवस्था, स्टाफपड, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार, स्टेशनरी सामग्री एवं दैनिक उपयोग की सामग्री, विद्युत व्यय, परम्पत एवं रखरखाव, शौचालय एवं भवन की सफाई आदि में किया गया।
4	2021-22	4970.24	3313.49	8283.73	6118.94	2164.80	प्राप्त राशि का उपयोग पोर्टा कैबिन आवासीय विद्यालय के संचालन में प्राप्त मदवार छात्र-छात्राओं के भोजन आवासीय व्यवस्था, स्टाफपड, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार, स्टेशनरी सामग्री एवं दैनिक उपयोग की सामग्री, विद्युत व्यय, परम्पत एवं रखरखाव, शौचालय एवं भवन की सफाई आदि में किया गया।

## माध्यमिक स्तर -

(राशि रुपये में)

क्र.	सत्र	प्रतिसीट प्रतिवर्ष प्राप्त राशि			प्रतिसीट व्यय राशि	शेष राशि	राशि का उपयोग
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग			
1	2018-19	8932.47	5954.98	14887.45	14887.45	0.00	प्राप्त राशि का उपयोग पोर्टा कैबिन छात्रावास के संचालन हेतु छात्र-छात्राओं के भोजन व्यवस्था में किया गया।
2	2019-20	8522.17	5681.45	14203.62	14034.98	168.63	प्राप्त राशि का उपयोग पोर्टा कैबिन छात्रावास के संचालन हेतु छात्र-छात्राओं के स्टाफपड में किया गया।
3	2020-21	482.98	321.98	804.96	804.96	0.00	प्राप्त राशि का उपयोग पोर्टा कैबिन छात्रावास के संचालन हेतु छात्र-छात्राओं के भोजन, स्टाफपड, स्टेशनरी सामग्री, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार आदि में किया गया।
4	2021-22	4343.09	2895.40	7238.49	6675.69	562.80	प्राप्त राशि का उपयोग पोर्टा कैबिन छात्रावास के संचालन में प्राप्त मदवार छात्र-छात्राओं के भोजन, स्टाफपड, स्टेशनरी सामग्री, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार आदि में किया गया।

परिशिष्ट "दस"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 746) के भाग (ख) की जानकारी ]

चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सर्वे कराये गये ग्रामों की जानकारी

स. क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम
1	2	3
1	मालखरौदा	मंद्रागोढी, डिक्की, मोहंदीखुर्द, आडिल, दर्राभांठा, मोहंदीकला, औरदा, नवरंगपुर, गोरखापाली, बसंतपुर, कटारी, चंदेलाडीह, सुलौनी, सुकलीपाली, पिकरीपार, सकर्रा, सोनादुला, बुंदेली, डिमानी, सकर्रा, अडभार, सपिया, बोकरेल, खरताल, छतौना, टाटा, फगुरम, झर्रा, तौलीपाली, बोडासागर, सेरो, कुधरी, कुलबा, भांठा, परसा, लिमगांव, बंजारी, संजारी, कर्रापाली, दारीमुड़ा, बंदोरा, करिगांव, पोता, आमनदुला, नवागांव, भठोरा, सारसडोल, अमेराडीह, सतगढ़, कलमी, मोहतरा, बीरभांठा, मालखरौदा, मुक्ता, बड़ेपारड़मुड़ा, चरौदी, चरौदा, सारसकेला, परसी, अण्डी, अण्डा, किरारी, बड़ेमुड़पार, तुलसीडीह, जमगहन, किरकार, दलालपाली, छोटेकोट, सिंधरा, परसाडीह, चांटीपाली, खेमड़ा, बेल्हाडीह, कनाईडीह, खर्रा, चारपारा, छोटेसीपत, चिखली, बड़ेकोट, पिहरीद, भूतहा, छोटेरबेली, बड़ेरबेली, भड़ोरा, जोगीडीपा, बरभांठा, बड़ेसीपत, नगझर, कुरदा, कुरदी, नावापारा, बिलाईगढ़, पिरदा, डोंगरीडीह, अमलीडीह, माहुलदीप, छपोरा, घोघरी, बरभांठा, अचरित्तपाली, डोमा, बासीन, बरपाली, रनपोटा, मुड़पार, भेडीकोना, नरियरा, मिरौनी, देवगांव, मरघटी, हरदी (कुल 111 ग्राम)
2	डभरा	कठर्रापाली, निमोही, बेनीपाली, सिंधितराई, सराईपाली, ओडेकेरा, कंवली, बाडादरहा, टुण्डी, खैरमुड़ा, डुमरपाली, अकोलजमोरा, कोमो, धुरकोट, सराईपाली, केनाषाली, बांधापाली, उच्चपिण्डा, कानाकोट, धिंवर, देवरघटा, धोबनीपाली, बरतुंगा, सुखदा, कुसमुल, कौडिया, चुरतेली, लटियाडिह, खैरा, फरसवानी, रामभाठा, गोबरा, छुहीपाली, कांसा, कटेकोनी छोटे, तुरकापाली, कटौद, चुरतेला, कबारीपाली, केकराभांठ, कोटमी, डेकुनाभाठा, बधौद, शंकरपाली, खैराखुद्र, गिरगिरा, दर्रा, बघनीपाली, बिलाईगढ़, पुजेरीपाली, पुरैनातेली, बिनौधा, साल्हे, अमलीपाली, खरकेना, रेडा, किरारी, गाडामोर, छुछुभांठा, धौराभांठा, कटेकोनी बडे, ठाकुरपाली, सेमराडीह, हरदीडीह, डभरा, खोंधर, ठनगन, तेन्दुमुडी, कंवलाझर, झनकपुर, सुखापाली, कुसुमझर, खुरघट्टी, मांजरकुद, सिरयागढ़, नावापारा, उपनी, चुराघांठा, पुटीडीह, बरभांठा, भेडीकोना, सकराली, जवाली, पुरैनाबुढा, साराडीह, कोसमंदा, गांडापाली, फलियामुण्डा, बगरैल, मोहापाली, छवारीपाली, भजपुर, मेढापाली, बारापीपर, मुक्ता, सुरसी, खोरसिया, पेण्डरूवा, राधापुर, अमलडीहा, गोविन्दपुर, डोमनपुर, बोरसी, नावापारा (म), परसापाली, मडवा, सिरौली, लटेसरा, सपोस, कुदरूझांझ, कांशीडीह, मिरौनी, चन्दपुर, गोपालपुर, बरहागुडा, भैसामुहान, हिरापुर, हरदी, चंदली, पलसदा, बिलाईगढ़, बिरहाभांठा, कलमा, बालपुर, महादेवपाली, बसंतपुर (कुल 126 ग्राम)

## परिशिष्ट "ग्यारह"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 134) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

वर्ष 2020 में संचालित धान खरीदी केन्द्र एवं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जिलेवार जानकारी

(मात्रा मेटन में)

क्र.	जिले का नाम	खरीदी केन्द्रों की संख्या	कुल उपाजित मात्रा
1	बस्तर	64	142633.16
2	बीजापुर	19	60283.96
3	दन्तेवाड़ा	12	16307.12
4	काकेर	125	296518.24
5	कोंडागांव	49	143468.36
6	नारायणपुर	9	19544.12
7	सुकमा	16	38489.92
8	बिलासपुर	124	451142.28
9	गौरैला पेन्डा मरवाही	17	74907.24
10	जांजगीर चाम्पा	231	798398.60
11	कोरबा	49	135271.00
12	मुंगेली	93	361356.44
13	रायगढ़	134	533510.04
14	बालोद	126	521715.76
15	बेमेतरा	113	587672.36
16	दुर्ग	90	407348.00
17	कवर्धा	94	393469.88
18	राजनांदगांव	139	760590.88
19	बलौदाबाजार	173	669411.68
20	धमतरी	89	427749.56
21	गरियाबंद	76	323584.56
22	महासमुंद	138	750901.32
23	रायपुर	137	503714.36
24	बलरामपुर	40	156311.12
25	जशपुर	30	116918.88
26	कोरिया	33	119154.40
27	सरगुजा	43	181108.24
28	सुरजपूर	48	210910.76
	<b>योग:-</b>	<b>2311</b>	<b>9202392.24</b>

## प्रपत्र "ब"

वर्ष 2020 में खरीदी केन्द्रों में समर्थन मूल्य में खरीदे गये धान में कमी की जिलेवार जानकारी

(मात्रा मेटन में)

क्र.	जिले का नाम	खरीदी केन्द्रों में कमी की मात्रा
1	बस्तर	440
2	बीजापुर	642
3	दन्तेवाड़ा	0
4	काकेर	6038
5	कोंडागांव	1293
6	नारायणपुर	340
7	सुकमा	166
8	बिलासपुर	8904
9	गौरैला पेन्ड्रा मरवाही	818
10	जांजगीर चाम्पा	4386
11	कोरबा	0
12	मुंगेली	12373
13	रायगढ़	0
14	बालोद	9041
15	बेमेतरा	17760
16	दुर्ग	3026
17	कवर्धा	24763
18	राजनांदगांव	22865
19	बलौदाबाजार	12710
20	धमतरी	5271
21	गरियाबंद	7278
22	महासमुंद	23510
23	रायपुर	7595
24	बलरामपुर	1943
25	जशपुर	0
26	कोरिया	1322
27	सरगुजा	901
28	सुरजपूर	3188
योग:-		176573

## परिशिष्ट "बारह"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 523) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

वर्ष 2020 में संचालित धान खरीदी केन्द्र एवं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जिलेवार जानकारी

क्र	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	ग्राम	तहसील	की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति
1	202012060300016 ब-121/2020-21	छ.ग. शासन बनाम बजरग वगैरह	खोखसा	जांजगीर	आदेश हेतु नियत।
2	202103060300025 ब-121/2020-21	छ.ग. शासन बनाम बजरग लाल	नैला	जांजगीर	आदेश हेतु नियत।
3	202012060300006/ ब-121/2020-21	छ.ग. शासन बनाम विकास पालीवाल वगैरह	जांजगीर	जांजगीर	उप पंजीयक जांजगीर से प्रतिवेदन हेतु नियत।
4	202103060300024/ ब-121/2020-21	छ.ग. शासन बनाम पुष्पेन्द्र कुमार वगैरह	नैला	जांजगीर	अनावेदक जवाब हेतु नियत।
5	202012060300007ब -121/2020-21	छ.ग. शासन बनाम जगदीश कश्यप वगैरह	मुनुन्द	जांजगीर	आदेश हेतु नियत।
6	202108060300033/ ब-121/2020-21	अभय मित्तल वगैरह बनाम मोहन मित्तल वगैरह	लछनपुर	जांजगीर	अनावेदक उपस्थिति हेतु नियत।
7	01/ब-121/2020- 21	विजय बुधिया पिता श्याम सुंदर अग्रवाल साकिन कोरबा	उच्चभिदठी	चांपा	नोटिस जारी किया गया है।
8	02/ब-121/2020- 21	घासीराम पिता बोदोराम यादव साकिन बरपाली	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है।
9	03/ब-121/2020- 21	संतराम, अंतराम पिता पंचराम सतनामी सा.देह	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है।
10	04/ब-121/2020- 21	राजकुमार अहुजा पिता स्व. गजनमल अहुजा साकिन चांपा	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है।
11	05/ब-121/2020- 21	सहरता पिता सुनहर गोड साकिन जगदल्ला	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है।
12	06/ब-121/2020- 21	नर्मदा प्रसाद पिता मालिकराम सोनी साकिन चांपा	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है।
13	07/ब-121/2020- 21	मंजूलता सिंह पति चंद्रपाल सिंह साकिन बरपाली	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है।
14	08/ब-121/2020- 21	रमेश कुमार पिता मालिकराम सोनी साकिन चांपा	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है।
15	09/ब-121/2020- 21	बिसाहू गुप्ता साकिन चांपा	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है।
16	10/ब-121/2020- 21	मुरली गुलाबानी पिता जीवनलाल साकिन चांपा	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है।
17	11/ब-121/2020- 21	सेवकलाल देवांगन पिता रामेश्वर प्रसाद देवांगन साकिन चांपा	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है।
18	12/ब-121/2020- 21	चन्द्रिका गिरिश कुमार देवांगन पिता स्व.	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है।

		मोहितराम देवांगन ग्राम चांपा			
19	13/ब-121/2020- 21	रामेश्वर प्रसाद पिता जोगीराम देवांगन साकिन चांपा	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है ।
20	14/ब-121/2020- 21	कृष्ण कुमार पिता दाताराम यादव ग्राम चांपा	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है ।
21	15/ब-121/2020- 21	गेदलाल पिता दशलाल देवांगन साकिन चांपा	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है ।
22	16/ब-121/2020- 21	निर्मल कुमार किरण पिता रामप्यारे किरण साकिन खरमोरा कोरबा	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है ।
23	17/ब-121/2020- 21	रामकुमार पिता मालिकराम सोनी साकिन चांपा	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है ।
24	18/ब-121/2020- 21	श्री पतिराम पिता छोदू साकिन चांपा	कुरदा	चांपा	नोटिस जारी किया गया है ।
25	19/ब-121/2020- 21	कवि कुमार पिता गुहाराम यादव साकिन बहेराडीह	सिवनी	चांपा	नोटिस जारी किया गया है ।
26	20/ब-121/2020- 21	बिहारी पिता अंजोरी राठौर साकिन सिवनी	सिवनी	चांपा	नोटिस जारी किया गया है ।
27	21/ब-121/2020- 21	सुलोचना पति लोकनाथ राठौर साकिन चांपा	सिवनी	चांपा	नोटिस जारी किया गया है ।
28	22/ब-121/2020- 21	संतोष कुमार रमेश कुमार दिनेश कुमार विनोद कुमार पिता नारायण सोनी रूखमणी बेवा नारायण सोनी साकिन चांपा	जगदल्ला	चांपा	नोटिस जारी किया गया है ।

/



क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	अशासकीय विद्यालयों का नाम	कुल आरक्षित सीट संख्या	दुर्बल आय वर्ग के प्रवेशित बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5
31	डौण्डी	निर्मला इ.मी.मिडिल स्कूल दल्लीराजहरा	20	11
32	डौण्डी	गुरुनानक प्राथ.शाला नं. 02 राजहरा	8	2
33	डौण्डी	सरस्वती शिशु मंदिर राजहरा	13	5
34	डौण्डी	ज्ञान ज्योति स्कूल राजहरा	2	2
35	डौण्डी	डी.ए.वी. इस्पात सीनि.सेके.पब्लिक स्कूल दल्ली राजहरा	30	20
36	डौण्डी	अल्फा इंटरनेशनल मॉडल स्कूल दल्लीराजहरा	7	2
37	डौण्डी	गुरुनानक इ.मी. स्कूल दल्ली राजहरा	8	6
38	डौण्डी	कुसुम पब्लिक स्कूल कुसुमकसा	3	1
39	डौण्डी	विवेकानंद स्कूल डौण्डी	13	5
40	डौण्डी	गांधी विद्या मंदिर दल्लीराजहरा	18	1
41	डौण्डी	आजाद पब्लिक स्कूल इ.मी. डौण्डी	9	1
42	डौण्डी	आजाद पब्लिक स्कूल हिन्दी मी. डौण्डी	9	1
43	डौण्डी	सेन्ट थॉमस स्कूल डौण्डी	10	2
44	डौण्डी	साई शिशु मंदिर दल्लीराजहरा	21	5
45	डौण्डी	लिटिल बर्ड एके. दल्लीराजहरा	12	7
46	डौण्डीलोहारा	प्रगति हायर सेके. स्कूल डौण्डीलोहारा	9	2
47	डौण्डीलोहारा	सरस्वती शिशु मंदिर डौण्डीलोहारा	8	5
48	डौण्डीलोहारा	ज्ञानदीप डौण्डीलोहारा	25	1
49	डौण्डीलोहारा	आनंद पब्लिक स्कूल डौण्डीलोहारा	20	2
50	डौण्डीलोहारा	सरस्वती शिशु मंदिर अछोली	8	5
51	डौण्डीलोहारा	सरस्वती ज्ञान मंदिर चे.ब. नवागांव	6	1
52	डौण्डीलोहारा	शिवम पब्लिक स्कूल जेवरतला रोड	23	17
53	डौण्डीलोहारा	कर्मा विद्यालय जेवरतला	20	6
54	डौण्डीलोहारा	सरस्वती शिशु मंदिर दुधली	10	6
55	डौण्डीलोहारा	सरस्वती शिशु मंदिर कोबा	13	3
56	डौण्डीलोहारा	दिव्य सत्यम इ.मी. स्कूल राणाखुज्जी	19	2
57	डौण्डीलोहारा	नवीन सरस्वती ज्ञान मंदिर साल्हे	11	3
58	डौण्डीलोहारा	सृजन शिशु मंदिर किसना	12	3
59	डौण्डीलोहारा	सरस्वती शिशु मंदिर घीना	4	1
60	डौण्डीलोहारा	सरस्वती शिशु मंदिर संबलपुर	6	2
61	डौण्डीलोहारा	नवीन सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर देवरी	12	1
62	डौण्डीलोहारा	शिवम पब्लिक स्कूल खामतराई	21	16
63	डौण्डीलोहारा	गांधी विद्या मंदिर स्कूल मारी	16	8
64	डौण्डीलोहारा	एम.एस.इ.मी.स्कूल देवरी	6	1
65	गुण्डरदेही	सुमन इ.मी. स्कूल भाटागांव बी	25	8
66	गुण्डरदेही	एम्बीशन पब्लिक स्कूल कलंगपुर	50	20
67	गुण्डरदेही	सरस्वती शिशु मंदिर पसौद	6	1

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	अशासकीय विद्यालयों का नाम	कुल आरक्षित सीट संख्या	दुर्बल आय वर्ग के प्रवेशित बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5
68	गुण्डरदेही	राधिका पब्लिक स्कूल सतमरा	20	9
69	गुण्डरदेही	ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल कुरदी	9	3
70	गुण्डरदेही	स्वामी विवेकानंद विद्या पीठ कमरौद	9	4
71	गुण्डरदेही	सरस्वती शिशु मंदिर पिरीद	4	2
72	गुण्डरदेही	सरस्वती शिशु मंदिर पैरी	13	3
73	गुण्डरदेही	स्काई हाइट्स एके. स्कूल कचादुर	11	3
74	गुण्डरदेही	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर	14	4
75	गुण्डरदेही	प्रिदर्शनी पब्लिक स्कूल गुण्डरदेही	30	2
76	गुण्डरदेही	नेताजी सुभाषचंद्र बोस उ.मा.वि.अर्जुन्दा	8	1
77	गुण्डरदेही	श्री साईं विद्यालय अर्जुन्दा	5	2
78	गुण्डरदेही	डे लाइट इं.मी. स्कूल अर्जुन्दा	10	2
79	गुण्डरदेही	स्वामी विवेकानंद विद्यालय अर्जुन्दा	8	1
80	गुण्डरदेही	सुमन इं.मी.स्कूल भरदाकला	33	18
81	गुण्डरदेही	गांधी विद्या मंदिर स्कूल गुण्डरदेही	20	2
82	गुण्डरदेही	सुमन पब्लिक स्कूल गुण्डरदेही	25	2
83	गुण्डरदेही	जे.एल.एम. इं.मी. स्कूल गुण्डरदेही	8	3
84	गुण्डरदेही	गायत्री पब्लिक स्कूल गुण्डरदेही	9	1
85	गुण्डरदेही	श्री साईं शिशु मंदिर गुण्डरदेही	15	15
86	गुण्डरदेही	सुमन इं.मी. स्कूल गुण्डरदेही	33	3
87	गुण्डरदेही	गांधी विद्या मंदिर इं.मी. स्कूल गुण्डरदेही	20	5
88	गुरुर	लिंगेश्वर पब्लिक स्कूल सनौद	14	11
89	गुरुर	कामेल हा.सेके. स्कूल सनौद	9	5
90	गुरुर	सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल सनौद	5	2
91	गुरुर	सरस्वती शिशु मंदिर अरमरीकला	16	4
92	गुरुर	सुमन इं.मी. स्कूल अरमरीकला	33	6
93	गुरुर	ज्ञान ज्योति मिडिल स्कूल गुरुर	18	8
94	गुरुर	सरस्वती शिशु मंदिर गुरुर	11	4
95	गुरुर	जीनियस इं.मी.स्कूल गुरुर	25	3
96	गुरुर	केन एके. इं.मी. स्कूल गुरुर	16	4
97	गुरुर	सर्वोदय इं.मी.स्कूल गुरुर	21	10
98	गुरुर	सरस्वती शिशु मंदिर सोरर	4	1
99	गुरुर	सरस्वती शिशु मंदिर सोहपुर	5	3
100	गुरुर	सरस्वती शिशु मंदिर कनेरी	6	1
101	गुरुर	मयूर पब्लिक स्कूल कुम्हारखान	15	1
102	गुरुर	सरस्वती शिशु मंदिर पुरुर	10	2
103	गुरुर	बाल विहार पब्लिक स्कूल पुरुर	5	1
104	गुरुर	गुरुकुल सस्कार स्कूल फागुनदाह	10	4
105	गुरुर	सरस्वती शिशु मंदिर प्रा.शाला खुंदनी	6	2
106	गुरुर	सरस्वती शिशु मंदिर पलारी	10	5

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	अशासकीय विद्यालयों का नाम	कुल आरक्षित सीट संख्या	दुर्बल आय वर्ग के प्रवेशित बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5
107	गुरुर	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मोमेंट इ.मी. स्कूल पलारी	10	7
108	गुरुर	घाइल्ड एके. स्कूल इ.मी. पेण्डरवानी	7	2
109	गुरुर	सृजन इ.मी.स्कूल कंवर	14	7
महायोग			1398	488

## परिशिष्ट "चौदह"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 582) के भाग (क) की जानकारी ]

## प्रदेश में स्कूल संचालन बंद करने के प्राप्त आवेदन

क्र.	जिला	शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कितने स्कूलों का संचालन बंद करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं।	इन स्कूलों का संचालन बंद होने से रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या कोई पहल की जा रही है।	यदि हाँ तो विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।	बंद हुए स्कूलों के विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं।
1	2	3	4	5	6
1	कोरिया	5			
2	अजमेर	0			
3	जयपुर	0			
4	रायगढ़	2			
5	करनल	0			
6	जयजंगल	0			
7	सज्जो	4			
8	जिलापुर	12			
9	कलीस्थान	13			
10	राजनादगढ़	17			
11	दुर्ग	33			
12	रायपुर	12			
13	महासमुद्र	8			
14	धमतरी	10	निजी विद्यालय को बंद करने का अधिकार शाला प्रबंधन समिति के अधिकार क्षेत्रान्तर्गत रहता है। जिसमें शासन का हस्तक्षेप नहीं होता है।	प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।	बंद हुए स्कूलों के विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा समीपस्थके शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के समायोजन की व्यवस्था की गई है।
15	कांकेर	2			
16	बरतार	0			
17	दत्तेवाड़ा	0			
18	नारायणपुर	0			
19	बीजापुर	0			
20	बलीदाबाजार	0			
21	गरियाबंद	0			
22	मुंगेती	1			
23	बालोद	1			
24	बेमेतरा	6			
25	कोंडागांव	0			
26	सुकमा	0			
27	बसरापुर	0			
28	सूरजपुर	3			
29	गौरला पेण्ड्रा	0			
योग		129			

## परिशिष्ट "पंद्रह"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 9) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी ]

बिलासपुर संभाग के अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों को वेतन भुगतान

क. जिला	अनुदान प्राप्त शालाओं की कुल संख्या	अनुदान प्राप्त शालाओं में कार्यरत शिक्षकों की संख्या	दिनांक 15.11.2021 की स्थिति में कितने शिक्षकों का वेतन भुगतान लंबित है	कितने माह का वेतन भुगतान लंबित है।	लंबित वेतन भुगतान की राशि	वेतन भुगतान लंबित होने का कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 बिलासपुर	44	233	115	05 माह	27379001	आबंटन के अभाव में।	
2 गौरेलापेण्ड्रा	10	33	11	02 माह	1348272	आबंटन के अभाव में।	
3 कोरबा	3	47	0	0	0	0	
4 रायगढ़	9	44	0	0	0	0	
5 जांजगीर	10	72	53	04 माह	8088936	आबंटन के अभाव में।	
6 सक्ती	2	11	0	0	0	0	
7 मुंगेली	4	17	0	0	0	0	
योग	82	457	179		36816209		


**नियम 46 ( 2 ) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट**

परिशिष्ट "सोलह"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 79) के भाग (ख) की जानकारी ]

विगत 03 वर्षों में शासकीय शालाओं में स्वीकृत मरम्मत/नवीन भवन की सूची

क्रमांक	वर्ष	शाला का नाम	निर्माण कार्य का नाम	लागत राशि
1	2018-19	प्रा.शाला करेङ्गर	नवीन भवन	1148000
2	2018-19	प्रा.शा. मालगाव	मरम्मत	25000
3	2018-19	प्रा.शा. परसोदा	मरम्मत	40000
4	2018-19	शास.प्राथ.शा. खैरवाही	मरम्मत	25000
5	2018-19	शास.प्राथ.शा. डांडेसरा	मरम्मत	25000
6	2018-19	शास.प्राथ.शा. बड़भूम	मरम्मत	25000
7	2018-19	शा.उ.मा.वि. बिरेतरा	मरम्मत	50000
8	2018-19	शास.उ.मा.विद्यालय बोहारा	मरम्मत	50000
9	2019-20	शास.प्राथ.शाला. जगतारा	मरम्मत	35000
10	2019-20	शास.प्राथ.शाला. जमरुवा	मरम्मत	35000
11	2019-20	शास.हाई स्कूल खपरी	मरम्मत	50000
12	2019-20	शास.प्रा.शा.उसरवारा	मरम्मत	25000
13	2019-20	शास.प्रा.शा. करियाटोला	मरम्मत	30000
14	2019-20	शास.प्रा.शा. पड़कीभाट	मरम्मत	25000
15	2019-20	शास.प्रा.शा. बोहारडीह	मरम्मत	25000
16	2019-20	शास.प्रा.शा. कवर	मरम्मत	25000
17	2019-20	शास.पूर्व माध्य.शाला कोचवाही	मरम्मत	25000
18	2019-20	शास.पूर्व माध्य. शाला बोड़रा	मरम्मत	30000
19	2020-21	शास.प्राथ.शाला गंजपारा बालोद	मरम्मत	25000
20	2020-21	शास.प्राथ.शाला रामनगर	मरम्मत	20000
21	2020-21	शास.प्रा.शा.जंगली भेजा	मरम्मत	25000
22	2020-21	शास. प्राथ. शाला मुसकेरा	जीर्णोद्धार (डी.एम.एफ. मद से)	900000

  
 सहायक संचालक  
 लोक शिक्षण संचालनालय  
 छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

## परिशिष्ट "सत्रह"

[ परिवर्तित अतारकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 99) के भाग (क) को जानकारी ]

वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा रायगढ़ जिले में संचालित छात्रावासों के सामग्री क्रय की जानकारी

क्र	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	दर
1	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील इन्डस्ट्रीज कांकर	स्टील रैक	3548.04
2	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील इन्डस्ट्रीज कांकर	स्टील बाल्टी	210.00
3	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील इन्डस्ट्रीज कांकर	पलग	4373.45
4	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील इन्डस्ट्रीज कांकर	पानी ड्रम	220.00
5	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील इन्डस्ट्रीज कांकर	मच्छरदानी	188.00
6	मेसर्स अरिहत ट्रेडर्स रायपुर	गद्दा	2432.00
7	मेसर्स धनवंतरी कोमिकल्स पेण्ड्रा रोड जिला- बिलासपुर	फिनाईल	72.00
8	मेसर्स मनीषरी सेल्ल कॉर्पोरेशन रायपुर	स्टील तगाडी	300.00
9	मेसर्स मनीषरी सेल्ल कॉर्पोरेशन रायपुर	स्टील घमोला	300.00
10	मनीषा इन्डस्ट्रीज सक्ति	कुकर 14 ली.	3750.00
11	मेसर्स सन्स रायगढ़	एल.ई.डी. 18 वॉट	422.03
12	मेसर्स सन्स रायगढ़	एल.ई.डी. 10 वॉट	165.17
13	मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्टरप्राइज खरसिया	ट्रैक सूट	2401.78
14	मेसर्स सन्स रायगढ़	पखा	1864.41
15	मनीषा इन्डस्ट्रीज सक्ति	एल्युमिनियम कड़ाई 10 कि.ग्रा.	9406.78
16	मेसर्स ओरियंट सेल्स कॉर्पोरेशन रायपुर	कुकर 18 ली.	3746.40
17	मेसर्स शिवा इन्टरनेशनल रायपुर	तकिया	290.00
18	मेसर्स सन्स रायगढ़	स्ट्रीट लाईट 25 वॉट	2857.14
19	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन रायपुर	कम्प्यूटर	49900.00
20	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन रायपुर	कम्प्यूटर	49900.00
21	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन रायपुर	कम्प्यूटर	49900.00
22	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन रायपुर	कम्प्यूटर	49900.00
23	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन रायपुर	कम्प्यूटर	49900.00
24	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन रायपुर	कम्प्यूटर	49900.00
25	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन रायपुर	यू.पी.एस.	3999.00

क्र	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	दर
1	2		5
26	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन रायपुर	क्लास रूम चेयर	4200.00
27	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन रायपुर	कम्प्यूटर टेबल	10000.00
28	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन रायपुर	कम्प्यूटर टेबल	10000.00
29	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन रायपुर	प्रोजेक्टर स्टैण्ड	5300.00
30	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन रायपुर	प्रोजेक्टर स्क्रीन	21000.00
31	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन रायपुर	ए.सी.	74000.00
32	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन रायपुर	प्रोफाइल प्रोजेक्टर	69999.00
33	मेसर्स लक्ष्या फाउण्डेशन रायगढ़	आर.ओ.	29236.44
34	मेसर्स लक्ष्या फाउण्डेशन रायगढ़	आर.ओ.	29236.44
35	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन रायपुर	कम्प्यूटर टेबल	8474.57
36	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन रायपुर	कम्प्यूटर	42288.13
37	छत्तीसगढ़ सोशल एंड रूलर डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन रायपुर	कम्प्यूटर	42288.13
38	मेसर्स नवलखा कम्प्यूटर रायपुर	यू.पी.एस.	3350.00
39	मेसर्स नवलखा कम्प्यूटर रायपुर	कम्प्यूटर	43950.00
40	मेसर्स अरिहंत ट्रेडर्स रायपुर	सैनितरी नैपकिन भरसक मशीन	24989.00
41	मेसर्स अरिहंत ट्रेडर्स रायपुर	सैनितरी नैपकिन भरसक मशीन	24989.00
42	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील इन्डस्ट्रीज कांकर	डायनिंग टेबल एवं बेच	37799.00
43	मेसर्स अरिहंत ट्रेडर्स रायपुर	नैपकिन मशीन	25550.00
44	मेसर्स नवलखा कम्प्यूटर रायपुर	टी.वी.	53000.00
45	मेसर्स अरिहंत ट्रेडर्स रायपुर	आर.ओ.	49000.00
46	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील इन्डस्ट्रीज कांकर	अलमारी	10090.00
47	मेसर्स अरिहंत ट्रेडर्स रायपुर	फ्रीज	53000.00

## परिशिष्ट "अट्टारह"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 135) की जानकारी ]

रायपुर जिले में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 तक उन्नयन करने बजट में प्रावधानित एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी स्कूलों की सूची

स.क.	वर्ष	उन्नयन का स्तर	बजट में प्रावधानित ग्राम का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति जारी अथवा लंबित
1	2	3	4	5
1	2019-20	पूर्व माध्यमिक से हाईस्कूल में उन्नयन	पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम खम्हारडीह	प्रशासकीय स्वीकृति जारी
2			पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम पुरेना	प्रशासकीय स्वीकृति जारी
3			पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम इल्दा	प्रशासकीय स्वीकृति जारी
1	2020-21	पूर्व माध्यमिक से हाईस्कूल में उन्नयन	पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम बहनाकाड़ी	प्रशासकीय स्वीकृति लंबित
2			पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम बोरियाखुर्द	प्रशासकीय स्वीकृति लंबित
3			पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम रावाभांठा	प्रशासकीय स्वीकृति लंबित
4			पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम पचेड़ा	प्रशासकीय स्वीकृति लंबित
1	2021-22	पूर्व माध्यमिक से हाईस्कूल में उन्नयन	निरंक	
1	2019-20	हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन	निरंक	
1	2020-21	हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन	हाईस्कूल ग्राम तोरला	प्रशासकीय स्वीकृति लंबित
1	2021-22	हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन	निरंक	

10

## परिशिष्ट "उन्नीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 237) के भाग (क) की जानकारी ]

क.	अवधि	जिला	विकासखण्ड का नाम	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या	
				व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र	सामुदायिक वन अधिकार पत्र
1	2	3	4	5	6
1	2019-20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक)	बस्तर	तोकापाल	0	0
			बास्तानार	0	0
			दरभा	0	0
			लोहण्डीगुड़ा	0	0
		सुकमा	छिंदगढ़	153	0
			योग	153	0
2	2020-21 (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक)	बस्तर	तोकापाल	0	0
			बास्तानार	0	0
			दरभा	0	0
			लोहण्डीगुड़ा	0	0
		सुकमा	छिंदगढ़	0	12
			योग	0	12
			महायोग	153	12

परिशिष्ट "बीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 285) के भाग (क) की जानकारी ]

जिला कोण्डागांव में आपदा प्रबंधन मद के तहत स्वीकृत राशि की जानकारी  
मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष-2245 के अंतर्गत आबंटन वर्ष 2020-21 से 31 अक्टूबर 2021 तक

क्रं	मद	आपदा प्रबंधन में प्राप्त आबंटन	तहसीलों को पुनराबंटन राशि					योग
			कोण्डागांव	केशकाल	फरसगांव	माकड़ी	बड़ेराजपुर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत आर्थिक सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु	12,30,27,000.00	2,32,00,000.00	1,65,00,000.00	1,66,00,000.00	1,10,70,000.00	1,18,70,000.00	7,92,40,000.00
2	कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु	52,00,000.00	30,00,000.00	8,00,000.00	5,00,000.00	2,00,000.00	1,00,000.00	46,00,000.00
योग		12,82,27,000.00	2,62,00,000.00	1,73,00,000.00	1,71,00,000.00	1,12,70,000.00	1,19,70,000.00	8,38,40,000.00

परिशिष्ट "ईक्कीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 334) के भाग (ख) की जानकारी ]

अनुभाग रायपुर के अंतर्गत (तहसील रायपुर/तिल्दा/खरोरा) ग्राम पंचायत क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लांटिंग के संबंध में वर्ष 2019-20 में कुल 04 व्यक्तियों का शिकायत प्राप्त हुआ है। इन शिकायतों में अनावेदकगण को कारण बताओं नोटिस भेजकर पंचायत राज अधिनियम 1993 ग्राम पंचायत कालोनाईजर का रजि. निर्बंधन तथा भाते) नियम 1999 की धारा-61 "क" से 61 "छ" के तहत नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है। तहसील रायपुर/ तिल्दा /खरोरा के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लांटिंग के संबंध में हल्का पटवारियों से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात वर्ष 19-20 से 20-21 तक कुल 112 प्रकरणों में अनावेदकगण को कारण बताओं नोटिस भेजकर पंचायत राज अधिनियम 1993 ग्राम पंचायत कालोनाईजर का रजि. निर्बंधन तथा भाते) नियम 1999 की धारा-61 "क" से 61 "छ" के तहत नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है। अवैध प्लांटिंगकर्ता की जानकारी निम्नानुसार है :-

क.	तहसील का नाम	रा.नि. म.	प. ह. न.	ग्राम का नाम	अवैध प्लांटिंग की गई भूमि का खसरा नंबर	रकबा	अवैध प्लांटिंगकर्ता का नाम एवं भूमिस्वामी का नाम	अवैध प्लांटिंग के विरुद्ध अब तक कार्यवाही का विवरण	वर्ष
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न- 291/8 रकबा 1.215 हे		श्री चेतनवर्मा पिता लालजी वर्मा दुगानगर बिरगाव श्री ओमप्रकाश श्रीवास पिता वीरेंद्र श्रीवास पता-मुगेली	जवाब हेतु	2020-21
2.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न- 658/3 रकबा 1.327 हे		श्री बसंत कुमार पिता बालाराम वर्मा वर्गैरह पता नवीन स्कूल के पास गिरौद	साक्ष्य हेतु	2019-20
3.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न- 635/41 रकबा 1.214 हे		श्री योगेन्द्र वर्मा पिता त्रिभुवन वर्मा वर्गैरह पता गांधी चौक के पास गिरौद	साक्ष्य हेतु	2019-20
4.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न- 635/40 रकबा 0.405 हे		श्री मनराखन पिता धनवार वर्गैरह पता शिवमंदिर के पास गिरौद	साक्ष्य हेतु	2019-20
5.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न- 658/1 रकबा 1.331 हे		श्री चंद तिवारी पिता चोवालाल तिवारी पता नंदी चौक टिकरापारा रायपुर	उपस्थिति हेतु	2019-20
6.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न- 15021 रकबा 4.860 हे		अमीनुद्दीन पिता शमशुद्दीन पता मदरसा रोड बैजनाथपारा रायपुर	साक्ष्य हेतु	2019-20
7.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न- 635/1, 27,50,51,52 कुल रकबा 3.271 हे		श्री केशव भाई पिता कानजी भाई पटेल पता न्यू टिंबर मार्केट फाफा .0डीह रायपुर	साक्ष्य हेतु	2019-20

8.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 635/32 रकबा 0.809 है	श्री महेश पिता रामेश्वर प्रसाद पता राधाकृष्ण मंदिर के पीछे समता कालोनी रायपुर पता	साक्ष्य हेतु	2019-20
9.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 635/39 रकबा 0.404 है	श्रीमती रेखा अग्रवाल पति राजेश अग्रवाल पता 5/55 अग्रसेन मार्ग, रामसागरपारा, रायपुर	साक्ष्य हेतु	2019-20
10.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 626/14 रकबा 0.170 है	श्री जगेश्वर निषाद पिता गोविंद प्रसाद पता ग्राम धनेली रायपुर	साक्ष्य हेतु	2019-20
11.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 629 रकबा 0.372 है	श्री श्यामसुंदर भाई पिता वेणुधर भोई पता महाराणा उद्यान के पास, श्यामनगर रायपुर	साक्ष्य हेतु	2019-20
12.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 637/13 रकबा 0.421 है ख.न - 635/10 रकबा 0.388 है	रामगोपाल पिता भोदू पता गौटियापारा, उरकुरा, रायपुर	साक्ष्य हेतु	2019-20
13.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 627/8 रकबा 0.316 है	श्री जगेश्वर निषाद पिता गोविंद, पता ग्राम धनेली रायपुर	अग्रिम कार्यवाही हेतु	2019-20
14.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 635/34 रकबा 0.465 है	श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल पति सुरेश कुमार अग्रवाल पता 5/55 अग्रसेन मार्ग, श्रीराम कम्प्यूटर रामसागरपारा रायपुर	अनावेदिका उपस्थिति हेतु	2019-20
15.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 15013 रकबा 1.620 है	श्रीमती कनिज फातिमा पति अनीसुद्दीन पता बैजनाथपारा रायपुर	अनावेदिका उपस्थिति हेतु	2019-20
16.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 15019 रकबा 0.970 है ख.न - 15020 रकबा 0.400 है	श्री सुरेश कुमार गुप्ता पिता रामदास पता 20/580, अहमदजी कालोनी, सिविल लाईन, रायपुर	अग्रिम कार्यवाही हेतु	2019-20
17.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 291/1 रकबा 4.566 है	श्रीमती मुक्ताबाई पति नारायण प्रसाद वर्मा पता गिरौद	उपस्थिति हेतु	2020-21
18.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 675/2 रकबा 0.227 है	रघुनाथ मेहर पिता गाजीराम पता ग्राम गिरौद	साक्ष्य हेतु	2019-20
19.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 675/1, 674/4, रकबा 0.421 है	हरिशंकर पिता रोमन लाल पता ग्राम गिरौद	अग्रिम कार्यवाही हेतु	2019-20
20.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 626/16 रकबा 3.206 है	श्रीमती रुखसाना अजूम पति मो.अमीनुद्दीन पता बैजनाथपारा रायपुर	साक्ष्य हेतु	2019-20
21.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद पहन 23	ख.न - 664/4 रकबा 0.203 है	श्रीमती कचनबाई पति रामखिलावन पता अमलीडीह रायपुर	साक्ष्य हेतु	2019-20

22.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न.- 666/1 रकबा 0.303 है.	धनश्याम मेहर पिता गजजीराम पता देवेन्द्र नगर रायपुर	साक्ष्य हेतु	2019-20
23.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न.- 635/48 रकबा 0.810 है.	करसन पटेल पिता अबजी पटेल पता कलकत्ता	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
24.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न.- 629 रकबा 0.372 है.	निवेश शर्मा पिता योगेन्द्र शर्मा पता मच्छीतालाब गुडियारी	साक्ष्य हेतु	2019-20
25.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न.- 635/32 रकबा 0.698 है.	महेश शर्मा पिता रामेश्वर शर्मा पता समता कालोनी रायपुर	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
26.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न.-652/1 रकबा 1.797 है.	कलीराम पिता कुलेश्वर वर्मा पता गुडीपारा गिरौद	जवाब हेतु	2019-20
27.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न.-658/8 रकबा 0.153 है.	श्रीमती केजा झाई पति हुकुम प्रसाद पता मंदिर के पास गिरौद	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
28.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न.-677/3 रकबा 0.230 है.	श्यामलाल पिता राजाधर वगैरह पता गुडिचीक गिरौद	जवाब हेतु	2019-20
29.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न.-666/5 रकबा 0.093 है.	रोहित पिता चंदलाल वर्मा वगैरह पता गिरौद रायपुर	जवाब हेतु	2019-20
30.	रायपुर	धरसीवा	23	गिरौद प.ह.न. 23	ख.न.- 635/38 रकबा 0.405 है.	मेथीराम एगो द्वारा भागीदार मुकेश पिता सुरेश अग्रवाल पता मैसथान रोड रायपुर	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
31.	रायपुर	धरसीवा	25	निमोरा प.ह.न. 25	ख.न.- 225/18, 229/11 रकबा 0.202 है. 0.203 है.	क्विकीपुरी गोस्वामी पिता अशोकपुरी गोस्वामी पता-बजरग नगर उरकुरा	जवाब हेतु	2020-21
32.	रायपुर	धरसीवा	25	निमोरा प.ह.न. 25	ख.न.- 225/19 रकबा 0.405 है.	रवीन्द्र सिंह अरोरा पिता महेंद्र सिंह अरोरा पता-शांतिविहार कालोनी रायपुर	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
33.	रायपुर	धरसीवा	25	निमोरा प.ह.न. 25	ख.न.- 225/17 रकबा 0.349 है.	भूपेन्द्र पटेल पिता रामखिलावन पटेल पता-निमोरा	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
34.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प.ह.न. 23	ख.न. 7/25, 67/26, 2/65, 72/66, 72/56, 72/56, 72/57, रकबा 0.065 है 0.014 है 0.0891 है 0.109 है 0.103 है	बिमलेन्द्र तिवारी पिता कांति तिवारी, पता- शाप न.115, ऐश्वर्या बाजार, आमासिवनी रायपुर	साक्ष्य हेतु	2020-21
35.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प.ह.न. 23	ख.न. 65/4 रकबा 0.1190 है.	शकेश चंदाकर पिता मुनीष चंद पता- देवरी गुल्लू	जवाब हेतु	2020-21

36.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प.ह.नं. 23	ख.नं. 56/18, 60/38 रकबा 0.0350, 0.0840 है.	दुनामहेश पिता नागेश राव, पता- शंकरनगर रायपुर	साक्ष्य हेतु	2020-21
37.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प.ह.नं. 23	ख.नं. 46/3.59/1.59/7 रकबा 1.149, है. 0. 332, है. 0.331 है.	प्रवीण मलिक पिता सुकुम मलिक, पता- बगैरह पता-अवति विहार रायपुर	जवाब हेतु	2020-21
38.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प.ह.नं. 23	ख.नं. 72/58 रकबा 0.043, है.	दिलीप तेजवानी पिता इंदरलाल, पता- वेलक टावर, शंकरनगर रायपुर	साक्ष्य हेतु	2020-21
39.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प.ह.नं. 23	ख.नं. 61/4 रकबा 0.441 है.	ईश्वर प्रसाद वर्मा पिता कामदेव वर्मा, पता- ग्राम टेकारी	उपस्थिति हेतु	2020-21
40.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प.ह.नं. 23	ख.नं. 42/7 रकबा 0.223 है.	रामबिशाल साहू पिता तुकाराम साहू, पता- ग्राम टेकारी	उपस्थिति हेतु	2020-21
41.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प.ह.नं. 23	ख.नं. 61/3 रकबा 0.219 है.	धनीराम वर्मा पिता कामता प्रसाद वर्मा पता- ग्राम टेकारी	साक्ष्य हेतु	2020-21
42.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प.ह.नं. 23	ख.नं. 67/16 रकबा 0.186 है.	राजकुमार अग्रवाल पिता पुरुषोत्तम अग्रवाल, पता- समता कालोनी रायपुर	उपस्थिति हेतु	2020-21
43.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प.ह.नं. 23	ख.नं. 65/3 रकबा 0.076 है.	राकेश कुमार लखीसरानी पिता गुरुमुखदास, पता- विशालनगर रायपुर	उपस्थिति हेतु	2020-21
44.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प.ह.नं. 23	ख.नं. 61/5 रकबा 0.0194 है.	शत्रुहनलाल वर्मा पिता लतेल वर्मा पता-ग्राम टेकारी	साक्ष्य हेतु	2020-21
45.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प.ह.नं. 23	ख.नं. 56/16.15/17.59/6 रकबा 0.0297 है, 0. 0193 है, 0.0235 है.	कमलेश शुक्ला पिता रामशिरोमन शुक्ला पता- एम8, शिवाजी पार्क, विधानसभा रोड सड़कू रायपुर		2020-21

46.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प ह न 23	ख न 45/3,53,54,55,56,57, 59/11, 72/61,59,60 रकबा 0.1924 है 0. 2146 है 0.255, है 0. 255 है 0.245 है 0. 255 है 0.188 है 0. 093, 0.093 है	श्रीमती सपना नाहटा, पति विकास नाहटा, वगैरह पता- भैरव नगर, सोसायटी, पंचपेढीनाका रायपुर	अग्रिम कार्यवाही हेतु	2020-21
47.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प ह न 23	ख न 60/5.60/6 रकबा 0.522,0.168 है	प्रशांत गीनलैंड फाइलिं० द्वारा प्रशांत गोयल पिता श्रीराम गोयल, पता-तेलीबाधा	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
48.	रायपुर	धरसीवा	23	परसुलीडीह प ह न 23	ख न 81/1 रकबा 0.227 है	खिलेन्द्र कुमार वर्मा पिता सहदेव वर्मा, पता- ग्राम टेकारी	साक्ष्य हेतु	2020-21
49.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प ह न 81	ख न 177/1-2 रकबा 0.304 है	मोहन कुमार चौहान पिता जनीराम चौहान, पता-तेलीबाधा रायपुर	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
50.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प ह न 81	ख न 1998/1 रकबा 0.171 है	सुदेश पिता स्व.हरख चंद जैन, पता- टैगोर नगर, रायपुर	साक्ष्य हेतु	2020-21
51.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प ह न 81	ख न 1503/13 रकबा 0.220 है	जानकी पिता फूलचंद साहू, पता-बोरियाकला	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
52.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प ह न 81	ख न 1097/1 रकबा 0.183 है	चन्द्रकान्त पिता ओमप्रकाश, पता-बोरियाकला	साक्ष्य हेतु	2020-21
53.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प ह न 81	ख न 1102/4 .1102/6, 1103/4 1103/5 रकबा 0.401 है. 0.137 है 0.095 है 0. 046 है 0.679 है	किसन पिता महरू पता- सेजबहार	जवाब हेतु	2020-21
54.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प ह न 81	ख न. 2/15.84/2,85/5 रकबा 0.809 है	मूलचंद जैन, पिता फूलचंद जैन, पता- रायपुर	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
55.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प ह न 81	ख न 1104/4 रकबा 0.074 है	मनोज पिता दुकलहा, पता- बोरियाकला	जवाब हेतु	2020-21
56.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प ह न 81	ख न 94/2 रकबा 0.147 है	बाली पिता राजेश नायक, पता-राजीव नगर रायपुर	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
57.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प ह न 81	ख न 1171/3 रकबा 0.107 है	ओमप्रकाश पिता कैलाश शर्मा पता-बोरियाकला	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
58.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प ह न 81	ख न 91/5-6 रकबा 0.453 है	कौशल कुमार पिता खिलावन लाल घृतलहरे, पता-राजीव नगर रायपुर	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
59.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प ह न 81	ख न 1174/1-2,1175 रकबा 0.490, है	नवीन पिता नैदराम साहू, पता-बोरियाकला	जवाब हेतु	2020-21

210

60.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प.ह.नं. 81	ख.नं. 1512/2 रकबा 0.704 हे	छाबिलाल पिता टिगानी बगैरह, पता-बोरियाकला	जवाब हेतु	2020-21
61.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प.ह.नं. 81	ख.नं. 1173 रकबा 0.368 हे	दुखितराम पिता धनीराम, पता-बोरियाकला	जवाब हेतु	2020-21
62.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प.ह.नं. 81	ख.नं. 1104/1 रकबा 0.074 हे	उजाला पिता खेमनलाल बगैरह, पता-बोरियाकला	जवाब हेतु	2020-21
63.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प.ह.नं. 81	ख.नं. 6/4, 6/7, .6/1, 6/6, 6/8 रकबा 0.824 हे	मंसर्स आमप्रकाश गुप्स, द्वारा भगोदार रवि शेरवानी पिता वासुराम शेरवानी, पता- राजीव नगर रायपुर	जवाब हेतु	2020-21
64.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प.ह.नं. 81	ख.नं. 1103/1 रकबा 0.284 हे	सुनील कुमार पिता हरीशचंद्र चावड़ा, सुनील पिता शिवराम भंसाळी, पता- रायपुर	साक्ष्य हेतु	2020-21
65.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प.ह.नं. 81	ख.नं. 1098/10, 1098/11 रकबा 0.868 हे	विदेक पिता बलीराम, सुदेश पिता हरखचंद जैन, पता- रायपुर	अग्रिम कार्यवाही हेतु	2020-21
66.	रायपुर	रायपुर	81	बोरियाकला प.ह.नं. 81	ख.नं. 1511/1 रकबा 0.307 हे	शांतिबाई पिता जोहन बगैरह, पता-बोरियाकला	साक्ष्य हेतु	2020-21
67.	रायपुर	रायपुर	78	टेमरी प.ह.नं. 78	ख.नं. 174/3, 174/25 रकबा 0.263, 0.516 हे	दिनेश बडवानी पिता निरचलदास बडवानी, पता- फाफाडीह रायपुर	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
68.	रायपुर	रायपुर	78	टेमरी प.ह.नं. 78	ख.नं. 166/7, 173/24 रकबा 0.033 हे, 0.018 हे	प्रेमकुमार मिरधानी पिता रमेश मिरधानी, पता-देवेन्द्र नगर रायपुर	जवाब हेतु	2020-21
69.	रायपुर	रायपुर	78	टेमरी प.ह.नं. 78	ख.नं. 168/5, 173/15-16, 174/1 रकबा 0.187, 0.530, हे	रमेश कुमार मिरधानी पिता कन्हैयालाल मिरधानी, पता-देवेन्द्र नगर रायपुर	जवाब हेतु	2020-21
70.	रायपुर	रायपुर	78	टेमरी प.ह.नं. 78	ख.नं. 168/1, 173/9, 173/7 कुल रकबा 0.642 हे	रमेश कुमार मिरधानी पिता कन्हैयालाल मिरधानी, दिनेश कुमार पिता निरचलदास पता-देवेन्द्र नगर रायपुर	जवाब हेतु	2020-21
71.	रायपुर	रायपुर	78	टेमरी प.ह.नं. 78	ख.नं. 174/2 कुल रकबा 0.263 हे	धरमपाल पिता अमूलक सिंह पता- न्यू शांतिनगर रायपुर	जवाब हेतु	2020-21
72.	रायपुर	रायपुर	84	दत्तरेगा प.ह.नं. 84	ख.नं. 43/3, 4, 44/1, 3 रकबा 2.659 हे	उमन लाल पिता दुखूराम साहू, पता- दत्तरेगा	साक्ष्य हेतु	2019-20
73.	रायपुर	रायपुर	84	दत्तरेगा प.ह.नं. 84	ख.नं. 238/4 रकबा 0.271 हे	उदेंद्रराम पिता दुखूराम साहू पता- दत्तरेगा	साक्ष्य हेतु	2019-20
74.	रायपुर	रायपुर	84	दत्तरेगा प.ह.नं. 84	ख.नं. 289/5, 290/5 रकबा 0.374 हे	दिलीप साहू पिता उदेंद्रराम पता- दत्तरेगा	साक्ष्य हेतु	2019-20

A-47

I 17 दिनांक, 2021

211

75.	रायपुर	रायपुर	84	दतरेगा प.ह.नं. 84	ख.नं.150/17 रकबा 0.230 हे	आकाश सोनकर पिता शारदा प्रसाद सोनकर पता- भाटागाव बस्ती	जवाब हेतु	2019-20
76.	रायपुर	रायपुर	84	दतरेगा प.ह.नं. 84	ख.नं. 179/2 रकबा 0.384 हे	जीवनलाल कुरे, पिता फिरंतराम सतनामी, पता- ग्राम दतरेगा	अनावेदक उपस्थिति हेतु	
77.	रायपुर	रायपुर	84	दतरेगा प.ह.नं. 84	ख.नं. 161/2 रकबा 0.405 हे	हेमीन पिता अकालू यादव, पता- ग्राम दतरेगा	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
78.	रायपुर	रायपुर	84	दतरेगा प.ह.नं. 84	ख.नं.162/2 रकबा 0.405 हे	रामबगस पिता स्व.जीवराखन पता- दतरेगा	अग्रिम कार्यवाही हेतु	2019-20
79.	रायपुर	रायपुर	84	दतरेगा प.ह.नं. 84	ख.नं.162/6 रकबा 0.235 हे	बुधु साहू पिता खेदू साहू पता- दतरेगा	अग्रिम कार्यवाही हेतु	2019-20
80.	रायपुर	रायपुर	84	दतरेगा प.ह.नं. 84	ख.नं.154/4 रकबा 0.254 हे	आकाश सोनकर पिता शारदा प्रसाद सोनकर, पता- भाटागाव बस्ती	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
81.	रायपुर	रायपुर	84	दतरेगा प.ह.नं. 84	ख.नं.153/2.6 रकबा 0.651 हे	सुरूज बाई पति रामदयाल साहू वगैरह पता- दतरेगा	अग्रिम कार्यवाही हेतु	2019-20
82.	रायपुर	रायपुर	84	दतरेगा प.ह.नं. 84	ख.नं.287/4 रकबा 0.405 हे	धनसिंग सिन्हा भोदूराम सिन्हा पता- दतरेगा	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
83.	रायपुर	रायपुर	84	दतरेगा प.ह.नं. 84	ख.नं.45/11, 45/43 रकबा 1.384 हे	मंगल पिता धनसिंग वगैरह पता- गोगाव रायपुर	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
84.	रायपुर	रायपुर	84	दतरेगा प.ह.नं. 84	ख.नं.19/1,2,3,4,5,7, 8,9,10,11, 211/1,2, 212 कुल रकबा 2.909 हे	सोमनाथ पिता होरीलाल वगैरह पता- भाटागाव	जवाब हेतु	2019-20
85.	रायपुर	रायपुर	83	कादुल प.ह.नं. 83	ख.नं.86/6 रकबा 0.405 हे	भूषण सिंह पिता स्व.आर.एस.ठाकुर, पता- महादेव नगर,चंगोराभाटा रायपुर	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
86.	रायपुर	रायपुर	83	कादुल प.ह.नं. 83	ख.नं.15011/2 रकबा 0.242 हे	मदनलाल श्रीवास पिता जीवन लाल श्रीवास, वगैरह पता- संजय नगर रायपुर	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
87.	रायपुर	रायपुर	83	कादुल प.ह.नं. 83	ख.नं.161/7 रकबा 0.241 हे	गुलशन गंभीर पिता मदनलाल गंभीर पता- अनुपम नगर रायपुर	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
88.	रायपुर	रायपुर	83	कादुल प.ह.नं. 83	ख.नं.168/7 रकबा 0.177 हे	सुरेश मलांगी पिता अमल मलांगी, पता- मठपुरेना	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
89.	रायपुर	रायपुर	83	कादुल प.ह.नं. 83	ख.नं.359/6 रकबा 0.0258 हे	सतीश कुमार पिता स्व.द्वारिका वगैरह, पता- कादुल	जवाब हेतु	2019-20
90.	रायपुर	रायपुर	83	कादुल प.ह.नं. 83	ख.नं.11015 रकबा 0.389 हे	गंगादेवी सचदेव पति स्व.रामचंद सचदेव	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
91.	रायपुर	रायपुर	83	कादुल प.ह.नं. 83	ख.नं.13/1 रकबा 0.0303 हे	विकास पिता स्व.कमलनारायण वगैरह- कादुल	जवाब हेतु	2019-20

92.	रायपुर	रायपुर	83	कांदुल प.ह.न. 83	ख.न.358/7 शामिल 359 रकबा 0.125 हे	भुनेश्वर पिता गंगाराम, पता- कांदुल	जवाब हेतु	2019-20
93.	रायपुर	रायपुर	83	कांदुल प.ह.न. 83	ख.न.119/4 रकबा 0.413 हे	मयंक पिता स्व.जीवनलाल वली गां अमरीका पता- कांदुल	जवाब हेतु	2019-20
94.	रायपुर	रायपुर	83	कांदुल प.ह.न. 83	ख.न.359/5 रकबा 0.218 हे	विजय कुमार वर्मा पिता मनराखन वर्मा पता - कांदुल	जवाब हेतु	2019-20
95.	रायपुर	रायपुर	83	कांदुल प.ह.न. 83	ख.न.110/1 रकबा 0.584 हे	समलिया ,शिवकुमार वगैरह पिता तिजउ पता- कांदुल	अग्रिम कार्यवाही हेतु	2019-20
96.	रायपुर	रायपुर	84	डोमा प.ह.न. 84	ख.न.45/9, 45/11 रकबा 1.384 हे	सुकवारों पति मंगलदास सतनामी वगैरह पता- गोगाव	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
97.	रायपुर	रायपुर	84	डोमा प.ह.न. 84	ख.न.45/9, रकबा 0.259 हे	सुकवारों पति मंगला सतनामी पता- गोगाव	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
98.	रायपुर	रायपुर	84	डोमा प.ह.न. 84	ख.न.122/4,6,7,8,9 रकबा 1.314 हे	अलखराम पिता इंतवारी वगैरह पता- गुजगहन	अनावेदिका उपस्थिति हेतु	2020-21
99.	रायपुर	रायपुर	79	बनरसी प.ह.न. 79	ख.न.148, 149/2,3,4 रकबा 0.725 हे, 0.405 हे, 0.121 हे 0.283 हे	भुखनलाल साहू पिता सेवकराम साहू पता- बनरसी		2019-20
100.	रायपुर	रायपुर	79	बनरसी प.ह.न. 79	ख.न.230/2, 231 रकबा 0.363, 0.534 हे	के.डी.वेयर हाउसिंग द्वारा भागीदार कमलेश जैन पिता जी.सी.जैन, पता-सदरबाजार रायपुर	जवाब हेतु	2019-20
101.	रायपुर	रायपुर	81	धनेली प.ह.न. 81	ख.न.149/1, 149/2 रकबा 0.721, 0.102हे	दिलीप वगैरह पिता मन्नु, पता- धनेली	जवाब हेतु	2020-21
102.	रायपुर	रायपुर	81	धनेली प.ह.न. 81	ख.न.250/13, 250/22 रकबा 0.451 हे	भगवानी पिता केवलचंद वगैरह पता- धनेली	जवाब हेतु	2020-21
103.	रायपुर	रायपुर	81	धनेली प.ह.न. 81	ख.न.159/3 रकबा 0.127 हे	मजीत पिता गुरुदेव सिंग वगैरह, पता- महावीर नगर रायपुर	जवाब हेतु	2020-21
104.	रायपुर	रायपुर	81	धनेली प.ह.न. 81	ख.न.184/2 रकबा 0.596 हे	बिसहत पिता जानकी राम पता- धनेली	जवाब हेतु	2020-21
105.	रायपुर	रायपुर	82	मुजगहन प.ह.न. 82	ख.न.37 रकबा 0.283 हे	पूर्वा रियल स्टेट एंड डेव्हलपर्स द्वारा प्रो. राजेश सोनी पिता पी.आर.सोनी, पता- देवपुरी	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
106.	रायपुर	रायपुर	82	मुजगहन प.ह.न. 82	ख.न.38/1,3 रकबा 0.405 हे	राजेश सोनी पिता पी.आर.सोनी, पता- देवपुरी	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20

213

17 दिसम्बर, 2021 ]

107.	रायपुर	रायपुर	82	मुजगहन प.ह.न. 82	ख.न. 36/1,377/3,4,9, 438/9,15 रकबा 0 711 हे	नारायण पिता पुनीराम धीवर नगरह. पता- सेजबहार	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
108.	रायपुर	रायपुर	82	मुजगहन प.ह.न. 82	ख.न. 389/14 रकबा 0.739 हे	श्रीमती वीणा खन्ना पति रमेश खन्ना, पता- सी 1/8 सेक्टर 2, देवेन्द्र नगर रायपुर	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2019-20
109.	रायपुर	रायपुर	82	मुजगहन प.ह.न. 82	ख.न. 50/2 रकबा 0.449 हे	भुखिया बाई पिता किशनलाल साहू, ग्राम- मुजगहन	अनावेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
110.	रायपुर	रायपुर	82	सेजबहार प. ह.न. 82	449/1 रकबा 0.973 हे 449/2 रकबा 0.771 हे	अशोक सचदेव एच.यू.एफ. कर्ता अशोक सचदेव पिताय जीयनदमल पता-फाफा डीह	आवेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
111.	रायपुर	रायपुर	82	सेजबहार प. ह.न. 82	449/3 रकबा 0.202 हे	विशाल कश्यप पिता विजय प्रताप कश्यप पता- टाटीबद रायपुर	आवेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
112.	रायपुर	रायपुर	82	सेजबहार प. ह.न. 82	448/1 रकबा 0.324 हे 448/3 रकबा 0.679 हे 448/4 रकबा 0.242 हे	अर्चिड बिल्डप्रो प्रा.लि. डाय. स्वप्निल तैलंग पता एस.डी. तैलंग पता- दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर	आवेदक उपस्थिति हेतु	2020-21
113.	रायपुर	रायपुर	77	सेरीखेडी प. ह.न. 77	675/1 रकबा 0.478 हे	अनुपकुमार पिता घसियाराम ग्राम-सेरीखेडी	जवाब हेतु	2020-21
114.	रायपुर	रायपुर	77	सेरीखेडी प. ह.न. 77	675/2 रकबा 0.570 हे	नारायण पिता सुकूल वनगरह. ग्राम-सेरीखेडी	जवाब हेतु	2020-21
115.	रायपुर	रायपुर	77	सेरीखेडी प. ह.न. 77	677/1,2,6,7,8 679/1,5,9,12,14 कूल रकबा 1.158 हे	मां शारदा रियल स्टेट डेवलपर्स द्वारा भागीदार कमलेश शुक्ला पिता रामशिरोमन शुक्ला पता शिवाजी पार्क सड्डू	जवाब हेतु	2020-21
116.	रायपुर	रायपुर	77	सेरीखेडी प. ह.न. 77	674/5 रकबा 0.384 हे	संगीता गोलदार पिता समीर गोलदार पता- गांधीनगर रायपुर	जवाब हेतु	2020-21

A-50

## परिशिष्ट "बाईस"

[ 1505 ज्युलियन ]

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 444) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

क.	विकास खंड का नाम	प्राथ.शाला की संख्या जिसमें दो शिक्षक पदस्थ हैं	पू.मा.शा. की संख्या जिसमें दो शिक्षक पदस्थ हैं
1	जैजैपुर	82	20
2	मालखरौदा	20	03
3	बम्हनीडीह	48	03

क.	विकास खंड का नाम	प्राथ.शाला की संख्या जिसमें शिक्षकों को शैक्षिक समन्वयक बनाया गया है	पू.मा.शा. की संख्या जिसमें शिक्षकों को शैक्षिक समन्वयक बनाया गया है
1	जैजैपुर	04	04
2	मालखरौदा	04	01
3	बम्हनीडीह	00	00

## परिशिष्ट "तेईस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 456) की जानकारी ]

## खाद परिवहन हेतु ट्रान्सपोर्टर्स को भुगतान की गई राशि की जानकारी

(राशि लाखों में)

जिला सहकारी बैंक का नाम	क्र	जिला का नाम	ट्रेडर अतर्गत स्वीकृत परिवहनकर्ता का नाम	परिवहन की भुगतान राशि
<b>वर्ष 2019-20</b>				
रायपुर	1	रायपुर	चावला रोड केरियर रायपुर	3.85
			आकाश थंड केरियर रायपुर	23.24
			होरा ट्रान्सपोर्ट रायपुर	1.34
			हरमीत सिंह चावला रायपुर	12.96
			स्पीडो कार्गो	17.23
			इंदर सिंह चावला	7.98
			शेखर शर्मा भाटापारा	7.93
			रमेश शर्मा तिल्दा	14.73
			<b>योग</b>	<b>89.26</b>
	2	गरियाबंद	चावला रोड केरियर रायपुर	16.75
			ताराचंद शर्मा	9.54
			होरा ट्रान्सपोर्ट रायपुर	12.86
			करमचंद सुंदरानी नवापारा	7.67
			मोहम्मद इस्माइल मेनन छुरा	6.59
			स्पीडो कार्गो रायपुर	4.46
			<b>योग</b>	<b>57.87</b>
	3	बलौदाबाजार	शेखर शर्मा	75.30
			गणेश जयसवाल बलौदाबाजार	11.18
			वर्मा ट्रान्सपोर्ट पलारी	18.82
			ट्रक ट्रेक्टर आनर्स पलारी	16.73
			राजेन्द्र कुमार अग्रवाल भटगांव	17.20
			<b>योग</b>	<b>139.23</b>
	4	महासमुंद	अजमानी रोड लाइन्स	26.10
			तमन्ना रोड केरियर	29.36
			होरा ट्रान्सपोर्ट	44.69
			आकाश फंट केरियर रायपुर	16.20
			दौलत राम अग्रवाल सरायपाली	9.74
			मनोज कुमार अग्रवाल सरायपाली	7.16
		<b>योग</b>	<b>133.25</b>	
5	धमतरी	आकाश फंट केरियर रायपुर	32.63	
		स्पीडो कार्गो	12.57	
		राकेश छाजेड नगरी	10.78	
		हर्षित कुमार अग्रवाल कुरुद	6.14	
		हरमीत रोडवेज रायपुर	9.15	
		<b>योग</b>	<b>71.27</b>	

जिला सहकारी बैंक का नाम	क्र.	जिला का नाम	ट्रेण्डर अंतर्गत स्वीकृत परिवहनकर्ता का नाम	परिवहन की गुणवत्ता राशि
दुर्ग	6	दुर्ग	श्री सुरेन्द्र रोड लाइन्स	79.55
			श्री धर्मचंद यादव	31.76
			श्री नरेंद्र पाल सिंह	16.70
			श्री रजिन्दर सिंह	20.63
			श्री मनिन्दर सिंह	17.91
			योग	166.55
	7	बालोद	श्री प्रकाश चंद जैन	60.75
			श्री सुनील कुमार गौतम	24.12
			श्री गोवर्धन लाल चांडक	26.24
			श्री धनश्याम सिंह साहू	20.44
				योग
	8	बेमेतरा	दलबीर सिंह एंड सन्स	63.65
			दलबीर सिंह (हैवी ट्रान्सपोर्ट कंपनी)	22.83
			योग	86.48
	राजनादगांव	9	राजनादगांव	नरेंद्रपाल सिंह दुर्ग
जसप्रीत सिंह भाटिया				31.57
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मोहला				24.57
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मानपुर				17.19
बलजीत सिंह भाटिया				13.76
सुधीर सिंग				19.84
विक्की अग्रवाल				12.75
सुजीत अग्रवाल				6.34
				योग
10		कबीरघाम	त्रिलोचन सिंह सलूजा	60.79
			सतोष मिश्रा	17.75
			मनीष बिंदल	7.89
			योग	86.43
बिलासपुर	11	बिलासपुर	महेन्द्र सिंह छाबडा	4.31
			मो इकबाल	12.03
			मनीन्द्र छाबडा	10.99
			हरपिन्दर पाल सिंह	15.08
			श्री चुन्नीलाल साहू	5.05
			सतपाल सिंह छाबडा	8.94
			श्री जमाल हक	7.91
				योग
	12	गौरैला-पेन्डा-मरवाही	मा पार्वती ट्रांसपोर्ट	12.92
			योग	12.92

जिला सहकारी बैंक का नाम	क्र	जिला का नाम	टैण्डर अतर्गत स्वीकृत परिवहनकर्ता का नाम	परिवहन की भुगतान राशि
	13	भुंगेली	श्री जितेंद्र उषल	20.88
			इकबाल हक	9.61
			योग	30.49
	14	जाजगीर-चांपा	श्री उमेश शर्मा	23.28
			श्री आयुश शर्मा	43.80
			श्री अशोक जुनेजा	9.27
			श्री महेश शर्मा	26.41
			श्री संतोष कुमार यादव	6.77
			योग	109.53
	15	कोरवा	कविता जैन	15.57
श्री राधेश्याम कौशिक			23.66	
योग			39.23	
अंबिकापुर	16	सरगुजा	राजेश अग्रवाल	18.42
			दादी रोड लाइन्स	9.76
			योग	28.18
	17	सुरजपुर	ओमप्रकाश रजवाडे	21.91
			राजेश अग्रवाल	5.87
			योग	27.78
	18	बलरामपुर	निरंक	0
			योग	0
19	कोरिया	ब्रजमोहन यादव	7.28	
		सोहेल अख्तर	2.14	
		समिति	3.61	
		योग	13.03	
अपेक्स बैंक रायगढ	20	रायगढ	श्री सुरजीत सिंह	44.11
			श्री रमेश कुमार अग्रवाल	17.29
			श्री नटवर लाल डडसेना	42.43
			श्री बजरंग लाल अग्रवाल	6.51
			श्री मनीष अग्रवाल	7.19
			योग	117.53
<b>महायोग</b>				<b>1555.42</b>
<b>वर्ष 2020-21</b>				
रायपुर	1	रायपुर	होरा ट्रांसपोर्ट रायपुर	21.41
			स्पीडो कार्गो	30.06
			इंदर सिंह चावला	15.28
			जशबीर कौर रायपुर	9.18
			कमल नारायण साहू कुम्ही (राजिम)	8.59
			रमेश शर्मा तिल्ला	16.70
			योग	101.22
	2	गरियाबंद	स्पीडो कार्गो	18.20
			ताराचंद शर्मा छुरा	11.78
			होरा ट्रांसपोर्ट रायपुर	19.05
			करमचंद सुदरानी नवापारा	7.55
			मोहम्मद इस्माइल मेनन छुरा	7.53
			योग	64.11

जिला सहकारी बैंक का नाम	क्र.	जिला का नाम	टेण्डर अतर्गत स्वीकृत परिवहनकर्ता का नाम	परिवहन की गुणतान राशि
	3	बलौदाबाजार	राजीव लांचन शुक्ला	61.90
			जयसवाल रोडवेज बलौदाबाजार	11.04
			वर्मा ट्रांसपोर्ट पलारी	18.24
			ट्रक ट्रेक्टर आनर्स पलारी	21.08
			राजेन्द्र कुमार अग्रवाल भाटापारा	17.31
			कमल नारायण साहू, कुन्ही (राजिम)	10.75
			योग	140.32
	4	महासमुद	अजमानी रोड लाइन्स महासमुद	10.76
			श्रीमति कुलदीप कौर महासमुद	4.91
			सुरिन्दर सिंह चावला	8.26
			तमन्ना रोड केरियर बागबाहरा	35.00
			होरा ट्रांसपोर्ट रायपुर	21.97
			राजेश कुमार अग्रवाल भवरपुर	20.99
			छ ग रोड लाइन्स महासमुद	6.16
			शिव कुमार अग्रवाल बसना	14.32
			दीलतराम अग्रवाल सरायपाली	13.30
			मन्दू अग्रवाल भवरपुर	10.51
			योग	146.18
	5	धमतरी	होरा ट्रांसपोर्ट रायपुर	35.59
			राकेश छाजेड	12.55
			स्पीडो कार्गो रायपुर	17.28
हर्षित अग्रवाल			7.63	
हरमीत रोडवेज रायपुर			10.80	
		योग	83.85	
दुर्ग	6	दुर्ग	श्री सुरेन्द्र रोड लाइन्स	77.95
			श्री धर्मन्द यादव	34.11
			श्री नरेन्द्र पाल सिंह	21.46
			श्री रजिन्दर सिंह	22.76
			श्री मनिन्दर सिंह	19.51
			योग	175.79
	7	बालोद	मेसर्स नरेन्द्र पाल सिंह	54.48
			सुनील कुमार गौतम	16.12
			श्री कमलेश जैन	25.38
			श्री घनश्याम सिंह साहू	18.8
योग			114.78	
8	बेमेतरा	श्री मति दुर्गा देवी मुदडा	19.54	
		श्री परमिंदर सिंह	18.90	
		श्री विक्रम सिंह	15.03	
		श्री तरुण कुमार सोनी	7.31	
		योग	60.78	
राजनादगाव	9	राजनादगाव	नरेन्द्रपाल सिंह दुर्ग	23.36
			जसप्रीत सिंह भाटिया	25.07
			मर्यादित मोहंला	7.88
			मर्यादित मानपुर	19.43
			मर्यादित सीतागोटा	0.18
			बलजीत सिंह भाटिया	37.90
			सुधीर सिंग	23.00
			विककी अग्रवाल	16.78
			सुजीत अग्रवाल	17.32


जिला सञ्चाली बैंक का नाम	क्र.	जिला का नाम	देण्डर का नाम व्यक्ति परिवर्तनकर्ता का नाम	परिवर्तन की कुल राशि	
			श्री प्रकाश व्यण्डतवाल	9.51	
			अमनजीत सिंह	5.72	
			तरुण सिंह	4.61	
				योग	187.76
	10	कबीरधाम	त्रिलोचन सिंह सलूजा	55.60	
			रातोष मिश्रा	19.90	
			मनीष बिदल	6.26	
			सतपाल कौर सलूजा	6.95	
			परमिंदर सिंह	10.23	
			योग	98.94	
बिलासपुर	11	बिलासपुर	मा इकबाल	10.55	
			हरपिन्दर पाल सिंह	13.95	
			सतपाल सिंह छावडा	7.84	
				योग	32.34
	12	गौरेला-पेन्डा-	मा पार्वती ट्रासपोर्ट	42.92	
				योग	12.92
	13	गुगौली	श्री जितेन्द्र उषल	20.88	
			योग	20.88	
	14	जांजगीर-चांपा	श्री उमेश शर्मा	32.44	
			श्री आयुष शर्मा	43.80	
श्री महेश शर्मा			36.73		
श्री संतोष कुमार यादव			12.79		
			योग	125.76	
15	कारवा	श्री महावीर जैन	31.32		
		श्री राधेश्याम कौशिक	17.30		
			योग	48.62	
अबिकापुर	16	सरगुजा	राजेश अग्रवाल	26.73	
			दादी रोड लाइन्स	19.45	
			योग	46.18	
	17	सुरजपुर	अमितप्रकाश राजवाड़े	46.45	
			राजेश अग्रवाल	19.83	
				योग	66.28
18	बलरामपुर	निरल	0		
			योग	0	
19	कोरिया	ब्रजमोहन यादव	33.45		
		योग	33.45		
अपेक्स बैंक रायगढ़	20	रायगढ़	श्री सुरजीत सिंह	22.38	
			श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल	22.45	
			श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला	15.78	
			श्री हर्षदीप सिंह सियाल	15.16	
			श्री नटवर लाल डडसेना	37.68	
			श्री मनीष अग्रवाल	2.29	
			योग	115.74	
			महायोग	1675.90	

## परिशिष्ट "चौबीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 487) के भाग (क) की जानकारी ]

गरियाबंद जिले में खेलगढ़िया योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में प्राप्त राशि, व्यय राशि एवं क्रय सामग्रियों की जानकारी

क	विद्यालय का स्तर	प्राप्त राशि	व्यय राशि	क्रय सामग्रियों का नाम
1	2	3	4	5
1	प्राथमिक	4795000	4795000	कैरम बोर्ड, गोली, स्ट्रानगर, पाउडर फुटबाल बाक्स पैक, क्वालीबाल, बैडमिन्टन सेट, क्रिकेट सेट, चेनिस चेकर, शतरंज, स्पोर्ट्स टी शर्ट, कैरम स्टैण्ड, गोला, कॉक, टेनिस बाल, रिंग बाल, जम्प रोप, सटल, खो-खो पोल, खो-खो जर्सी, कबड्डी जर्सी, भाला तवा, क्वालीवाल नेट, टेनिस बाल, क्रिकेट, क्रिकेट स्टम्प, क्रिकेट बैट, बार्सेट बाल पोल, क्रिकेट ड्यूस बाल, बैडमिन्टन नेट लेंगोरी गेम मेगनेट वाला, गंजरीग टेप, केंसियो गेड राकेट, ग्लोब पी टी ड्रूम सेट, विगुल क्लिप्स, फुटबाल, हेंड बाल, टेनिस, गोला 8 पाउंड, गोला 10 पाउंड, फ्लाइंग डिक्स डवल, चिडिया, फूट पम्प, रस्सा करसी, फुटबाल, हेंडबाल, पिट्टूल, कैरम, कैरम गोटी, चेस बोर्ड, लूडो, शॉट पूट, कॉटन स्कीपिंग रोप, बोर्ड, साप सीडी, शॉट पुट रबर डिस्कस रबर, नेटशटल, कॉकशटल, कमर रिंग, गीटर टेप, एम सॉक्सस, बैटिंग ग्लोब, हेलमेट सीटी, भौरा, रिंग, गाडे एस जी, हरडल, ऐकलेट, योगा मैट आदि।
2	पूर्व माध्यमिक	4460000	4460000	
3	हाई/हायर सेकेण्डरी	3550000	3327270	
महायोग :-		12805000	12582270	



## परिशिष्ट "पच्चीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 524) की जानकारी ]

प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु साईकल वितरण की जानकारी सत्र-2019 से

क.	जिला	वर्ष	प्रदेश में बालिकाओं को प्रदत्त कुल सायकलों की संख्या	अनु.जाति एवं अनु.जन.जाति वर्ग की बालिकाओं की संख्या जिन्हे सायकल प्रदाय की गई	
				अनु.जाति	अनु.जन.जाति
1	2	3	4	5	6
1	कबीरधाम	2019	6435	1130	1312
		2020	6374	1142	1217
		2021	0	-	-
2	बिलासपुर	2019	12960	3666	4065
		2020	11742	3345	2202
		2021	9684	3107	1893
3	कांकेर	2019	6100	255	4001
		2020	5897	286	3381
		2021	0	-	-
		2022	0	-	-
4	धमतरी	2019-20	3667	663	1676
		2020-21	3240	519	1625
		2021-22	0	-	-
5	मुंगेली	2019	4259	1849	574
		2020	4647	1812	570
		2021	4986	1721	557
		2022	0	-	-
6	बरार-जगदलपुर	2019	5916	118	4090
		2020	5745	118	4036
		2021	5329	155	3638
		2022	0	-	-
7	सूरजपुर	2019-20	6293	551	3280
		2020-21	5679	303	2910
		2021-22	0	-	-
8	महासमुन्द	2019	8417	1242	2763
		2020	7800	1222	2473
		2021	0	-	-
		2022	0	-	-
9	अनु.जाति अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग जिला शिक्षा, महानदी मण्डल, नया रायपुर	2019	902	28	734
		2020	947	26	700
		2021	1016	16	812
		2022	0	-	-

10	सक्तो	2019-20	5111	1458	1014
		2020-21	4759	1459	868
		2021-22	0	0	0
11	दुर्ग	2019	6606	1675	647
		2020	5890	969	1210
		2021	5498	1526	617
		2022	0	-	-
12	बालोद	2019	4458	483	2045
		2020	0	-	-
		2021	0	-	-
13	कोरिया	2019	4569	1579	1377
		2020	4931	467	2909
		2021	0	-	-
		2022	0	-	-
14	नारायणपुर	2019	1122	59	847
		2020	953	36	760
		2021	947	770	26
		2022	0	-	-
15	कोरबा	2019-20	8133	1016	3908
		2020-21	0	-	-
		2021-22	0	-	-
16	जी पी एम	2019-20	2691	159	1836
		2020-21	2587	178	1677
		2021-22	0	-	-
17	राजनादगाव	2018-19	12700	1382	3954
		2019-20	12039	2518	2455
		2020-21	100	7	28
		2021-22	0	-	-
18	बेमेतरा	2019	4084	1716	453
		2020	3495	1434	391
		2021	3327	1490	384
		2022	0	-	-
19	गरियाबंद	2019-20	4321	1018	1172
		2020-21	0	-	-
		2021-22	0	-	-
20	रायपुर	2019	10066	709	2860
		2020	10375	812	2869
		2021	0	-	-
		2022	0	-	-
21	दन्तेवाड़ा	2019	1495	61	1082
		2020	1479	79	1065
		2021	1253	63	954
		2022	0	0	0

22	बीजापुर	2019	1179	93	919
		2020	1248	43	1007
		2021	0	0	0
		2022	0	0	0
23	रायगढ़	2019	9335	1759	4097
		2020	9439	1794	4149
		2021	0	—	—
		2022	0	—	—
24	जशपुर	2019	6094	540	3735
		2020	6155	3756	520
		2021	5738	2897	1065
		2022	0	—	—
25	सरगुजा	2019	6683	379	4083
		2020	6171	601	3602
		2021	5554	664	2929
		2022	0	0	0
26	जांजगीर-चोंपा	2019-20	6035	1906	740
		2020-21	6484	2045	744
		2021-22	0	—	—
27	बलौदाबाजार	2019	12426	2880	2476
		2020	13390	3691	3146
		2021	11597	2946	1510
		2022	0	—	—
28	बलरामपुर-रामानुजगंज	2019	6052	385	3949
		2020	0	—	—
		2021	0	—	—
		2022	0	—	—
29	कोण्डागांव	2019	5254	255	4181
		2020	0	—	—
		2021	0	—	—
		2022	0	—	—
कुल योग-			369858	70985	124483

परिशिष्ट "छब्बीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 677) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

क्र	विकास खण्ड	स्कूल का नाम	क्या भवन तोड़ा गया है?	नया निर्माण किया गया है?	क्या पूर्व भवन का रिनोवेशन किया गया है?	क्या निविदा जारी की गई है?	निर्माण एजेसी का नाम	मद	स्वीकृत राशि (लाख में)	रिमार्क	
1	मुंगेली	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल दाऊपारा, मुंगेली	हाँ	हाँ	हाँ	जोनल टेण्डर किया गया	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मुंगेली	स्कूल शिक्षा विभाग	126.77		
								एस.एस.ए.	31.20		
									आर.एम.एस.ए.	38.15	
			हाँ	हाँ	हाँ	ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य किया गया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुंगेली	स्कूल शिक्षा विभाग	16.76		
									अद्योसंरचना एवं पर्यावरण निधि	26.00	
									बी.आर.जी.एफ.	113.74	
							डी.एम.एफ.	150.00			
योग :-									502.62		
2	लोरमी	महंत जगन्नाथ दास शासकीय इंग्लिश स्कूल लोरमी	-	-	-	निविदा प्रक्रियाधीन	-	डी.एम.एफ.	300.00	अनुमोदित	
								समग्र शिक्षा	43.00	राशि प्राप्त	
योग :-									343.00		
3	पथरिया	स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पथरिया	-	-	-	निविदा प्रक्रियाधीन	-	डी.एम.एफ.	300.00	अनुमोदित	
								समग्र शिक्षा	43.00	राशि प्राप्त	
योग :-									343.00		

## परिशिष्ट "सत्ताईस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 689) के भाग (क) की जानकारी ]

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोरबा द्वारा हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर ( लंबाई-27.19 कि.मी. )  
मार्ग निर्माण हेतु निम्नांकित ग्राम का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है :---

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	प्रस्ताव दिनांक (3)	कुल खसरा (4)	कुल रकबा (5)
1.	रंगबेल	4.1.2021	46	2.710
2	सरईसिंगार	4.1.2021	63	3.276
3	नवापारा	30.12.2020	24	2.073
4	भलपहरी	4.1.2021	42	2.574
5	भर्राकुडा	31.12.2020	34	1.902
6	कटकीडबरी	30.12.2020	38	1.828
7	दरी	31.12.2020	24	1.601
8	अखरापाली	31.12.2020	45	2.868
9	मौहाडीह	31.12.2020	05	0.191
10	गगदेई	31.12.2020	66	4.431
11	मुढाली	30.12.2020	11	1.223
12	बिरदा	31.12.2020	17	1.837
13	मुडापार	30.12.2020	01	0.144

## परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 706) के भाग (क) की जानकारी ]

## राजनांदगांव जिले में प्राकृतिक आपदा से हुई मौतों की जानकारी

क्र.	प्राकृतिक आपदा की घटना	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22	
		मृतकों की संख्या	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत स्वीकृति राशि	मृतकों की संख्या	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5	6
1	अग्नि से	32	1,28,00,000.00	19	76,00,000.00
2	सर्पदश से	49	1,96,00,000.00	29	1,16,00,000.00
3	बिच्छू डक से	3	12,00,000.00	2	8,00,000.00
4	मधुमक्खी काटने से	1	4,00,000.00	1	4,00,000.00
5	तालाब में डूबने से	35	1,37,50,000.00	15	60,00,000.00
6	कुए में डूबने से	9	36,00,000.00	7	28,00,000.00
7	नदी में डूबने से	7	28,00,000.00	2	8,00,000.00
8	बाघ में डूबने से	1	1,00,000.00	2	8,00,000.00
9	नाला में डूबने से	8	32,00,000.00		
10	डबरी में डूबने से			2	8,00,000.00
11	जलाशय/स्टॉफडेम में डूबने से	4	16,00,000.00	1	4,00,000.00
12	खाद गड्ढों में डूबने से	2	8,00,000.00		
13	एनीकट के पानी में डूबने से	1	4,00,000.00	1	4,00,000.00
14	नहर/नाली में डूबने से	5	20,00,000.00	3	12,00,000.00
15	आकाशीय बिजली (गाज) गिरने से	14	56,00,000.00	4	16,00,000.00
16	आंधी/तूफान से विद्युत तार गिरने से	1	4,00,000.00		
17	अतिवृष्टि/अतिवर्षा से मकान का दीवाल गिरने से दबने से	3	12,00,000.00		
18	अतिवृष्टि से सार्वजनिक कुआ सफाई करते समय बलब में दबने से	1	4,00,000.00		
19	खदान धंसकने से दबने से	1	4,00,000.00	1	4,00,000.00
20	आंधी/तूफान से पेड़ की डंगल गिरने से	1	4,00,000.00		
	योग	178	7,06,50,000.00	89	3,56,00,000.00

परिशिष्ट "उन्तीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 708) के भाग (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

क.	अवधि	पंजीकृत/प्राप्त आवेदनों/दावों की संख्या		स्वीकृत आवेदनों/दावों की संख्या		वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या		निरस्त आवेदनों/दावों की संख्या	
		व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2019-20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक)	2318	0	2318	0	2318	0	0	0
2	2020-21 (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक)	3849	7536	3849	7535	3830	7535	0	1
3	2021-22 (1 अप्रैल 2021 से 24 नवंबर 2021 तक)	2061	115	2054	115	2054	115	7	0
	योग	8228	7651	8221	7650	8202	7650	7	1

## प्रपत्र 'ब'

क.	अवधि	वन अधिकार के प्रकार	प्रदाय किए गए वन अधिकार पत्रों के संख्या :: जनकारी					निरस्त किए गए आवेदनों/दावों के संख्या में जानकारी				
			वितरित वन अधिकार पत्र	पुनर्विचार में लिए गए पत्रों की संख्या	पुनर्विचार उपरांत वन अधिकार पत्रों की संख्या	पुनर्विचार मान्य वन अधिकार पत्रों की संख्या	पुनर्विचार उपरांत डीएलसी द्वारा अमान्य/निरस्त वन अधिकार पत्रों की संख्या	प्रक्रियाधीन वन अधिकार पत्रों की संख्या	निरस्त प्रकरणों की संख्या	पुनर्विचार में लिए गए प्रकरणों की संख्या	पुनर्विचार उपयुक्त स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	पुनर्विचार उपरांत डीएलसी द्वारा अंतिम रूप से निरस्त प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01 अप्रैल 2018 से 24 नवंबर 2021 तक	व्यक्तिगत वन अधिकार सामुदायिक वन अधिकार	8202	0	0	0	0	7	7	0	0	7
		योग	7650	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			15852	0	0	0	0	8	7	0	0	7

## परिशिष्ट "तीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 717) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन-अटल नगर, नवा रायपुर


// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 01/09/2021

क्रमांक एफ 5-21/2021/20-तीन :: विभागीय सगरसंख्याक आदेश दिनांक 26.07.2021 के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी निजी एवं शासकीय विद्यालयों में 6वीं, 7वीं, 9वीं एवं 11वीं की ऑफलाइन कक्षाएँ 02 सितम्बर, 2021 से प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार शर्तों के आधार पर अनुमति प्रदान की जाती है:-

- (1) स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी निजी एवं शासकीय विद्यालयों में 6वीं, 7वीं, 9वीं एवं 11वीं की कक्षाएँ प्रारंभ करने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत तथा स्कूल की पालक समिति की अनुमति प्राप्त की जाए। शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित वार्ड पार्षद एवं स्कूल की पालक समिति की अनुमति प्राप्त की जाए। उनकी अनुमति प्राप्त होने पर यह कक्षाएँ 02 सितम्बर, 2021 से प्रारंभ की जाए।
- (2) यह कक्षाएँ उन्हीं जिलों में प्रारंभ की जाए जिनमें कोरोना की पाजिटिविटी दर 7 दिनों तक 1 प्रतिशत से कम हो।
- (3) विद्यार्थियों को कक्षाओं में 1 दिवस के अंतर पर बुलाया जाए। अर्थात् प्रतिदिन केवल आधी संख्या में ही विद्यार्थी बुलाये जाए।
- (4) किसी भी विद्यार्थी को यदि सर्दी, खोंसी, बुखार आदि हो तो उसे कक्षा में नहीं बैठाया जाए।
- (5) ऑनलाईन कक्षाएँ यथावत संचालित की जाती रहेगी।
- (6) किसी भी विद्यार्थी के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।
- (7) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (8) सभी शिक्षण संस्थाओं के कमरों की साफ-सफाई ठीक प्रकार से की जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(सरोज उडके)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

...2..

order

पृ0क्रमांक एफ 5-21/2021/20-तीन  
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 01/09/2021

- (1) अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
  - (2) निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
  - (3) आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
  - (4) उप सचिव, छ0ग शासन, मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
  - (5) समस्त समागायुक्त।
  - (6) समस्त कलेक्टर .....
  - (7) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी .....
  - (8) प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, पेंशनबाड़ा रायपुर।
  - (9) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् बी.टी.आई., शंकर नगर, रायपुर।
  - (10) समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, .....छ.ग.।
  - (11) संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (12) गार्ड फाइल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

## परिशिष्ट "ईकतीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 723) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

## सुखा राशन प्रदाय हेतु संस्था का नाम

क्रमांक	जिला	वि.खं. का नाम	संस्था का नाम	संस्था को भुगतान की गई राशि	राशि वितरण दिनांक
	बीजापुर		स्टेट मैनेजर, भारतीय राष्ट्रीय कृषक उपज उपार्जन, प्रसंस्करण एवं फुटकर सहकारी संघ मर्यादित (नेकॉफ) सी-179 रतन पैलेस शैलेन्द्र नगर रायपुर (छ0ग0)	3280661.00	15-02-2021
				2963283.00	15-02-2021
2	काण्डागांव		भारतीय राष्ट्रीय कृषक उपार्जन एवं फुटकर सहकारी संघ मर्यादित (नेकॉफ) रायपुर	20979567.00	23-10-2020
				13986378.00	23-12-2020
3	मुंगेली		स्टेट मैनेजर भारतीय राष्ट्रीय कृषक उपज उपार्जन, प्रसंस्करण एवं फुटकर सहकारी संघ मर्यादित (नेकॉफ) रायपुर	27819023.00	11-02-2021
4	बस्तर		केन्द्रीय भण्डार	26110077.00	04-06-2020
			केन्द्रीय भण्डार	2792746.00	24-08-2020
			एन.सी.सी.एफ.	38876189.00	28-10-2020
			एन सी सी एफ.	29195364.00	15-12-2020
			एन.सी.सी.एफ.	0.00	16-02-2021
			एन सी सी एफ.	0.00	22-05-2021
			एन.सी.सी.एफ.	0.00	25-10-2021
5	सूरजपुर	सूरजपुर	केन्द्रीय भण्डार रायपुर	5654493.00	09-06-2020
		भैयाथान		3510577.00	
		ओडगी		3765455.00	
		प्रतापपुर		5274516.00	
		प्रेमनगर		2760135.00	
		रामानुजनगर		4575539.00	
			योग	25540715.00	

अनुभूत आधिकारी  
रक्षित/विद्यमान  
संस्था/प्रशासनिक भवन.

क्रमांक	जिला	वि.खं. का नाम	संस्था का नाम	संस्था को भुगतान की गई राशि	राशि वितरण दिनांक
	सूरजपुर	सूरजपुर	केन्द्रीय भण्डार रायपुर	5891163.00	21-09-2020
		भैयाथान		3561374.00	21-09-2020
		ओडगी		3681626.00	22-09-2020
		प्रतापपुर		5694214.00	21-09-2020
		प्रेमनगर		2757773.00	22-09-2020
		रामानुजनगर		4113895.00	24-09-2020
		योग		25700045.00	
	सूरजपुर	सूरजपुर	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	8401539.00	02-12-2020
		भैयाथान		5166330.00	02-12-2020
		ओडगी		5090209.00	02-12-2020
		प्रतापपुर		8140499.00	03-12-2020
		प्रेमनगर		3860866.00	03-12-2020
		रामानुजनगर		5670945.00	02-12-2020
		योग		36330388.00	
कुल योग – अक्षरी (पच्चीस करोड़ पैतीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ छत्तीस रु.मात्र )				253574436.00	

प्रपत्र "ब"



R.C. MEENA  
Joint Secretary (D.D.)  
Tel. No. 011-23171115

D.O. No. 1-2/2021-Desk (MIDM)

संस्कृत विभाग  
शिक्षण विभाग  
शिक्षण, मनः शक्तिशास्त्र विभाग  
शासकीय भवन  
नई दिल्ली - 110 115  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF EDUCATION  
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY  
BHASKAR BHAVAN  
NEW DELHI-110 115  
Dated: 15<sup>th</sup> June, 2021


You may be aware that the Govt. of India has announced distribution of free-of-cost food grains at 5 Kg per person per month to nearly 80 Crore beneficiaries covered under National Food Security Act, 2013 (NFSA) over and above NFSA. Accordingly, food grains for May and June 2021 on the same pattern as done in the earlier "Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)" are being distributed. Under this special scheme (PMGKAY), around 80 crore NFSA beneficiaries covered under both categories of NFSA, namely Antyodaya Anna Yojana (AAY) and Priority Householders (PHH), will be provided with an additional quota of free-of-cost foodgrains (Rice/Wheat) at a scale of 5 Kg per person per month, over and above their regular monthly entitlements under PDS scheme under NFSA.

2. The Government of India is committed to safeguard nutritional levels of children in order to protect their immunity during the challenging pandemic times. As a fillip to the provision of free food grains under PMGKAY, it has been decided with the approval of Hon'ble Shiksha Mantri ji to provide monetary assistance through Direct Benefit Transfer (DBT) of cooking cost component of MIDM to all eligible children as per MIDM norms for **summer vacation period of 2021 only as a one time special welfare measure**. States & UTs are advised to make the system of monitoring of MIDM more robust with many checks, backs and balances.

3. States and UTs are also advised to submit proposals for the above purpose along with Annual Work Plan & Budget, 2021-22. The States and UTs whose PAB meetings are already over, may send their proposals separately within 7 days.

With regards,

Yours sincerely,

  
(R.C. MEENA)

The Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries Education or the Social Department for implementation of Mid Day Meal in all States and UTs.

Copy to

- (i) Commissioner / Director (MIDM) of all States/UTs,  
OS as Joint Secretary (D.D.)  
Dir. S. & SCDVA

## परिशिष्ट "बत्तीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 734) के भाग (क) की जानकारी ]

1- भारत सरकार के मार्गदर्शी निर्देश के अनुसार पूर्व से गठित राज्य शासन के आदेश दिनांक 03.09.2015 के द्वारा कार्यकारिणी समिति का विवरण निम्नानुसार है :-

1.	मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग/महिला बाल विकास विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/गृह विभाग/लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/कृषि विभाग/वित्त विभाग/खाद्य विभाग/ग्रामोद्योग विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/जनशक्ति नियोजन विभाग/नगरीय कल्याण/वन विभाग	-	सदस्य
3.	सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	-	सदस्य/सचिव

2- इसी प्रकार भारत सरकार, जानजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्र. 18015/06/2019 दिनांक 23 अप्रैल 2020 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अंतर्गत कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति व जिला योजना एवं मॉनिटरिंग समिति के गठन के संबंध में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश क्र. एफ-17-27/2021/25-2 दिनांक 23.09.2021 के द्वारा जिला योजना एवं निगरानी समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है -

1	जिला-कलेक्टर	-	अध्यक्ष
2	संबंधित एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के परियोजना प्रशासक	-	सदस्य/सचिव
3	जिला अधिकारी -पंचायत एवं ग्रामीण विकास/महिला एवं बाल विकास/स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/लोक निर्माण/जल संसाधन/ऊर्जा/कृषि/वन/उद्यानिकी/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति/ग्रामोद्योग/जनशक्ति नियोजन/नगरीय प्रशासन	-	सदस्य
4	स्थानीय मान. सांसद एवं विधायक	-	प्रतिनिधि सदस्य

## परिशिष्ट "तैंतीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 742) के भाग (ग) की जानकारी ]

क्रमांक	अनुकम्पा नियुक्ति के अपात्र प्रकरणों की संख्या एवम् कारण
1	आवेदक कल्पना (पुत्री) – दिवंगत कर्मचारी का पुत्र शासकीय सेवा में है।
2	आवेदिका यनिता साहू (पुत्री) – दिवंगत शासकीय सेवक की पुत्री शासकीय सेवा में है।
3	आवेदक मनीष दुबे (भाई) – दिवंगत शासकीय सेवक का पति शासकीय सेवा में है।
4	आवेदक इंग्लेश सोरी (पुत्र) – दिवंगत कर्मचारी का पुत्र शासकीय सेवा में है।
5	आवेदिका केशरलता (पुत्री) – दिवंगत कर्मचारी का पुत्र शासकीय सेवा में है।
6	आवेदक आलोक पात्रे (पुत्र) – दिवंगत की पत्नी शासकीय सेवा में है।
7	आवेदक दुष्यंत (पुत्र) – दिवंगत का पति शासकीय सेवा में है।
8	आवेदक प्रवीण सिंह पोटाई (पुत्र) – दिवंगत शासकीय सेवक का बड़ा पुत्र शासकीय सेवा में है।
9	आवेदक मुकेश कुंभकार (भाई) – दिवंगत की पत्नी शासकीय सेवा में है।
योग	09 प्रकरण अपात्र

## परिशिष्ट "चौतीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 747) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

**चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित, अतिजर्जर, भवन विहीन एवं अहाता विहीन  
शासकीय शालाओं की जानकारी**

विकासखण्ड	शाला का स्तर	संचालित शालाएं	अति जर्जर शालाएं	भवन विहीन शालाएं	अहाता विहीन शालाएं
डभरा	प्राथमिक	208	30	3	32
	पूर्व माध्यमिक	95	5	0	9
	हाईस्कूल	9	0	1	1
	हायर सेकेण्डरी	20	0	0	1
मालखरौदा	प्राथमिक	127	15	0	18
	पूर्व माध्यमिक	69	9	1	7
	हाईस्कूल	7	0	2	0
	हायर सेकेण्डरी	17	0	0	0

**चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों से 24.11.2021 तक स्वीकृत एवं स्वीकृति  
हेतु शेष शासकीय शालाओं की जानकारी**

विकासखण्ड	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य			शेष कार्य		
		मरम्मत	नवीन भवन	अहाता निर्माण	मरम्मत	नवीन भवन	अहाता निर्माण
डभरा	2019-20	4	3	0	निरंक		
	2020-21	0	2	5	निरंक		
	2021-22(24.11.2021 तक)	0	0	0	35	35	43
मालखरौदा	2019-20	4	1	0	निरंक		
	2020-21	0	6	2	निरंक		
	2021-22(24.11.2021 तक)	0	0	0	24	8	25

## अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

### परिशिष्ट "पैंतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 14) की जानकारी ]

एन.के.जे. बॉयोप्रोड्स प्राइवेट लिमिटेड (कन्सेशनेर), एच. मोरमठ, सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा (अर्थोरिटी) के मध्य निम्नादित अनुबंध की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार हैं -

1. एथेनॉल प्लांट की स्थापना पी.पी.पी. के माध्यम से डी.वी.एफ.ओ.टी. मॉड (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) पर कन्सेशनेर द्वारा वित्तपोषण कर एथेनॉल प्लांट का डिजाइन एवं निर्माण किया जावेगा तथा 30 वर्षों के संचालन के पश्चात् एथेनॉल प्लांट अर्थोरिटी को हस्तांतरित कर दिया जावेगा।
2. अनुबंध की अवधि 30 वर्षों की होगी, जिसमें अर्थोरिटी द्वारा एथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु भूमि 30 वर्षों के लिए लाईसेंस के आधार पर कन्सेशनेर को एथेनॉल प्लांट संचालन हेतु दी जावेगी। 30 वर्षों के पश्चात् एथेनॉल प्लांट पूर्ण रूप से अर्थोरिटी को कन्सेशनेर द्वारा हस्तांतरित कर दिया जावेगा।
3. एथेनॉल प्लांट संचालन हेतु आवश्यक परमिट्स/लाईसेंसों को प्राप्त करने की जवाबदारी कन्सेशनेर की होगी, जिसमें अर्थोरिटी द्वारा यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावेगा।
4. कन्सेशनेर की यह बाध्यता होगी कि एथेनॉल प्लांट के कुल वार्षिक उत्पादन का न्यूनतम 50% मात्रा बॉयो एथेनॉल हो।
5. एथेनॉल प्लांट की निर्माण अवधि (18 माह) तथा उसका संचालन (प्रथम 18 माह) निर्धारित मापदंडों के अनुरूप करने हेतु पर्यवेक्षक के तौर पर कुल 36 माह के लिए इंडीपेंडेंट इंजीनियर की नियुक्ति अर्थोरिटी द्वारा निविदा के माध्यम से की जावेगी, जिसके फीस का भुगतान अर्थोरिटी एवं कन्सेशनेर द्वारा समुक्त रूप से किया जावेगा।
6. अर्थोरिटी द्वारा उत्पादित संपूर्ण मोलासिस को कन्सेशनेर द्वारा अनुबंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार क्रय करने की बाध्यता होगी, जिसका भुगतान कन्सेशनेर द्वारा अर्थोरिटी को किया जावेगा।
7. न्यूनतम 40 केएलपीडी क्षमता के एथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें कन्सेशनेर द्वारा प्रतिवर्ष राशि रूपसे 5.27 करोड़ ए.सी.एफ. (एनुअल कन्सेशन फी) के रूप में अर्थोरिटी को भुगतान किया जावेगा। 40 केएलपीडी से अधिक उत्पादन की दशा में अनुबंध में दर्शित प्रावधान अनुसार अनुपात में राशि का भुगतान कन्सेशनेर द्वारा अर्थोरिटी को किया जावेगा।

## परिशिष्ट "छत्तीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 88) के भाग (क) की जानकारी ]

सहा.शिक्षक,प्रधान पाठक,शिक्षक (प्राथ. एवं उच्च प्राथ.) के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र	जिला	शाला का स्तर	प्रधान पाठक		सहायक शिक्षक		शिक्षक	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1.	महासमुंद	प्राथमिक	1281	1087	3687	594	0	0
		उच्च.प्रा.	491	272	0	0	2295	497
2.	बलौदाबाजार	प्राथमिक	1175	694	4791	745	0	0
		उच्च.प्रा.	628	390	0	0	3068	1047
3.	गरियाबंद	प्राथमिक	971	829	2586	193	0	0
		उच्च.प्रा.	438	164	0	0	1866	547
4.	रायपुर	प्राथमिक	719	342	4229	584	0	0
		उच्च.प्रा.	405	142	0	0	2499	425
5.	धमलरी	प्राथमिक	853	669	1979	42	0	0
		उच्च.प्रा.	434	227	0	0	1892	386
6.	कबीरधाम	प्राथमिक	973	870	2925	262	0	0
		उच्च.प्रा.	479	312	0	0	1976	539
7.	धंभतरा	प्राथमिक	743	621	2905	525	0	0
		उच्च.प्रा.	383	187	0	0	1812	621
8.	दुर्ग	प्राथमिक	573	371	1979	-117	0	0
		उच्च.प्रा.	317	102	0	0	1798	239
9.	बालौद	प्राथमिक	804	584	2415	76	0	0
		उच्च.प्रा.	405	75	0	0	1950	677
10.	राजनादगाव	प्राथमिक	608	513	1360	166	0	0
		उच्च.प्रा.	193	53	0	0	887	403
11.	बिलासपुर	प्राथमिक	1110	774	4752	467	0	0
		उच्च.प्रा.	511	188	0	0	2450	307
12.	मुंगली	प्राथमिक	659	566	2345	236	0	0
		उच्च.प्रा.	272	168	0	0	1353	388
13.	कोरबा	प्राथमिक	1472	1137	3159	181	0	0
		उच्च.प्रा.	513	150	0	0	1698	177
14.	सक्ती	प्राथमिक	765	635	1950	-20	0	0
		उच्च.प्रा.	359	144	0	0	1657	244

	जाजगीर चापा	प्राथमिक	762	587	2820	157	0	0
		उच्च प्रा.	408	128	0	0	1924	489
16	रायगढ	प्राथमिक	1971	1129	4430	-253	0	0
		उच्च प्रा.	884	365	0	0	2968	1853
17	गौरेला पेडा मरवाही	प्राथमिक	545	453	1232	145	0	0
		उच्च प्रा.	229	80	0	0	925	344
18	काकर	प्राथमिक	1591	993	3236	538	0	0
		उच्च प्रा.	608	98	0	0	2440	977
19	नारायणपुर	प्राथमिक	419	164	838	204	0	0
		उच्च प्रा.	123	49	0	0	492	213
20	कोंडागांव	प्राथमिक	1227	974	2454	115	0	0
		उच्च प्रा.	602	195	0	0	2408	1026
21	जगदलपुर	प्राथमिक	1526	1256	3328	801	0	0
		उच्च प्रा.	630	279	0	0	2562	826
22	दतेवाडा	प्राथमिक	620	504	1173	79	0	0
		उच्च प्रा.	273	45	0	0	626	112
23	बीजापुर	प्राथमिक	781	682	1608	531	0	0
		उच्च प्रा.	191	29	0	0	764	325
24	सुकमा	प्राथमिक	618	505	1645	530	0	0
		उच्च प्रा.	164	36	0	0	786	252
25	कोरिया	प्राथमिक	953	826	2128	173	0	0
		उच्च प्रा.	409	226	0	0	1262	305
26	बलरामपुर रामा गंज	प्राथमिक	1355	1148	3341	210	0	0
		उच्च प्रा.	547	181	0	0	2300	989
27	सूरजपुर	प्राथमिक	1378	1083	3350	330	0	0
		उच्च प्रा.	551	180	0	0	2318	790
28	जशपुर	प्राथमिक	1651	120	3810	330	0	0
		उच्च प्रा.	467	132	0	0	1906	194
29	सरगुजा	प्राथमिक	1283	794	2830	21	0	0
		उच्च प्रा.	557	114	0	0	2335	478
योग			41857	25621	79285	8235	53217	15670

## परिशिष्ट "सैंतीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 89) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

जिले में उन्नयन हेतु पात्र शालाओं की जानकारी

क्रमांक	विकास खण्ड	उन्नयन हेतु पात्र शाला का नाम
1	गुरुर	माध्यमिक शाला कोसागांदी
2	गुरुर	माध्यमिक शाला टेंगना/बरपारा
3	बालोद	माध्यमिक शाला परसोदा
4	बालोद	हाईस्कूल नेवारीकला
5	बालोद	हाईस्कूल कोहंगाटोला
6	डौ.लोहारा	हाईस्कूल भण्डेरा
7	डोण्डी	माध्यमिक शाला मरदेल
8	डौ.लोहारा	हाईस्कूल कोबा

विगत 03 वर्षों में उन्नयन हेतु प्राप्त प्रस्तावों का विवरण

क्रमांक	वर्ष	शाला का स्तर
1	2018-19	हाईस्कूल हराटेमा
2		हाईस्कूल नेवारीकला
3		हाईस्कूल कोहंगाटोला
4		हाईस्कूल भण्डेरा
5		हाईस्कूल कोबा
1	2019-20	माध्यमिक शाला कोसागांदी
2		माध्यमिक शाला टेंगना/बरपारा
3		माध्यमिक शाला परसोदा
4		माध्यमिक शाला पुतरवाही
5		माध्यमिक शाला मरदेल
1	2020-21	प्राथमिक शाला ओरमा

परिशिष्ट "अड़तीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 193) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

रायगढ़ जिले के लैलूंगा एवं तमनार विकासखण्ड में वर्ष 2019-20 में मदवार आबंटित राशि की जानकारी

क्र.सं.	मद का नाम	विकासखण्ड लैलूंगा			विकासखण्ड तमनार				
		आबंटित दिनांक	आबंटित राशि			आबंटित दिनांक	आबंटित राशि		
			केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	कुल		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आई.ई.डी. मद भाषा प्रशिक्षण	17-09-19	21120	14080	35200	17-09-19	21120	14080	35200
2	राष्ट्रीय अविष्कार अभियान	04-11-19	39600	26400	66000	04-11-19	39600	26400	66000
3	आकलन शिविर	18-09-19	27000	18000	45000	18-09-19	27000	18000	45000
4	दिव्यांग दिवस	25-11-19	5000	3333	8333	25-11-19	5000	3333	8333
5	बी आर सी. कंटेजेन्सी	20-12-19	18000	12000	30000	20-12-19	18000	12000	30000
6	बी आर सी फर्नीचर	20-12-19	60000	40000	100000	20-12-19	60000	40000	100000
7	बी आर सी मीटिंग टी ए	20-12-19	6000	4000	10000	20-12-19	6000	4000	10000
8	बी आर सी मरम्मत अनुदान	20-12-19	12000	8000	20000	20-12-19	12000	8000	20000
9	कराटे प्रशिक्षण	22-01-20	10800	7200	18000	22-01-20	10800	7200	18000
10	दिशा प्रोजेक्ट		0	0	0	25-11-19	18360	12240	30600
11	पी एल.सी प्रशिक्षण	31-03-2020	9000	6000	15000	31-03-2020	9000	6000	15000
12	मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण	31-03-2020	2640	1760	4400	31-03-2020	1440	960	2400
13	संकुल कंटेजेन्सी	17-01-20	105600	70400	176000	17-01-20	57600	38400	96000
14	शाला अनुदान (स्कूल हेतु)	25-11-2019	5361600	3574400	8936000	25-11-2019	3159000	2106000	5265000
15	स्पोर्ट क्लब (स्कूल हेतु)	17-12-2019	1497000	998000	2495000	17-12-2019	762000	508000	1270000
16	यूथ एण्ड इको क्लब (स्कूल हेतु)	5-12-19	1114200	742800	1857000	5-12-19	563400	375600	939000
17	के.जी.बी.व्ही. छात्रावास झगरपुर		1990239	1326826	3317065		0	0	0
18	अग्नेजी माध्यम	30-03-2021	240000	160000	400000	30-03-2021	240000	160000	400000
19	शिक्षाकर्मी वेतन		5193839	3462560	8656399		847846	565230	1413076

प्रपत्र "ब"

रायगढ़ जिले के लैलूंगा एवं तमनार विकासखंड में वर्ष 2020-21 में मदवार आबंटित राशि की जानकारी

क्र.	मद का नाम	विकासखंड लैलूंगा			विकासखंड तमनार				
		आबंटित दिनांक	आबंटित राशि			आबंटित दिनांक	आबंटित राशि		
			केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	कुल		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	शाला से बाहर बच्चों हेतु		0	0	0	27-5-21	19800	13200	33000
2	कलन शिविर	2-2-21	24000	16000	40000	2-2-21	24000	16000	40000
3	आई ई डी दिव्यांग वातावरण कार्यक्रम	8-2-21	23220	15480	38700	8-2-21	11640	7760	19400
4	बी.आर.सी. अनुदान	15-2-21	37200	24800	62000	15-2-21	37200	24800	62000
5	कराटे प्रशिक्षण		0	0	0	25-05-2020	37800	25200	63000
6	आई ई डी शिष्यावृत्ति	22-12-20	219600	146400	366000	22-12-20	147600	98400	246000
7	अंग्रेजी माध्यम	30-03-2021	0	0	0	30-03-2021	2580000	1720000	4300000
8	शौचालय निर्माण	14-05-2020	167400	111600	279000	14-05-2020	223200	148800	372000
9	अति कक्ष निर्माण	03-06-2020	0	0	0	03-06-2020	45260	301440	753600
10	शौचालय निर्माण	01-12-2020	0	0	0	01-12-2020	55800	37200	93000
11	शाला अनुदान (स्कूल हेतु)	1-12-2020	5550000	3700000	9250000	1-12-2020	3180000	2120000	5300000
12	शौचालय क्लब (स्कूल हेतु)	19-3-2021	29340	19560	48900	19-3-2021	29340	19560	48900
13	मीडिया कम्युनिटी (स्कूल हेतु)	12-01-2021	350100	233400	583500	12-01-2021	176400	117600	294000
14	यूथ एण्ड इको क्लब (स्कूल हेतु)	11-02-2021	1893000	1262000	3155000	11-02-2021	942000	628000	1570000
15	शाला प्रबंध समिति (स्कूल हेतु)	30-03-2021	350100	233400	583500	30-03-2021	176400	117600	294000
16	सकुल अनुदान (पुराना सकुल हेतु)	1-02-2021	528000	352000	880000	1-02-2021	288000	192000	480000
17	सकुल अनुदान (नया सकुल हेतु)	20-02-2021	600000	400000	1000000	20-02-2021	288000	192000	480000
18	सकुल अनुदान (सकुल फर्नीचर हेतु)	4-02-2021	1200000	800000	2000000	4-02-2021	576000	384000	960000
19	के.जी.बी.डी. छात्रवास झगदपुर		677253	451502	1128755		0	0	0
20	शिक्षाकर्मी वेतन		1648024	1098683	2746707		344333	229555	573888
21	एत ई पी	12-02-21	15000	10000	25000	12-02-21	15000	10000	25000
22	पी एत सी प्रशिक्षण	31-03-2021	6000	4000	10000	31-03-2021	6000	4000	10000

परिशिष्ट "उनचालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 204) की जानकारी ]

टी संवर्ग

स.क्र.	विकासखण्ड	कर्मचारी (शिक्षक/व्याख्याता) का नाम	पदनाम	मूल पदस्थापना शाला का नाम	सलग्न शाला/ कार्यालय का नाम	मूल पदस्थ शाला में कार्यरत शिक्षकों की संख्या (संलग्न शिक्षकों को छोड़कर)
1	2	3	4	5	6	7
1	बैकुण्ठपुर	श्रीमती अमरावती पैकरा	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. भैसमुड़ा	प्रा.शा. इमलीपारा	3
2	बैकुण्ठपुर	श्रीमती नीता सिन्हा	शिक्षक एल०बी०	मा.शा. डकईपारा	मा.शा. पटना	2
3	बैकुण्ठपुर	श्री सवीना केरकेटटा	शिक्षक एल०बी०	मा.शा.का.पटना	क० छात्रावास चिरमी	2
4	बैकुण्ठपुर	श्रीमती अनामिका गुप्ता	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. शंकरपुर	प्रा.शा. तलवापारा	1
5	बैकुण्ठपुर	मो०शमीम कुरैशी	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा.शा.क.चित्ताञ्जोर पोडी	प्रा.शा. आनी	4
6	बैकुण्ठपुर	श्री प्रयामलाल कुरै	प्रधान पाठक	मा.शा.आश्रमपानी	मा.शा. तुम्बीबारी	2
7	बैकुण्ठपुर	श्रीमती रेहाना परवीन	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. पण्डोपारा	प्रा.शा. चरचा	3
8	बैकुण्ठपुर	श्री मंगल सिंह	सहा०शिक्षक एल०बी०	मा.शा.क.चरचा कॉलरी	प्रा.शा. चरचा	10
9	बैकुण्ठपुर	श्री त्रिभुवन सिंह	सहा०शिक्षक एल०बी०	मा.शा.क.चरचा कॉलरी	प्रा.शा. हरिजनपारा	10
10	बैकुण्ठपुर	श्रीमती बसती पैकरा	शिक्षक एल०बी०	मा.शा. बडगाव	क०आश्रम सत्तीपारा	3
11	बैकुण्ठपुर	श्रीमती ग्लोरिया मिंज	शिक्षक एल०बी०	मा.शा. तुम्बीबारी	मा.शा. सलबा	2
12	बैकुण्ठपुर	श्री सोनई चंद	शिक्षक एल०बी०	मा.शा. तुम्बीबारी	मा.शा. पूटा	2
13	बैकुण्ठपुर	श्री कमल साय भगत	उ०श्रे०शि०	मा.शा. कटकोना	मा.शा. कोसमपारा आनी	3
14	बैकुण्ठपुर	श्रीमती जयसिता तिकी	शिक्षक एल०बी०	मा.शा. पुलिस लाईन	आदियासी क. बैकुण्ठपुर	4
15	बैकुण्ठपुर	श्रीमती प्रिस्का कुजूर	शिक्षक एल०बी०	मा.शा.क. बुडार	आदिवारी क.आ. बुडार	4
16	बैकुण्ठपुर	श्रीमती गुणित कुजूर	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. महुआपारा मुरमा	आदियासी बा.आ. मुरमा	2
17	बैकुण्ठपुर	श्री अरविद जायसवाल	शिक्षक एल०बी०	मा.शा. रामपुर	मा.शा. रनई	3
18	बैकुण्ठपुर	श्री रामसाय राजवाडे	शिक्षक एल०बी०	मा.शा. सतका मनेन्द्रगढ़	मा.शा. बिशुनपुर	3
19	बैकुण्ठपुर	श्री जयनाथ वाजपेयी	व्याख्याता	हा.से.क. चरचा	जिला शिक्षा कार्या० कोरिया	9
20	बैकुण्ठपुर	श्री असगर ईमाम	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. चित्ताञ्जोर पोडी	प्रा.शा. रनई	3
21	बैकुण्ठपुर	कु० नाजनीन बानो	सहा०शिक्षक एल०बी०	कन्या आश्रम पहाडपारा	मा.शा. चित्ताञ्जोर पोडी	2
22	बैकुण्ठपुर	श्रीमती तारा निकुंज	शिक्षक एल०बी०	मा.शा. उमझर	आदियासी क.आ. पहाडपारा	3
23	बैकुण्ठपुर	श्री दिनेश साहू	सहा०शिक्षक एल०बी०	हा.से. जमगहना	हा.से. तरगवा	15
24	बैकुण्ठपुर	श्रीमती रेखा केबलाणी	सहा०शिक्षक एल०बी०	हा.से. जमगहना	हा.से. चरचा	15
25	बैकुण्ठपुर	श्रीमती मेहरून गिशा	व्याख्याता एल०बी०	हा.से. जमगहना	हा.से. सरईटिकुरा अम्बिकापुर	15

305

1	2	3	4	5	6	7
1	बैकुण्ठपुर	श्रीमती अमरावती पैकरा	सहायिका एल०बी०	प्रा शा बैकानूर	प्रा शा इमलीपारा	3
26	बैकुण्ठपुर	श्रीमती विमला लकडा	सहायिका एल०बी०	प्रा शा बरदिया	कल्या आवासीय सोरगा	4
27	बैकुण्ठपुर	श्रीमती पुष्पा बडा	प्रधान पाठक	शा०मा०शा० बारापारा	आदिवासी आश्रम कां अटगोडी	4
28	बैकुण्ठपुर	श्रीमती शशीना केरकेदटा	शिक्षक एल०बी०	शा०मा०शा०का० पटना	प्री०मै० का० आवासीय विरमी	2
29	बैकुण्ठपुर	श्रीमती पूजा पाण्डेय	सहायिका एल०बी०	शा०उ०मा०वि० खरवत	शा० आदर्श प्रा०शाला कैलासपुर	12
30	बैकुण्ठपुर	श्री विनय जायसवाल	शिक्षक एल०बी०	मा०शा० कोरचाडा	कार्यालय विधायक बैकुण्ठपुर	4
31	बैकुण्ठपुर	श्री संगीत खान	व्याख्याता एल०बी०	हाई स्कूल झरनापारा	कार्यालय विधायक भरतपुर	7
32	खडगवा	श्री जितेन्द्र सिंह	शिक्षक एल०बी०	शा०मा०शा० दीपरबहरा	तहसील कार्यालय खडगवा	3
33	खडगवा	श्रीमती सविता दास	शिक्षक एल०बी०	शा०मा०शा० तामंडांड	शा०का०मा०शा० पौडी	4
34	खडगवा	श्री दिग्विजय सिंह	सहायिका एल०बी०	शा०प्रा०शा० लीटाबहरा	शा०प्रा०शा० बरतपुर	2
35	खडगवा	श्रीमती लीलावती पुता	सहायिका एल०बी०	शा०प्रा०शा० पौडीडीह	शा०प्रा०शा० भरतपुर	2
36	खडगवा	श्री दुनु साय पैकरा	सहायिका एल०बी०	शा०प्रा०शा० किन्दाभूडी	शा०का०मा०शा० पौडी	1
37	खडगवा	श्रीमती सीमा यादव	शिक्षक एल०बी०	शा०प्रा०शा० पटना	शा०मा०शा० कारिया	2
38	खडगवा	श्रीमती रजनी सालोमन	प्रधान पाठक	शा०मा०शा० दुबछैला	शा०उ०मा०वि० हल्दीबाडी	4
39	खडगवा	श्रीमती सोनमती कच्छप	व्याख्याता एल०बी०	शा०उ०मा०वि० पौडी बचरा	कस्तूरबा मांकी आवासीय विद्यालय पौडी बचरा	14
40	खडगवा	श्रीमती अनिता एका	सहायिका एल०बी०	शा०प्रा०शा० सोस	शा०का०आश्रम सोस	2
41	खडगवा	श्री सरोज टोपा	सहायिका एल०बी०	शा०प्रा०शा० किन्नीपारा	शा०का०आश्रम जाड़ा दि०का० बैकुण्ठपुर	2
42	खडगवा	श्रीमती रजनी सिन्हा	शिक्षक एल०बी०	शा०का०आश्रम खडगवा	एकलव्य आ०उ०मा०वि० पौडीडीह	3
43	खडगवा	श्री राम प्रसाद सिंह	शिक्षक एल०बी०	प्रा०मा०शा० करवा	एकलव्य आ०उ०मा०वि० पौडीडीह	2
44	खडगवा	श्री गौरी शंकर	सहायिका एल०बी०	शा०उ०मा०वि० देवाडांड	शा०प्री०मै०का०आश्रम देवाडांड	13
45	खडगवा	श्री शिव कुमार	सहायिका एल०बी०	शा०प्रा०शा० जनकपुर	शा०प्री०मै०का०आश्रम खडगवा	1
46	खडगवा	श्री इन्द्रपाल पटेल	व्याख्याता	शा०उ०मा०वि० हल्दीबाडी कोरिया	शा०का०उ०मा०वि० बहाबजूर विरमिरी, कोरिया	15
47	सोनहत	श्री जागेश्वर राम भगत	प्रधान पाठक	मा०शा० नैसवार	खण्ड शिक्षा कार्यालय (मा०वि०ख०शि०अधिकारी)	1
48	सोनहत	श्री बाल्मिकी प्रसाद दुबे	प्रधान पाठक	मा०शा० देवतीडांड	कार्यालय कलेक्टर पुरततल शाखा	1
49	सोनहत	श्री धर्मपाल चौधरी	प्रधान पाठक	मा०शा० तुरीपानी	प्रचार्य एकलव्य आवासीय विद्यालय सोनहत	2
50	सोनहत	कु० आशीष कुंभार	शिक्षक (एल०बी०)	मा०शा० तुरीपानी	प्री०मै०आ०का०शा० रामगढ़	0
51	सोनहत	श्रीमती अम्बे साहू	शिक्षक (एल०बी०)	मा०शा० तुरीपानी	मा०शा० दुधनिया	0
52	सोनहत	श्रीमती रजनी किरण मिज	सहायिका (एल०बी०)	प्रा०शा० तुरीपानी	आ०कन्या आश्रम रामगढ़	1
53	सोनहत	श्री अनुप एका	सहायिका (एल०बी०)	प्रा०शा० हरीडीह	आ०का०आ० बरौपुर	1
54	सोनहत	श्री नर्मदा प्रसाद रावि	शिक्षक (एल०बी०)	मा०शा० सतगवाकला	आ०का०आ० नैसवार	1
55	सोनहत	श्री रामनाथ गरुण	सहायिका (एल०बी०)	आश्रम शाला घुघरा	आ०का०आ० घुघरा	2
56	सोनहत	श्रीमती मीना कुंर	शिक्षक (एल०बी०)	मा०शा० अकलासरई	आ०का०आ० अटगोडी	2
57	सोनहत	श्रीमती कौशल्या	शिक्षक (एल०बी०)	मा०शा० सुकतरा	आ०कन्या आश्रम पैण्डा	1
58	सोनहत	श्रीमती शशि बंजारे	शिक्षक (एल०बी०)	मा०शा० बोडार	आ०कन्या आश्रम सोनहत	1
59	सोनहत	श्री लखन लाल चौधरी	शिक्षक (एल०बी०)	मा०शा० नटवाही	प्री०मै०आ०का०शा० रामगढ़	2
60	सोनहत	श्री राजेन्द्र बशी	सहायिका (एल०बी०)	प्रा०शा० खैरवारीपारा	प्री०मै०आ०का०शा० उरान	1
61	सोनहत	श्री कैलाश प्रसाद	सहायिका (एल०बी०)	प्रा० शाला उखेनी	प्रा०शा० खैरवारीपारा	1
62	सोनहत	श्री उमाशंकर लहरे	सहायिका (एल०बी०)	प्रा०शा० किशोरी	प्री०मै०आ०का०शा० अकलासरई	1
63	सोनहत	श्री आनंद सिंह	शिक्षक (एल०बी०)	मा०शा० तंजरा	प्री०मै०आ०का०शा० तंजरा	1
64	सोनहत	श्री नरेन्द्र जायसवाल	सहायिका (एल०बी०)	प्रा०शा० अमरा	प्री०मै०आ०का०शा० बैकुण्ठपुर	1
65	सोनहत	श्री अर्जुन कुमार ठिकी	सहायिका (एल०बी०)	आश्रम शाला लच्छी	एकलव्य आवासीय विद्यालय सोनहत	1

1	2	3	4	5	6	7
1	दौकण्डपुर	श्रीमती अमरावती पैकर	सहायिका एलबी	प्रा.शा. मेरामुडा	प्रा.शा. इगलीपारा	3
56	सोनहत	श्रीमती मिथिला पंजरा	शिक्षक (एलबी)	प्रा.शा. मोडी	कस्तूरबा आर्यिक सोनहत	3
67	सोनहत	श्री रामनाथराज कुरै	सहायिका (एलबी)	प्रा.शा. केशवदाहरा	प्रा.शा. तेलीमुडा	1
68	सोनहत	श्री रामधन सिंह	सहायिका (एलबी)	प्रा.शा. मुक्तारा	प्रा.शा. सिमौर	1
69	सोनहत	श्री विरेन्द्र सारथी	सहायिका (एलबी)	आश्रम शाला लखी	प्रा.शा. लखी	1
70	सोनहत	श्री जेठू सिंह	शिक्षक (एलबी)	प्रा.शा. जगतसरई	प्रा.शा. जगतसरई	1
71	सोनहत	श्री नीताशरण वैश्य	सहायिका (एलबी)	प्रा.शा. सतगवांमुद	प्रा.शा. कस्तूरबा	1
72	सोनहत	श्री मुनुज	सहायिका (एलबी)	प्रा.शा. मझगावां	प्रा.शा. कैलाशपुर	1
73	सोनहत	श्री बहादुर राम बापेल	सहायिका (एलबी)	प्रा.शा. जोगिया	प्रा.शा. सतगवांमुद	2
74	सोनहत	श्रीमती बलुपकली मित्र	सहायिका (एलबी)	प्रा.शा. जोगिया	प्रा.शा. केशवदाहरा	1
75	सोनहत	श्री अनिल पैकर	सहायिका (एलबी)	प्रा.शा. सोनहत	आश्रम शाला भुईहरीपारा	2
76	सोनहत	श्रीमती लता सिंह	सहायिका (एलबी)	प्रा.शा. सोनहत	प्रा.शा. घुम्पासाइ (सोनहत)	2
77	सोनहत	श्री प्रवीण पटेल	शिक्षक (एलबी)	प्रा.शा. जोगिया	प्रा.शा. केशवदाहरा	1
78	सोनहत	श्री चन्द्रशेखर सिंह	सहायिका (एलबी)	प्रा.शा. घुपरा	प्रा.शा. केशवदाहरा	4
79	सोनहत	श्रीमती सविता पाण्डेय	सहायिका (एलबी)	प्रा.शा. काबरदाड	प्रा.शा. आनंदपुर (पनघाम)	1
80	सोनहत	श्री बेलेश टोप्यो	सहायिका (एलबी)	प्रा.शा. उमनापारा	प्रा.शा. आनंदपुर (पनघाम)	1
81	सोनहत	श्री विन्देश्वरी प्रसाद सोनवंशी	प्रधान पाठक	प्रा.शा. कर्ला	प्रा.शा. कर्ला	1
82	सोनहत	श्री अविनाश कुशवाहा	शिक्षक (एलबी)	प्रा.शा. मझारटोला	प्रा.शा. पैलई	2
83	सोनहत	श्री अशोक कुमार सोनवानी	शिक्षक (एलबी)	प्रा.शा. पथरगवां	प्रा.शा. मधला	3
84	सोनहत	श्री अनूया खेसरा	शिक्षक (एलबी)	प्रा.शा. पथरगवां	प्रा.शा. मोहरा	2
85	सोनहत	श्री कल्याण सिंह	सहायिका (एलबी)	प्रा.शा. सिमौर	प्रा.शा. पण्डोपारा (किशोरी)	1
86	सोनहत	श्री सुशील शिवारी	सहायिका (एलबी)	प्रा. शा. पण्डोपारा (किशोरी)	प्रा. शा. मधला	1
87	सोनहत	श्री महीन पुरी	शिक्षक (एलबी)	प्रा.शा. किशोरी	प्रा.शा. केशवदाहरा घुपरा	1
88	सोनहत	श्रीमती आशारीष लकड़ा	सहायिका (एलबी)	प्रा.शा. बाघपारा	प्रा.शा. बहवार	1
89	मनेन्द्रगढ़	श्रीमती संध्या मुखर्जी	व्याख्याता एलबी	प्रा.शा. पण्डोपारा (किशोरी)	प्रा.शा. केशवदाहरा	7
90	मनेन्द्रगढ़	श्री राजय कुमार श्रीवास्तव	प्रधान पाठक	माध्यमिक शाला पुरयहवा	मंडल संचालक मनेन्द्रगढ़	3
91	मनेन्द्रगढ़	श्री अशोक कुमार मण्डल	प्रधान पाठक	माध्यमिक शाला खोगाघानी	बालक आश्रम शाला खोगाघानी	4
92	मनेन्द्रगढ़	श्री किरन लकड़ा	शिक्षक एलबी	माध्यमिक शाला कपौर	बालक आश्रम शाला तारामहरा	1
93	मनेन्द्रगढ़	श्री कन्हैया लाल कुरै	शिक्षक एलबी	माध्यमिक शाला मलीर	उच्चविद्यालय खोगाघानी वि.सं. मनेन्द्रगढ़	2
94	मनेन्द्रगढ़	श्री रामसागर राजवाडे	शिक्षक एलबी	माध्यमिक शाला सतका	माध्यमिक शाला विभूमिपुर वि.सं. दौकण्डपुर	3
95	मनेन्द्रगढ़	श्री सुरेश राम भगत	शिक्षक एलबी	माध्यमिक शाला परतगढ़ी	माध्यमिक शाला पातडील	3
96	मनेन्द्रगढ़	श्री रायमण्ड लकड़ा	शिक्षक एलबी	माध्यमिक शाला पूटाकाड	माध्यमिक शाला घुपरा	3
97	मनेन्द्रगढ़	श्री ज्योति राम अरो	शिक्षक एलबी	माध्यमिक शाला कपरिया	माध्यमिक शाला रोकाडा	2
98	मनेन्द्रगढ़	श्री रामसुन्दर यादव	शिक्षक एलबी	माध्यमिक शाला कपरिया	माध्यमिक शाला घोड़खवा	2
99	मनेन्द्रगढ़	श्री राजेश कुमार वेगा	सहायिका एलबी	प्राथमिक शाला पुरानीबस्ती	प्राथमिक शाला बर्ड न 9 मनेन्द्रगढ़	2
100	मनेन्द्रगढ़	श्री भागवत सिंह	सहायिका एलबी	प्राथमिक शाला मुहवीवा	प्राथमिक शाला खरला	2
101	मनेन्द्रगढ़	श्रीमती मीना केशवदाहरा	सहायिका एलबी	प्राथमिक शाला पनघामपारा	कन्या आश्रम बंजी	2
102	मनेन्द्रगढ़	श्री सुनीता सिंह	सहायिका एलबी	प्राथमिक शाला नारायणपुर	अभुक्तिनागीत अधिकारी (रा.) मनेन्द्रगढ़	3
103	मनेन्द्रगढ़	श्री अरविन्द एका	सहायिका एलबी	प्राथमिक शाला चनवारीकाड	प्राथमिक शाला शिवपुर	1

297

1	2	3	4	5	6	7
1	बैकुण्ठपुर	श्रीमती अमरावती पैकरा	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. मैसागुडा	प्रा.शा. इमलीभारा	3
104	मनेन्द्रगढ़	श्री रघुनंदन	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्राथमिक शाला बिरौगडाड	प्राथमिक शाला डिहली	1
105	मनेन्द्रगढ़	श्रीमती अजलीना कुजुर	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्राथमिक शाला पिपरिया	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास कछौड	4
106	मनेन्द्रगढ़	श्रीमती शशिकला बड़ा	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्राथमिक शाला परसगढ़ी	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास कौल्हारी	1
107	मनेन्द्रगढ़	श्री आशीष कुमार	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्राथमिक शाला सुईबहया	आश्रम शाला खोगापानी	1
108	मनेन्द्रगढ़	कृ. अर्चना अग्रहरी	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्राथमिक शाला खोगापानी	प्राथमिक शाला मिट्टडाड	1
109	मनेन्द्रगढ़	श्रीमती सरोज यादव	शिक्षक एल०बी०	माध्यमिक शाला बंजी	माध्यमिक शाला कन्या नई लेदरी	1
110	मनेन्द्रगढ़	श्री राजन बड़ा	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्राथमिक शाला मेण्डडोल	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कछौड	3
111	मनेन्द्रगढ़	श्री हरकेश साहू	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्राथमिक शाला खोगापानी	बालक आश्रम खोगापानी	1
112	भरतपुर	श्री अनिल कुमार साहू	शिक्षक एल०बी०	मा.शा. मसरौ	एकलव्य विद्या पांडोडीह खड़गवा	2
113	भरतपुर	श्रीम प्रकाश डीभर	शिक्षक एल०बी०	मा०शा० कैसीडा	मा०शा० चिरईपानी मनेन्द्रगढ़	2
114	भरतपुर	श्रीमती गमला साकेत	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा०शा० वाहीडोल	पो.मै.कन्या छात्रावास कछौड	3
115	भरतपुर	श्री रूपनातयाण सिंहमंडल संयोजक	प्रधान पाठक	मा.शा. समरिहा	विकासखण्ड भरतपुर	3
116	भरतपुर	कु० लीलावती बैगा	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा०शा०उदकी	कन्या आश्रम बड़वाही	3
117	भरतपुर	श्री अशोक कुमार बैगा	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा०शा० हरई	प्री.मै.बालक छात्रावास गाडीसरई	3
118	भरतपुर	श्री सतलाल बैगा	शिक्षक एल०बी०	मा०शा० देवगढ़	प्री.मै.बालक छात्रावास देवगढ़	3
119	भरतपुर	श्री शांतिकराम माको	व्याख्याता एल०बी०	शा.उ.मा.वि.भरतपुर	पो.मै.बालक छात्रावास जनकपुर	32
120	भरतपुर	श्रीमती अर्पणा सिंह	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा०शा० जमथान	पो.मै.कन्या छात्रावास जनकपुर	3
121	भरतपुर	श्रीमती विमला सिंह	प्रधान पाठक	मा०शा० देवगढ़	प्री.मै.अ.ज.जा.कन्या छात्रावास जनकपुर	3
122	भरतपुर	श्रीमती स्वाती तिकी	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा०शा० बहीडोल	प्री.मै.कन्या छात्रावास बहाराती	3
123	भरतपुर	श्रीमती कंचन सिया एक्का	सहा०शिक्षक एल०बी०	क.आ.कोटाडोल	क.आ.कोटाडोल	3
124	भरतपुर	श्रीमती सुशमा सिंह	व्याख्याता एल०बी०	शा.उ.मा.वि.कोटाडोल	पो.मै.कन्या छात्रावास कोटाडोल	9
125	भरतपुर	श्री अमरजीत सिंह	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा०शा० टापतुमाडी	प्री.मै.बालक छात्रावास बड़गांवकला	1
126	भरतपुर	श्री हरगोविन्द सिंह	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा०शा० बघरौटोला	बालक आश्रम कमजी	2
127	भरतपुर	श्रीमती किरण नामदेव	सहा०शिक्षक एल०बी०	क०अ०जनकपुर	कन्या आश्रम भरतपुर	4
128	भरतपुर	श्रीमती नीरजा अहिरवार	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा०शा. माधमीर	एकलव्य आदर्श अ० विद्या जमथान भरतपुर	2
129	भरतपुर	श्री रामकुमार खूटे	सहा०शिक्षक एल०बी०	शा०उ०मा०वि०कोटाडोल	एकलव्य आदर्श अ० विद्या जमथान भरतपुर	9

(ई संवर्ग)

स.क्र.	विकासखण्ड	कर्मचारी (शिक्षक/व्याख्याता) का नाम	पदनाम	मूल पदस्थापना शाला का नाम	संलग्न शाला/कार्यालय का नाम	मूल पदस्थ शाला में कार्यरत शिक्षकों की संख्या (संलग्न शिक्षकों को छोड़कर)
1	2	3	4	5	6	7
1	बैकुण्ठपुर	श्री राजेन्द्र पाल सिंह	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. रटंगा	प्रा.शा. जलियाडाड	2
2	बैकुण्ठपुर	श्री संतलाल कूशवाहा	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. पिपरा	प्रा.शा. गिरजापुर	1
3	बैकुण्ठपुर	श्री प्रफुल्ल तिग्गा	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. महोरा	प्रा.शा. गिरजापुर	3
4	बैकुण्ठपुर	मो० जमशेद	सहा०शिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. अभ्यासशाला बैकुण्ठपुर	प्रा.शा. जूनापारा बैकुण्ठपुर	2

1	2	3	4	5	6	7
1	बैकुण्ठपुर	श्रीमती अमरावती पैकरा	सहायशिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. मैदानुडा	प्रा.शा. इमलीपारा	3
5	बैकुण्ठपुर	श्री आशीष मिज	सहायशिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. पीटेंडाड	प्रा.शा. सलीपारा	3
6	बैकुण्ठपुर	श्री सीखीलाल महिस्त्रागे	सहायशिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. गिरजापुर	प्रा.शा. कुडवालीपारा	3
7	बैकुण्ठपुर	श्री शिवशंकर यादव	सहायशिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. आगापारा	प्रा.शा. कदमपारा	3
8	बैकुण्ठपुर	श्री जग नारायण सिंह	सहायशिक्षक एल०बी०	प्रा.शा. सलका	बा.जात्रावात सारा	4
9	बैकुण्ठपुर	श्रीमती मोनिका ज्ञानिक	उ०श्रे०शि०	मा.शा. सागरपुर	मा.शा. पुलिस लाईन	4
10	बैकुण्ठपुर	श्री मनेश्वर कंवर	सहायशिक्षक एल०बी०	प्रा.शा.बा. कसरा	प्रा.शा. सरनापारा	3
11	बैकुण्ठपुर	श्री योगेन्द्र पटेल	सहायशिक्षक एल०बी०	प्रा.शा.क. बुडार	अदिकासी बा.आ. बुडार	3
12	बैकुण्ठपुर	श्रीमती पुष्पलता राजवाडे	शिक्षक एल०बी०	मा.शा. नगर	मा.शा. अमगांव	1
13	खडगवां	श्री आशीष सिंह चौहान	उ०श्रे०शि०	शा०मा०शा० खडगवां	जिला शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर कोरिया	5
14	खडगवां	श्री जीवन टोप्यो	सहायशिक्षक एल०बी०	शा०प्रा०शा० गिहमुडी	शा०बा०आश्रम लकरापारा	2
15	खडगवां	श्रीमती जमुना सिंह	सहायशिक्षक एल०बी०	शा०प्रा०शा० खडगवां	शा०बा०आश्रम खडगवां	5
16	खडगवां	श्री मान सिंह	सहायशिक्षक एल०बी०	शा०प्रा०शा० सकड़ा	शा०प्रा०मा०बा०छात्रावास जरीधा	2
17	मनेन्द्रगढ़	श्री हीरालाल यादव	उ०श्रे०शि०	माध्यमिक शाला बुंदेली	तहसील कार्यालय मनेन्द्रगढ़	3
18	मनेन्द्रगढ़	श्रीमती सुष्मा कुजुर	शिक्षक एल०बी०	माध्यमिक शाला बिहारपुर	पो. नै./पी. नै. कन्या छात्रावास मनेन्द्रगढ़	3
19	मनेन्द्रगढ़	श्रीमती आशा चन्दा	सहायशिक्षक एल०बी०	प्राथमिक शाला चनवारीडांड	प्राथमिक शाला बीसीम	4

## परिशिष्ट "चालीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 323) के भाग (ख) की जानकारी ]

31 अक्टूबर 2021 की स्थिति में सुविधा प्राप्त बच्चों की जिलेवार जानकारी

- 1) छात्रवृत्ति – जिला रायपुर के 15 बच्चों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया है।
- 2) स्वामी आत्मानंद में प्रवेशित बच्चों की जानकारी –

क.	जिले का नाम	स्वामी आत्मानंद में प्रवेशित बच्चों की संख्या	क.	जिले का नाम	स्वामी आत्मानंद में प्रवेशित बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कबीरधाम	15	14	दत्तेवाड़ा	02
2	दुर्ग	61	15	मुंगेली	10
3	गरियाबंद	15	16	सुकमा	02
4	बालोद	11	17	रायपुर	79
5	कांकर	14	18	बिलासपुर	56
6	बेमेतरा	22	19	बलौदाबाजार	21
7	राजनादगांव	30	20	कोरिया	09
8	महासमुद	05	21	सरगुजा	09
9	जशपुर	11	22	रायगढ़	46
10	कोरबा	14	23	बस्तर	01
11	सवित	04	24	सूरजपुर	06
12	कोंडागांव	04	25	जांजगीर	24
13	धमतरी	14	26	बलरामपुर	10
			27	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	17
कुल					512

## परिशिष्ट "ईकचालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 324) के भाग (क) की जानकारी ]

14580 पदों पर शिक्षक भर्ती अंतर्गत 31 अक्टूबर 2021 की स्थिति				
स.क्र.	पद का नाम	विज्ञापित पद संख्या	जारी नियुक्ति आदेश	रिक्त पदों की संख्या
1.	व्याख्याता	3177	2894	283
2.	शिक्षक	5897	2110	3787
3.	सहायक शिक्षक	5506	2184	3322
	योग	14580	7188	7392

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग., बिलासपुर में याचिकाकर्ता श्री अश्विनी रात्रे के याचिका क्र. WPS 4472 OF 2021 आदेश दिनांक 09.09.2021 के अनुसार सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाये जाने का आदेश प्रभावशील होने के कारण शेष पदों पर चयन व नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

## परिशिष्ट "बयालीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 340) के भाग (ख) की जानकारी ]

जिला रायपुर में संचालित छात्रावास एवं आश्रमों के लिए स्वीकृत राशि एवं सामग्री क्रय की सप्लाईकर्ता फर्म सहित जानकारी

वर्ष 2019-20

क	फर्म का नाम जिससे सामग्री क्रय किया गया	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5
1	मेसर्स आशा सेल्स रायपुर	ट्युब लाईट	400 नग	139600 /-
2	मेसर्स 36 इलेक्ट्रीकल सर्विस रायपुर	एल ई डी. बल्ब	500 नग	130500 /-
3	मेसर्स साक्षी कोर प्रोजेक्ट लखनऊ	गददा	200 नग	559000 /-
4	मेसर्स साई टेक्नोलॉजी. रायपुर	सिलिंग फेन	100 नग	184200 /-
5	मेसर्स स्वास्थ्यीक सेल्स रायपुर	मच्छरदानी	1700 नग	289000 /-
6	मेसर्स ड्रोलिया इन्टरप्राइजेस रायपुर	फुटबाल	54 नग	39312 /-
		क्रिकेट किट	17 नग	215186 /-
		बेडमिंटन	162 नग	180144 /-
		हेन्डबाल	67 नग	48240 /-
		वेटलिफ्टिंग	13 नग	24024 /-
		मेडल	252 नग	24696 /-
		दिवाल घड़ी	23 नग	22218 /-
		रस्सी कुद	167 नग	22211 /-
7	मेसर्स जे एम इन्टरप्राइजेस रायपुर	गददा	122 नग	457500 /-
8	मेसर्स गोयल इन्डस्ट्री रायपुर	रेख	600 नग	792000 /-
		अलमारी	20 नग	80920 /-
		रेख	3 नग	7359 /-
		टिन बाक्स	1 नग	1815 /-
		आफिस टेबल कंप्यूटर	1 नग	4000 /-
		टेबल	12 नग	122340 /-
		आफिस टेबल कंप्यूटर	5 नग	20000 /-
		आफिस चेयर	70 नग	123200 /-
		आफिस रिवाल्विन चेयर	30 नग	82737 /-
		अलमारी	06 नग	43890 /-
		लाकर	01 नग	7810 /-
		जुता रेख	50 नग	66000 /-
		रेख	05 नग	13887 /-
		आफिस चेयर	72 नग	200000 /-

वर्ष 2020-21

1	मेसर्स कम्युनिकेशन सिस्टम रायपुर	सिलिंग फेन	150 नग	327990 /-
2	मेसर्स 36 इलेक्ट्रीकल सर्विस रायपुर	एल.ई.डी. बल्फ	500 नग	147500 /-

- क्र	फर्म का नाम जिससे सामग्री कय किया गया	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5
3	मेसर्स कम्युनिकेशन सिस्टम रायपुर	सिलिंग फेन	198 नग	517712/-
		सी सी टी वी कैमरा सेट	03 नग	191160/-
		एलईडी बल्ब	445 नग	99809/-
		एलईडी बल्ब	55 नग	12336/-
		एलईडी ट्यूब लाईट	500 नग	207946/-
		सिलिंग फेन	02 नग	6977/-
4	मेसर्स विघनेश्वरा फिब्रेस हैदराबाद	गद्दा	130 नग	375307/-
		तकिया	750 नग	258190/-
5	मेसर्स साईं टेक्नोलाजी सेल्स रायपुर	वाटर कुलर	03 नग	119344/-
6	मेसर्स साक्षी कोर प्रोडक्ट लखनऊ	तकिया	1000 नग	325550/-
		गद्दा	200 नग	459020/-
7	मेसर्स स्वास्तिक सेल्स रायपुर	मच्छरदानी	1960 नग	339786/-
8	मेसर्स झोलिया इन्डस्ट्रीज रायपुर	मेटल बेड	100 नग	499000/-
9	मेसर्स उजाला ग्राम संगठन सेरीखेडी	सेनेटाईजर	250 लीटर	50000/-
10	मेसर्स वर्षा इन्डस्ट्रीज बेमेतरा	स्टुडेंट चेयर	25 नग	5055/-
		स्टुडेंट टेबल	77 नग	82312/-
		स्टुडेंट चेयर	175 नग	182000/-
		स्टुडेंट टेबल	223 नग	241000/-
11	मेसर्स जाहिर स्टील एण्ड फर्नीचर रायपुर	एंगल आयरन कॉट	58 नग	300000/-
		एंगल आयरन कॉट	02 नग	11498/-
12	मेसर्स अरिहंत इन्डस्ट्रीज दुर्ग	अलमीरा	10 नग	98640/-
		एंगल आयरन कॉट	46 नग	238815/-
		अलमीरा	18 नग	128710/-
13	मेसर्स आरियेंटल सेल्स रायपुर	कुकर 20 लि	20 नग	78870/-
14	मेसर्स आशा सेल्स रायपुर	एल ई डी ट्यूब लाईट	500 नग	170475/-
15	मेसर्स गोयल इन्डस्ट्रीज रायपुर	मेटल बेड	06 नग	29700/-
		स्टुडेंट चेयर	65 नग	613800/-
		स्टुडेंट टेबल	100 नग	
		एंगल आयरन रैक	200 नग	
		मेटल बेड	94 नग	469000/-
		एंगल आयरन कॉट	64 नग	332529/-
		लोहा रेख	200 नग	313389/-
		स्टुडेंट चेयर	85 नग	93893/-
डायनींग टेबल	19 नग	113832/-		

## परिशिष्ट "तिरालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 449) के भाग (क) की जानकारी ]

## संलग्न शिक्षकों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक शाला		पूर्व माध्यमिक शाला		हाईस्कूल		हायर सेकेंडरी		पदवार मूल शाला में वापस किये			
		शाला का नाम	शाला में संलग्न शिक्षक संख्या	शाला का नाम	शाला में संलग्न शिक्षक संख्या	शाला का नाम	शाला में संलग्न शिक्षक संख्या	शाला का नाम	शाला में संलग्न शिक्षक संख्या	प्रधान पाठक	सहायक शिक्षक	शिक्षक	व्याख्याता
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जैजपुर	प्रा शा भातमाहूल	1	पूर्व मा शा. केकराभाट	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	जैजपुर	प्रा शा हरवीडीह	1	पूर्व मा शा. बालक दत्त	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	जैजपुर	प्रा शा खजुरानी	1	पूर्व मा शा कन्या जैजपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	जैजपुर	प्रा शा राघपुरा	1	पूर्व मा शा आमपाली	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	जैजपुर	प्रा शा कोसमपाली	1	पूर्व मा शा बैलादुला	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	जैजपुर	प्रा शा तिरदा	1	पूर्व मा शा कलगीडीह	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	जैजपुर	प्रा शा दूठी	1	पूर्व मा शा धिवरा	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	जैजपुर	प्रा शा देवरीमठ	1	पूर्व मा शा खजुरानी	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	जैजपुर	प्रा शा हरवीडीह	1	पूर्व मा शा बा जैजपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	जैजपुर	प्रा शा बरेकेलखुर्द	1	पूर्व मा शा सेन्दुरस	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	जैजपुर	प्रा शा बैहागुडरू	1	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	जैजपुर	प्रा शा करही	1	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	जैजपुर	अंग्रेजी माध्यम थाना जैजपुर	1	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	जैजपुर	प्रा शा पुरानी बरती डोगिया	1	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	जैजपुर	प्रा शा कटही	1	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	जैजपुर	प्रा शा तुषार	1	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	जैजपुर	प्रा शा भांडापाय खजुरानी	1	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	मालखरीदा	प्रा.शा. छोटे रबेली	1	पूमादि किरकार	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मालखरीदा	प्रा.शा. मुडपार मालखरीदा	1	पूमादि पोता	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मालखरीदा	प्रा.शा. भांटापारा बासीन	1	पूमादि खेगडा	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मालखरीदा	प्रा.शा. बडेकोट	1	पूमादि झरी	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22	मालखरीदा	प्रा.शा. सारसडोल	1	पूमादि बा सिंघरा	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	मालखरीदा	प्रा.शा. जोरवापारा अडभार	1	पूमादि बासीन	2	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मालखरीदा	प्रा.शा. कुलया	1	पूमादि परसाडीह	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25	मालखरीदा	प्रा.शा. बजारी	1	पूमादि मरघटी	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	मालखरीदा	प्रा.शा. जोगीडीपा	1	पूमादि मुक्ता	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	मालखरीदा	प्रा.शा. क.आश्रम मालखरीदा	1	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0
28	मालखरीदा	प्रा.शा. बा. मालखरीदा	1	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0
29	मालखरीदा	प्रा.शा. भडौरा	1	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0
30	मालखरीदा	प्रा.शा. पु.ब. अण्डा	1	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0



## परिशिष्ट "चौवालीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 462) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

वर्ष 2020-21 में प्रारंभ की गई स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय

क.	जिला	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
1	रायपुर	3
2	धमतरी	1
3	बलौदाबाजार	1
4	गरियाबंद	1
5	महासमुद	1
6	बिलासपुर	4
7	रायगढ	1
8	कोरवा	3
9	नाजगीर	1
10	शैक्षणिक जिला सक्ती	1
11	जीपीएम	2
12	मुंगेली	1
13	दुर्ग	10
14	राजनादगाव	1
15	बेमेतरा	2
16	बालोद	1
17	कबीरधाम	1
18	सरगुजा	2
19	सूरजपुर	1
20	बलरामपुर	4
21	कोरिया	2
22	जशपुर	1
23	बस्तर	1
24	सुकमा	1
25	दत्तेवाडा	1
26	कांकेर	1
27	कोण्डागांव	1

(257)

28	बीजापुर	1
29	नारायणपुर	1
	कुल	52

---

## प्रपत्र "ब"

## दुर्ग जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय

क्र	जिला	विकासखण्ड	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का नाम
1	दुर्ग	धमधा	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. कुम्हारी
2	दुर्ग	पाटन	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. भिलाई 03
3	दुर्ग	धमधा	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. जंजगिरी
4	दुर्ग	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. बालाजी नगर
5	दुर्ग	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. सेक्टर 06, भिलाई
6	दुर्ग	पाटन	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. पाटन
7	दुर्ग	धमधा	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. तमेरपारा धमधा
8	दुर्ग	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. रिसाली
9	दुर्ग	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. नगपुरा
10	दुर्ग	धमधा	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. बोरी
11	दुर्ग	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. दीपकनगर, दुर्ग
12	दुर्ग	पाटन	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. सेलूद
13	दुर्ग	पाटन	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. जामगांव (आर)
14	दुर्ग	पाटन	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. जामगांव (एम)
15	दुर्ग	पाटन	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. रानीतराई
16	दुर्ग	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.उ.मा.वि. खम्हरिया

## परिशिष्ट "पैतालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 492) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

वर्ष 2021-22 में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता हेतु प्रस्तावित खेल कैलेंडर

क्र.	प्रतियोगिता स्थल एवं तिथि	खेल का नाम	आयु वर्ग	खिलाडियों की संख्या
1	राजनादगाव 11.09.21 से 14.09.21	बालकेटबॉल बालक/बालिका	14,19 वर्ष	48
		कबड्डी, बालक/बालिका	17 वर्ष	36
		सोप स्किपिंग, बालक/बालिका	14,17,19 वर्ष	36
		योगमुडो बालक/बालिका	14,17,19 वर्ष	60
		हॉकी, बालक/बालिका	17 वर्ष	36
2	धमतरी 13.09.21 से 16.09.21	सुपर सेवन क्रिकेट, बालक/बालिका	19 वर्ष	24
		नेटबॉल बालक/बालिका	14,17,19 वर्ष	72
		कुश्ती (फ्री स्टाइल) बालक	14,17,19 वर्ष	30
		कुश्ती (फ्री स्टाइल) बालिका	14,17,19 वर्ष	24
		कुश्ती (ग्रीकोरोमन) बालक	17,19 वर्ष	20
3	महासमुन्द्र 15.09.21 से 18.09.21	हैण्डबॉल बालक/बालिका	17,19 वर्ष	64
		बाल बैडमिंटन बालक/बालिका	14,17 वर्ष	32
		सर्बो बालक/बालिका	17,19 वर्ष	48
4	जाजगीर-चाम्पा 21.09.21 से 24.09.21	हैण्डबॉल, बालक/बालिका	14 वर्ष	32
		ड्राप रो-बॉल, बालक/बालिका	17,19 वर्ष	44
		ऑर्जबॉल, बालक/बालिका	19 वर्ष	20
		फुटबॉल टेनिस बालक/बालिका	17,19 वर्ष	20
5	बेमेतरा 22.09.21 से 25.09.21	साफ्टबॉल बालक/बालिका	14,19 वर्ष	64
		वातीबॉल बालक/बालिका	14 वर्ष	24
		फिल्ड आर्चरी बालक/बालिका	19 वर्ष	24
6	डोंगरगढ (राजनादगाव) 24.09.21 से 27.09.21	जम्परोप, बालक/बालिका	14,17,19 वर्ष	42
		कार्फबॉल बालक/बालिका	19 वर्ष	16
		लंगोरी बालक/बालिका	19 वर्ष	24
		क्रिकेट बालक	17 वर्ष	18
7	दुर्ग 27.09.21 से 30.09.21	क्रिकेट बालिका	17 वर्ष	10
		बॉक्सिंग, बालक	17,19 वर्ष	24
		जूडो बालक/बालिका	14,17,19 वर्ष	46
		जिम्नारिस्टिक बालक/बालिका	14,17,19 वर्ष	50
		पैरिंग बालक/बालिका	19 वर्ष	24
		लॉनटेनिस, बालक/बालिका	14,17,19 वर्ष	30
		ताईकाण्डो बालक/बालिका	14,17,19 वर्ष	69
		सायकलपोलो बालक/बालिका	19 वर्ष	16
8	काकर 28.09.21 से 01.10.21	खो-खो बालक/बालिका	17,19 वर्ष	48
		कबड्डी बालक/बालिका	19 वर्ष	24
		फुटबॉल, बालक/बालिका	14 वर्ष	36

9	बिलासपुर 03 10 21 से 06 10 21	कराते बालक/बालिका	14, 17, 19 वर्ष	69
		बेसबॉल बालक/बालिका	17, 19 वर्ष	64
		वाबडुडी बालक/बालिका	14, 17 वर्ष	48
		हॉकी बालक/बालिका	14 वर्ष	36
		क्रिकेट बालक	14 वर्ष	16
10	रायगढ 07 10 21 से 10 10 21	बेसबॉल बालक/बालिका	14 वर्ष	32
		सायकलिंग बालक/बालिका	17, 19 वर्ष	16
		साफ्टबॉल बालक/बालिका	17 वर्ष	32
		बैडमिंटन बालक/बालिका	14, 17, 19 वर्ष	30
		रोलबॉल बालक/बालिका	14, 17, 19 वर्ष	72
		टेनिसवाइट बालक/बालिका	14, 17, 19 वर्ष	30
11	राजनादगाव 17 10 21 से 18 10 21	नेहरू हॉकी बालिका	17 वर्ष	16
12	बानोद 18 10 21 से 21 10 21	फुटबॉल, बालक/बालिका	19 वर्ष	36
		थाइबॉक्सिंग, बालक/बालिका	17, 19 वर्ष	42
		म्यूथाई, बालक/बालिका	19 वर्ष	20
		खो-खो बालक/बालिका	14 वर्ष	24
		रस्साकस्सी बालक/बालिका	17, 19 वर्ष	36
13	कसडोल (बर्लीदाबाजार) 20 10 21 से 23 10 21	कुराश बालक/बालिका	17, 19 वर्ष	32
		रग्बी बालक/बालिका	14 वर्ष	24
		डॉजबॉल, बालक/बालिका	17 वर्ष	20
		टैबल सॉकर बालक/बालिका	14, 17, 19 वर्ष	36
14	मुगेली 26 10 21 से 29 10 21	शतरंज बालक/बालिका	14, 17, 19 वर्ष	30
		कैरम बालक/बालिका	17, 19 वर्ष	24
		गतका, बालक/बालिका	19 वर्ष	44
		सिलम्बम बालक/बालिका	14, 17, 19 वर्ष	30
		आम रसालिंग बालक/बालिका	19 वर्ष	26
15	कोण्डागाव 28 10 21 से 31 10 21	मलखम बालक/बालिका	17, 19 वर्ष	24
		टैबल टेनिस, बालक/बालिका	14, 17, 19 वर्ष	30
		तीरदाजी बालक/बालिका	14, 17, 19 वर्ष	72
		टेनिस बॉल क्रिकेट बालक/बालिका	19 वर्ष	24
16	रायपुर 29 10 21 से 01 11 21	बास्केटबॉल बालक/बालिका	17 वर्ष	24
		सॉफ्ट टेनिस बालक/बालिका	14, 17, 19 वर्ष	30
		रपीडबॉल बालक/बालिका	17, 19 वर्ष	32
		भ्रूरोत्तोलन, बालक/बालिका	17, 19 वर्ष	39
		पावर लिफ्टिंग बालक/बालिका	19 वर्ष	17
		फॉसिंग बालक/बालिका	14, 17 वर्ष	48
		स्वयंश बालक/बालिका	19 वर्ष	10
		रोलर स्कोटिंग बालक/बालिका	19 वर्ष	12
17	कोरबा 07 11 21 से 10 11 21	क्रिकेट बायसिंग बालक/बालिका	14, 17, 19 वर्ष	56
		टेनिस क्रिकेट, बालक/बालिका	19 वर्ष	32
		थोबॉल बालक/बालिका	14, 17, 19 वर्ष	72
		टेनिस बॉल क्रिकेट बालक/बालिका	14 वर्ष	24
18	गौरैला पेण्ड्रा मरवाही 11 21 से 13 11 21	10. एथलीटिक्स बालक/बालिका	14, 17, 19 वर्ष	72
		क्रिकेट बालक/बालिका	19 वर्ष	
19	आम्यकापुर (सरगुजा) 14 11 21 से 17 11 21	वुडबॉल बालक/बालिका	19 वर्ष	16
		टेनिस बॉल क्रिकेट बालक/बालिका	17 वर्ष	24
		हॉकी बालक/बालिका	19 वर्ष	36
		मिनी गोल्फ बालक/बालिका	19 वर्ष	28
		फुटबॉल, बालक/बालिका	19 वर्ष	20

(261)

20	तिल्दा (रायपुर) 18.11.21 से 21.11.21	जीतकुनेडी बालक/बालिका	14,17,19 वर्ष	60
		वावीनाम बालक/बालिका	19 वर्ष	20
		टाग ईल मी डू बालक/बालिका	19 वर्ष	18
21	बिलासपुर 19.11.21 से 21.11.21	पलारगोल बालक/बालिका	17,19 वर्ष	90
		टारगेट गोल बालक/बालिका	19 वर्ष	22
		शूटगोल बालक/बालिका	19 वर्ष	14
		ध्वाइकाण्डा बालक/बालिका	14,17,19 वर्ष	56
		मेहरू होंकी बालक	15,17 वर्ष	32
22	कबीरधाम 22.11.21 से 25.11.21	खालीगोल बालक/बालिका	17,19 वर्ष	48
		गोल बैडमिंटन बालक/बालिका	19 वर्ष	16
		कूडी बालक/बालिका	17,19 वर्ष	36
		टेनेरा क्रिकेट बालक/बालिका	17 वर्ष	32
23	जगदलपुर (बस्तर) 25.11.21 से 28.11.21	तैराकी बालक/बालिका	14,17,19 वर्ष	30
		वाटरपोलो बालक	19 वर्ष	13
		योगा बालक/बालिका	14,17,19 वर्ष	42

700

## प्रपत्र "ब"

अंतर्राज्यीय खेल शालेय प्रतिभागीयों में चयनित खिलाड़ियों की सूची  
सत्र 2021-22

क्र.	खेल का नाम	प्रतिभागी का नाम	संस्था का नाम	विकासखंड	दिनांक	अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता	आयु वर्ग	बालक/बालिका	रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	हॉलीवॉल	धारणा यादव	एजेल्स एंग्लो स्कूल गरियाबंद	गरियाबंद	12.09.2021 से 15.09.2021 तक	बेमेतरा	14 वर्ष	बालिका	
2	हॉलीवॉल	अलिया रोहरा	दोपाचार्य पब्लिक स्कूल गरियाबंद	गरियाबंद	12.09.2021 से 15.09.2021 तक	बेमेतरा	14 वर्ष	बालिका	
3	हॉलीवॉल	इशारा पवार	छ ग पब्लिक स्कूल गरियाबंद	गरियाबंद	12.09.2021 से 15.09.2021 तक	बेमेतरा	14 वर्ष	बालिका	
4	हॉलीवॉल	सिभरन सोनयानी	एजेल्स एंग्लो स्कूल गरियाबंद	गरियाबंद	12.09.2021 से 15.09.2021 तक	बेमेतरा	17 वर्ष	बालिका	
5	हॉलीवॉल	पारूल पांडेय	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय	गरियाबंद	12.09.2021 से 15.09.2021 तक	बेमेतरा	14 वर्ष	बालिका	
6	हॉलीवॉल	दैष्णवी सिन्हा	एजेल्स एंग्लो स्कूल गरियाबंद	गरियाबंद	12.09.2021 से 15.09.2021 तक	बेमेतरा	14 वर्ष	बालिका	
7	हॉलीवॉल	मानस निमलकर	शास उ मा वि कोचवरा	गरियाबंद	12.09.2021 से 15.09.2021 तक	बेमेतरा	14 वर्ष	बालक	
8	हॉलीवॉल	राजोव मरकाण	एजेल्स एंग्लो स्कूल गरियाबंद	गरियाबंद	12.09.2021 से 15.09.2021 तक	बेमेतरा	14 वर्ष	बालक	
9	रस्साकसी	ओमेश्वरी	शास उ मा वि मुरमुग	छुरा	18.10.2021 से 21.10.2021 तक	बालोद	19 वर्ष	बालिका	
10	हॉलीवॉल	करण धनु	शास उ मा वि गरियाबंद	गरियाबंद	12.09.2021 से 15.09.2021 तक	बेमेतरा	14 वर्ष	बालक	
11	हॉलीवॉल	राजी खान	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय	गरियाबंद	12.09.2021 से 15.09.2021 तक	कबीरधाम	19 वर्ष	बालिका	
12	कथडडी	दियाकर	शास उ मा वि पाटसिवनी	फिंगरवर	15.09.2021 से 01.10.2021 तक	काकर	19 वर्ष	बालक	
13	बॉल टेकनिक	हर्षलता वर्मा	शास उ मा वि राजिम	फिंगरवर	15.09.2021 से 18.09.2021 तक	महासमुन्द	17 वर्ष	बालिका	
14	खो-खो	गोविन्द यादव	शास उ मा वि जामगाव	फिंगरवर	28.09.2021 से 01.10.2021 तक	काकर	17 वर्ष	बालक	

134

15	खो-खो	ठाकुरमराम देवदास	शास उ मा वि जामगांव	फिरोश्वर	28 09 2021 से 01 10 2021 तक	काकर	19 वर्ष	बालक
16	रस्साकरी	राकेश निगाद	शास उ मा वि भंसरा	फिरोश्वर	18 10 2021 से 21 10 2021 तक	बालोद	17 वर्ष	बालक
17	रस्साकरी	पायल साहू	शास उ मा वि टंका	फिरोश्वर	18 10 2021 से 21 10 2021 तक	बालोद	17 वर्ष	बालिका
18	रस्साकरी	भूपेन्द्र कुमार साहू	शास उ मा वि कौन्दकसा	फिरोश्वर	18 10 2021 से 21 10 2021 तक	बालोद	19 वर्ष	बालक
19	रस्साकरी	शैलेन्द्र कुमार साहू	शास उ मा वि मुरमुरा	छुरा	18 10 2021 से 21 10 2021 तक	बालोद	19 वर्ष	बालक
20	रस्साकरी	बादनी साहू	शास उ मा वि कौन्दकसा	फिरोश्वर	18 10 2021 से 21 10 2021 तक	बालोद	19 वर्ष	बालिका
21	रस्साकरी	गंगा साहू	शास उ मा वि कौन्दकसा	फिरोश्वर	18 10 2021 से 21 10 2021 तक	बालोद	19 वर्ष	बालिका
22	खो-खो	मनीष साहू	शास उ मा वि जामगांव	फिरोश्वर	18 10 2021 से 21 10 2021 तक	बालोद	14 वर्ष	बालक
23	खो-खो	टिव्या दीवान	शास उ मा वि जामगांव	फिरोश्वर	18 10 2021 से 21 10 2021 तक	बालोद	14 वर्ष	बालिका
24	खो-खो	तन्नु साहू	शास उ मा वि जामगांव	फिरोश्वर	18 10 2021 से 21 10 2021 तक	बालोद	14 वर्ष	बालिका
25	हालीबॉल	रीयन बन्दावर	एजेल्स एंग्लो हाईस्कूल गरियाबद	गरियाबद	21 10 2021 से 24 10 2021 तक	कबीरधाम	17 वर्ष	बालक
26	हालीबॉल	घदना तारक	एजेल्स एंग्लो हाईस्कूल गरियाबद	गरियाबद	21 10 2021 से 24 10 2021 तक	कबीरधाम	17 वर्ष	बालक
27	हालीबॉल	लक्ष्मी यादव	शास उ मा वि पीपरछेड़ी	गरियाबद	21 10 2021 से 24 10 2021 तक	कबीरधाम	17 वर्ष	बालिका
28	हालीबॉल	भूमिका यादव	शास उ मा वि पीपरछेड़ी	गरियाबद	21 10 2021 से 24 10 2021 तक	कबीरधाम	17 वर्ष	बालिका
29	हालीबॉल	कृष्णा ठाकुर	श्रद्धा पब्लिक स्कूल गरियाबद	गरियाबद	21 10 2021 से 24 10 2021 तक	कबीरधाम	19 वर्ष	बालक
30	हालीबॉल	अनुज ठाकुर	शास बा.उ मा वि गरियाबद	गरियाबद	21 10 2021 से 24 10 2021 तक	कबीरधाम	19 वर्ष	बालक
31	एथलेटिक्स	मनीष कुमार साहू	शास पूर्व माध्यमिक शाला जामगांव	फिरोश्वर	21 10 2021 से 24 10 2021 तक	पेण्ड्रा	14 वर्ष	बालक
32	एथलेटिक्स	पुष्पेन्द्र धुव	शास पूर्व माध्यमिक शाला परसदा	फिरोश्वर	21 10 2021 से 24 10 2021 तक	पेण्ड्रा	14 वर्ष	बालक
33	एथलेटिक्स	डोमेश्वर कुमार	शास बा.उ मा वि गरियाबद	फिरोश्वर	21 10 2021 से 24 10 2021 तक	पेण्ड्रा	19 वर्ष	बालक
34	एथलेटिक्स	ज्योति प्रजापति	शास उ मा वि बासीन	फिरोश्वर	21 10 2021 से 24 10 2021 तक	पेण्ड्रा	19 वर्ष	बालिका
35	एथलेटिक्स	इंद्राणी	शास उ मा वि मुरमुरा	छुरा	21 10 2021 से 24 10 2021 तक	पेण्ड्रा	19 वर्ष	बालिका

36	क्रिकेट	आशीष सिन्हा	भद्रा पब्लिक स्कूल गरियाबंद	गरियाबंद	21 10 2021 से 24 10 2021 तक	पेण्ड्रा	19 वर्ष	बालक	
37	क्रिकेट	गौरव कुमार साहू	भद्रा पब्लिक स्कूल गरियाबंद	गरियाबंद	21 10 2021 से 24 10 2021 तक	पेण्ड्रा	19 वर्ष	बालक	
38	शतरंज	महेश्वरी विश्वकमा	शास उ मा वि खुटरी	किंगेश्वर	26 10 2021 से 29 10 2021 तक	मुंगेली	19 वर्ष	बालिका	
39	शतरंज	रमन साहू	शास उ मा वि कौन्दकरी	किंगेश्वर	26 10 2021 से 29 10 2021 तक	मुंगेली	14 वर्ष	बालक	
40	आर्चरी	धनश्याम	शास उ मा वि फुलकरी	गरियाबंद	28 10 2021 से 31 10 2021 तक	कोण्डागाव	17 वर्ष	बालक	
41	आर्चरी	दीपेश साहू	शास पू मा शा पोटिया	गरियाबंद	28 10 2021 से 31 10 2021 तक	कोण्डागाव	16 वर्ष	बालक	
42	आर्चरी	नवीन कुमार धुव	शास पूर्व माध्यमिक शाला गदनपुर	गरियाबंद	28 10 2021 से 31 10 2021 तक	कोण्डागाव	14 वर्ष	बालक	
43	आर्चरी	रूद्रेश्वरी	शास उ मा वि फुलकरी	गरियाबंद	28 10 2021 से 31 10 2021 तक	कोण्डागाव	17 वर्ष	बालिका	
44	आर्चरी	गजानंद	शास उ मा वि फुलकरी	गरियाबंद	28 10 2021 से 31 10 2021 तक	कोण्डागाव	19 वर्ष	बालक	
45	आर्चरी	नारायण सिंग	शास उ मा वि फुलकरी	गरियाबंद	28 10 2021 से 31 10 2021 तक	कोण्डागाव	19 वर्ष	बालक	
46	आर्चरी	कौशिक्या	शास उ मा वि फुलकरी	गरियाबंद	28 10 2021 से 31 10 2021 तक	कोण्डागाव	19 वर्ष	बालिका	
47	आर्चरी	टिकेश्वरी सेन	शास उ मा वि फुलकरी	गरियाबंद	28 10 2021 से 31 10 2021 तक	कोण्डागाव	19 वर्ष	बालिका	
48	बिलियार्ड	ऐसा परकाम	शास या उ मा वि गरियाबंद	गरियाबंद	29 10 2021 से 01 11 2021 तक	रायपुर	17 वर्ष	बालक	
49	कबडडी	सातु बराय	शास उ मा वि पाटसियनी	किंगेश्वर	19 11 2021 से 22 11 2021 तक	बिलासपुर	17 वर्ष	बालक	

परिशिष्ट "छियालीस"  
[ अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 515) की जानकारी ]

दत्तेवाड़ा जिले में आपदाओं की स्वीकृत राशि

यद का नाम	वर्ष 2019-20 में स्वीकृत राशि	दी गई राशि	वर्ष 2020-21 में स्वीकृत राशि	दी गई राशि	वर्ष 2021-22 में स्वीकृत राशि (10/2021 की स्थिति में)	दी गई राशि
01-सूखा-101-नि:शुल्क सहायता-2018-नगद दान-14-सहायक अनुदान-011-वैयक्तिक अनुदान	400000.00	400000.00	1148156.00	1148156.00		
02-बाढ़ चक्रवात आदि-111-शोक संतप्त परिवारों को अदायगीया-7352-शोकसंत परिवारों को सहायक अनुदान-14-सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00		
02-बाढ़ चक्रवात आदि-112-जनसंख्या का निष्क्रम-5607-बाढ़ बचाव-14-सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान	2500000.00	2500000.00	1333014.00	1333014.00		
02-बाढ़ चक्रवात आदि-113-मकानों को मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिये सहायता-7357-बाढ़ अनुदान आदि में सहायता-14-सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान	4766750.00	4766750.00	7732110.00	7732110.00	1712000.00	1712000.00
02-बाढ़ चक्रवात आदि-114-किसानों को कृषि निविदियों के लिये सहायता-7357-बाढ़ अनुदान आदि में सहायता-14-सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान	3190332.00	3190332.00	15960.00	15960.00		
02-बाढ़ चक्रवात आदि-117-पशुओं को क्षति के लिये किसानों को सहायता-7357-बाढ़ अनुदान आदि में सहायता-14-सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान	4081000.00	4081000.00	7031000.00	7031000.00	4922000.00	4922000.00
08-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-अग्नि पीड़ितों को राहत-14-सहायक अनुदान-011-वैयक्तिक अनुदान	423800.00	423800.00	258800.00	258800.00		
08-सामान्य-800-अन्य व्यय-2018-नगद दान-14-सहायक अनुदान-011-वैयक्तिक अनुदान (विशेष जीव जन्तु काटने से)	16000000.00	16000000.00	17600000.00	17600000.00	10200000.00	10200000.00
80-सामान्य-102-अन्य व्यय-7729-डूबने से रसोई गैस फअने से बिजली गिरने से मृत्यु होने पर राहत-14-सहायक अनुदान-011-वैयक्तिक अनुदान	16550000.00	16550000.00	25350000.00	25350000.00	11600000.00	11600000.00
80-सामान्य-101-विपत्ति का सामना करने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र-7354-प्रशिक्षण-05-प्रशिक्षण-002-अन्य प्रशिक्षण	71163.00	71163.00				
08-सामान्य-800-अन्य व्यय-7406-राज्य आपदा प्रबंधन अन्तर्गत क्षमता निर्माण-04-कार्यालय व्यय-003-फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	84990.00	84990.00				
08-सामान्य-800-अन्य व्यय-7408-राज्य आपदा प्रबंधन अन्तर्गत क्षमता निर्माण-04-कार्यालय व्यय-009-सूचना प्रौद्योगिकी	54000.00	54000.00				
08-सामान्य-800-अन्य व्यय-7406-राज्य आपदा प्रबंधन अन्तर्गत क्षमता निर्माण-25-सामग्री और पूर्तियां-006-अन्य	8990.00	8990.00				
80-सामान्य-001-निर्देशन और प्रशासन-2304-निर्देशन और प्रशासन-04-कार्यालय व्यय-011-पेट्रोल तैल आदि			17604.00	17604.00		
08-सामान्य-800-अन्य व्यय-7408-राज्य आपदा प्रबंधन अन्तर्गत क्षमता निर्माण-28-मशीन और उपकरण-006-अन्य व्यय			3000000.00	3000000.00		
योग	48531025.00	48531025.00	63886644.00	63886644.00	28434000.00	28434000.00

## परिशिष्ट "सैंतालीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 527) की जानकारी ]

क्र.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	विकास खंडवार संलग्न शिक्षकों की संख्या	संलग्न किये जाने का कारण
1.	जांजगीर चांपा	अकलतरा	24	1. कार्यरत संस्था में अतिशेष होने के कारण 2. शिक्षक विहिन होने के कारण 3. एकल शिक्षकीय होने के कारण
2.		बलौदा	06	
3.		बम्हनीडीह	10	
4.		नवागढ़	24	
5.		पामगढ़	14	
6.	सक्ती	डभरा	12	
7.		जैजैपुर	27	
8.		मालखरौदा	10	
9.		सक्ती	07	

## परिशिष्ट "अड़तालीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 548) की जानकारी ]

क्र.	तहसील	शीर्ष	वर्ष								
			2018-19			2019-20			2020-21		
			दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित
1	बलीदाबाजार	बंदोबस्त त्रुटि सुधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		नामांतरण फौती	196	196	0	767	767	0	972	972	0
		नकल	436	436	0	527	527	0	662	662	0
		सीमांकन	86	86	0	81	81	0	104	104	0
योग			718	718	0	1375	1375	0	1738	1738	0
2	पलारी	बंदोबस्त त्रुटि सुधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		नामांतरण फौती	642	418	224	965	703	262	866	259	607
		नकल	273	273	0	336	336	0	140	140	0
		सीमांकन	192	138	54	95	27	68	48	4	44
योग			1107	829	278	1396	1066	330	1054	403	651
3	लवन	बंदोबस्त त्रुटि सुधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		नामांतरण फौती	1341	1302	39	165	54	111	276	110	166
		नकल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सीमांकन	122	73	49	94	49	45	1	1	0
योग			1463	1375	88	259	103	156	277	111	166
4	धाटापारा	बंदोबस्त त्रुटि सुधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		नामांतरण फौती	171	165	6	144	140	4	539	159	380
		नकल	1283	1283	0	2378	2378	0	101	30	71
		सीमांकन	127	127	0	56	56	0	1170	1170	0
योग			1581	1575	6	2578	2574	4	1810	1359	451
5	सिभगा	बंदोबस्त त्रुटि सुधार	42	8	34	48	31	17	33	23	10
		नामांतरण फौती	319	129	190	433	188	245	1505	1312	193
		नकल	780	780	0	688	688	0	679	619	60
		सीमांकन	199	55	144	213	109	104	262	245	17
योग			1340	972	368	1382	1016	366	2479	2199	280
6	कसडोल	बंदोबस्त त्रुटि सुधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		नामांतरण फौती	304	231	73	339	226	113	616	378	238
		नकल	336	336	0	241	241	0	383	383	0
		सीमांकन	48	16	32	116	63	53	190	122	68
योग			688	583	105	696	530	166	1189	883	306

(268)

		बंदोबस्त कृषि सुधार	0	0	0	0	0	0	0	0	
		नामांतरण फौजी	90	90	0	210	210	0	773	587	186
		नकल	167	167	0	109	109	0	47	47	0
	बिलाईगढ़	सीमांकन	16	16	0	45	45	0	101	99	2
योग			273	273	0	364	364	0	921	733	188
महायोग			7170	6325	845	8050	7028	1022	9468	7426	2042

## परिशिष्ट "उन्वास"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 614) के भाग (क) की जानकारी ]

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जर्जर/भवन विहीन स्कूलों की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	शाला का नाम	भवन की स्थिति (जर्जर/विहीन)
1	धरमजयगढ़	प्राथ. शाला छुहीपहाड़	विहीन
2	धरमजयगढ़	प्राथ.शाला छपराडांड	विहीन
3	धरमजयगढ़	शा.हाईस्कूल गेरसा	विहीन
4	घरघोडा	प्रा.शा. डंगवीरा	जर्जर
5	घरघोडा	प्रा.शा.कमतरा	जर्जर
6	घरघोडा	प्रा.शा.साल्हेपाली	जर्जर
7	घरघोडा	प्रा.शा.बाग्हनपाली	जर्जर
8	घरघोडा	प्रा.शा.डेहरीडीह	जर्जर
9	घरघोडा	प्रा.शा.छिरभौना	जर्जर
10	घरघोडा	प्रा.शा.मालपानी	जर्जर
11	घरघोडा	मा.शा.चोटीगुडा	जर्जर
12	घरघोडा	प्रा.शा.टिभाउडीह	जर्जर
13	घरघोडा	प्रा.शा.ढोरम	जर्जर
14	घरघोडा	प्रा.शा.छैडोरिया	जर्जर

परिशिष्ट "पंचास"

[ अतारंजित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 696) के भाग (क) की जानकारी ]

दिसम्बर 2018 से अब तक स्वीकृत/प्रावधानित अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्री मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की जानकारी

क्र.	वर्ष	छात्रावास का प्रकार	वर्ग	स्वीकृत संस्थाओं की संख्या	स्वीकृत सीट	जिला	विकास खण्ड	रिमाक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	2018-19	--	--	--	--	--	--	--	
2.	2019-20	--	--	--	--	--	--	--	
3.	2020-21	प्री मैट्रिक छात्रावास	अनुसूचित जनजाति	02	50-50 सीटर	कोण्डागांव	केशकाल	स्वीकृत	
		पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	अनुसूचित जनजाति	03	50-50 सीटर	सुकमा	कोटा, छिन्दगाढ	बजट में प्रावधानित, स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
4.	2021-22	प्री मैट्रिक छात्रावास	अनुसूचित जाति	01	50 सीटर	धमतेशी	नगरी		
						वस्तर	जगदलपुर, बस्तानार, भानपुरी, बकावड		
						सुकमा	सुकमा, कोटा		
						सूरजपुर	सूरजपुर, प्रतापपुर		
						सरगुजा	अम्बिकापुर		
						गोरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	गोरेला		
						शायगढ	धरमजयगढ, खरसिया		
						कोरबा	कोरबा		
						कोण्डागांव	कोण्डागांव, फरसगांव, केशकाल,		
						जशपुर	जशपुर		
						काकर	काकर, नरहरपुर		
						बीजापुर	बीजापुर, भैरगढ		
						राजनादगांव	चौकी		
						दन्नेवाडा	गीदन		
नारायणपुर	आरछा, नारायणपुर								
बलरामपुर	रामानुजगंज								
कोरिया	बैकटपुर								
दुर्ग	पाटन								
								28 विकास खंडों में 250 सीटर बालक एवं 250 सीटर कन्या छात्रावास की स्थापना। बजट में प्रावधानित, स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	

## परिशिष्ट "ईन्क्यावन"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 697) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

क	जिला	प्रवेशित विद्यार्थियों की वर्षवार संख्या		वर्ष 2018-19 से लेकर दिनांक 24 11.2021 तक कितना भुगतान शेष है।
		2019-20	2020-21	
1	रायपुर	3784	4887	भुगतान शेष नहीं है।
2	बलौदाबाजार	2637	2421	
3	गरियाबद	860	964	
4	महासमुन्द	1720	1776	
5	धमतरी	1384	1343	
6	दुर्ग	3509	3864	
7	बालोद	1016	990	
8	बमेतरा	1151	1119	
9	राजनादगाव	2847	2787	
10	कवीरधाम	1120	1210	
11	विलासपुर	3994	4895	
12	मुंगेली	2004	2202	
14	जाजगीर	3360	4247	
15	सकती	1588	1637	
16	कोरवा	3358	4127	
17	राधगढ	2895	3062	
18	जशपुर	1391	1179	
19	अम्बिकापुर	1336	1276	
20	बलरामपुर	1324	1473	
21	सूरजपुर	2306	1640	
22	कोरिया	1116	1409	
23	बस्तर	1474	1437	
24	नारायणपुर	82	86	
25	कोण्डागाव	826	660	
26	काफेर	703	975	
27	दन्तेवाडा	149	158	
28	बीजापुर	241	277	
29	सुकमा	773	873	
	योग	48948	52974	

## प्रपत्र "ब"

क्र.	जिला	विद्यालय का नाम	कितना भुगतान शेष है।
1	बलौदाबाजार	प्रगति विद्या मंदिर	299500
2		टाटा ड.ए.व्ही.पब्लिक स्कूल सोनाडीह	518000
3		सेंट मेरी उ.मा.वि.भाटापारा	934620
4		टी.ए.पी.स्कूल बिजराडीह	66000
5		सावित्री देवी उ.मा.वि.बिलासपुर	117374
6		सरस्वती ज्ञान मंदिर पलारी	65830
7		सर्व हितकारिणी उ.मा.वि.कुकदा	299900
		योग	2301224

## परिशिष्ट "बावन"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 704) की जानकारी ]

कोविड-19 मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि का प्रदाय की जानकारी

क्र.	तहसील/विकासखण्ड का नाम	लामान्वितों की संख्या	दी गई अनुदान सहायता राशि
1	2	3	4
1	गंडई	28	14,00,000.00
2	छुईखदान	26	13,00,000.00
3	खैरागढ	26	13,00,000.00
4	डोंगरगढ	73	36,50,000.00
5	छुरिया	54	27,00,000.00
6	डोंगरगांव	21	10,50,000.00
7	अम्बागढ चौकी	25	12,50,000.00
8	मोहला	4	2,00,000.00
9	मानपुर	6	3,00,000.00
10	राजनादगांव	217	1,08,50,000.00
योग		480	2,40,00,000.00

## परिशिष्ट "तिरपन"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 710) की जानकारी ]

## शेष प्रकरणों की वर्गवार व विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	बस्तर	बस्तर	492	4812	1487
		बक्रवण्ड	87	2195	343
		तौकापाल	6	2635	517
		बास्तानार	18	1244	103
		जगदलपुर	685	7394	2109
		लोहणडीगुड़ा	14	1963	558
		दरभा	7	2795	280
2	नारायणपुर	नारायणपुर	511	7641	1320
		ओरछा	95	3040	174
3	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	0	71	18
		गीदम	3	84	13
		कुआकोण्डा	0	69	0
		कटेकल्याण	1	73	3
4	सुकमा	सुकमा	21	2249	198
		कोण्टा	62	6859	200
		छिन्दगढ़	8	4681	725
5	कांकेर	अतागढ़	3	57	21
		भानुप्रतापपुर	34	424	71
		दूर्गकोदल	0	0	10
		चारामा	31	53	34
		नरहरपुर	1397	432	851
		कोयलीबेड़ा	22	460	54
		कांकेर	26	283	210
6	कोण्डागांव	कोण्डागांव	150	700	163
		फरसगांव	0	0	0
		माकडी	190	300	200
		केशकाल	27	1	2
		बड़ेराजपुर	43	0	7
7	बीजापुर	बीजापुर	259	3571	859
		भैरमगढ़	46	1744	629
		भोपालपट्टनम	49	1116	47
		उसूर	149	842	158
योग			4436	57788	11364

## परिशिष्ट "चौवन"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 714) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

जांजगीर-चांपा जिला एवं शैक्षणिक जिला सक्ती में संचालित शालाओं की जानकारी

जिला	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी
जांजगीर-चांपा	767	408	70	95
शै.जिला सक्ती	765	360	45	85

जांजगीर-चांपा जिला एवं शैक्षणिक जिला सक्ती में खण्डहर/जर्जर/जीर्ण-शीर्ण शाला भवनों की जानकारी

जिला	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी
जांजगीर-चांपा	84	36	5	7
शै.जिला सक्ती	102	37	0	1

जांजगीर-चांपा जिला एवं शैक्षणिक जिला सक्ती में मरम्मत व सुधार कार्य व नवीन भवन निर्माण हेतु प्राप्त आवेदन की जानकारी

जिला	मरम्मत व सुधार कार्य				नवीन भवन निर्माण कार्य			
	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी
जांजगीर-चांपा	72	35	2	5	12	1	3	2
शै.जिला सक्ती	64	29	0	0	0	0	0	0

## परिशिष्ट "पचपन"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 715) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

जिला जांजगीर-चाम्पा में डी.एम.एफ मद एवं शासन द्वारा सामग्री/कार्य के लिये प्रदाय की गयी राशि की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	राशि रु.	कार्य का विवरण जिस हेतु राशि प्राप्त हुई
1	2	3	4
	वर्ष 2020-21		
1	जांजगीर-चाम्पा	26472400	हाई स्कूल में लैब स्थापना
2	जांजगीर-चाम्पा	3927040	मॉड्यूलर क्लास रूम की स्थापना
3	जांजगीर-चाम्पा	13994800	ग्रीनबोर्ड प्रदाय
4	जांजगीर-चाम्पा	46933438	विद्यार्थी फर्नीचर की आपूर्ति
5	जांजगीर-चाम्पा	8400000	स्मार्ट क्लास की स्थापना
6	जांजगीर-चाम्पा	31987502	व्हाईट बोर्ड की आपूर्ति हेतु
7	जांजगीर-चाम्पा	22626500	हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल में शुद्ध पेयजल सुविधा हेतु आर.ओ.
8	जांजगीर-चाम्पा	12600000	स्मार्ट क्लास रूम हेतु डिजिटल टिचिंग डिवाइस
9	जांजगीर-चाम्पा	21163197	उत्कृष्ट विद्यालयों हेतु फर्नीचर एवं अन्य सामग्री
10	जांजगीर-चाम्पा	5042848	प्राथमिक शालाओं में फ्लोर एवं वॉल टाइल्स फिटिंग
11	जांजगीर-चाम्पा	11237500	हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल में डिजिटल इंटरैक्टिव क्लास रूम आई.एफ.पी के साथ
12	जांजगीर-चाम्पा	1604252	नवीन जिला ग्रथालय हेतु पुस्तकों की आपूर्ति
13	जांजगीर-चाम्पा	261064	नवीन जिला ग्रथालय हेतु सामग्री क्रय
14	जांजगीर-चाम्पा	140000	नवीन जिला ग्रथालय हेतु पुस्तकों की आपूर्ति
15	जांजगीर-चाम्पा	9087320	विद्यार्थी फर्नीचर
16	जांजगीर-चाम्पा	6096203	कार्यालय फर्नीचर
17	जांजगीर-चाम्पा	3499347	विज्ञान सामग्री
18	जांजगीर-चाम्पा	22669375	सायकल
19	जांजगीर-चाम्पा	11883960	किचन डिवाइस
20	जांजगीर-चाम्पा	28038548	फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय कार्य
21	जांजगीर-चाम्पा	24520548	फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय कार्य
22	शैक्षणिक जिला-सक्ती	8543200	मैग्नेटिक ग्रीनबोर्ड की आपूर्ति हेतु
23	शैक्षणिक जिला-सक्ती	9139512	व्हाईट बोर्ड की आपूर्ति हेतु
24	शैक्षणिक जिला-सक्ती	5200000	फर्नीचर आपूर्ति हेतु
25	शैक्षणिक जिला-सक्ती	14213490	फर्नीचर आपूर्ति हेतु
26	शैक्षणिक जिला-सक्ती	16638630	सायकल आपूर्ति

क्र.	जिला का नाम	राशि रू.	कार्य का विवरण जिस हेतु राशि प्राप्त हुई
1	2	3	4
27	शैक्षणिक जिला-सक्ती	3744860	विज्ञान सामाग्री आपूर्ति
28	शैक्षणिक जिला-सक्ती	5990000	किचन डिवाइस आपूर्ति
29	शैक्षणिक जिला-सक्ती	313040	व्यायाम उपकरण
वर्ष 2021-22 (22 नवम्बर 2021 तक)			
30	जांजगीर-चाम्पा	5290800	फर्नीचर एवं अन्य मद
31	शैक्षणिक जिला-सक्ती	5167200	कम्प्यूटर एवं यूपीएस
32	शैक्षणिक जिला-सक्ती	200000	गीता पब्लिकेशन रायपुर
33	शैक्षणिक जिला-सक्ती	12224868	फर्नीचर
34	शैक्षणिक जिला-सक्ती	20589498	फर्नीचर
35	शैक्षणिक जिला-सक्ती	5218655	विज्ञान सामाग्री
36	शैक्षणिक जिला-सक्ती	440640	व्यायाम उपकरण
37	शैक्षणिक जिला-सक्ती	575000	व्यायाम सामाग्री

## प्रपत्र "ब"

## कार्य, एजेंसी एवं लागत राशि की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	एजेंसी का नाम	कार्य का विवरण	लागत राशि रु.
1	2	3	4	5
	वर्ष 2020-21			
1	जांजगीर-चाम्पा	शर्मा स्टील इण्डस्ट्रीज खरसिया	विद्यार्थी फर्नीचर	9087320
2	जांजगीर-चाम्पा	सावडिया स्टील इण्डस्ट्रीज खरसिया	कार्यालय फर्नीचर	6005203
3	जांजगीर-चाम्पा	देव फर्मा श्याम नगर तेलीभांठा, रायपुर	विज्ञान सामग्री	527571
4	जांजगीर-चाम्पा	विनोद अग्रवाल देवेन्द्र नगर रायपुर	विज्ञान सामग्री	1802550
5	जांजगीर-चाम्पा	राधारानी ट्रेडर्स देवेन्द्र नगर रायपुर	विज्ञान सामग्री	1169226
6	जांजगीर-चाम्पा	मेक्स इंटर प्राइजेस रायपुर	सरस्वती सायकल	22669375
7	जांजगीर-चाम्पा	क्रेडीबल कार्पोरेशन रायपुर	किचन डिवाइस	6482930
8	जांजगीर-चाम्पा	राधा इण्डस्ट्रीज राजनादगांव	किचन डिवाइस	5401030
9	जांजगीर-चाम्पा	यश इंटरप्राइजेस राजनादगांव	मिनी साईश लैब स्थापना	30634000
10	जांजगीर-चाम्पा	ओसियन इंटरप्राइजेस, जांजगीर	मॉड्यूलर क्लास रूम की स्थापना	2418919
11	जांजगीर-चाम्पा	सिंघानिया लघु उद्योग, जांजगीर	मॉड्यूलर क्लास रूम की स्थापना	306800
12	जांजगीर-चाम्पा	सागर इंडस्ट्रीज, जांजगीर	मॉड्यूलर क्लास रूम की स्थापना	1084500
13	जांजगीर-चाम्पा	न्यू राजस्थान स्टील इंडस्ट्रीज बिलासपुर	मॉड्यूलर क्लास रूम की स्थापना	109000
14	जांजगीर-चाम्पा	ओसियन इंटरप्राइजेस, जांजगीर	ग्रीन बोर्ड	599558
15	जांजगीर-चाम्पा	सिंघानिया लघु उद्योग, जांजगीर	ग्रीन बोर्ड	6413446
16	जांजगीर-चाम्पा	सागर इंडस्ट्रीज, जांजगीर	ग्रीन बोर्ड	4316406
17	जांजगीर-चाम्पा	न्यू राजस्थान स्टील इंडस्ट्रीज बिलासपुर	ग्रीन बोर्ड	2635332
18	जांजगीर-चाम्पा	न्यू राजस्थान स्टील इंडस्ट्रीज बिलासपुर	विद्यार्थी फर्नीचर	1499650
19	जांजगीर-चाम्पा	सागर इण्डस्ट्रीज जांजगीर	विद्यार्थी फर्नीचर	10228529
20	जांजगीर-चाम्पा	सिंघानिया लघु उद्योग जांजगीर	विद्यार्थी फर्नीचर	19710125
21	जांजगीर-चाम्पा	ओसियन इंटरप्राइजेस जांजगीर	विद्यार्थी फर्नीचर	15488825
22	जांजगीर-चाम्पा	मेसर्स यश इंटरप्राइजेस, राजनादगांव	स्मार्ट क्लास स्थापना	21000000
23	जांजगीर-चाम्पा	मेसर्स मॉ चन्द्रहासिनी उद्योग सक्ती	व्हाइट बोर्ड आपूर्ति	20968636
24	जांजगीर-चाम्पा	सागर इण्डस्ट्रीज जांजगीर	व्हाइट बोर्ड आपूर्ति	11018249
25	जांजगीर-चाम्पा	सिंघानिया लघु उद्योग जांजगीर	एलपीएच आर ओ	22080840

क्र.	जिले का नाम	एजेसी का नाम	कार्य का विवरण	लागत राशि रु.
1	2	3	4	5
26	जाजगीर-चाम्पा	सागर इण्डस्ट्रीज जाजगीर	एलपीएच आरओ	460122
27	जाजगीर-चाम्पा	न्यू राजस्थान स्टील इंडस्ट्रीज विलासपुर	एलपीएच आरओ	76700
28	जाजगीर-चाम्पा	मीर्यादास कागोसेल प्राइ लिमि दुर्ग	फर्नीचर एवं अन्य मद	8245999
29	जाजगीर-चाम्पा	अनंता ग्लोबो टेक रायपुर	डिजिटल इंटरक्टिव क्लास रूम विथ आई एफ पी	11237500
30	जाजगीर-चाम्पा	राकेट रेस ट्रेड लिंक प्राइवेट लि मि विलासपुर	फ्लोर एवं वॉल टाईल्स फिटिंग डेंटिंग एवं पेंटिंग	5042848
31	जाजगीर-चाम्पा	सिंघानिया ग्रुप एण्ड इण्डस्ट्रीज जाजगीर	ग्रंथालय में सामग्री क्रय कार्य	774906
32	जाजगीर-चाम्पा	राम इन्फोकॉक विलासपुर	ग्रंथालय में सामग्री क्रय कार्य	472000
33	जाजगीर-चाम्पा	श्याम ट्रेडिंग कम्पनी विलासपुर	ग्रंथालय में सामग्री क्रय कार्य	58410
34	जाजगीर-चाम्पा	श्री बुक डिपो, जाजगीर	ग्रंथालय में पुस्तकों की आपूर्ति	88381
35	जाजगीर-चाम्पा	सतीश बुक डिपो, जाजगीर	ग्रंथालय में पुस्तकों की आपूर्ति	212388
36	जाजगीर-चाम्पा	श्री लक्ष्मी स्टोर्स, जाजगीर	ग्रंथालय में पुस्तकों की आपूर्ति	399231
37	शैक्षणिक जिला सक्ती	सिंघानिया लघु उद्योग जाजगीर	मैग्नेटिक ग्रीनबोर्ड आपूर्ति	2613278
38	शैक्षणिक जिला सक्ती	सागर इण्डस्ट्रीज जाजगीर	मैग्नेटिक ग्रीनबोर्ड आपूर्ति	5929922
39	शैक्षणिक जिला सक्ती	सागर इण्डस्ट्रीज जाजगीर	व्हाइट बोर्ड आपूर्ति	9139512
40	शैक्षणिक जिला सक्ती	हरिओम उद्योग खरसिया	फर्नीचर आपूर्ति	5142450
41	शैक्षणिक जिला सक्ती	स्टार इण्डस्ट्रीज धमतरी	फर्नीचर आपूर्ति	5827610
42	शैक्षणिक जिला सक्ती	महावीर इण्डस्ट्रीज धमतरी	फर्नीचर आपूर्ति	8333070
43	शैक्षणिक जिला सक्ती	संथ इण्डस्ट्रीयल कामोरशन रायपुर	सायकल	16638416
44	शैक्षणिक जिला सक्ती	अरिहन्त ट्रेडर्स रायपुर	किचन डिवाइस	2949891
45	शैक्षणिक जिला सक्ती	श्री राम क्रियेशन रायपुर	किचन डिवाइस	2974128
46	शैक्षणिक जिला सक्ती	न्यू क्रियेटिव ग्लासेस रायपुर	व्यायाम उपकरण	309590
47	शैक्षणिक जिला सक्ती	शिव शक्ति सेल्स एण्ड इन्टर प्राइजेस	विज्ञान सामग्री	1400000
48	शैक्षणिक जिला सक्ती	जावेद ट्रेडिंग कंपनी रायगढ़	विज्ञान सामग्री	448000
49	शैक्षणिक जिला सक्ती	यूनिवर्सल साइंटिफिक एण्ड स्पोर्ट्स, रायगढ़	विज्ञान सामग्री	200000
50	शैक्षणिक जिला सक्ती	माडर्न साइंटिफिक एण्ड स्पोर्ट्स रायगढ़	विज्ञान सामग्री	712000
51	शैक्षणिक जिला सक्ती	छ ग कैमिकल्स चापा	विज्ञान सामग्री	698266
52	शैक्षणिक जिला सक्ती	मारुती सप्लाइ एजेन्सी नैला	विज्ञान सामग्री	84460
53	शैक्षणिक जिला सक्ती	महाकौशल साइंटिफिक वर्क विलासपुर	विज्ञान सामग्री	100000
वर्ष 2021-22 (दिनांक 22.11.2021 तक)				
54	जाजगीर-चाम्पा	मॉडर्न पब्लिकेशन रायपुर	पुस्तकालय में पुस्तकों की आपूर्ति	388043
55	जाजगीर-चाम्पा	एविश ग्लोबल दुर्ग	पी.ए. सिस्टम सेटअप (कम्पलिट इंस्टालेशन)	675202

क्र.	जिले का नाम	एजेंसी का नाम	कार्य का विवरण	लागत राशि रु.
1	2	3	4	5
56	जाजगीर-चाम्पा	एविश ग्लोबल दुर्ग	सी.सी.टी.व्ही. सेटअप (कम्पलिट इन्स्टालेशन)	683758
57	जाजगीर-चाम्पा	एविश ग्लोबल दुर्ग	वाईफाई जोन (कम्पलिट इन्स्टालेशन)	588550
58	जाजगीर-चाम्पा	एविश ग्लोबल दुर्ग	टेबलेट कम्प्यूटर्स आपूर्ति	726599
59	जाजगीर-चाम्पा	एविश ग्लोबल दुर्ग	डिजिटल पोडियम	350000
60	जाजगीर-चाम्पा	एविश ग्लोबल दुर्ग	फर्नीचर एव अन्य सामग्री	12918973
61	जाजगीर-चाम्पा	मौर्यादास कामोसेल प्राई लिमि दुर्ग	मल्टी लैंग्वेज लैब सॉफ्टवेयर आपूर्ति	492000
62	जाजगीर-चाम्पा	व्ही पी सी केयर रायपुर	कम्प्यूटर सेट एवं प्रिंटर आपूर्ति	4133745
63	जाजगीर-चाम्पा	एविश कमर्शियल कम्पनी दुर्ग	डिजिटल पोडियम एवं इन्टरैक्टिव प्लेट पैनल आपूर्ति	37161200
64	जाजगीर-चाम्पा	मेसर्स श्रीराम इण्डस्ट्रीज	फर्नीचर सामग्री	10102571
65	जाजगीर-चाम्पा	गॉडन पब्लिसर्स रायपुर	पुस्तकों की आपूर्ति	200000
66	शैक्षणिक जिला सक्ती	मेसर्स व्ही पी सी केयर रायपुर	कम्प्यूटर एव यूपीएस	5167181
67	शैक्षणिक जिला सक्ती	मार्डन पब्लिसर्स रायपुर	पुस्तक	200000
68	शैक्षणिक जिला सक्ती	सिंघानिया लघु उद्योग जाजगीर	फर्नीचर	12224868
69	शैक्षणिक जिला सक्ती	मेसर्स सिंह इण्डस्ट्रीज राजनांदगाव	फर्नीचर	4172990
70	शैक्षणिक जिला सक्ती	मेसर्स गैंग फ़ैब्रिकेशन रायगढ़	फर्नीचर	5966538
71	शैक्षणिक जिला सक्ती	मेसर्स सागर इण्डस्ट्रीज जाजगीर	फर्नीचर	10425834
72	शैक्षणिक जिला सक्ती	मेसर्स एन आर एसोसियेट बिलासपुर	विज्ञान सामग्री	5218016
73	शैक्षणिक जिला सक्ती	न्यू क्रियेटिव ग्लासेस रायपुर	ब्यायाम उपकरण	440640
74	शैक्षणिक जिला सक्ती	बाला जी इण्डस्ट्रीज धमतरी	ब्यायाम सामग्री	575000

## परिशिष्ट "छप्पन"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 58 (क्र. 728) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

सं क्र	जिला का नाम	संयोजन हुए शिक्षकमियों वर्गवार संख्यात्मक जानकारी		
		व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)
1	2	3	4	5
1	महारासमुद	1197	1598	3316
2	बलौदावाजार-भाटापारा	1695	1907	4195
3	गरियाबंद	661	1037	2412
4	रायपुर	1442	1605	3492
5	धमतरी	1225	1510	2550
6	कबीरधाम	1008	1496	2784
7	बेमेतरा	1152	1246	2536
8	दुर्ग	1156	1142	2247
9	बालोद	1472	1144	2597
10	राजनांदगाव	2015	1887	4616
11	बिलासपुर	1471	1488	4345
12	मुंगेली	671	798	2116
13	कोरबा	991	1335	3183
14	सक्ती	1215	1070	1729
15	जांजगीर-चांपा	1159	1251	2760
16	रायगढ़	1553	2079	4934
17	गौरला+ पेण्ड्रा+ मरवाही	368	517	1259
18	कांकेर	1494	1176	5065
19	नारायणपुर	187	322	719
20	कोण्डागांव	881	1481	2517
21	जगदलपुर	1106	1514	2707

स.क्र.	जिला का नाम	संविलयन हुए शिक्षाकर्मियों वर्गवार संख्यात्मक जानकारी		
		व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)
1	2	3	4	5
22	इतेवाड़ा	223	491	848
23	बीजापुर	223	491	848
24	सुकमा	171	538	1134
25	कोरिया	743	947	2144
26	बलरामपुर- रामानुजगंज	860	1168	3184
27	सूरजपुर	1337	1172	3057
28	जशपुर	1481	1216	3445
29	सरगुजा	1211	1793	2791
	योग	30368	35419	79530

प्रपत्र "ब"

स.क्र.	जिला का नाम	वर्ग	भुगतान की जाने वाली राशि	भुगतान किया गया	भुगतान लंबित राशि
1	2	3	4	5	6
1	महासमुंद	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	15550990	934000	14616990
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	5715758	540000	5175758
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	4009769	312000	3697769
2	बलौदाबाजार- भाटापारा	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	112014612	10467912	101546700
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	30520247	1638672	28881575
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	1930297	65466	1864831
3	गरियाबंद	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	54445912	4386684	50059228
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	69482143	1291416	68190727
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	17317225	124345	17192880
4	रायपुर	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	106001323	10266621	95734702
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	31292281	2841066	28451215
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	9045227	724174	8321053
5	धमतरी	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	85391164	18499962	66891202
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	44872780	6995116	37877664
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	32150640	5425664	26724976
6	कबीरधाम	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	52055737	8137102	43918635
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	35950828	2827648	33123180
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	36355928	2769052	33586876
7	बेमेतरा	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	96951412	39323142	57628270
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	16408995	3243313	13165682
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	42451099	4867671	37583428

क्र.सं.	जिला का नाम	वर्ग	भुगतान की जाने वाली राशि	भुगतान किया गया	भुगतान लंबित राशि
1	2	3	4	5	6
8	दुर्ग	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	108201581	10951926	97249655
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	15480751	150000	15330751
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	6434051	60000	6374051
9	बालोद	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	81131344	8844532	72286812
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	21801725	1136249	20665476
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	7767675	596974	7170701
10	राजनादगाव	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	188440499	1527654	186912845
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	34755750	395615	34360135
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	63096565	632783	62463782
11	बिलासपुर	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	104069787	21726925	82342862
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	56394404	3056879	53337525
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	35203444	714212	34489232
12	मुंगेली	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	17932307	0	17932307
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	3653070	0	3653070
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	11833433	0	11833433
13	कोरबा	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	27934874	17957019	9977855
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	31455825	8255182	23200643
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	15692220	5427781	10264439
14	सक्ती	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	18379955	9140117	9239838
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	20924168	5874503	15049665
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	20500007	5784020	14715987
15	जांजगीर-चापा	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	16150776	8452034	7698742
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	5556060	4669825	886235
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	3588531	905005	2683526

25

संक्र.	जिला का नाम	वर्ग	भुगतान की जाने वाली राशि	भुगतान किया गया	भुगतान संबंधित राशि
1	2	3	4	5	6
16	रायगढ़	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	73127535	11438951	200112302
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	68387312		
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	70036406		
17	गौरला+ पेण्ड्रा+ भरवाही	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	16817240	0	16817240
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	5257239	0	5257239
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	3173794	0	3173794
18	कांकेर	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	120513974	914600	119599374
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	33331573	69000	33262573
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	55220365	4000	55216365
19	नारायणपुर	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	23587728	1227782	22359946
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	20416910	2806472	17610438
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	18957892	1337376	17620516
20	कोण्डागांव	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	228896	0	228896
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	716721	0	716721
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	245061	0	245061
21	जगदलपुर	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	47268433	160000	47108433
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	18681788	54000	18627788
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	0	0	0
22	दंतेवाड़ा	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	14260867	0	14260867
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	13056810	0	13056810
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	20573956	0	20573956
23	बीजापुर	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	6119858	0	6119858
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	7116246	0	7116246
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	12510425	0	12510425

स.क्र.	जिला का नाम	वर्ग	भुगतान की जाने वाली राशि	भुगतान किया गया	भुगतान लंबित राशि
1	2	3	4	5	6
24	सुकमा	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	3796464	0	3796464
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	28017538	0	28017538
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	41435462	0	41435462
25	कोरिया	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	24649208	327093	24322115
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	18439116	32816	18406300
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	1661183	0	1661183
26	बलरामपुर- रामानुजगंज	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	91740646	0	91740646
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	87225914	0	87225914
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	140847075	0	140847075
27	सूरजपुर	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	51623239	1817930	49805309
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	33601893	89000	33512893
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	60332287	0	60332287
28	जशपुर	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	62833557	5761578	57071979
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	27199666	1498918	25700748
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	35153510	1390581	33762929
29	सरगुजा	व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय)	59998936	12866776	47132160
		शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	25251865	12042849	13209016
		सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय)	60715057	32728834	27986223

## परिशिष्ट "सनतावन"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 737) के भाग (क) की जानकारी ]

## स्कूलों में अण्डा वितरण एवं आपत्ति की जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	छात्रों की संख्या जिनको अण्डा दिया जाता है।	छात्राओं की संख्या जिनको अण्डा के स्थान पर अन्य भोज्य सामग्री दी जा रही है।
1	2	3	4
1	तिवाड़ा	35695	1155
2	रायमढ	36962	106738
3	सरगुजा	79557	20140
4	बभतरा	0	123597
5	बालाद	0	85994
6	बीरघाम	0	125499
7	कारिया	0	0
8	कारवा	0	0
9	बलरामपुर	0	218043
10	नारायणपुर	0	0
11	बलौदाबाजार	0	189361
12	दुर्ग	0	119363
13	कोण्डागाव	0	84336
14	सितर	0	81557
15	बरतर	0	0
16	महासमुन्द	0	0
17	राजनादगाव	0	190647
18	काकर	0	87094
19	बिलासपुर	0	203173
20	सूरतपुर	0	104337
21	नशपुर	0	0
22	भुगली	0	101463
23	रायपुर	0	0
24	नीजापुर	0	48351
25	जटाजीरवाण	0	106162
26	सुकी	0	0
27	गौरैला पण्ड्रा मरवाही	0	40944
28	सुकमा	0	38516
29	सरियाबद	0	80611
कुल योग		152214	2157081

## परिशिष्ट "अनठावन"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 65 (क्र. 741) के भाग (क) की जानकारी ]

क्रमांक	तहसील का नाम	मद	दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण
1	बिलासपुर	सीमांकन	1090	846	254
		नामांतरण	19828	14821	5007
		फौती	625	608	17
		बटांकन	1925	1416	509
2	बिल्हा	सीमांकन	228	200	28
		नामांतरण	226	96	130
		फौती	75	47	28
		बटांकन	287	134	153
3	मस्तूरी	सीमांकन	147	70	77
		नामांतरण	166	40	126
		फौती	50	32	18
		बटांकन	155	56	99
4	सकरी	सीमांकन	369	343	26
		नामांतरण	2819	2655	164
		फौती	1509	1005	504
		बटांकन	285	161	124
5	तखतपुर	सीमांकन	332	211	121
		नामांतरण	1518	1029	489
		फौती	961	586	375
		बटांकन	263	118	145
6	कोटा	सीमांकन	65	63	2
		नामांतरण	467	433	34
		फौती	119	82	37
		बटांकन	108	73	35
7	रतनपुर	सीमांकन	101	80	21
		नामांतरण	67	39	28
		फौती	87	58	29
		बटांकन	118	71	47
8	बेलगहना	सीमांकन	27	22	5
		नामांतरण	187	164	23
		फौती	42	35	7
		बटांकन	5	4	1
योग :-	जिले का योग	सीमांकन	2359	1835	524
		नामांतरण	25278	19277	6001
		फौती	3468	2453	1015
		बटांकन	3146	2033	1113

## परिशिष्ट "उनसठ"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 71 (क्र. 754) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित, अति जर्जर एवं भवन विहीन शालाएं

शाला का स्तर	संचालित शालाएं	अति जर्जर शालाएं	भवन विहीन शालाएं
प्राथमिक	777	25	87
पूर्व माध्यमिक	266	5	12
हाईस्कूल	26	0	2
हायर सेकेण्डरी	48	0	0

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2019-20 से माह नवंबर 2021 तक स्वीकृत एवं स्वीकृति हेतु शेष शालाएं

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य		शेष कार्य	
	मरम्मत कार्य	नवीन भवन	मरम्मत	नवीन भवन
2019-20	28	9	0	0
2020-21	23	0	0	0
2021-22 नवंबर तक	16	0	48	131

## परिशिष्ट "साठ"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 72 (क्र. 755) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला नारायणपुर कोण्डागांव एवं बस्तर में शासकीय भवनों में संचालित छात्रावास/आश्रमों की जानकारी

क्र0	जिला	विकास खण्ड	छात्रावास / आश्रम का नाम		
1	2	3	4		
			छात्रावास		
			प्री. मैट्रिक छात्रावास		
1	नारायणपुर	नारायणपुर	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास बाकुलवाही		
2			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास बेनूर		
3			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास भाटपाल		
4			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास छोटेडोंगर		
5			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास नारायणपुर		
6			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास एडका		
7			अबुझमाडिया कन्या छात्रावास नारायणपुर		
8			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास एडका		
9			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बाकुलवाही		
10			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बेनूर		
11			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भाटपाल		
12			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास रेमावण्ड		
13			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सोनपुर		
14			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास छोटेडोंगर		
15			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास फरसगांव		
16			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास नारायणपुर		
17			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कोहकामेटा		
18			अबुझमाडिया बालक छात्रावास नारायणपुर		
19				पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	
20				पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास नारायणपुर	
21				पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बेनूर	
22				पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास छोटेडोंगर	
23				पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास ना.पुर	
24				पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास नारायणपुर	
25			ओरछा		प्री. मैट्रिक छात्रावास
26					आश्रम
27				नारायणपुर	आदिवासी कन्या आश्रम एडका
28					आदिवासी कन्या आश्रम धौड़ाई
29					आदिवासी कन्या आश्रम कन्हारगांव
30					आदिवासी कन्या आश्रम बिजली
			आदिवासी कन्या आश्रम सोनपुर		

क्र०	जिला	विकास खण्ड	छात्रावास / आश्रम का नाम
1	2	3	4
31	नारायणपुर	नारायणपुर	माध्यमिक आदिवासी कन्या आश्रम शाला बिंजली
32			आदिवासी बालक आश्रम धौड़ाई
33			आदिवासी कन्या आश्रम बेनूर
34			आदिवासी बालक आश्रम हलामीमुजमेंटा
35			आदिवासी बालक आश्रम जम्हरी
36			माध्यमिक आदिवासी आश्रम शाला बेनूर
37			माध्यमिक आदिवासी आश्रम शाला गढबेगल
38			आदिवासी कन्या आश्रम धनोर
39			आदिवासी बालक आश्रम खड़कागांव
40			आदिवासी बालक आश्रम बेनूर
41			आदिवासी कन्या आश्रम कोंगेरा
42			आदिवासी कन्या आश्रम मालिंगनार
43			आदिवासी बालक आश्रम भाटपाल
44			आदिवासी बालक आश्रम रेमावण्ड
45			आदिवासी बालक आश्रम सुलेंगा
46			आदिवासी कन्या आश्रम फरसगांव
47			आदिवासी बालक आश्रम गुलूमकोडे
48			आदिवासी कन्या आश्रम कोहकामेटा
49			आदिवासी कन्या आश्रम रोहताड
50			आदिवासी कन्या आश्रम डुंगा
51			आदिवासी कन्या आश्रम औरछा
52		आदिवासी कन्या आश्रम नेलनार (बखरूपारा)	
53		आदिवासी कन्या आश्रम औरछामेटा	
54		आदिवासी बालक आश्रम धुरबेडा	
55		आदिवासी बालक आश्रम ढोंढरबेडा	
56		आदिवासी बालक आश्रम बेड़मा	
57		आदिवासी बालक आश्रम कोहकामेटा	
58		आदिवासी बालक आश्रम कुरुसनार	
59		आदिवासी बालक आश्रम मोंहदी	
60		आदिवासी बालक आश्रम मुरनार	
61		आदिवासी बालक आश्रम छोटेटोडाबेडा	
62		आदिवासी बालक आश्रम तोके	
63		आदिवासी बालक आश्रम जाटलुर	
64		आदिवासी बालक आश्रम नेडनार	
65		आदिवासी बालक आश्रम आदेर	
66		आदिवासी बालक आश्रम औरछा	
67		आदिवासी बालक आश्रम गारपा	
68		आदिवासी बालक आश्रम गोमे	
69		आदिवासी बालक आश्रम गुदाडी	
70		आदिवासी बालक आश्रम ढुटाखार	

क्र०	जिला	विकास खण्ड	छात्रावास / आश्रम का नाम		
1	2	3	4		
71	नारायणपुर	ओरछा	आदिवासी कन्या आश्रम झारावाही		
72			आदिवासी बालक आश्रम बासिंग		
73			आदिवासी बालक आश्रम कानागांव		
74			आदिवासी बालक आश्रम कुड़मेल		
75			आदिवासी कन्या आश्रम कन्दाड़ी		
76			आदिवासी बालक आश्रम कलमानार		
77			आदिवासी कन्या आश्रम कलेबेड़ा (ओरछा)		
78			आदिवासी बालक आश्रम मण्डाली		
79			आदिवासी बालक आश्रम मसपुर		
80			आदिवासी बालक आश्रम हिकपाड		
81			आदिवासी कन्या आश्रम हितावाड़ा (ओरछा)		
82			आदिवासी कन्या आश्रम परलनार (ओरछा)		
83			आदिवासी बालक आश्रम रेकावाया		
84			आदिवासी कन्या आश्रम चालचेर (ओरछा)		
85			आदिवासी बालक आश्रम ताड़नार		
86			आदिवासी कन्या आश्रम गुमरका (ओरछा)		
87			आदिवासी कन्या आश्रम हतलानार (कुरुषनार)		
			<b>प्री मैट्रिक छात्रावास</b>		
1	कोण्डागांव	कोण्डागांव	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास गोलावण्ड		
2			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास गोलावण्ड		
3			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास मर्दापाल		
4			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मर्दापाल		
5			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास खण्डाम		
6			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कांगा		
7			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास हसलनार		
8			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बयानार		
9			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मड़ानार		
10			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास मयूरडोंगर		
					<b>पोस्ट मैट्रिक छात्रावास</b>
11			पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास गोलावण्ड		
12			पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास मर्दापाल		
					<b>आश्रम</b>
13			आदिवासी कन्या आश्रम शाला गोलावण्ड		
14			आदिवासी बालक आश्रम बुनागांव मु० केजंग		
15			आदिवासी बालक आश्रम करियाकांटा		
16			आदिवासी बालक आश्रम मर्दापाल		
17			आदिवासी कन्या आश्रम मर्दापाल		
18			आदिवासी बालक आश्रम कडेनार		
19	आदिवासी बालक आश्रम मटवाल				
20	आदिवासी बालक आश्रम खचगांव				

क्र०	जिला	विकास खण्ड	छात्रावास / आश्रम का नाम
1	2	3	4
21	कोण्डागांव	कोण्डागांव	आदिवासी बालक आश्रम कांगा (मा० स्तर)
22			आदिवासी बालक आश्रम नवागांव
23			आदिवासी कन्या आश्रम कड़ेनार मु० हसलनार
24			आदिवासी बालक आश्रम खडपडी
25			आदिवासी बालक आश्रम बयानार
26			आदिवासी कन्या आश्रम हंगवा
			<b>प्री मैट्रिक छात्रावास</b>
1	बस्तर	बस्तर	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास घोटिया
2			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मुण्डागांव
3			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास केशरपाल
4			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मांदलापाल
5			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भानपुरी
6			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सोनारपाल
7			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सोरगांव
8			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सालेमेटा
9			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास चपका
10			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास फरसागुडा
11			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास गुनपुर
12			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास कुंगारपाल
13			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास केशरपाल
14			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास भानपुरी
15			प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास सालेमेटा
			<b>पोस्ट मैट्रिक छात्रावास</b>
16			पास्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास मुण्डागांव
			<b>आश्रम</b>
17			आदिवासी बालक आश्रम कोटगढ़ पखनाकौंगेरा
18			आदिवासी बालक आश्रम मुण्डागुड़ा, कुम्हली
19			आदिवासी बालक आश्रम तिरथा
20			आदिवासी बालक आश्रम भानपुरी
21			आदिवासी बालक आश्रम पश्चिमटेमरा
22			आदिवासी बालक आश्रम रतेंगा

क्र०	जिला	विकास खण्ड	छात्रावास/ आश्रम का नाम
1	2	3	4
23	बस्तर	बस्तर	आदिवासी बालक आश्रम चपका
24			आदिवासी बालक आश्रम गुमगा
25			आदिवासी कन्या आश्रम बनियागांव
26			आदिवासी कन्या आश्रम सोरगांव
27			आदिवासी कन्या आश्रम बाकेल
28			आदिवासी कन्या आश्रम मुण्डागांव
29			आदिवासी कन्या आश्रम विश्रामपुरी
30			आदिवासी कन्या आश्रम भानुपरी
31			आदिवासी कन्या आश्रम सोनारपाल
32			आदिवासी कन्या आश्रम चमिया
33			आदिवासी कन्या आश्रम नन्दपुरा

## प्रपत्र "ब"

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला नारायणपुर कोण्डागांव एवं बस्तर में भवन विहीन परन्तु अन्य शासकीय भवनों में संचालित छात्रावास/आश्रमों की जानकारी

क्र०	जिला	विकास खण्ड	छात्रावास / आश्रम का नाम	भवन विहीन परन्तु अन्य शासकीय भवनों में संचालित
1	2	3	4	5
			प्री मैट्रिक छात्रावास	
1		नारायणपुर	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास सिगोड़ीतराई	संकुल भवन में संचालित
			पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	
2		ओरछा	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजातिकन्या छात्रावास ओरछा	प्री.मै कन्या छात्रावास के साथ संचालित
3			पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास ओरछा	ट्युबलर स्ट्रक्चर भवन निर्माण कर संचालित
			आश्रम	
4			आदिवासी बालक आश्रम बोरपाल	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर संचालित
5			आदिवासी बालक आश्रम सोनपुर	प्रा.शा.भवन में संचालित
6			माध्यमिक आदिवासी आश्रम शाला छोटेडोंगर	प्री.मे.बा.छा.भवन में संचालित
7		नारायणपुर	आदिवासी बालक आश्रम बडगांव	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर संचालित
8			आदिवासी बालक आश्रम कापसी	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर संचालित
9			आदिवासी बालक आश्रम दण्डवन	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर संचालित
10			आदिवासी बालक आश्रम तोयनार	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर संचालित
11			आदिवासी बालक आश्रम गौरदण्ड	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर संचालित
12		नारायणपुर	आदिवासी बालक आश्रम कोंगे	प्रा.शा.भवन में संचालित
13			आदिवासी बालक आश्रम मुरुमवाड़ा	प्रा.शा.भवन में संचालित
14			आदिवासी बालक आश्रम हिकुल	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर संचालित
15			आदिवासी बालक आश्रम पिडियाकोट	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर संचालित
16			आदिवासी बालक आश्रम थुलथुली	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर संचालित
17			आदिवासी बालक आश्रम जुवाड़ा	ट्युबलर स्ट्रक्चर एवं अतिरिक्त निर्माण कर संचालित
18			आदिवासी बालक आश्रम आसनार	प्रा.शा.भवन में संचालित
19			आदिवासी बालक आश्रम गोमागाल	प्रा.शा.भवन में संचालित
20		ओरछा	आदिवासी बालक आश्रम लंका	प्रा.शा.भवन में संचालित
21			आदिवासी बालक आश्रम बड़ेटोंडाबेड़ा	प्रा.शा.भवन में संचालित
22			आदिवासी बालक आश्रम काकावाड़ा	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर संचालित
23			आदिवासी बालक आश्रम कोडोली	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर संचालित
24			आदिवासी बालक आश्रम मकसोली	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन में संचालित
25			आदिवासी बालक आश्रम किहकाड	प्रा.शा.भवन में संचालित
26			आदिवासी बालक आश्रम रायनार	प्रा.शा.भवन में संचालित
27			आदिवासी बालक आश्रम छोटेपरलनार	प्रा.शा.भवन में संचालित
28			आदिवासी बालक आश्रम टाहकावाड़ा	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर संचालित
29			आदिवासी बालक आश्रम जबगुण्डा	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर संचालित

क्र०	जिला	विकास खण्ड	छात्रावास/ आश्रम का नाम	भवन विहीन परन्तु अन्य शासकीय भवनों में संचालित		
1	2	3	4	5		
30	कोण्डागांव	कोण्डागांव	आदिवासी कन्या आश्रम कड़ेनार मु० हसलनार	अजजा प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास हसलनार के साथ संचालित है।		
<b>पोस्ट मैट्रिक छात्रावास</b>						
31	बस्तर	बस्तर	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुगारपाल	हाई स्कूल भवन में संचालित		
32			पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास केशरपाल	प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास में संचालित		
33			पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सिवनी	माध्यमिक शाला भवन में संचालित		
34			पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भानपुरी (कालेज स्तर)	प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास में संचालित		
35			पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सालेमेटा	प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास में संचालित		
36			पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास चपका	हाई स्कूल भवन में संचालित		
37			पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास केशरपाल	प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास में संचालित		
38			पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास भानपुरी (कालेज स्तर)	प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास में संचालित		
<b>आश्रम</b>						
39			आदिवासी बालक आश्रम छोटेआमावाल	सामुदायिक भवन में संचालित		
40			आदिवासी बालक आश्रम गोदियापाल	सामुदायिक भवन में संचालित		
41			आदिवासी कन्या आश्रम बेसोली	प्रा. शा. भवन में संचालित		
42	आदिवासी कन्या आश्रम मुण्डागांव	कन्या आश्रम भवन मुण्डागांव (प्रा० स्तर) में संयुक्त रूप से संचालित है।				

प्रपत्र "स"

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला नारायणपुर कोण्डागांव एवं बस्तर में संचालित छात्रावास/आश्रमों के लिए वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 15 नवम्बर 2021 तक क्रय की गई सामग्री की जानकारी

जिला	वर्ष	सामग्री का नाम
1	2	3
नारायणपुर	2020-21	एल.ई.डी. बल्ब, सिलिंग फेन, लोहा पलंग, मैट्रेस, पतीला, अलमीरा, गंज, कढ़ाई, थाली, गिलास, झूम, चौमुखा, अनाजकोठी, वेट) गेज, करछुल, झारा, पल्टा, चावल छन्नी, चम्मच (बड़ा), कुकर, बाल्टी (प्लास्टिक), मग (प्लास्टिक), डस्टवीन, एल.ई.डी.बल्ब, पंखा, वेटिंग चेयर स्टील, आलमारी, आफिस टेबल (एजुकेटिव), आफिस चेयर (एजुकेटिव), छोटा पेटी, पलंग, गद्दा, मच्छरदानी, क्वालीबाल, पोल, फुटबॉल, फुटबॉल नेट, बेडमिंटन, नेट पोल, नेट, सटल कॉक (प्लास्टिक), केरमबोर्ड फुल साईज, केरमबोर्ड स्माल साईज, गोला (16, 12, 8 पौंड), माला, चक्र, खो-खो पोल, तीरंदाजी (मिनि, जुनी, सिनि), कम्प्यूटर सेट एवं यूपीएस, प्रिंटर, कुर्सी, टेबल, आफिस टेबल, सेनेटाईजर, मास्क, स्रे मशीन, हेन्ड स्रे, प्रिंटर
कोण्डागांव		क्वायर मैट्रेस (गद्दा), मच्छरदानी, फिनाईल, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट चेयर, रबराईज्ड क्वायर मैट्रेस (गद्दा), एलईडी ट्यूबलाईट बेटन, एलईडी ट्यूबलाईट बेटन, एंगल आयरन कोट (तखत), स्वचायर अनाजकोठी, केबिनेट विथ वन लॉकर (आलमारी)
बस्तर		स्टील जग, फोम गद्दा, मच्छरदानी, सिलिंग फेन, स्टील थाली, जग, करछुल, फिनाईल, ट्यूब लाईट सेट, एल.ई.डी. लैम्प
नारायणपुर	2021-22	वर्ष 2021-22 में दिनांक 15 नवम्बर 2021 तक कोई सामग्री क्रय नहीं की गई है।
कोण्डागांव		
बस्तर		